(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 10] विधान सभा के दसवें सत्र का 19वां दिवस [संख्या 12

शुक्रवार,
दिनांक 23 जनवरी, 1976

विधान सभा की बैठक म० पू० 11·1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।
(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, कृषि, शिक्षा, अकाल सहायता, देवस्थान, खाद्य, गृह, विधि एवं न्याय, उपनिवेशन, उद्योग, चुनाव एवं वन विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव !

शिला माताजी का मन्दिर, आमेर

285. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आमेर स्थित प्रसिद्ध शिला माताजी के मन्दिर का सार्वजनिक प्रन्यास बना हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सार्वजनिक प्रन्यास (ट्रस्ट) का प्रन्यासाधिकारी मिलिट्री सेक्रेटरी टू हिज हाइनेस जयपुर है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(3) क्या सरकार को यह मालूम है कि इस मंदिर में प्रतिवर्ष जनता द्वारा कितना चढ़ावा दिया जाता है और उसका किस प्रकार से उपयोग होता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मन्दिर के ट्रस्ट को सरकारी नियमों और कानून के अन्तर्गत पुन: गठित करेगी और मन्दिर के भेंट चढ़ावा के खर्च को सार्वजनिक हित में व्यय करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी हां।

(2) जी हां। पंजीयन के आधार पर प्रन्यासधारी हैं।

(3) जी हां। पुनर्गठन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। ऐसी कोई परिस्थिति सामने नहीं है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का और मुख्य मंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि अब राजा-महाराजा ही नहीं रहे तो फिर उनके ए. डी. सी. या प्राइवेट सेक्रेटरी का कहां प्रश्न पैदा होता है। एक धार्मिक स्थल, जो कि सरकार ने अपने अण्डर में ले लिया है, में कितने लाख का घोटाला हो रहा है इस ओर सरकार का ध्यान है ? इस पर विचार करने का कोई विचार नहीं है ?

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्या ने कहा कि हिज हाइनेस के प्राइवेट सेक्रेटरी को उसका प्रन्यास अधिकारी बनाया हुआ है। इसके लिए निवेदन यह है कि ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और हिज हाइनेस को पावर दी हुई है कि वह प्रन्यास अधिकारी नियुक्त स्वयं करेंगे।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : हिज हाइनेस कौन है ? हिज हाइनेस अब रह नहीं गये। समझ में नहीं आता, हिज हाइनेस अब नहीं है तो माननीय मंत्री जी 'हिज हाइनेस' और वह ट्रस्ट है और उसके व्यक्ति को ही 'प्रन्यास अधिकारी' क्यों कह रहे हैं ? यह बात गलत है। राज्य सरकार ने इसको अपने अण्डर में ले लिया है।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : एक प्रश्न मेरा भी है, इस मन्दिर में सोने, जवाहरात के कुल कितनी कीमत के आभूषण मौजूद हैं और कितने रजिस्टर में एन्टर हैं ? दूसरा मेरा सप्लीमेन्ट्री यह है, अध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष इस मन्दिर से आमदनी कितनी होती है, जो चढ़ावे के रूप में आती है उसका इन्द्राज कहीं होता है ? और होता है तो सरकार की निगाह में ऑडिट के जरिये, किस तरह से आ रहा है और उसकी तादाद क्या है ?

देवस्थान मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, स्टेट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्स रूलर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, कोवनेन्ट, उस एग्रीमेंट के तहत प्राइवेट प्रापर्टीज की इन्वेन्ट्री बनी थी, उस कोवनेन्ट के पेज 24, नोट 2 के नीचे है : "The following will be maintained hitherto and will be under the control of the Ruler :—

(a) Mataji Temple at Amer;"

यह हिज हाइनेस की प्राइवेट प्रापर्टी के बतौर है, उसका ट्रस्ट है, इसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के नीचे 53 में हुआ है। उसके अन्दर लिखा हुआ है, मिलिट्री सेक्रेटरी टू हिज हाइनेस इसके सोल ट्रस्टी रहेंगे और मैनेजमेंट का काम देखेंगे। यह ट्रस्ट जिस वर्ष ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट के नीचे रजिस्टर हुआ, उस वक्त का प्रापर्टी है, मन्दिर के अलावा, जिसमें गहने वगैरह सब शामिल है, उसका अनुमानतः 72–73 हजार के आस पास कीमत है। मेरे पास रजिस्ट्रेशन की कापी नहीं है, ऐसा कुछ है 72 हजार, 73 हजार। जो सालाना आमदनी होता है, उसके तीन साल के आंकड़े हमारे सामने आये हैं, वह चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट के सर्टिफिकेट शुदा है। 1972–73 के अन्दर आमदनी 34102·20 हुई और खर्च 25449 रुपये हुआ। 1973-74 और 1974–75 इसमें से 1973-74 में आमदनी 28319 हुई और खर्च हुआ 29920 और 1974–75 में आमदनी भेंट गोलक से और सरकारी सहायता से हुई, 36589 और जब कि खर्चा 37999 रुपये है। यह खर्च दो साल में आमदनी से ज्यादा है, जिसकी शिकायत कोई भट्टाचार्य ने की है। उसने शिकायत की है कि ट्रस्ट रजिस्टर कराते वक्त इसकी प्रापर्टी का पूरा इन्द्राज नहीं किया है। यह शिकायत आने पर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 80 के अन्तर्गत असिस्टेन्ट कमिश्नर ने इस शिकायत को ठीक नहीं माना। इसके

(श्री परसराम मदेरणा)

विरुद्ध अपील की गई जो दफा 39 के नीचे कमिश्नर के पास, कमिश्नर के सामने एज अदालत के बतौर यह मामला जेर तजवीज है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं जानना चाहता हूं···

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े शर्म की बात है कि जिस प्रकार से लोगों को भुलावे में डाला जा रहा है कि खर्च इतना हुआ है, आमदनी इतनी हुई, खर्च इतना हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूं, आपको स्वयं मालूम है, शिला देवी जी का मंदिर है, उसमें कितना चढ़ावा आता है। रहा सवाल, वह प्रापर्टी है, 72 हजार, 73 हजार, की बतायी गई है। मैं इसको चैलेंज के साथ कहती हूं, लाखों की प्रापर्टी है उस मन्दिर के तहत, शिलादेवी के तहत लाखों की प्रापर्टी है। जो जेवरात, गहने वगैरह से सम्बन्ध रखती है। मेरी समझ में नहीं आता, हमें हो क्या गया है। एक तरफ प्रिवीपर्स खत्म कर सकते हैं तो मिलिट्री सेक्रेटरी क्यों हैं अभी ? What is this ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं दो सवाल करना चाहता हूं कानूनी स्थिति के। मैं जानना चाहूंगा मन्त्री महोदय से, जो हिज हाइनेस की कैपेसिटी थी, उनके सेक्रेटरी को उस कैपेसिटी के लिहाज से उसका ट्रस्टी बनाया गया, सोल ट्रस्टी बनाया गया ? मैं और कहूं, जब वह कैपेसिटी उसकी खत्म हो गई तो जो ट्रस्टी बन कर आता है, उसकी क्या कैपेसिटी रहती है ? मैं यह समझता हूं कि लीगली है क्या? वह खत्म हो गये हैं तो वह हिज हाइनेस के ट्रस्ट हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से उनके ट्रस्टी बने रहेंगे ? इस इश्यू को राज्य सरकार इस पर्सपेक्टिव से देखें।

दूसरा सवाल, मैं यह करना चाहता हूं कि क्या कोई टेम्पल भी किसी की प्राइवेट प्रापर्टी हो सकता है ? प्राइवेट मन्दिर हो सकता है, लेकिन प्राइवेट प्रापर्टी किसी की हो सकती है ? मैं समझता हूं कि टेम्पल और रिलिजिअस प्लेस किसी की प्राइवेट प्रापर्टी नहीं हो सकती।

तीसरा यह कि यह जो आंकड़े आपने दिये, इन आंकड़ों के बारे में कोई इन्क्वायरी इस किस्म की की गई क्या ? यह आंकड़े दिये गये—यह सही है ? और चौथी बात यह कि क्या राज्य सरकार जब वह पुराने रिलेशनशिप खत्म हो गये, और प्रिविलेज आफ राजा-महाराजा खत्म हो गये, राजा महाराजा खत्म हो गये तो प्रापर्टी जो सार्वजनिक संस्था की है या रिलिजिअस है, उसको राज्य सरकार अपने हाथ में लेने को तैयार है ? पता नहीं उसकी कितनी आमदनी है। मैं समझता हूं, उसका सुचारु रूप से मैनेजमेंट चले और लोगों को असुविधा नहीं हो। पूजा करने वाले वहां पहुंच सकें। इसके लिए भी जरूरी है कि राज्य सरकार अपने हाथ में ले। और इसके जो लीगल आस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में चार क्वेश्चन मैंने रखे हैं, आप फर्मायें, आपकी क्या राय है ?

श्री परसराम मदेरणा : प्राइवेट प्रापर्टी का मैंने नहीं कहा। मैंने कहा प्राइवेट प्रापर्टी की एन्ट्री के अन्दर कन्ट्रोल हिज हाइनेस का है। कोई भी ट्रस्ट है या मन्दिर है उसकी आमदनी भी नहीं ले सकते। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के नीचे रजिस्टर हो गया, वह एक मन्दिर है। माननीय सदस्या कह

(श्री परसराम मदेरणा)

रही हैं कि आमदनी होती है, शर्म की बात है। मैं न तो देवियों के मन्दिर में जाता हूं, न मुझे शर्म ही आती है। मैं तो इनमें विश्वास भी नहीं करता...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : देवियां आपके मन्दिर में आती हैं।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहाड़ी बाबा को आप नहीं जानते ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं नहीं जानता। मैंने पहाड़ी बाबा को नहीं देखा है।

क्योंकि उनके प्रिविलेजेज खत्म हो गए उनकी प्राइवेट प्रापर्टी है, अगर वह सूची में है तो उसके अलग अलग पर्पजेज हैं। किसी प्रापर्टी का वे खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी में लकड़ी काट सकते हैं, किसी के अन्दर मवेशी चरा सकते हैं। यह उसमें लिखा हुआ है। दूसरे भी राजा हैं। जिस समय कोवनेन्ट साइन हुआ, उस समय से अलग अलग स्थानों पर भी ट्रस्टीज हैं। यह इन्स्ट्रूमेंट एक्सेशन के पूर्व की बातें हैं। प्रश्न रहा कि जब हिज हाइनेस नहीं रहे तो ट्रस्टीज भी नहीं रह सकते, इसलिए स्टेट को मैनेज करना चाहिए। यह प्रश्न ऐसा है कि मैंने इस पर जांच के लिए कहा है। कल ही मैंने प्रश्न देखा कि मिलिट्री सेक्रेटरी और एच. एच. का सवाल है। अब दोनों की हैसियत नहीं रही है। इसके लीगल आस्पेक्ट्स क्या हैं, उसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूं। मैंने विभाग को इस इश्यू पर जांच करने के लिए कहा है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मन्त्री महोदय कहते हैं कि वे देवियों के मन्दिर में नहीं जाते, न जानते। लेकिन देवियों की महिमा देखना चाहते हैं तो दिल्ली जा कर देखें।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमत में गिरावट

286. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाजार में अनाज, तेल, दाल, वनस्पति घी, चीनी आदि के भावों में गिरावट होने के उपरांत भी हलवाइयों, होटल वालों, रेस्टोरेंट के मालिकों ने मिठाई, नमकीन, चाय एवं खाने की कीमतों में कमी नहीं की है और न कोई क्वालिटी में सुधार किया है ?

(2) राज्य सरकार ने उनकी कीमतों में कमी करने के लिए क्या क्या प्रयास किए ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही कि राज्य सरकार के प्रयास असफल रहे हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार इस विषय में कोई ठोस कदम उठाकर कीमतों में गिरावट और क्वालिटी में सुधार कराकर उपभोक्ताओं की आवश्यक मांग की पूर्ति करेगी ?

खाद्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) बाजार में अनाज, तेल, दाल, वनस्पति घी, चीनी आदि के भावों में गिरावट आने

(श्री शिवचरण माथुर)

के बाद मिठाई, नमकीन, चाय एवं खाने की कीमतों में भी गिरावट आई है एवं क्वालिटी में भी सुधार आया है।

(2) इस हेतु जयपुर नगर स्थित होटलों एवं भोजनालयों में ली जाने वाली दरों का सिंहावलोकन करके तथा विभिन्न संस्थानों के कुछ प्रतिनिधियों से सम्मिलित रूप से वार्ता करके माकूल घटोतरी कराई गई है।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य सरकार कीमतों में गिरावट लाने एवं क्वालिटी में सुधार हेतु सदैव प्रयत्नशील है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आपने कहा कि जयपुर में विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों से मिलकर भावों में कटौती कराई गई। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि मैंने बम्बई लॉज, एल. एम. बी. में खाना खाया, कोई भावों में गिरावट नहीं, नटराज में भी वही हालत। जोधपुर के अन्दर विशम्बर लॉज में खाया लेकिन भावों में गिरावट नहीं।

(शोरगुल)

किसी ढाबे में गिरावट नहीं आई, न रेस्टोरेन्ट की दरों में गिरावट आई है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार बहुत निष्क्रिय है कोई कदम नहीं उठा रही है और मैं समझता हूं कि प्रतिनिधियों से मिलकर उनसे सहयोग लेकर आप सफल भी नहीं हो सकते। इसके लिए जब बीस सूत्री कार्यक्रम हाथ में लिया गया है तो आपको लेजिस्लेशन बनाना पड़ेगा, जो भाव बढ़ा रहे हैं, ऐसे असहयोगियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेंगे, तब मानेंगे, बाकी इनके प्रतिनिधियों से मिलकर वार्ता करने पर ये मानने वाले नहीं हैं और यह स्थिति सारे राजस्थान में है। इसलिए आप बताइए कि आप कोई लेजिस्लेशन बना रहे हैं या कोई कदम उठा रहे हैं?

(शोरगुल)

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय…

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : श्री गोपाल जोशी की स्पेशलिस्ट ओपिनियन है।

श्री गोपाल जोशी : होटल, हलवाई….

एक माननीय सदस्य : आप तो रसगुल्लों की बात करो।

श्री गोपाल जोशी : रसगुल्ले तो बीकानेर में 6 रुपये प्रति किलो बिकते हैं जब कि जयपुर में 15 रुपये प्रति किलो हैं। क्या एक नागरिक जिसकी औसतन आय रुपया सवा रुपया से ज्यादा नहीं है, मिष्ठान खाने योग्य है?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): इसका मतलब नहीं खायेंगे?

श्री गोपाल जोशी : आम नागरिक मिष्ठान नहीं खाता है। 80 प्रतिशत जनता हलवाई के पास नहीं जाती। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय ने या उनके अधिकारियों ने, डी. एस. ओ. ने या एस. डी. ओ. ने कभी भी राजस्थान भर में अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स बुलाकर भाव तय नहीं किए हैं और उनको डराया धमकाया है? यह मेरा चार्ज है।

(श्री गोपाल जोशी)

मैं कई जगह गया हूं, खोमचों वालों को भी जबर्दस्ती डराकर दाम कम करवाए हैं। 18-7-75 को मन्त्रीजी के सामने तय 17 पदार्थों की चीजों ··

श्री श्रीराम गोटेवाला : सप्लीमेंट्री नहीं पूछ रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप हलवाइयों की पैरवी कर रहे हैं ?

(शोरगुल)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) **:** मैं निवेदन कर रहा था कि जिस रेश्यो के अन्दर और चीजों के अन्दर दाम गिर रहे हैं जैसे तेल,, बेसन, अनाज, उस हिसाब से अगर चाय के प्याले की दर 35 पैसे कर दो तो साइज छोटी कर दो। जोशीजी फरमा रहे हैं वह वाजिब हो सकता है कि 10 प्रतिशत लोग रेस्टोरेन्ट्स में जाते हैं, लेकिन जितने जाते हैं, यह सही है वहां रेट्स कम नहीं हुई हैं तो मैं मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि वह और उनका विभाग इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रहा है ? जिस रेश्यो के अन्दर तेल, बेसन, आटे और चीनी के भाव कम हुए हैं उस रेश्यो में चीजों के भाव गिरे हैं ? आप फैक्ट्रीज को कन्ट्रोल्ड रेट पर चीनी व मैदा देते हैं, तो उनके लिए आप बनी हुई चीजों के रेट्स फिक्स करवाकर इस बारे में कब तक कदम उठा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) **:** गेहूं के भाव कम हो गए !

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मन्त्री महोदय ने जवाब दिया कि हमने कोशिश करके रेट्स घटाए। जो फूड आर्टीकल्स काश्तकारों के यहां पैदा होते हैं उनके भावों में जिस पर्सेन्टेज में गिरावट आई है, जिनके भाव बिलो स्टेन्डर्ड है, सपोर्ट पाइन्ट के नीचे चले गए, इस पर्सेन्टेज में जितना सामान तैयार होता है, खाद्य सामग्री के भाव उसी पर्सेन्टेज में घटाने के लिए किस समय क्या क्या प्रयत्न किए गए ?

श्री राजेन्द्र सिंह : क्या मन्त्रीजी को मालूम है कि गेहूं के भाव गिरने के बावजूद भी छोटी छोटी होटलों में 30 पैसे प्रति चपाती मिल रही है ?

श्री शंकर सिंह रावत (नसीराबाद) **:** मिर्ची के अन्दर कितनी गिरावट आई है ?

श्री शिवचरण माथुर : जैसा मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया, यह सही है कि हमने रेस्टोरेन्ट्स के प्रतिनिधियों को बुलाकर सब जगह भाव कम लाने की चेष्टा की और मेरे पास में जयपुर के भाव उपलब्ध हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह फरमा रहे हैं कि भावों में कमी आयी है। तो मेरा यह निवेदन है कि कहीं पर रोटी के भावों में कमी आई हो तो बतावें ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, भावों में कमी आयी है या नहीं आयी लेकिन चीजों के स्तर में कमी जरूर आई है। वैसे भावों में कोई कमी नहीं आई है।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज। पहले मन्त्री महोदय, जो जवाब दे रहे हैं, वो सुन लीजिए। एक एक प्रश्न का उत्तर आने दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर के सम्बन्ध में तो कह सकता हूं कि भावों में कमी आई है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पूरे राजस्थान का सवाल है। कहां भावों में कमी आई ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरे राजस्थान की तो सूचना अभी नहीं है। मैं तो अभी जयपुर की बात कर रहा हूं। वैसे मैं इतना जरूर निवेदन कर सकता हूं कि हमने सभी जिले के जिलाधीशों को इस सम्बन्ध में यह कहा था कि खाद्यान्न की चीजों के भाव कम कराये जाय। और इस पर सभी जगहों के जिलाधीशों ने खाद्यान्न की चीजों के भाव कम कराये। राजस्थान की सभी जगहों की खाद्यान्न की चीजों के भाव तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन जयपुर के होटलों में जो भाव तय हुए हैं उसके अनुसार यह स्थिति है :—

जून 1975 के पहले—	रुपये में
कचौड़ी, समोसा बड़ी प्लेट	1–40
आलू मटर प्लेट	2–25

जून 1975 के बाद—

अब कचौड़ी और समोसा की बड़ी प्लेट की कीमत 1 रुपया सिर्फ अब दो रुपये आलू मटर की प्लेट।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह कौनसे होटल की बात कर रहे है ? एल०एम०बी० की कर रहे हैं या नटराज की कर रहे हैं? कहीं पर भी तो कम नहीं हुई हैं रेट्स इन चीजों की।

श्री अध्यक्ष : आप बहस क्यों कर रहे हैं। इन्होंने तो कहा है कि पहले यह भाव थे और जून के बाद में कम किये गये हैं। अब बाजार में इस भाव से मिलता है या नहीं—यह अलग बात है। इन्होंने जो भाव तय किये थे बताये हैं।

श्री शिवचरण माथुर : सभी चीजों के भाव जो तय कराये गये थे वह बता रहा हूं। लेकिन माननीय सदस्य के अनुसार नहीं मिल रहे हैं उसका मेरे पास इलाज नहीं है। मैंने तो जो भाव तय कराये थे वह बता रहा हूं कि राज्य सरकार ने भाव कम कराये हैं और कम हुए हैं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर किसी प्रश्न का उत्तर सीरियसली पूछना चाहते हैं तब तो आप सीरियसली पूछिये। अन्यथा कई सदस्यों के बोलने से मन्त्री महोदय को सुनाई भी नहीं पड़ता है और कोई फायदा भी नहीं है। आप एक एक माननीय सदस्य पूछें। मन्त्री महोदय ने तो यह जवाब दे दिया है कि भाव तय कर दिये गये हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना दे रहे हैं वह गलत है। भावों में कहीं भी गिरावट नहीं आई है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं कोई गलत बात थोड़े ही कर रहा हूं।

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय जो भाव बता रहे हैं कैटेगरी वाइज उस तरह से कहीं भी कोई खाद्य पदार्थ होटल्स में नहीं मिल पा रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमने जयपुर में सात टीमें बनाई हैं और फिर जगह जगह जयपुर में उन टीमों को होटल्स पर भेजा और उन टीमों ने जो सर्वेक्षण किया होटल्स का उसके अनुसार मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वह बता रहा हूं।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : वास्तव में इसी भाव में मिल रहे हैं यह देखा या नहीं ? इसका चेकिंग करावें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकरलाल पाली।

पाली जिले में शीत लहर से क्षति

287. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 23-10-75 को पाली जिले में शीत लहर से हजारों लरड़ियां (भेड़) गांवों में मर गई ? यदि हां तो किन किन गांवों में कितना कितना नुकसान हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस प्रकार के नुकसान की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या सहायता पहुंचाई गई ?

राज्य मन्त्री, भेड़ व ऊन (श्री मुन्शीलाल महावर) : (1) जी हां, गांव वार मृतक भेड़ों की सूची संलग्न है।

(2) इस विभाग द्वारा इस नुकसान की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष सहायता नहीं दी गई ?

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जो मन्त्री महोदय ने सूची दी है उसमें पाली जिले में 96579 भेड़ों का मरना बताया है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि पाली जिले में बाली, पाली और देसूरी पंचायत समितियों के अन्दर कितनी भेड़ें मरी-इसका उल्लेख नहीं किया। दूसरे इसके साथ साथ यह भी मन्त्री महोदय ने अपने प्रश्न के जवाब में बताया कि भेड़ व ऊन विभाग द्वारा उसके लिए कोई भी क्षतिपूर्ति सहायता प्रदान नहीं करायी गई। इसका क्या कारण है कि इतनी भेड़ें मर गई और राज्य सरकार ने कोई विशेष सहायता उनको नहीं दी ?

श्री मुंशीलाल महावर : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना जिलाधीश महोदय ने हमको पाली जिले के बारे में भेजी है वह हमने माननीय सदस्य को दी है। टोटल भेड़ें 46478 शीतलहर से व निमोनिया और पेट की बीमारी से पाली जिले में मरी हैं। इसके लिये हमने दवाइयां भी पहुँचाई हैं और हमने वित्त विभाग से दस हजार रुपये की स्वीकृति भेड़ों के इलाज के लिये मांगे है उसमें से हमें आठ हजार रुपये उनके इलाज के लिये आवंटित किये गये है जो उन भेड़ों के इलाज के लिये काम में लिये गये :...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : यह इलाज भेड़ों के मरने के बाद किया गया या पहले ? यह भी बता दें मन्त्री महोदय।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना दी है उसमें पाली जिले की पाली देसूरी और बाली पंचायत समितियां में

(श्री शंकरलाल)

कितनी भेड़ें मरीं इसकी सूचना इसमें नहीं दी है। इन तीन पंचायत समितियों में कितनी भेड़ें मर गयीं? दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दस में से सात पंचायत समितियों के गांवों में 23-10-75 को जो शीतलहर पड़ी थी उसका आपने बताया है। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त माननीय मुख्य मन्त्री जी भी दौरे के ऊपर पाली देसूरी वगैरह गये थे उनकी भी जानकारी में है। लेकिन आपने पाली जिले की तीन पंचायत समितियों के अन्दर कितनी भेड़ें मरीं इसका उल्लेख नहीं किया। पाली में कितनी मरीं, बाली और देसूरी पंचायत समिति के अन्दर कितनी भेड़ें मरीं? यह बतावें। और दूसरे जो भेड़ बीमार थीं आप ने कोई सहायता उनके इलाज के लिये नहीं दी इसका क्या कारण है? यह बतावें।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री पूनम चन्द बिश्नोई।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है, 23-10-75 को जब शीतलहर पड़ी थी और भेड़ें बीमारी से मर रही थीं तब नोमेडिक केटल ब्रीडर्स ने राज्य सरकार को भेड़ों की बीमारी के लिये दवाइयों के बारे में निवेदन किया था और आपको यह कहा था कि भेड़ें बहुत संख्या में मर रही हैं इसलिये आप इनके इलाज की व्यवस्था करें?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि भेड़ व ऊन विभाग ने जो दवाइयां खरीदी थी वह पहले ही खरीदने के बाद भी इन भेड़ों के लिए सप्लाई नहीं की जाकर बाजार में बेच दी गयीं? उसकी बाद में पुलिस विभाग द्वारा पकड़ धकड़ की गयी। उसके लिये आपके विभाग ने अपने अधिकारियों को बचाने का प्रयास भी किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर इलाके में भी काफी भेड़ें मरीं थीं उनके लिये भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। उसके लिये क्या राज्य सरकार अब कोई व्यवस्था कर रही है?

श्री मुन्शीलाल महावर : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने उत्तर में बताया कि 96579 भेड़ों में से राज्य सरकार की तरफ से 63349 भेड़ों के टीके लगवाये और 10729 भेड़ों का इलाज करवाया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह सभी आपने मरने के बाद करवाया या पहले करवाया?

श्री मुन्शीलाल महावर : हमने तो जिन्दा भेड़ों का इलाज करवाया।

श्री शंकरलाल : मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं आया।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर! आर्डर प्लीज!

श्री मुन्शीलाल महावर : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में जो प्रश्न पूछा उसका पूरा जवाब दिया है और इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि दस

(१०)

(श्री मुन्शीलाल महावर)

हजार रुपये इनके इलाज के लिये मांगे थे उसमें से सिर्फ 8 हजार रुपये ही सैंक्शन हुए थे लेकिन राज्य सरकार ने उन भेड़ों के इलाज के लिये 11 हजार रुपये दिनांक 7-1-76 तक खर्च कर दिये हैं। इसके अलावा 50 हजार रुपये की दवाइयों के लिये राज्य सरकार को दिनांक 19-12-75 तक पाली जिले के जैतारण पंचायत समिति से 7, 8, बीस और 28 एप्लीकेशन्स प्राप्त हुई हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री मुन्शीलाल महावर : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया इसके लिये 50 हजार रुपये की दवाइयों की सहायता के लिये अकाल राहत विभाग को व्यवस्था करने के लिए सिफारिश की है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अकाल राहत सहायता विभाग क्या करेगा इसमें ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप बड़े ही योग्य मन्त्री हैं।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

ग्राम संगराना में डकैती का मामला

288. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मई, 1974 में तहसील रायसिंहनगर के ग्राम संगराना में दिन दहाड़े डाका पड़ा तथा उसकी एफ. आइ. आर. डाके की रात्रि को ही दर्ज करा दी गई थी ? क्या यह सही है इस डाके में एक 12 बोर बन्दूक 70,000 का सोना और नकदी लूट ली गई एवं एक औरत की हत्या भी कर दी गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त डाका पड़ते अनेकों लोगों ने देखा ?

(3) क्या यह भी सही है कि डाकू जो संख्या में आठ या नौ थे जीप नम्बर डी. एम. बी. 384 में आये थे तथा इन्होंने पदमपुर पैट्रोल पम्प से पैट्रोल लिया और इसका पता भी वहां से चला ? तथा डाका डालकर वे गजसिंहपुर की ओर चले गये ?

(4) क्या यह सही कि आज तक कोई डकैत नहीं पकड़ा गया ? ना ही कोई केस बना है ? यदि हां तो इस डाके की तफतीश किस किस पुलिस अधिकारी द्वारा कब कब की गई है एवं कितने लोगों को तफतीश के लिए आज तक तलब किया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त तफतीश कुनिन्दाओं में से एक श्री प्रेमनाथ थानेदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अनेकों आरोपों की जांच डी. आइ. जी., सी. आइ. डी. श्री बजरंगलाल द्वारा किये जाने के दौरान यह पाया गया कि उक्त डाके की तफतीश के सिलसिले में अनेकों बेगुनाहों को थाने में रख कर बेरहमी से मार-पीट कर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हजारों रुपया वसूल किया है ? यदि हां, तो श्री प्रेमनाथ के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या यह भी सही है कि आज भी पुलिस बजाय उक्त डकैती को बरामद करने या डाकुओं को पकड़ने के श्री प्रेमनाथ थानेदार के विरुद्ध दिये गये बयानों को बदलवाने में मशरूक है ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) 28 अप्रेल, 1974 को ग्राम सकराना में दिन छिपते डाका पड़ा जिसकी रिपोर्ट 29-4-74 को 1.45 ए.एम. को दर्ज कराई। डाके में एक मन सोने के जेवरात एवं नकदी आदि करीब 87,500 रुपये का माल लूटा गया था एवं एक औरत की हत्या भी की गई थी।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) इस घटना को मुकद्दमा नम्बर 28/74 धारा 396 ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत पुलिस थाना गजसिंहपुरा में दर्ज किया जा चुका है। इस डकैती से सम्बन्धित माल मुल्जिमान का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। इस अभियोग की तफतीश निम्न अधिकारियों ने की है:—

1) श्री किशनलाल हैड-कान्स्टेबल 29-4-74 से 1-5-74 तक।

2) श्री जतेसिंह, उपनिरीक्षक, एस. एच. ओ. 2-5-74 से 7-5-74 तक पदमपुर।

3) श्री भैरूसिंह उप निरीक्षक, एस. एच. ओ. 8-5-74 से 26-8-74 तक गजसिंहपुरा वृत्त अधिकारी एवं ए. एस. पी. करनपुर ने भी इस समयावधि में तफतीश का सुपरविजन किया है।

4) श्री प्रेमनाथ, उपनिराक्षक, एस. एच. ओ. 27-8-74 से अब तक रायसिंहनगर वृत्त अधिकारी, रायसिंहनगर भी सुपरविजन कर रहे हैं। अब तक करीब दस व्यक्तियों से पूछताछ की गई है।

5) जी हां, श्री प्रेमनाथ थानेदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की डी. आइ. जी., सी. आइ. डी. द्वारा जांच किये जाने के दौरान इस मामले में तफतीश संबंधी शिकायत के कुछ तथ्य सामने आये। इस पर डी. आइ. जी., बीकानेर द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई। अब विभागीय जांच की जा रही है।

6) जी नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या यह सही है कि जब जांच प्रेमनाथ, एस० एच० ओ०, रायसिंहनगर के पास आई तो उसके बाद कोई डायरी नहीं काटी गई और एस. पी. गंगानगर के द्वारा अनेकों बार एस० एच० ओ० को लिखा गया है कि तुम केस डायरी क्यों नहीं काट रहे हो ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप मुकदमा नम्बर 18 सन् 74 के....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जब प्रेमनाथ के पास यह केस आया तो क्या उसने इस केस की कोई डायरी नहीं काटी जब कि सी. ओ. और एस. पी. ने कई दफा डायरी काटने के लिये कहा, लेकिन नहीं काटी गई ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : केस डायरी करने के बारे में कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो प्रोग्रेस रिपोर्ट कहां कहां भेजी जाती है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह स्पेशल केस ट्रीट किया गया था और इसकी इत्तला प्रति महीने डी. आइ. जी. और उच्च अधिकारियों को भेजी जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह जीप जिसमें डाकू आये रजिस्टर्ड थी क्या और वह पकड़ में आई या नहीं आई ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जैसा मैंने बताया जीप का नम्बर डी. एल. बी. दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हुआ है उस पार्टी के नाम पर है और तफ्तीश करने पर मालूम पड़ा कि दूसरे को बेच दी गई 10-5-68 को श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र अमरसिंह, दिल्ली और मोतियाखान का रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन के बाद में पवनकुमार पुत्र माणकचन्द को ट्रान्सफर कर दी। रजिस्ट्रेशन में इन्द्राज जरूर है लेकिन एड्रेस नहीं होने से पता नहीं लग पाया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा था आपकी डकैती की प्रोग्रेस रिपोर्ट डी. आइ. जी., सी. आइ.डी., स्पेशल ब्रांच और सबके पास जाती है। इस डाके को सवा साल से अधिक हो गया डी. आइ. जी., सी. आइ. डी. बीकानेर ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वैसे तो बीकानेर में डी. आइ. जी., सी. आइ. डी. की पोस्ट नहीं है। इसलिये मैं क्या जवाब दूं, कोई पोस्ट ही नहीं है।

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : फ्लस आफ थिंग्स में, मैं निवेदन कर दूं कि प्रेमनाथ के पास जब तफ्तीश गई थी तो शुरू में हैड कान्स्टेबल ने यह तफ्तीश की थी और बाद में प्रेमनाथ के पास गयी है। इसमें प्रोसीजरल लैप्सेज हैं और प्राइमा-फेसी यह चीज साबित हुई इसलिये डिपार्टमेंट की कार्यवाही उस पर चल रही है। केस ऐसी एजेन्सीज को दिया जा रहा है जिससे ठीक से तफ्तीश हो सके।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या पुलिस रेगुलेशन, एक्ट के अनुसार अगर रोजनामचा प्रोसिडिंग रिपोर्ट नहीं देते हैं और दूसरी रिपोर्ट्स भी नहीं जाती है तो ऐसे पुलिस आफिसर को इमीजियेटली सस्पेंन्ड किया जाता है ? क्या यह अनियमितता पाने के बावजूद डी. आइ. जी. बजरंगलाल, डी. आइ. जी. भगवन्तसिंह और डी. आइ. जी., सी. आइ. डी. बैजल के द्वारा लिखे जाने के बाद यह नहीं किया गया और उसको आज तक सस्पेन्ड नहीं किया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : अगर इस प्रकार के एलीगेशन साबित हो जाते हैं तो किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री करनसिंह।

डीग में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कार्यालय

289. **श्री करनसिंह** (डीग) : क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री करनसिंह)

क्या डीग की अदालतों में विचाराधीन मुकदमों की तादाद को देखते हुये सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिये डीग मुख्यावास पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

राज्य मन्त्री, विधि (श्री फारुक हसन): जी नहीं।

श्री करनसिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, मेरा सवाल यह है कि मुकदमों की तादाद दूसरे सब डिविजनों से बहुत अधिक है ? क्या मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि जनता को सस्ता न्याय दिलाने के क्रम में वहां पर यह पोस्ट, जिसका मैंने प्रश्न रखा है, भिजवाने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री फारुक हसन : जहां तक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सवाल है सी. आर. पी. सी. में ऐसा प्रोविजन है कि यह डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर रखे जाते हैं और हाई कोर्ट ने अभी एक कमेटी की नियुक्ति की है वह यह देख रही है कि डिस्ट्रिक्ट्स किस तरह रि-आर्गेनाइज किये जायं। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इस पर गौर किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भोपालसिंह।

राज्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक मकान का मालिक बनाने की योजना

290. **श्री भोपालसिंह (जैसलमेर)** : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजस्थान सरकार पंजाब सरकार की तरह कर्मचारियों के रिटायरमेंट तक प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को मकान का मालिक बना देने जैसी कोई योजना बना रही है ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : राज्य सरकार को पंजाब सरकार द्वारा इस प्रकार की योजना अपनाये जाने की कोई जानकारी नहीं है और न ही इस प्रकार की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जानकारी करने के कभी कोई प्रयत्न किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजयसिंह (मांडल) : पंजाब सरकार से क्या जानकारी प्राप्त करने का सरकार ने प्रयत्न किया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राज्य सरकार वैसे तो इस योजना को कोई महत्व नहीं देती है। राज्य सरकार जो क्वार्टर्स बनाती है वह कर्मचारियों के फायदे के लिये बनाती है और उनको आवास हेतु देती है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट तक मकान मालिक बना देने की इन क्वार्टर्स के लिये कोई योजना नहीं है। कर्मचारियों के लिये हाउसिंग बोर्ड में हायर परचेज की स्कीम है जिसके अन्तर्गत वे मकान मालिक बन सकते हैं और वे उसे ले सकते हैं। इसलिये जो गवर्नमेंट के क्वार्टर्स है जिनमें कर्मचारियों को केवल सेवा काल तक के लिये आवास की सुविधा देते हैं, उसके बाद नहीं और न ही बाद में उनको हायर परचेज की सुविधा देकर मकान मालिक बनाने

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

की ही योजना है। सरकार इसको कोई महत्व भी नहीं देना चाहती है इसलिये यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

प्रश्न संख्या 291

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह (चूरू): ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेन्ट है—मोहरसिंह जी वाला, इसको अगर ले लें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष । मैं ले लूंगा, अगर टाइम मिला तो। पहले जो मौजूद है उनको ले लें।

श्री दीपंकर ···· (अश्रव्य) ···· लाखों रुपयों का गबन है, अध्यक्ष महोदय, इसमें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री ज्ञानसिंह चौधरी।

राजस्थान नहर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा

292. **श्री ज्ञानसिंह चौधरी** (भादरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में अब तक कुल कितनी भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हो चुकी है?

(2) राजस्थान नहर की सिंचित भूमि में से कितनी भूमि का स्थाई तथा कितनी का अस्थाई और कितनी का किन किन श्रेणियों एवं वर्गों के लोगों को आवंटन किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि आवंटन के अभाव में गत वर्षों में सिंचित भूमि पर बड़े क्षेत्र में खेती नहीं की गई और उपलब्ध पानी का भी पूरा उपयोग नहीं हो सका है?

(4) गत रबी और खरीफ की फसल में राजस्थान नहर क्षेत्र की कितने एकड़ भूमि में काश्त की गई थी?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द मीणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये इसको कृपया स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

पुलिस स्टेशन दौसा पर दर्ज मामला

293. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस स्टेशन दौसा पर एक एफ. आइ. आर. श्री मुंशीलाल महावर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध सन् 1972 के बाद दर्ज कराई गई? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की दौसा शाखा की ओर से श्री महावर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध जेर दफा 420, 467 468, व 120 (बी) ता. हि. (आइ. पी. सी.) के अन्तर्गत दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो क्या श्री महावर व अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध दौसा पुलिस द्वारा काई तफतीश की गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त धाराओं के अन्तर्गत दर्ज मामला नाकाबिले जमानत

(श्री मूलचन्द सामरिया)

व काग्निजेबिल है ? यदि हां, तो प्रत्येक धारा के अन्तर्गत दोषी व्यक्ति को अधिकतम कितनी कितनी सजा दी जा सकती है ?

(4) क्या उक्त केस के समस्त मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? और अब कब तक गिरफ्तार किया जावेगा ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां। दिनांक 23-9-74 को मुकदमा दर्ज किया गया।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। मुकदमें में अभी अनुसन्धान चल रहा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या यह सही है कि जब यह मुकदमा दर्ज किया गया था तो इसमें जिस आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया उसका मुख्य आधार यह है कि 10 साल के बच्चे को बालिग बनाकर और बैंक से चीटिंग करके श्री मुंशीलाल महावर ने अपने खुद के दस्तखतों से रुपया ड्रा किया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें बैंक ने लिखा है कि नाबालिग को बालिग बताने की शिकायत की गई है और जैसा मैंने कहा अनुसन्धान चल रहा है। श्री मुंशीलाल ने क्या इसकी तस्दीक की है या उनका कितना हाथ है यह उस अनुसन्धान के बाद ही मालूम हो सकेगा, इसके पहले नहीं।

श्री विजयसिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि बैंक ने क्या रिपोर्ट दर्ज कराई थी ? क्या उसी बैंक ने लिखकर दे दिया है कि हमने जो रिपोर्ट दर्ज कराई वह गलत थी और अब आगे कोई कार्यवाही नहीं कराना चाहते ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जिस पार्टी को एडवान्स दिया गया था वह रुपया आ गया इसलिए मुकदमा चलाने के पक्ष में नहीं है ऐसा बैंक ने लिखकर दिया है लेकिन क्योंकि अनुसंधान चल रहा है और विशेष अपराध शाखा में केस है इसलिए वह तफतीश कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या यह सही है कि यह रुपया किसी अन्य व्यक्ति ने जमा कराया ? जब केस बन गया उसके बाद श्री मुंशीलाल महावर ने अपने किसी व्यक्ति से जमा कराया जो कि चीटिंग के लिए एक सबूत होता है। अगर स्टोलन प्रॉपर्टी को चोर वापिस करता है तो वह वाजिब सबूत है। फिर केस कैसे ड्रॉप किया जा सकता है ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इसकी तफतीश ठीक से हो तो तफतीश के बारे में जो चीजें यहां पर हैं उनको कहना ठीक नहीं होगा और हम भी तफतीश करने के बाद ही किसी नतीजे पर आ सकते हैं।

श्री मीठालाल (लालसोट) : जब केस 1972 में दर्ज हुआ और आज 1976 चल रहा है तो चार साल के दौरान क्या तफतीश हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : जो तफतीश की है वह यह है कि जिस बैंक ने एफ. आइ. आर. लाज की थी वह बैंक अब इन्ट्रेस्टेड ही नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : जो बैंक के पास संबंधित डाकुमेंट है उसमें से वही चैक ले लें जिसके ऊपर दस्तखत किये हैं श्री मुंशीलाल जी महावर ने। हर सबूत इसका डाकुमेंटरी है और वह व्यक्ति जिसको बालिग बताया वह जिन्दा है उसको देख लीजिए ··

(व्यवधान:अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : ज्यादा लम्बा होने से क्या न्याय मिलेगा ? Justice delayed is equivalent to justice denied.

श्री हरिदेव जोशी : सही ढंग से न्याय करके ही इसकी गहराई में जाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल। No noise now.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह भेड़ मंत्री पर बहुत अत्याचार हो रहा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मिनिस्टर रहते हुए राजस्थान की पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगी। क्या मंत्री महोदय इसको सी. बी. आइ. को देने के लिए तैयार है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न संख्या 294।

श्री मूलचन्द सामरिया : सी.बी.आइ. को देने के लिए तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा सवाल ले लिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

लाल बहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर

294. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर के संबंध में नियुक्त कक्कड़ कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए अपने पत्र संख्या एफ 6 (34) ए.यू./जी. आर. वी./75, दिनांक 23-10-75 द्वारा कालेज की व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ आदेश निदेशक, शिक्षा विभाग (कालेज) को दिये हैं ? यदि हां, तो ये आदेश व्यवस्था में कौन कौन से सुधार के लिए दिए गए हैं ? कृपया पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि निदेशक, शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार के आदेशानुसार डा. ए. एस. सेठ की बरखास्तगी को गैरकानूनी मानते हुए अपने पत्र संख्या एफ. 24 (23) एकाउन्ट्स/पी. सी. ई./76/818, दिनांक 7-11-75 द्वारा उनकी पुर्ननियुक्ति के लिए अध्यक्ष मैनेजिंग कमेटी को आदेश दिया था ? क्या उक्त आदेश में यह भी लिखा था कि एक महीने के अन्दर

Page No 17

(17)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अन्दर इस आदेश की पूर्ति न होने पर संस्था की ग्रान्ट इन एड बन्द कर दी जायेगी ? कृपया उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्था ने डा. ए. एस. सेठ की पुनर्नियुक्ति अभी तक नहीं की है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह सही है कि निदेशक शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार के प्रश्न संख्या(1) में उल्लेखित-पत्र की अनुपालना में उक्त संस्था के व्यवस्थापकों को व्यवस्था में सुधार के लिए कोई आदेश जारी नहीं किये ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या क्या आदेश कब कब जारी किये गये हैं ? ऐसे आदेशों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या यह सही है कि लाल बहादुर शास्त्री कालेज के हिसाब किताब के संबंध में नियुक्त भार्गव कमेटी ने इस संस्था के हिसाब किताब में कई अनियमिततायें बताई हैं ? कृपया इस जांच प्रतिवेदन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) क्या यह सही है कि इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने प्रबन्ध समिति को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए लिखा था ? यह पत्र कब लिखा गया था ? कृपया उत्तर की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या इस संबंध में राज्य सरकार ने निदेशक, शिक्षा विभाग के भी कमेन्ट्स मांगे थे ? यदि हां, तो इस संबंध में निदेशक की क्या राय रही ? कृपया निदेशक को राज्य सरकार की ओर से लिखे पत्र और उसके उत्तर की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(8) क्या हिसाब किताब में अनियमितताओं के संबंध में राज्य सरकार ने उक्त कालेज की प्रबन्ध समिति के खिलाफ कोई एक्शन लिया है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारुक हसन)। अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्यों ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई ऐसी इन्फार्मेशन नहीं है जिसको मंगाना हो। डाइरेक्टर का आफिस यहां पर है, यहीं लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज है और सारी इन्फार्मेशन यहां पर मौजूद है इसलिए नहीं देने का कोई कारण नहीं हैं। आज आखिरी दिन है तो मैं निवेदन करूंगा कि आज इसका जवाब दिलाया जाये। शायद मंत्री महोदय के पास फाइल में जवाब भी मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, ककड़ कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है, भार्गव कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है और सदन में दिये हुए आश्वासन भी मौजूद है फिर क्या कारण है कि इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता ? कोई समझ में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : तैयार नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस सदन की पिछली प्रोसिडिंग्स भी मौजूद है। सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं फिर उत्तर नहीं देना यह तो पर्पजली इवेड किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री श्रीराम गोटेवाला।

कृषि भूमि को आबादी की भूमि में परिवर्तन करने की योजना

295. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में रहने वालों को भूमि रूपान्तर अधिकारी ने इस आशय के नोटिस दिये हैं कि उनकी कृषि भूमि को आबादी की भूमि में रूपान्तरित कराया जाये ?

(2) क्या यह सही है कि इन कच्ची बस्तियों में रहने वाले सैंकड़ों वर्षों से वहां पर रह रहे हैं ? यदि हां, तो फिर उनकी भूमि को आबादी की भूमि में कैसे कन्वर्ट कराया जा रहा है ?

(3) राज्य सरकार की कृषि भूमि (कच्ची बस्ती) को आबादी की भूमि में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में क्या योजना है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा): (1) कृषि भूमि पर स्थित अनाधिकृत निर्माण कर्त्ताओं के खिलाफ भूमि रूपान्तरण अधिकारी ने भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 905 के तहत नोटिस जारी किये हैं।

(2) अनाधिकृत निर्माण जो कृषि भूमि पर किया गया है उसको राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 905 तथा उसके तहत बने नियमों के अनुसार ही नियमित किया जा सकता है।

(3) इस सम्बन्ध में आवश्यक विचार कर नगर आयोजना विभाग कार्यवाही करेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं यह जानना चाहता था कि क्या यह सही है कि जिन कृषि भूमि के लिए नोटिस दिये हैं वहां के रहने वाले लोगों को राष्ट्रपति महोदय श्री वी॰ वी॰ गिरि जब पधारे थे, पट्टे भी दे दिये थे और तीन रुपये गज के हिसाब से रुपये भी जमा करा दिये थे ?

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसी माननीय सदस्य ने यह सूचना चाही है कि राष्ट्रपति द्वारा पट्टे दिये हैं तो ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है किन्तु कुछ स्थानों पर यू. आई. टी. ने कच्ची बस्तियों को घोषित किया था और उसके लिए नगर आयोजना विभाग ने आदेश जारी किये थे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं जिनकी 200 रुपये मासिक इनकम है उनको 25 बाई 50 फीट के प्लाट 3 रुपये प्रति गज से दे दिये जायें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या कृषि रूपान्तरण अधिकारी की फीस लगेगी ?

श्री मूलचन्द मीणा : यह प्रश्न नहीं है। यह तो आबादी की रेट है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह प्लाट्स डवलप्ड देंगे या नहीं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है इसलिए मैं यह जानना चाहता था कि जो आपके स्वायत्त शासन विभाग ने जयपुर शहर की चार दीवारी के बाहर जयपुर नगर विकास न्यास को ट्रान्सफर कर दी और शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राईब्स और माइनोरीटीज के लोग वहां पर बैठे हैं। आपने 40 रुपये गज के कृषि रूपान्तर अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिये। हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी झोटवाड़ा के अन्दर सारी बातों के बारे में डिमाण्ड की थी और पांच बत्ती के पास कसारपुरा बस्ती है जहां स्वर्गीय बरकतुल्ला खां ने पट्टे डिस्ट्रीब्यूट कराये वहां पर 40 रुपये गज की रेट लगाकर दे दिये तो मैं जानना चाहता था कि अगर गरीबों को 40 रुपये गज की रेट से दिया वह आप चार्ज करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय बरकतुल्ला खां ने 21 अगस्त, 1971 तक जो लोग जहां हैं उनको वहां के पट्टे दे दिये जायेंगे यह जो घोषणा की है उस प्रकार के लोगों के ऊपर इम्प्रूवमेंट के चार्जेज नहीं लगेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इम्प्रूवमेंट के चार्जेज का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो कनवर्शन चार्जेज का है।

श्री हरिदेव जोशी : कन्वर्शन के भी नहीं लगेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अजीतसिंह।

श्री दिनेशराय डांगी (देवूरी) : केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कुछ कच्ची बस्ती वालों को पट्टे दिये गये वे उनमें सवर्ण कास्ट के लोग भी हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग भी हैं लेकिन उसी मोहल्ले के अन्दर जो सवर्ण लोग थे उनको बड़े प्लाट के पट्टे दिये गये और जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग थे उनको छोटे प्लाटों के पट्टे दिये गये। तो वहां फर्क कर दिया। वह सही है क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह जानकारी गलत है।

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से प्रश्न है लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूं कहां दर्द है। आप अजमेर की बात पूछ रहे होंगे। अजमेर की चीज का हम दूसरे ढंग से समाधान कर रहे हैं और मैं अभी उसके बारे में कहने की स्थिति में नहीं हूं।

स्थगित प्रश्न संख्या 14
(दिनांक 6-1-76)

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16-1-76)

बाड़मेर जिले में लूनो एवं सूकड़ी नदी की बाढ़ से प्रभावित गांव

136. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में लूनी एवं सूकड़ी नदी की बाढ़ के आने पर निम्न गांव एवं कस्बे प्रभावित होते हैं:-

(२०)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(1) बालोतरा कस्बा (2) ग्राम सिलोट (3) जेठे तटी (4) पारलू (5) कानाना (6) आनियाना (7) ढोटलू (8) मशीन (9) मूंगड़ा (10) तिकनाद (11) झालरा (12) भासोतरा (13) बीठूजा (14) कूपावास (15) समदड़ी (16) रानी देसीपुरा (17) अजीत (18) मजल (19) बामसीण (20) जसोल (21) तिलवाड़ा (22) सिल्ली (23) मुका (24) सिणधरी ? यदि हां, तो इनके अलावा और अन्य ग्राम भी उक्त नदी की बाढ़ से प्रभावित होते हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम कितनोद में बाढ़ से बचाने के लिये आठ ठोकरें बन चुकी हैं और दूसरे ग्रामों को उक्त लाभ से वंचित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या भू-संरक्षण विभाग ने उन सभी प्रभावित गांवों और बालोतरा कस्बे को बाढ़ से बचाने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो कब तक योजना बनाकर क्रियान्वित की जायेगी ?

राज्य मंत्री, अकाल सहायता (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : अध्यक्ष महोदय, जवाब कृषि विभाग से संबंधित होने से उनको स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पहले भी पोस्टपोन हुआ था।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : योजना का प्रश्न है रिलीफ देने का प्रश्न नहीं है इसलिए मैंने इस सचिवालय को भी सूचित किया है कि इसका संबंध योजना बनाने से है इसलिए उनको भेज दिया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कल वाला प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-1-76)

अलवर के भूतपूर्व महाराजा की कृषि भूमि

257. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अलवर के भूतपूर्व महाराजा के पास उनके या उनके परिवार के सदस्यों के कब्जों में ऐसी कोई कृषि भूमि अथवा सम्पत्ति है जो भारत सरकार द्वारा तयशुदा उनकी निजी सम्पत्ति की सूची में दर्ज नहीं है ? यदि हां, तो ऐसी कृषि भूमि अथवा सम्पत्ति की सूची मय क्षेत्रफल, खसरा नम्बर स्थान दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसी कई जगह की कृषि भूमि और सम्पत्ति को उन्होंने अपनी राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम अथवा राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई रिटर्न या नोटिस के जवाबदावों या क्लेम आदि में दर्ज करके उन पर अपने स्वामित्व

Page No 21

(2)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का दावा किया है ? यदि हां, तो ऐसी कृषि भूमि अथवा सम्पत्ति कौन कौन सी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या राजस्थान सरकार ने ऐसी कृषि भूमि अथवा सम्पत्ति के स्वामित्व के बारे में, जो अलवर के भूतपूर्व महाराजा की निजी सम्पत्ति की सूची में दर्ज नहीं है लेकिन फिर भी उस पर अपने स्वामित्व का दावा करते हैं, इस पर क्या कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि भूतपूर्व महाराजा और उनके पुत्र प्रतापसिंह ने शकुन मोदी के जंगल में लगभग 3000 बीघा जमीन इसी प्रकार हड़पी हुई है और उसमें से हजारों बीघा जमीन लोगों को पुरानी तारीखों में लम्बे पट्टों पर देकर बेच दी है ? इन बेचानों के संबंध में राज्य सरकार क्या कर रही है ? क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या भूतपूर्व महाराजा के खिलाफ जानबूझ कर लोगों को धोखा देकर पैसा हड़पने का केस सरकार चलायेगी ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा : (1) हां, यह सही है कि अलवर के भूतपूर्व महाराजा श्री तेजसिंह के पास ऐसी कृषि भूमि है जो भारत सरकार द्वारा तय शुदा उनकी निजी सम्पत्ति की सूची में दर्ज नहीं है। सूची साथ में संलग्न है। भूतपूर्व महाराजा के परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के पास रेवेन्यू रेकार्ड में कोई कृषि भूमि खातेदारी में दर्ज नहीं है।

(2) यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1963 के तहत जारी किये गये नोटिस के जवाब में उन्होंने इस कृषि भूमि पर अपने स्वामित्व का दावा किया है। यह कृषि भूमि वही हैं जो प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में प्रस्तुत की गई सूची में दर्ज की गई है।

(3) उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में श्री तेजसिंह भूतपूर्व महाराजा अलवर के विरुद्ध जिलाधीश अलवर के न्यायालय में सरकार (तहसीलदार अलवर लैंड होल्डर) द्वारा राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 88 (2) के तहत प्रार्थना-पत्र पेश किये गये हैं जो सुनवाई में चल रहे हैं।

(4) यह सही है कि अलवर के भूतपूर्व महाराजा श्री तेजसिंह ने शकुन मोदी में 1,786 बीघा 12 बिस्वा जमीन गत सैटिलमेंट में गलत तरीके से अपनी खातेदारी में दर्ज करा ली। गत सैटिलमेंट से पूर्व यह सारी जमीन जंगलात विभाग की खातेदारी में दर्ज थी। इस जमीन पर से उनके खातेदारी अधिकार समाप्त करने के लिये राज्य सरकार (जरिये तहसीलदार अलवर लैंड होल्डर) द्वारा लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 88(2) के तहत एक प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है जो जेर कार्यवाही है।

राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 (ए) के तहत जारी किये गये नोटिस के जवाब में श्री तेजसिंहजी ने अवश्य क्लेम किया है कि शकुन मोदी के उक्त रकबे में से 539 बीघा 2 बिस्वा भूमि 60 व्यक्तियों को पट्टे पर काश्त के लिए अर्से दराज से बताई हुई है। लेकिन असल पट्टे उन्होंने

Page No 22

(२२)

(श्री मूलचन्द मीणा)

पेश नहीं किए हैं उक्त कार्यवाही के निर्णय दिनांक 31-12-75 में इन स्थानान्तरणों को जिलाधीश ने मान्य स्वीकार नहीं किया है। राज्य सरकार अलवर जिलाधीश के आदेश का परीक्षण कर उचित कार्यवाही करेगी।

(5) भूतपूर्व महाराजा द्वारा जान बूझ कर लोगों को धोखा देकर पैसा हड़पने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः अभी इस प्रकार का केस चलाने का कोई वजूद नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि उक्त भूतपूर्व महाराजा की जमीन के सम्बन्ध में अलवर जिलाधीश ने राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजीशन ऑफ लैंड ओनर्स एस्टेट एक्ट के तहत 31-12-75 को अपना फैसला सुना दिया है और उस फैसले में जिलाधीश महोदय ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि इन महाराजा के पास जो जमीन शकुन ओदी की 1786 बीघा तथा अतिथि आश्रम 15 बीघा, अलवर नर्सरी की 24 बीघा 19 बिस्वा, जयकिशन क्लब की 20 बीघा 10 बिस्वा विलेज खोरा, विलेज बस्ती और विलेज जटियाना यह सारी जमीन मिला कर, कुल मिलाकर 1957 बीघा 17 बिस्वा होती है, यह तमाम जमीन इन्वेन्ट्री में दर्ज नहीं थी और दर्ज नहीं होने के कारण महाराजा को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, यह इसके ऊपर ट्रेसपासर है और इसके ऊपर कब्जा सरकार लेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): जी हां, उसकी कापी भी आपके पास है जो कलेक्टर ने लैंड रिफार्म्स एण्ड लैंड ओनर्स एस्टेट एक्वीजीशन एक्ट, 1964 की धारा 10 के तहत फैसला दिया है। उसकी प्रतिलिपि सरकार के पास भी आई है और उसके आधार पर ही इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस जमीन, जिसका ट्रेसपास होना घोषित कर दिया गया है, का कब्जा महाराजा से वापिस लेने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रश्न के उत्तर में ही लिख दिया गया है कि तहसीलदार लैंड होल्डर है, उसने एप्लीकेशन लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 88 के अन्दर दी है जिसके ऊपर कलेक्टर नोटिस जारी करके जांच करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो उपधारा 81(8) के तहत नोटिस दिया है जो शकुन ओदी के सम्बन्ध में है या कलेक्टर महोदय ने अपने जजमेंट में कहा है तमाम जमीन इन्वेन्ट्री से बाहर है उसके सम्बन्ध में है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह नोटिस तो मैंने नहीं देखा है। जो जमीन पर्सनल कल्टीवेशन में नहीं मानी है और जो उन्होंने प्राइवेट प्रोपर्टी नहीं मानी है उस सब के सम्बन्ध में ही होना चाहिए लेकिन मैंने वह नोटिस देखा नहीं है।

[redacted]

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह नोटिस कब दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मुझे जानकारी नहीं है कि नोटिस कब दिया गया लेकिन तहसीलदार लैंड होल्डर ने उनके सामने एप्लीकेशन 88 में दी है। एप्लीकेशन के बिना वे किस प्रकार नोटिस जारी कर सकते हैं। इसमें नोटिस दिए जाने का प्रावधान है इसलिए नोटिस देना तो जरूरी है। लेकिन नोटिस कब दिया गया इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह नोटिस 31-12-75 के पहले का दिया हुआ है जो कि शकुन ग्रोदी के बारे में है। अब यह नई सिचुएशन त्रियेट हुई है जो कि केवल अलवर से ही सम्बन्धित हैं बल्कि दूसरे राजाओं ने भी इस तरह से इन्वेंट्री से बाहर बहुत सी जमीनें दबा रखी हैं और अलवर वाले भी सामने आयेंगे लेकिन उनकी इन पर कोई लोकस-स्टेंडी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि केवल 91 के तहत कार्यवाही करने में तो बहुत देरी लगेगी और जब आप जल्दी से बीस सूत्री कार्यक्रम पर अमल करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेट एक्शन लेने के बारे में सोचना चाहिए ताकि दो हजार बीघा जमीन, जो बहुत इम्पोर्टेन्ट है, तुरन्त कब्जे में लें। इसे कब्जे में लेने के लिए धारा 91 में कार्यवाही नहीं कर तुरन्त एक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर ने जो फैसला 31-12-75 को दिया है सरकार उसकी जांच कर रही है और इसकी जांच करने के बाद में अगर किसी कानून में संशोधन की आवश्यकता होगी या मौजूदा कानून के अन्दर ही 88 में एक्शन लिया जा सकता है या उसके बाद में सैटलमेंट रिकार्ड में सम्वत् 20 में जो सैटलमेंट हुआ उसमें राजा के नाम से जो जमीन दर्ज हो गई तो उसका रेफरेंस करना पड़ेगा। यह सब जिलाधीश महोदय बारीकी से जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद जो भी कानून के तहत कार्यवाही हो सकती है वह की जावेगी। कानून में संशोधन की आवश्यकता हुई तो उसका भी प्रयत्न किया जाएगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह राज्य सरकार के नोटिस में है कि जिलाधीश के जजमेंट में उन्होंने जजमेंट के पैरा 3 (16) में यह रिमार्क दिया है कि यह जमीन खातेदारी में दर्ज कहते हैं :

"It is not understandable as to how these lands come into the Khatedari of the Maharaja. The whole background of these lands cast a shadow on the present entries of the Revenue Record in favour of the Maharaja ? However, this point is to be looked into by a competent authority."

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने यह कहा है कि बहुत गम्भीर मामला है। खास तौर से जो उनके नाम में दर्ज की गई। क्या सरकार इस मामले में कोई विशेष जांच करवायेगी ? यह एंट्रीज किस तरह से कोलोसिव तरीके से कर दी गई ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि एक विशेष कलेक्टर, जो उस वक्त अलवर में थे, जो करीब सन 56 से 58 के बीच में थे, उनके दौरान में कोलूजन से यह लाखों रुपयों की जमीन और जायदाद, जो कि महाराजा की नहीं थी, उनके कब्जे में करा दी गई, उन्होंने कम्पाउण्ड वाल खिंचा दी, उनकी खातेदारी में दर्ज करवा दी। इसलिए क्या मंत्रीजी इसकी जांच करवायेंगे ? मैं नाम भी बता देता हूं, वह कलेक्टर चौधरी गोरधन सिंहजी थे जिनके जमाने में यह तमाम एण्ट्रीज हुई हैं। क्या सरकार इनकी जांच करवाने को तैयार हैं और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाय उसको सजा देने को तैयार हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने एक नया प्रश्न खड़ा किया है कि कलेक्टर उस जमाने में गोरधनसिंहजी थे और उन्होंने यह किया, उनके आदेश से दाखिला हुआ इस जमीन का जो कि उनकी पर्सनल प्रोपर्टी नहीं थी। सम्वत् 20 के सैटलमेंट के अन्दर खातेदारी दर्ज हुई है जो कि खातेदारी में दर्ज नहीं होनी, चाहिए उनको खातेदारी हकूक नहीं मिलना चाहिए, था क्योंकि इसके पहले खातेदारी में महाराजा अलवर के नाम पर नहीं थी। अब चूंकि सैटलमेंट में दर्ज हो गई है उनके नाम पर तो उस लैंड रिकार्ड में करेक्शन डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकार्ड ही कर सकते हैं और वह डायरेक्टर रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार के सामने एक रास्ता ओपन है कि राज्य सरकार लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 88 के अन्दर रेफरेंस करा के किसी भी रिकार्ड में रेवेन्यू रिकार्ड में अगर गलत एण्ट्री हुई हो तो दुरुस्त करा सकती है। इस प्रकार का परामर्श कल ही कलेक्टर को यहां बुला कर दे दिया गया है। अब आगे जो भी कार्यवाही करनी होगी, कौन दोषी पाया जाएगा क्या होगा यह जब भी एण्ट्री करेक्ट करने का प्रश्न आएगा बोर्ड आफ रेवेन्यू के सामने तो यह प्रश्न भी आएगा कि एण्ट्री किसने की, यह नहीं होनी चाहिए थी, खातेदारी नहीं थी इस पर बोर्ड के सामने विचार हो सकेगा। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं है। हम जजमेंट की जांच कर रहे हैं और उसके बाद कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री सम्पतराम (खेरथल) : एक प्रश्न करना चाहता हूं। जब सैटलमेंट आपरेशन में जहां महाराजा खातेदार नहीं थे, उनके कब्जे में जमीन नहीं थी, in absence of a settlement operation if anything is changed in Revenue Record, this point ought to have gone to the competent authority, then this would not have come into the records, but there has been something wrong at the district level to manage these things in favour of the Maharaja. The Maharaja seems to be, and, as it is, he is very powerful social element. The Government should make thorough enquiry and take immediate action against the Collector or his representative who

(श्री सम्पतराम)

were complicated in this particular case.

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न यह है कि कोई फोर्जरी हुई है या नहीं हुई है ? अब सेटलमेंट का जो स्टाफ है वह कलेक्टर के अन्दर में नहीं होता है। वह अलग डिपार्टमेंट होता है। सेपरेट डिपार्टमेंट है। उसके अन्दर यह इन्ट्रीज हो गयी है और यह एन्ट्रीज फोर्जरी से हुई हैं। कई जगह खातेदार की जगह एन्ट्री हो गई है। यह सेटलमेंट के आपरेशन में हो गयी। यह जमीन जंगलात विभाग की थी। तो जंगलात विभाग के वे कौन लोग थे जिन्होंने अपनी प्रोपर्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया ? क्या वे इस फोर्जरी को जानते थे या नहीं ? इन्डियन पेनल कोड की धारा के अन्तर्गत मैं इसको देखूंगा और इस कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। ऑफ हैन्ड मैं यहां पर ज्यादा नहीं कह सकता हूं। फोर्जरी हुई है यह बात निश्चित है। यह संवत् 20 के आसपास सेटलमेंट हुआ था और महाराजा तेजसिंहजी के नाम खातेदारी में दर्ज है। यह कैसे हो गयी जो कि पहले नहीं थी। उनकी प्राइवेट प्रोपर्टी में इसकी एन्ट्रीज नहीं थीं। यह उनकी प्राइवेट प्रोपर्टी नहीं है। एपरेन्टली ऐसा दिखता है। यह जो कुछ किया गया है वह सही नहीं है। गलत कार्यवाही हुई है और चूंकि उनका राइट एक्रू हो गया है। यह किस तरह से हुआ, इसको मैं देखूंगा यह भी देखना होगा कि फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोग अपने राइट्स के बारे में जागरूक थे या नहीं। यह उनकी जानकारी में है या नहीं क्योंकि इसका कुछ पोर्शन आज भी फारेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। उनके राइट्स ग्रेजिंग और जलाऊ लकड़ी के लिए थे। हिज हाईनेस और फोरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच बातचीत क्या हुई ? यह फैक्ट है कि यह बात फोरेस्ट डिपार्टमेंट की नालेज में थी। कोई भी आदमी कितना पावरफुल हो, चाहे वह महाराजा हो, राजप्रमुख हो, गवर्नर जनरल आफ इन्डिया हो, कानून सबके ऊपर लागू होता है.......

श्री मूलचन्द सार्मारिया : केवल मंत्रियों को छोड़ कर.......

श्री परसराम मदेरणा : कानून के अन्तर्गत और लैण्ड रिफार्म्स एक्ट के प्राविजन, जो 1974 में सदन के सामने भी आये थे, जिसे आप स्वयं भी जानते हैं, उसके अनुसार किसी भी एक्स रूलर पर कोई कन्सीडरेशन नहीं रखा है। इस कानून के अनुसार सारी जमीन स्टेट को एक्रू होनी चाहिए और वह जमीन स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट होती है। इस एक्ट की धारा 6 के अन्तर्गत, पर्सनल कल्टीवेशन, या फोरेस्ट लेन्ड, एक्स रूलर की कोई भी लैण्ड हो, उसमें उसके कोई राइट्स नहीं है। वह खातेदार नहीं माना जाएगा। दूसरी कोई भी जमीन हो, अन्डर सेक्शन 7 वह भी स्टेट में वेस्ट है। इसलिए इस जमीन का डिस्प्यूट है और लेन्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत अलग से कार्यवाही की जा रही है और इसके अन्तर्गत एन्ट्रीज को करेक्ट करने की कार्यवाही भी अलग से जारी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय उदयपुर में गबन का मामला

291. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय, उदयपुर, राजस्थान में पुस्तकालय अधिकारी द्वारा 10,000 रुपये की पुस्तकों का गबन किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि जांच द्वारा गबन (घोटाला) साबित हो गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गबन साबित हो जाने के बावजूद भी पुस्तकालय अधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त गबन करने वाले पुस्तकालय अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(2) ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(3) गबन की कोई सूचना नहीं है अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6–1–76)

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये उद्योग

14. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में राजस्थान में अब तक किन किन बड़े एवं छोटे उद्योगों के लिये (निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में) राज्य सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा 'लैटर ऑफ इन्टेन्ट' व लाइसेन्स स्वीकृत किये जा चुके है? कृपया स्वीकृति का दिनांक दर्शाने का कष्ट करें।

(2) उक्त स्वीकृति किये गये 'लैटर ग्राफ इन्टेन्ट' में कितने उद्योग समूहों ने उनको लाइसेन्स में परिवर्तित करा लिया व कब कब ?

(3) उक्त स्वीकृत लाइसेन्स में से कौन कौन से लाइसेन्स ऐसे है जो बेकार पड़े हैं और उनके आधार पर अभी तक कोई उद्योग नहीं लगाये गये हैं ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सचिवालय से लेकर अधीनस्थ कार्यालयों तक हिन्दी भाषा में कार्य

170. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार की यह घोषित नीति है कि सरकार का सचिवालय

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

से लेकर समस्त अधीनस्थ कार्यालयों का सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में ही किया जावे ?

(2) क्या यह सही है कि इस घोषणा पर पूरा अमल नहीं हो रहा है ? उप-निवेशन, जिलाधीश, पुलिस जैसे विभागों में भी अंग्रेजी में काम किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रशासनिक न्यायालयों में भी अंग्रेजी में ही काम होता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, विद्युत् आदि समस्त तकनीकी विभागों में तो सारा कार्य अंग्रेजी में ही होता है, केवल हस्ताक्षर हिन्दी में किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या यह नीति के अनुसार है ?

(5) राजस्थान में सरकार का सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में कब तक किया जा सकेगा ?

(स्थगित किया गया)

भेड़ व ऊन विभाग, दौसा के कर्मचारी का वेतन

171. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री सन्नू खां ने भेड़ व ऊन विभाग दौसा में अस्थायी कर्मचारी के पद पर कार्य किया पर उनको वेतन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि श्री सन्नू खां ने श्री पी. डी. ओझा के विरुद्ध शिकायत की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां शिकायत की जांच कराई गई ? शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में व्यय की गई राशि

172. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार ने गत अकाल वर्ष में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में विभिन्न विभागों में कितनी राशि व्यय की और उक्त राशि से क्या कार्य सम्पन्न किए ? विवरण विभाग वाइज प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

गत अकाल वर्ष में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न कार्यों पर व्यय की गयी राशि का विवरण इस प्रकार है :—

(अकाल सहायता मंत्री)

क्र.सं. कार्यकारी अभिकरण का नाम	कार्य का विवरण	व्यय हुई राशि (लाखों में)
1—सा. नि. विभाग	51 सड़क कार्य	317–64
2—भू-संरक्षण विभाग	1 खडीन कार्य	9–20
	2 चरागाह विकास कार्य	
	68 नाडी कार्य	
3—सिचाई विभाग	40 खडीन कार्य	9–01
4—वन विभाग	15 गोचर भूमि कार्य	12–69
	19 चरागाह विकास कार्य	6–19
रिलीफ मेजर अदर देन रिलीफ वर्क्स		
कुल	196	354-73

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में व्यय की गई राशि

173. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):– क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार ने गत अकाल वर्ष में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में विभिन्न विभागों में कितनी राशि व्यय की ? जिलेवार प्रत्येक विभाग के अलग से विवरण देते हुये आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य सरकार ने गत अकाल वर्ष में विभिन्न जिलों ने विभिन्न विभागों में जो राशि व्यय की उसका जिलेवार, विभागवार विवरण संलग्न तालिका के अनुसार है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत फागी एवं चाकसू तहसीलों में किये गये कार्य

174. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 1972-73 में फागी तथा चाकसू तहसील में कितना कार्य स्वीकृत हुआ ? कृपया निम्न तालिका में सूचना दें :—

(क) राजस्व विभाग द्वारा।

(ख) पंचायत समिति द्वारा।

(ग) सिचाई विभाग द्वारा।

(घ) कृषि विभाग द्वारा।

(ङ) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा

(2) उक्त कार्यों के अन्तर्गत किस किस विभाग द्वारा कितना कितना कार्य पूर्ण करवाया गया तथा कितना कितना अपूर्ण रहा

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

तथा किस किस विभाग द्वारा मजदूरों को कितना भुगतान किया गया तथा कितना बकाया है ? यदि बकाया है तो अब भुगतान न करने के क्या कारण है और अब कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

(3) फागी एवं चाकसू तहसील में सन् 1972-73 में कितनी धनराशि उक्त विभागों से स्वीकृति हुई थी ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(4) उस समय जो कार्य अपूर्ण रह गये थे, क्या राज्य सरकार उनको पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत सन् 1972-73 में फागी तथा चाकसू तहसील में निम्न प्रकार कार्य स्वीकृत हुए हैं :—

क्रम सं.	नाम तहसील	राजस्व कार्य	सिंचाई कार्य	सा.नि.वि. के कार्य	पंचायत समिति के कार्य	कृषि विभाग के कार्य
1.	चाकसू	4	8	4	82	—
2.	फागी	—	17	3	31	—
	योग	4	25	7	113	—

(2) सूची संलग्न है। मजदूरों के उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। अब शीघ्र कर दिया जावेगा।

(3) अभिकरणवार एवं तहसीलवार स्वीकृत धनराशि की सूची संलग्न है।

(4) वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर विचार किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

जिला चूरू में श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान

175. **श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाना वापेऊ जिला चूरू फेमिन रोड के 1-7-70 से 15-8-70 में बीच के श्रमिकों के भुगतान अभी तक बकाया हैं ?

(2) यदि हां, तो भुगतान अभी तक न करने का क्या कारण है व कब तक कर दिए जायेंगे ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मस्टर रोलों के अन्दर संदिग्ध होने की शिकायत होने से भुगतान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में जांच हो रही है। जांच के पश्चात् निर्णय लिया जावेगा।

चूरू जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत लगे श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान

176. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1969-70 मे जिला चूरू के अकाल सहायता कार्यों पर लगे श्रमिकों की बकाया भुगतान हेतु चूरू जिले में गत वर्ष सूचियां बनाकर तहसीलदारों को भेजी गई थीं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सूचियों में श्रमिकों की वल्दियत व सकूनत दर्ज न कर केवल फेमिन कैम्प के नाम लिखे गये, जिससे श्रमिकों को आधा भुगतान भी नहीं किया जा सका क्योंकि एक ही नाम के तो गांव में कई आदमी होते है और गांव भी दर्ज नहीं तो किसको दें और राशि बिना भुगतान के लौटा दी तथा श्रमिक अपनी मेहनत के पैसों से वंचित रह जांय।

(3) क्या इस प्रकार अधूरी एवं गलत सूची बना कर भेजने वाले अधिकारी दोषी नहीं है जब कि वास्तविक मस्टर रोल में वल्दियत सकूनत सब दर्ज है? यदि हां तो ऐसे दोषीअधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और नहीं तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अब सही सूची बना कर बकाया भुगतान श्रमिकों को करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

जिला चूरू के ठेकेदारों की कुएं चलाने की बकाया राशि का भुगतान

177. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सफलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1972-73 व 1973-74 में जिलाधीश, चूरू के आदेश से पिढ़ाई पर अकालग्रस्त क्षेत्र तहसील श्री-डूंगरगढ़ में पीने के पानी के लिए कुएं चलाये गये थे ?

(2) यदि हां, तो वर्षवार, गांववार व गांव के कुएवार तथा कुआ चलाने वाले ठेकेदार के माहवार जितने समय उसने कुआ चलाया, किस दर से चलाया, कितने रुपये उसके हुए, उनमें से कितने रुपये भुगतान किये गये व कितने रुपये बकाया रहे, के विवरण को दर्शाते हुए बताने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि इस संबंध में राज्य सरकार व जिलाधीश तथा तहसीलदार को समय समय पर भुगतान न मिलने संबंधी कुए चलाने वाले ठेकेदारों की शिकायतें मिलती रही हैं ? यदि हां, तो किस किस ठेकेदार की ओर से किस किस अधिकारी को ?

(4) क्या यह सही है कि मार्च, 74 में तहसीलदार श्री डूंगरगढ़ ने ट्रेजरी से इन ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए रकम उठा कर सब-ट्रेजरी में जमा करवादी और इन्हें भुगतान नहीं की गई ?

(5) यदि हां, तो कारण सहित बताने का कष्ट करें कि अभी तक भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

(स्थगित किया गया)

चूरू जिले में पानी पिलाने के लिये लगाये गए गाड़ों का भुगतान

178. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री लूणाराम)

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले की श्री डूंगरगढ़-बीदासर सड़क सैक्शन बीदासर से रिडी में 1 मार्च से 31 मार्च, 70 तक 110 गैंगों को पानी पिलाने के के लिए 30 गाड़े लगे थे ?

(2) यदि हां, तो क्या उनको भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों तथा कब तक कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसी सड़क के सैक्शन श्री डूंगरगढ़-रिडी कैम्प सालासर पर भी इसी अर्से में पानी पिलाने के लिए 40 गाड़े लगे थे ? यदि हां, तो उनका भी भुगतान किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जावेगा और नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

तहसील श्री डूंगरगढ़ में बनाई गई सड़कों पर व्यय की गई राशि का भुगतान

179. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1973 के अकाल राहत कैम्प-आडसर-पूनरासर सड़क व ठुकरियासर-भादासर सड़क व ग्राम बाना के अकाल राहत के बकाया भुगतान के बारे में तहसीलदार, श्री डूंगरगढ़, जिलाधीश चूरू, अधिशासी अभियन्ता, चूरू एवं सहायता विभाग तथा राज्य सरकार को लिखित सूचनाएं प्राप्त हुई थीं ?

(2) यदि हां, तो क्या इन कार्यों का अभी भुगतान होना शेष है ?

(3) यदि हां, तो आज तक भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

(4) अब यह भुगतान कब तक कर दिया जावेगा और नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

चूरू जिले में मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान

180. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश चूरू ने यह दर्शाते हुए कि स्वीकृति के अभाव में कोई राहत कार्य बन्द न किये जायं या नजदीक कोई कार्य नहीं है तो कार्य चालू किये जायं और इसी पत्र से स्वीकृति समझी जाय, पर बिना मजदूरी मजदूर बेकार न रहे का क्रमांक 650-659 तक दिनांक 8 फरवरी, 73 को समस्त उप खण्ड अधिकारी एवं तहसीलदारगणों जिला चूरू को आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि मैंने दिनांक 5-9-73 को जोहड़ जैतासर व लखासर के मजदूरों को भुगतान आदि के सम्बन्ध में जिलाधीश चूरू को पत्र पेश किया था ? यदि हां, तो पत्र और उस पर अंकित जिलाधीश के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार श्री डूंगरगढ़ ने जोहड़ लखासर के सम्बन्ध

Page No 32

(32)

(श्री लूणाराम)

में पटवारी हल्का लखासर को पत्र दिनांक 23-9-73 को लिखा था ? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार श्री डूंगरगढ़ ने जिलाधीश चूरू को ग्राम लखासर के जोहड़ के भुगतान आदि के सम्बन्ध में क्रमांक 1642 दिनांक 29-5-73 को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो पत्र एवं उस पर अंकित जिलाधीश के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या यह सही है कि ग्राम लखासर के जोहड़ सोमाणा का नाम खुदाई का अधिदर्शक, लोक निर्माण विभाग से करवाया गया था ? यदि हां, तो किस दिनांक को उसके नाम से कितना कार्य कितने रुपयों का हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) क्या यह सही है कि विभागीय दरों में अकाल राहत के अन्तर्गत कार्य की छूट दी गई थी ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत तक व लखासर के जोहड़-शोमाणा व जैतासर के जोहड़ रिणा, जिनकी कि जांच, जांच कमेटी ने की थी, कितने प्रतिशत की छूट देकर, कितने कितने हजार का काम माना है और छूट नहीं दी गई तो न देने का क्या कारण है ? कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। पत्र की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। पत्र की प्रति संलग्न है।

(3) जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील कार्यालय में इस प्रकार के आदेश की कोई प्रति उपलब्ध नहीं हो रही है।

(4) जी हां। पत्र की प्रति संलग्न है।

(5) जी हां। एग्रीमेंट की प्रति संलग्न है।

(6) जी हां। सहायता कार्यों पर कार्य करने वाले श्रमिकों को निर्धारित टास्क को दिनांक 1-2-73 से बी. एस. आर. का 70 पर्सेन्ट कर दिया गया था। लखासर के सेमाणा जोहड़ का कार्य पी. डब्ल्यू. डी. के अधिदर्शक द्वारा तैयार किये गये एस्टीमेट के अनुसार 42,647-13 पैसे का बताया गया था जब कि अतिरिक्त सहायता आयुक्त द्वारा दिनांक 10-5-74 को की गई जांच के अनुसार यह कार्य 25,531-71 पैसे का होना बतलाया गया। इसी प्रकार जैतासर के रोपा जोहड़ का कार्य राजस्व अभिकरण द्वारा रुपये 28,116-71 पैसे का बतलाया गया तथा कृषि अभिकरण द्वारा कार्य जो उनके द्वारा कराया गया था रुपये 11,179·64 पैसे का बताया था जब कि इसी जोहड़ के कार्य की दिनांक 24-1-74 को अतिरिक्त सहायता आयुक्त द्वारा की गई जांच के अनुसार राजस्व अभिकरण द्वारा कराया गया कार्य रु. 18,673-03 पैसे का तथा कृषि विभाग के अभिकरण द्वारा कराया गया कार्य रुपये 6,439/— का बतलाया गया।

(प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लालसोट तहसील क्षेत्र की राशन की चीनी

181. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लालसोट (जयपुर) तहसील क्षेत्र की राशन की चीनी राजस्थान क्रय-विक्रय संघ दौसा द्वारा डीलरों को दी जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त राजस्थान क्रय-विक्रय संघ दौसा की शाखा लालसोट में भी कार्यरत है? यदि हां, तो लालसोट क्षेत्र की चीनी संघ द्वारा लालसोट न देकर दौसा क्यों दी जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि डीलरों को चीनी लालसोट के बदले दौसा से ले जाने में अधिक खर्चा व भाड़ा लग जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर जिला खाद्यान्न सलाहकार समिति ने भी सरकार को व संघ को उक्त व्यवस्था बदलने के बारे में कई बार लिखा है ? यदि हां, तो फिर यह व्यवस्था क्यों नहीं बदली जा रही है ? यदि बदली जावेगी, तो कब तक ?

उत्तर

(1) लालसोट तहसील क्षेत्र के राशन की चीनी राजस्थान क्रय विक्रय संघ दौसा द्वारा नहीं दी जाकर यह चीनी क्रय विक्रय सहकारी समिति दौसा, द्वारा खुदरा डीलरों को दी जाती है।

(2) लालसोट रेल्वे स्टेशन नहीं होकर दौसा रेल्वे स्टेशन है। समिति यदि दौसा से लालसोट चीनी ले जाकर लालसोट में विक्रेताओं को चीनी वितरण करें तो समिति को 2) रु० प्रति बोरी अतिरिक्त खर्चा वहन करना पड़ता है जो समिति को देय नहीं है। लालसोट के जो विक्रेता दौसा सहकारी समिति से चीनी ले जाते हैं उन्हें परिवहन व्यय खुदरा व्यापार करने पर मिल जाता है अतः लालसोट के विक्रेताओं को सहकारी समिति दौसा से चीनी देती है। जहां जहां रेल्वे स्टेशन नहीं हैं वहां कुछ स्थानों पर शक्कर के होलसेल भण्डार खोलने का मामला विचाराधीन है।

(3) जी हां, लालसोट के डीलरान को चीनी ले जाने के लिये सरकार द्वारा निर्धारित दर से किराया उपलब्ध करा दिया जाता है।

(4) जिला खाद्यान्न सलाहकार समिति ने इस सम्बन्ध में सर्व प्रथम अगस्त, 75 में निर्णय लिया था जिसके अनुपालन में जिला रसद कार्यालय ने 5 सितम्बर, 75 को संघ को पत्र लिख दिया। संघ ने जो प्रतिवेदन दिया है उसका उल्लेख प्रश्न के भाग 3 में किया जा चुका है।

गंगानगर शुगर मिल्स के गेट से बाहर गन्ना देने वालों की बकाया राशि

182. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर मिल्स ने जो गेट पर गन्ना देते थे उन्हें वर्ष 1973-74 में गन्ने की कीमत 35 पैसे अधिक दी थी मगर जिन्होंने गन्ना गेट पर नहीं दिया था या गेट के बाहर दिया, उन्हें वह भुगतान नहीं किया गया ?

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

(2) क्या यह सही है कि इसी तरह 1974–75 व 1975–76 में उन गन्ना उत्पादकों को जो गन्ना गेट पर देंगे पिछले वर्ष 75 पैसे दिये गये थे और इस वर्ष भी दिये जायेंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार जो गन्ना बाहर स्टेशनों (काटों पर) पर देते हैं उन्हें भी 75 पैसे और देगी क्योंकि जिस गन्ने की गेट पर काट 600 ग्राम काटी जाती है वहीं बाहर स्टेशनों पर उनसे काट भी ढाई किलो से लेकर चार किलो प्रति क्विन्टल काटी जाती है ?

(3) क्या सरकार गेट से बाहर गन्ना देने वालों को उनकी बकाया गन्ने की उपरोक्त रकम दिलायेगी और ज्यादा काट को रोकेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1974–75 में गेट पर गन्ना देने वालों को 75 पैसा प्रति क्विन्टल प्रोत्साहन के रूप में दिया गया था किन्तु वर्ष 1975–76 में प्रोत्साहन के रूप में कोई राशि नहीं दी जावेगी। बाईंडिग मेंटेरियल 625 ग्राम प्रति क्विन्टल के हिसाब से ही काटा जाता है।

(3) जी नहीं। क्योंकि गेट के बाहर गन्ने की खरीद पर ट्रकों को किराया, कमीशन तथा मजदूरी पर मिल द्वारा पहिले ही काफी अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। केन्द्रीय सरकार के आदेश 625 ग्राम काटा काटने के हैं यदि इससे अधिक काटा काटने की सूचना प्राप्त होगी तो उचित कार्यवाही की जावेगी।

लालसोट व चाकसू तहसीलों के किसानों पर लेवी न तोलने सम्बन्धी दर्ज मुकदमा

183. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) जयपुर जिले की लालसोट व चाकसू तहसीलों में किसानों द्वारा लेवी न तोलने सम्बन्धी कितने मुकद्मे सी. जे. एम. जयपुर के न्यायालय में विचाराधीन हैं ? कृपया अलग अलग तहसीलों के अलग 2 काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त मामले राज्य सरकार द्वारा न्यायालय में कब किस किस तारीख को पेश किये गये ? तथा अब तक विभिन्न मुकद्मों में अलग अलग कितनी कितनी पेशियां पड़ चुकी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सभी मुलजिमों ने अपने अपने हिस्से की लेवी तोल दी है ? यदि हां, तो किसने कब किस किस तारीख को लेवी तोली ?

(4) क्या राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ में यह घोषणा की थी कि जो किसान लेवी तोल देंगे उनके विरुद्ध न्यायालयों में चल रहे मुकद्मे वापिस ले लिये जायेंगे।

(5) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गरुड़वासी, तहसील चाकसू क्षेत्र के किसानों पर लेवी न तोलने के मुकदमे उस समय ही दर्ज कर दिये जब कि राज्य सरकार की ओर से उक्त ग्राम पंचायत में न लेवी तोलने का केन्द्र ही स्थापित किया गया था और न खाली बोरियों का ही कोई इन्तजाम किया गया था ?

Page No 35

(35)

(श्री मीठालाल मीणा)

(6) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसानों के विरुद्ध चल रहे मुकदमों को वापिस लेने के लिए मुख्य मन्त्री, गृह सचिव व जिलाधीश जयपुर द्वारा संबंधित अधिकारियों को कई बार लिख दिया गया है ?

(7) यदि हां, तो लेवी तोलने व मुख्य मन्त्री के आदेश के पश्चात भी उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमे वापिस नहीं लेने का क्या कारण है तथा अब कब तक उक्त मुकद्दमे वापिस ले लिये जावेगे? यदि नहीं तो क्यों?

(8) क्या यह भी सही है कि ग्राम बिलोना, तहसील लालसोट के श्रीनारायण मीना को एक पेशी पर हाजिर न होने के कारण गांव से हथकड़ी डालकर लाये और उसकी तीन दिन में जमानत हुई ?

उत्तर

(1) लालसोट तहसील के 18 एवं चाकसू तहसील के 10 मुकदमे सी. जे. एम. कोर्ट, जयपुर के न्यायालय में लेवी अदा न करने सम्बन्धित विचाराधीन हैं। तहसील वाईज काश्तकारान की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) लालसोट तहसील के कृषक सर्व श्री गेन्दा, गंगाराम एवं रघुनाथ के अतिरिक्त उक्त सभी किसानों ने लेवी जमा करा दी है। किस किस तारीख को लेवी जमा करायी गई उसकी सूची संलग्न है।

(4) राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक 17 (15) र ा. वि. विधि/75/3024/52767 दिनांक 27-10-75 द्वारा मुकद्दमे वापिस लेने के आदेश प्रसारित किये हैं ?

(5) ग्राम पंचायत गरुड़वासी का लेवी केन्द्र खारवड़ा रखा गया था, जहां खाली बारदाने वगैरह की उचित व्यवस्था थी। मुकद्दमे निश्चित अवधि गुजरने के पश्चात् ही खर्च कराये गये थे।

(6) जी नहीं।

(7) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27-10-75 के प्राप्त होते ही मुकद्दमे विथड्रा करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई।

(8) जी नहीं इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय माध्यमिक शाला, लालसोट के भवन के निर्माण का कार्य

184. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लालसोट (जयपुर) राजकीय, माध्यमिक शाला के भवन निर्माण कार्य के लिये निर्माण फण्ड में से लकड़ी की बल्लियां, फावड़े, परातें आदि चुनाई के सामान की खरीद के लिये कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ? कृपया पूर्ण सामान व धनराशि के खर्चे का विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री मीठालाल मीणा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त सामान में से अधिकांश सामान उपलब्ध नहीं है तथा कुछ सामान किराये पर दे दिया गया है ? यदि हां, तो कितना सामान किराये पर दिया हुआ है तथा किराये का सामान किस 2 को किस रेट से दिया गया ? अब तक कितना किराया आया ? बाकी सामान किस 2 के पास है व क्यों है ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त सामान के गायब होने में कौन कर्मचारी दोषी है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी ? तथा सामान बरामदगी के लिये क्या कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भवन निर्माण राशि में से भवन निर्माणार्थ बल्लियां, फावड़े, परातें आदि क्रय किये गये थे, जिनमें 1200-80 पैसे व्यय किये गये हैं सूची निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	नाम वस्तु	तादाद	कीमत
1.	बल्लियां	112	795-06
2.	फावड़े	6	18-00
3.	परातें व घमले	20	71-50
4.	गैंती	3	23-25
5.	फड़ लकड़ी की	10	51-00
6.	बाल्टी	1	5-62
7.	चालणा	1	2-37
8.	बांस	200	220-00
9.	जाली का चलना	1	6-00
10.	हथोड़ा लोहे का	1	8-00
	योग		1200-80

(2) बांस तथा बल्लियां कम हैं। किराये पर सिर्फ बल्लियां 10 पैसे प्रतिदिन प्रति नग के हिसाब से दी जाती थी। किराये पर जिन व्यक्तियों को बल्लियां दी गई उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अब तक कुल 965-90 पैसे किराये के प्राप्त हुए हैं। बाकी सामान भवन निर्माण समिति के तत्वावधान में शाला के चौकीदार के पास है।

मौजूदा सामान की सूची निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	सामान	तादाद
1.	बल्लियां	63
2.	फावड़े	6
3.	परात व घमले	20
4.	गैंती	3
5.	फड़ लकड़ी की	7
6.	बाल्टी	1
7.	चलना	1
8.	जाली का चलना	1
9.	हथोड़ा	1
10.	बांस	14

बल्लियों तथा बांसों की कमी का विवरण निम्न प्रकार है:—

दो बल्लियां लालसोट जल मन्दिर के संयोजक श्री शम्भूलाल को भवन निर्माण समिति के निर्देशानुसार दी गई थी जो वापस नहीं आई है। यह संस्था सार्वजनिक है। 15 बल्लियां सन् 64 में स्कूल भवन में कच्चे कमरों के लिए क्रय की गई थीं कुछ वर्षों के बाद कमरे के छप्पर व बल्लियां बरसात के कारण व दीमक लग जाने के कारण गिर गये। इस प्रकार कच्चे कमरों

(शिक्षा मंत्री)

के छप्पर व 15 बल्लियां नष्ट हो चुकी हैं। शेष बल्लियां 32 निरन्तर भवन निर्माण कार्य वर्षों से व दीमक के खा जाने के कारण गलसड़ कर नष्ट हो गई है। बांस 200 क्रय किये गये थे जिनमें से 23-8-69 को तथा 8-6-70 को क्रमशः 5 तथा 60 बांस 5-00 तथा 75 रुपये कुल 80-00 के बेच दिये गये हैं। जिसकी राशि जमा है। 121 बांसों की आठ जाली व पांच सीढ़ियां बनाई गई जो जीर्ण अवस्था में मौजूद हैं। शेष 14-बांस जीर्ण अवस्था में आज भी मौजूद हैं।

10 लकड़ी की फड़ों में से तीन फड़ कम हैं वे सीमेंट के लण्टर बनाते समय काट काट कर काम में ले ली गई हैं।

(3) कमी के विवरण तथा कारणों से जिला शिक्षा अधिकारी के कथनानुसार किसी व्यक्ति विशेष का सामान्यतः दोष प्रतीत नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा राज्य प्रतियोगिताओं का आयोजन

185. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्रीड़ा परिषद् से कितने खेल संघों को मान्यता प्राप्त है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन संघों को पिछले पांच सालों में कितनी कितनी आर्थिक सहायता किन किन प्रयोजनों के लिए दी गई? पूर्ण ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(3) वर्ष 1975-76 में कितने संघों द्वारा राज्य प्रतियोगिता कहां और कब आयोजित की गई?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा हेतु किया गया प्रावधान

186. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय एवं राज्य योजना के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा हेतु कितना कितना प्रावधान किया गया है?

(2) उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत कितने कितने प्राथमिक, माध्यमिक शालायें कॉलेजेज एवं यूनिवर्सिटी खोलने का प्रावधान है?

(3) क्या राज्य सरकार प्राथमिक, माध्यमिक शालायें एवं कॉलेज खोलने में प्रान्त के पिछड़े क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालौर क्षेत्र को प्राथमिकता देगी? यदि हां, तो इन जिलों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना

Page No 38

(38)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

के दौरान कितनी प्राथमिक, माध्यमिक शालायें एवं कॉलिजेज खोले जाने के लिए तय करेगी ? जिले वार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय व राज्य योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षा हेतु निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:—

राज्य योजना	680 लाख
केन्द्र योजना	421 लाख

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु निम्न प्रावधान रखा गया है:—

	राज्य योजना	केन्द्रीय योजना
1. प्राथमिक शिक्षा	3279 लाख	—
2. माध्यमिक शिक्षा	1076 लाख	—

(2) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधानानुसार सात नये महाविद्यालय, 2000 प्राथमिक विद्यालय, 2000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है।

(3) यथासंभव सभी जिलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जावेगा।

राज्य में राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेज एवं स्कूल

187. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में कितने राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेज एवं स्कूल है ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में डिग्री तथा पोस्ट डिग्री कॉलेज

188. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में राज्य सरकार के कितने डिग्री तथा पोस्ट डिग्री कॉलेज हैं तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान मे कितने जिला हैड क्वार्टर्स ऐसे हैं जहां पर राज्य सरकार का कोई कॉलेज नहीं है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जयपुर, जोधपुर एवं झुन्झुनू जिला मुख्यालयों पर राज्य सरकार के कॉलेज नहीं हैं क्योंकि जयपुर व जोधपुर में विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कॉलेज हैं एवं झुन्झुनू में सहायता प्राप्त महाविद्यालय है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

जयपुर जिले के बेरोजगार अध्यापक

189. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कितने प्रशिक्षित अध्यापक बेरोजगार हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रशिक्षित अध्यापक बेरोजगार कब तक रोजगार पा सकेंगे ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में 542 प्रशिक्षित अध्यापक बेरोजगार हैं।

(दिनांक 31-12-1975 तक)

बी०एड०	एस•टी•सी०	हैन्डी क्राफ्ट	योग
210	158	174	542

(2) रिक्त स्थान होने पर ही उन्हें रोजगार दिया जा सकेगा।

जयपुर जिले में कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय

190. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कितने कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अगले वित्तीय वर्ष में कहां कहां पर और कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में 6 राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। सूची सदन की मेज में रख दी गई है।

(2) अगले सत्र में कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

जिला झालावाड़ में अध्यापकों की कमी

191. श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिड़ावा हायर सैकेण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री वन्शीलाल जैन ने बी. एस. टी. सी. ट्रेनिंग के लिये कुछ छात्रों को गेम्स के झूठे सर्टिफिकेट दिये हैं ? अगर हां, तो क्या प्रधानाध्यापक की जांच करवाई जावेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के मिडिल स्कूल में अध्यापकों की संख्या बहुत कम है ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि पिड़ावा क्षेत्र के हिम्मतगढ़ व गादिया मिडिल स्कूल में 2-2 या 3-3 अध्यापक हैं ? अगर हां, तो जिन मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की कमी है उन स्कूलों में पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

[redacted]

(श्री हाजी जानमोहम्मद खां)

(4) क्या यह भी सही है कि झालावाड़ के आदर्श मिडिल स्कूल एवं मोतीलाल नेहरू मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की संख्या लगभग 40 है ? अगर हां, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) मोतीलाल नेहरू एवं आदर्श मिडिल स्कूल झालावाड़ में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है एवं इन दोनों स्कूलों के अध्यापकों का अनुपात क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बी. एस. टी. सी. ट्रेनिंग हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के साथ संलग्न किये गये प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियां राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित है। इनकी सत्यता के बारे में विस्तृत जांच की जा रही है। यथासंभव शीघ्र जांच कराई जावेगी। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हां, कुछ स्कूलों में कमी है।

(3) पिड़ावा क्षेत्र के मिडिल स्कूल हिम्मतगढ़ एवं गादिया में प्रधानाध्यापक सहित अध्यापकों की संख्या क्रमश: 4 एवं 3 है। शीघ्र ही यह कमी पूरी की जा रही है।

(4) झालावाड़ के आदर्श मिडिल स्कूल एवं मोतीलाल नेहरू मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की संख्या प्रधानाध्यापक सहित क्रमशः 25 एवं 32 है।

(5) आदर्श मिडिल स्कूल एवं मोतीलाल नेहरू मिडिल स्कूलों के छात्रों की संख्या क्रमशः 319 एवं 453 है। इन विद्यालयों में छात्र अध्यापक अनुपात क्रमशः 1:13 एवं 1:15 है।

अध्यापकों के अन्तर्जिला स्थानान्तरण के आदेश

192. श्री गोकुलचन्द (कठूमर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सन् 1974 में किन्हीं थर्ड ग्रेड अध्यापकों के अन्तर्जिला स्थानान्तरण संबंधी आदेश निदेशक शिक्षा विभाग बीकानेर को दिये थे ?

(2) यदि हां, तो इनमें से कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये और किन किन के किन कारणों से जारी नहीं किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त अध्यापकों में से कितने अनुसूचित जाति के अध्यापकों के स्थानान्तरण कर दिये गये और कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण आदेश जारी क्यों नहीं किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि अन्तर्जिला ट्रांसफर आदेश राज्य सरकार ने कई बार बीकानेर भेजे परन्तु उनकी अनुपालना नहीं की गई ?

(5) क्या राज्य सरकार ने सन् 1975 में भी उपरोक्त आदेश भेजे थे ? यदि हां, तो जिन जिन अध्यापकों के अन्तर्जिला ट्रान्सफर आदेश जारी किये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(शिक्षामंत्री)

उत्तर

(1) यह सही है।

(2) सन् 1974 में ऐसे 9 प्रकरण प्राप्त हुए थे जिनके आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। एक प्रकरण अध्यापक का विवरण प्राप्त न होने से नहीं किया जा सका।

(3) ऐसी कोई सूची सरकार के पास नहीं रखी जाती है कि जिससे यह ज्ञात हो सके कि स्थानान्तरण किया गया अध्यापक अनुसूचित जाति का है क्योंकि इनके नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी है।

(4) जी नहीं।

(5) 75 में भी राज्य सरकार ने सहायक अध्यापकों के आदेश दिये। इसमें द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक दोनों थे इनमें तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के आदेश की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जिन तृतीय श्रेणी अध्यापकों के मामले विभागीय स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आते थे उन्हें कर दिया गया। अन्य मामले जो नियमों में नहीं आते थे उनके बारे में सरकार के आदेश हैं कि ऐसे तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के अन्तर्जिला स्थानान्तरण नहीं किये जावें।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

उद्योगपतियों को दिये गए ऋण की वसूली

193. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान सरकार द्वारा कितना कितना ऋण किस किस उद्योगपति को कब से दिया गया और उनसे कितना रुपया कब वसूल हुआ और अब कितना रुपया बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन उद्योगों ने वक्त पर रुपया अदा नहीं किया है उनके विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं? प्रत्येक उद्योगपति के बारे में अलग से विवरण देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा बड़े उद्योगपतियों/उद्योगों को दिये गये ऋण, वसूली व बकाया की सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जिन उद्योगपतियों ने समय पर रुपया अदा नहीं किया उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही प्रश्न 1 के उत्तर में दी गई सूची के कॉलम 7 में अंकित कर दी गई हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

एमरी स्टोन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी कुचामन रोड के मालिक द्वारा सुरक्षा कोष के नाम काटी गई राशि

194. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले के कुचामन रोड कस्बे में स्थित उद्योग एमरी स्टोन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के मालिक ने अपनी तमाम फर्मों के मजदूरों की एक दिन की तलब जनवरी, 1972 की तलब देते हुये सुरक्षा कोष के नाम पर काटी थी?

(श्री विट्ठल भाई)

(2) क्या यह सही है कि उक्त रकम श्रमिकों एवं कर्मचारियों के नाम से सुरक्षा कोष में जमा कराई गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि किस किस फर्म के मजदूरों के नाम से कब जमा कराई गई ?

(3) यदि उक्त राशि सुरक्षा कोष में जमा नहीं कराई गई तो उस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

पुलिस थाना छीपा बड़ौद में दर्ज मामला

195. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सन् 1974 में भूतपूर्व प्रवर्तन निरीक्षक छीपा बड़ौद जिला कोटा के मकान में घुसकर किन्हीं व्यक्तियों द्वारा महत्वपूर्ण सरकारी कागजों को आग में जलाकर नष्ट कर दिए गए जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना छीपाबड़ौद में दर्ज कराई जा चुकी है ? यदि हां, तो पुलिस विभाग ने इस संबंध में क्या कदम उठाये।

उत्तर

दिनांक । 22-4-74 को श्री हृरकेश मीना एन्फोर्समेन्ट आफिसर छीपाबड़ौद ने पुलिस थाना पर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिन के 1 से 9 बजे के मध्य किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके मकान में घुसकर प्रमाण-पत्र व महत्वपूर्ण सरकारी रिकार्ड को जला दिया । इस सूचना पर अ० स० 20 दिनांक 22-4-74 को धारा 454, 436 ता० हि० के अन्तर्गत दर्ज कर अनुसंधान की गई जिसमें मुलजिमान का पता नहीं लगने के कारण 2-7-74 को एफ० आर० अदम पता में दी जा चुकी है ।

झालावाड़ जिले में अपराध के मामले

196. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरा-पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले के थाना पिडावा गंगधार सुनेल आवर रामपुर और डग में 1 जनवरी, 74 से 31 दिसम्बर, 75 तक कितने कत्ल, चोरी, डकैती और दीगर अपराधों के केस रजिस्टर किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) इन केसों में कितनी चोरियां बरामद हुई और कौन कौन से मुल्जिमों को पकड़ा गया और कब कब चालान किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) चाही गई सूचना संलग्न तालिका "क" में अंकित है ।

(2) चाही गई सूचना संलग्न तालिका "ख" में दर्ज की हुई है ।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

ग्राम मेडिकापुरा में भील का कत्ल

197. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरा-पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(1) क्या यह सही है कि सन् 1975 में थाना मनोहर थाना के ग्राम मेडिकापुरा में एक भील का कत्ल हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त केस 302 में दर्ज न करके 341 में दर्ज किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बाद में डीवाई. एस. पी. अकलेरा ने इस केस को 302 में दर्ज किया था ? यदि हां, तो कैसे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त कत्ल का मुकदमा नं० 35/75 दिनांक 3-5-75 धारा 147,149, 342 आई.पी.सी. के तहत दर्ज किया गया था क्योंकि मृतक के भाई श्री गेन्दा ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया था कि उसके भाई को मेडिकापुरा वालों ने पकड़ लिया है व तलाश करने पर कोई पता नहीं चला है।

(3) जी नहीं। दौराने तफतीश मुकदमा थानाधिकारी मनोहर थाना ने जुर्म धारा 304 आई.पी.सी. और जुड़वाया। हालात तफतीश रोशन होने पर पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ के आदेशानुसार जुर्म धारा 302 आई.पी.सी. में तरमीम किया गया तथा मुकदमे का अनुसंधान उप पुलिस अधीक्षक, अकलेरा को सौंपा गया। उप पुलिस अधीक्षक, अकलेरा ने 9 व्यक्तियों के खिलाफ अदालत में चालान अन्तर्गत धारा 302, 201, 34 आई.पी.सी. दिनांक 18-7-75 को पेश किया गया जो विचाराधीन अदालत है।

थाना गंगधार में डकैती के मामले में पकड़ा गया व्यक्ति

198. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थाना गंगधार में श्री जोरावरिया कंजर कई डकैतियों में इन्वोल्वड था जिसको थाना गंगधार में कई दिनों तक रखा गया ? और बाद में छोड़ दिया गया यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कई डकैतियों में इन्वोल्व्ड होने से उक्त कंजर की मांग की गई तो धोखे से इस को बुलाकर पुलिस ने इसको जमानत पर छोड़ दिया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह धारा 302 व 307 के मुकदमों में इनवोल्व्ड था। इसको 21-10-75 को गिरफ्तार किया गया था।

(2) जी नहीं। पुलिस अधीक्षक झालावाड़ द्वारा पुलिस अधीक्षक मन्दसौर को सूचना भेजी गई पर पुलिस अधीक्षक मन्दसौर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

ग्राम कुन्डला में कत्ल का मामला

199. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कुण्डला ग्राम थाना गंगधार में सन 75 में एक सुनार का कत्ल का मामला दर्ज हुआ ? यदि हां, तो कब और किसका ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कत्ल कंजरों के द्वारा किया गया था और मुल्जिमों को नहीं पकड़ा गया तथा चालान भी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम कुंडला के निवासी श्री बाल मुकन्द सुनार के कत्ल का मुकदमा नं. 66/75 दिनांक 27-8-75 की धारा 307, 302 आई. पी. सी. दर्ज हुआ था।

(2) मुकदमे की तफतीश के दौरान कंजरों द्वारा यह अपराध किये जाने के सम्बन्ध में कोई माकूल शहादत नहीं मिलने के कारण किसी भी कंजर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अतः यह कहना अभी तक ठीक नहीं है कि कत्ल कंजरों द्वारा किया गया है। मुकदमे में मुलजिमों का कोई पता नहीं चलने पर एम. आर. "अदम पते" में दिनांक 30-12-75 को चाक की गई है।

ग्राम गोरधनपुरा में हत्या के मामले

200. श्री रामगोपाल (किशनगंज): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

ग्राम गोरधनपुरा पुलिस थाना छीपा बड़ौद जिला कोटा में दर्ज सन् 1965 से अब तक के मामलों में कितनी हत्यायें कुए में डाल कर की गईं और इस संबंध में समय समय पर पुलिस विभाग ने उक्त घटनाओं के रहस्योद्घाटन हेतु क्या क्या कदम उठाये हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

पुलिस थाना छीपाबड़ौद के ग्राम गोरधनपुरा में सन् 1965 से अब तक 4 घटनायें कुए में गिर कर मृत्यु हो जाने की घटित हुई हैं। पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में अंकित है। इसमें से केवल एक घटना हत्या से संबंधित है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन

201. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन दी जा रही है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने स्वतन्त्रता सेनानियों के मामले विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विचाराधीन मामलों को कब तक निपटा दिये जावेंगे।

(स्थगित किया गया)

राज्य में कच्चे लोहे का वितरण

202. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कच्चे लोहे का वितरण किसके माध्यम से कराया जाता रहा है ?

(श्री राजेन्द्रसिंह)

(2) राज्य को लोहे का कितना कोटा केन्द्र से मिलता है तथा 19 अप्रेल, 1975 से आज तक किस किस किस्म का लोहा राज्य को प्राप्त हुआ और उसका वितरण कैसे हुआ ? ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) लघु उद्योग इकाइयों को कच्चे लोहे का वितरण राजस्थान लघु उद्योग निगम के माध्यम से किया जा रहा है।

(2) अप्रेल, 1975 से निगम को प्राप्त कच्चे लोहे की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

निगम का सम्बन्ध केवल लघु उद्योग को वितरित किये जाने वाले लोहे से ही है। लघु उद्योग इकाइयों की आवश्यकता–नुसार उत्पादकों से सीधा भी लोहा प्राप्त किया जा सकता है तथा कोई लोहा एतदर्थ निर्धारित नहीं है। उत्पादकों को लोहे की सप्लाई उनके उत्पादन प्रोग्राम के अनुसार की जाती है।

लोहे का वितरण करने के लिए विभाग द्वारा प्रत्येक कार्यरत इकाई को पास बुक जारी की गई है। पास बुक में इकाई की निर्धारित क्षमता तथा काम में लिए जाने वाले बन्द माल की श्रेणी क्षमतानुसार वर्णित है।

इकाइयों की क्षमता के अनुसार लोहा व इस्पात निगम को उपलब्ध नहीं होता है अतः इकाई की निर्धारित क्षमता को दृष्टिकोण में रखते हुए प्रत्येक श्रेणी के लिए दिये जाने वाले माल का प्रतिशत भी निर्धारित कर दिया गया है अर्थात इकाई की देय मात्रा निश्चित कर दी गई है।

यह योजना 1–9–74 से प्रारम्भ की गई है इसके अतिरिक्त सरकार के विभागों सार्वजनिक संस्थाओं को उनकी आवश्यकता-नुसार माल की उपलब्धता को देखकर लोहा व इस्पात दिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

जयपुर में उच्च अधिकारियों को सरकारी मकान की सुविधा

203. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा): क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर में सन् 1974 से अब तक नियुक्त ऐसे कितने उच्च अधिकारी हैं जिनके पास जयपुर में निजी मकान है और उनको सरकारी मकान उपलब्ध कराया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिनके निजी मकान हैं उन्हें सरकारी मकान उपलब्ध नहीं कराया जाता है ? यदि हां, तो जिनके पास राज्य के मकान है उनके मकान कब तक खाली करा लिये जावेंगे ?

(स्थगित किया गया)

विस्थापित बंगाली परिवार

204. श्री रामगोपाल (किशनगंज): क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायत समिति शाहबाद जिला कोटा में कितने विस्थापित बंगालियों के परिवार

(श्री रामगोपाल)

किस किस स्थान पर बसाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा जिले में आवंटित भूमि

205. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कोटा जिले में भू-आवंटन अभियान के दौरान नवम्बर व दिसम्बर 1975 में कितनी भूमि कितने व्यक्तियों को किस किस गांव में आवंटित हुई ? तहसीलवार सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

सरहद मौजा कराटी में रेकार्ड दुरुस्ती का मामला

206. श्री भाबरमल सुराणा (फतेहपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खसरा नं० 533/2 खसरा नं० 319, 313, 314, सरहद मौजा कराटी तहसील केकड़ी जिला अजमेर को एस. डी. ओ. केकड़ी ने दिनांक 8-4-75 को रे० मु० नं० 53/75 में रिकार्ड दुरुस्ती के लिए आदेश दिया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश की पालना कब और किस अधिकारी द्वारा की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरा नम्बरान के रिकार्ड दुरुस्ती के आदेश की तामील पटवारी ने अभी तक नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस आदेश के तामील नहीं होने के सम्बन्ध में श्री हगामाराम ने जिलाधीश अजमेर को भी कई बार प्रार्थना-पत्र दिया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

(4) उक्त आदेश के अनुसार रेकार्ड में अमल दरामद कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

मामला दो पार्टीज के मध्य था परन्तु प्रार्थी द्वारा एस. डी. ओ. केकड़ी के निर्णय के क्रियान्वयन हेतु तहसील कार्यालय में कोई आवेदन-पत्र पेश न करने के कारण अग्रिम कार्यवाही का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(2) जब निर्णय के क्रियान्वयन हेतु आवेदन-पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया तो फिर तामील का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। उपरोक्त स्थिति में कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है।

(4) निर्णय के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थी द्वारा तहसील केकड़ी में आदेश पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अमल दरामद की कार्यवाही संभव हो सकेगी।

मनोहर थाना में सब तहसील की मांग

207. श्री भैरूंलाल (अकलेरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(श्री भैरूलाल)

(1) क्या यह सत्य है कि कस्बा मनोहर-थाना जिला झालावाड़ के नाम से एक बड़ी तहसील थी जिसका मुख्यालय मनोहर थाना में ही था और सन 62-63 में उस तहसील को तोड़कर अकलेरा में विलीनीकरण कर दिया ? जिसके फलस्वरूप मनोहर थाना क्षेत्र की जनता के सामने तहसील से सम्बन्धित कार्यों हेतु अकलेरा जाना पड़ रहा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी फासले पर है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि अकलेरा तहसील का मनोहर थाना तहसील के विलीनीकरण से जिले की समस्त तहसीलों के मुकाबले एक बहुत बड़ा रूप हो गया और जिसके कारण आवश्यक कार्य भी समय पर नहीं हो पाते व क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाई उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार जनता की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए मनोहर थाना में सब तहसील कायम करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। कस्बा मनोहरथाना में पहले तहसील मुख्यालय था अार दिनांक 15-9-62 से उसे तोड़कर तहसील अकलेरा में विलीनीकरण कर दिया गया।

(2) जिला झालावाड़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से अकलेरा तहसील किन्तु जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ी तहसील नहीं है। कस्बा मनोहर थाना में उप तहसील स्थापित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

उपनिवेशन क्षेत्र में हरिजनों की भूमि

208. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चक आई. जे. जे. 25 बी. बी. 47 जी. जी.— 33 जी. जी.— 38 जी. जी. और 2 डी. डी. में हरिजनों की ऐसी कितनी भूमि है जो वे स्वयं काश्त नहीं करते और जिस पर सवर्णों द्वारा काश्त करवाई जा रही है या सवर्णों ने उसे रहन या बेच ले रखा है ?

(2) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रारों या सब रजिस्ट्रारों द्वारा समय पर सूचना न दिये जाने के कारण राजस्व विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर पाता और जिसके फलस्वरूप उपरोक्त भूमि को वापिस हरिजनों को या सरकारी कब्जे में नहीं लिया जा सका ?

(3) क्या राज्य सरकार इस विषय में कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक और विलम्ब क्यों हुआ ?

उत्तर

(1) चक आई. जे. जे.— 25 बी. बी. 47 जी. जी.— 33 जी. जी.— 38 जी. जी. और 2 डी. डी. में 129.18 बीघा भूमि हरिजनों की है जो वे स्वयं काश्त नहीं करते और जिस पर सवर्णों द्वारा काश्त करवाई जा रही है या सवर्णों ने उसे रहन या बेच ले रखा है।

(2) जी नहीं। समय समय पर कार्यवाही की जाती है तथा उपरोक्त भूमि सम्बन्धित दावे भी अदालत में विचाराधीन है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

बिलाड़ा कस्बे में सड़क के लिये ली गई भूमि

209. श्री रामसिंह् विश्नोई (लूणी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में बिलाड़ा कस्बे में नाड़ी से राजोलाव के दरवाजा तक पक्की सड़क निकाली गई ? यदि हां, तो किसकी जमीन से होकर निकाली गई ? नाम, वल्दियत, तारीख मय मुआवजा के विवरण सहित सूची सदन को मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सच है कि उक्त जमीन को (सिणवा का जाव) श्री किशनलाल चौधरी ने बिना कोई रजिस्ट्री करवाये खरीद लिया व इसी जमीन को आगे फिर श्री किशनलाल को प्लॉट बनाकर बिना आबादी में करवाये बेच दी ? अगर हां, तो कितने प्लाट किन किन व्यक्तियों को कितने कितने में बेचे ? सूची सदन को मेज पर प्रस्तुत करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जमीन में से श्री किशनलाल ने 4 बीघा जमीन राजकीय अस्पताल हेतु ग्राम पंचायत बिलाड़ा को भी दी थी ? अगर हां, तो कब दी थी ? अगर दस्तावेज की नकल उपलब्ध हो सके तो प्रस्तुत करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त जमीन फिर बिना पर्मिशन के व बिना आबादी में परिवर्तन करवाये कई लोगों ने वहां पर मकान बना लिये हैं ? अगर हां, तो उनके खिलाफ कब क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त जमीन का बेचान नहीं करवाने से, रजिस्ट्री नहीं करवाने से राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी फीस का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हजारों रुपयों की ड्यूटी फीस की चोरी का अपराध किया है, क्या कार्यवाही कर रही है ?

(स्थगित किया गया)

भूमिहीन काश्तकार का प्रमाण-पत्र

210. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना में भूमि आवंटन के लिए भूमि–हीन काश्तकार प्रमाण-पत्र लेने जब गंगानगर जिले की तहसीलों में जाता है, तो उसे समस्त तहसील में भूमिहीन होने का प्रमाण–पत्र न देकर केवल पटवार मंडल में ही भूमिहीन होने का प्रमाण–पत्र दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रमाण–पत्र में से जहां "भू–अभिलेखों" एवं अन्य प्रकार जांच कर सन्तोष कर लिया जाता है वहां शब्द "सन्तोष" काट दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या कलेक्टर गंगानगर एवं तहसीलदार किसी भी भूमिहीन को स्पष्ट भूमिहीन होने का प्रमाण–पत्र देने की स्थिति में नहीं हैं ? क्या 1928 से पूर्णतः सेटल्ड (Settled) गंगानगर क्षेत्र एवं बीस-पच्चीस वर्ष से भी अधिक समय से सेटल्ड भाखरा नहर क्षेत्र एवं अन्य रेवेन्यु क्षेत्रों (गंगानगर) की तहसीलवार ऐसा कोई रेकार्ड आज तक नहीं बना है, जिसमें खातेदार, स्थाई और अस्थाई अलाटी के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बाकायदा रजिस्टर हों ? क्या इस प्रकार व जिला स्तर का कोई रेकार्ड नहीं है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं है ? यदि है, तो भूमिहीनों को पटवारियों, तहसीलदारों के अनेकों चक्कर लगवाकर भी स्पष्ट भूमिहीन होने का प्रमाण-पत्र क्यों नहीं दिया जाता ? क्या यह सही है कि कुछ भूमिहीनों को स्पष्ट प्रमाण-पत्र दे भी दिया जाता है ? यदि हां, तो यह किस बात का संकेत है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के स्पष्ट आदेश हो चुके हैं कि भूमिहीनों की तसदीक तय करते समय उनके फोटोग्राफ की तसदीक करते समय तहसीलदार एम. एल. ए. या अन्य स्तरीय गंगानहर परियोजना के सदस्य को साथ लेकर तसदीक करें ? यदि हां, तो गंगानगर जिले के तहसीलदार इस आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं ?

(स्थगित किया गया)

काश्तकारों को पास बुकों का वितरण

211. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में काश्तकारों की संख्या कुल कितनी है, उनमें से कितने काश्तकारों को 31-12-75 तक पास बुकें वितरण कर दी गई ? संख्या दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पास बुकें वितरण करने का राज्य सरकार का क्या उद्देश्य है ? तथा क्या बैंकों में किसानों को ऋण देते वक्त क्या इन पास बुकों को मान्यता दी जाती है ? अगर नहीं तो क्यों ? राज्य सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) दिनांक 31-12-75 को राजस्थान में काश्तकारों की कुल संख्या 46,36,335 थी। इनमें 23,81,654 पास बुकें उस समय तक वितरित कर दी गई थीं।

(2) पास बुकों को रेकार्ड आफ राइट्स के रूप में मान्यता दे दी गई है इस हेतु नियमों में संशोधन दिनांक 27-4-72 को कर दिया गया है। किसानों को ऋण देते समय पास बुकों की इसी रूप में मान्यता है।

नाजायज कब्जों के मामले

212. श्री नानालाल (राजसमंद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील स्तरीय भू-आवंटन व नियमन कमेटियों के समक्ष नाजायज कब्जों की कार्यवाही के सभी मामले नहीं आते हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जाता है ?

(2) उदयपुर जिले की तहसील रेलमगरा में आज दिन तक कितने नाजायज कब्जे बाकी हैं तथा किस किस का कितनी कितनी भूमि पर कब्जा है तथा यह कब्जा कब से चला आ रहा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नाजायज कब्जों की फाईलों में हर साल बेदखल की

(श्री नानालाल)

कार्यवाही करें, हर वर्ष का नया नाजायज कब्जा उसी आदमी का बताया जाता है ? यदि हां, तो ऐसे कितने केस हैं ? कृपया नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नाजायज कब्जे अधिकतर राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से ही होते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस प्रकार की कार्यवाही की रोकथाम के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

(स्थगित किया गया)

जिला जालौर में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्य

213. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत पिछले 6 महीनों में काफी कार्य किए गए है ? अगर हां, तो क्या क्या कार्य अब तक किए गए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत बहुत अधिक कार्य तीव्र गति से अब भी करने शेष हैं ? अगर हां, तो इस तरफ सरकार द्वारा भविष्य में क्या-क्या कदम कब तक उठाये जावेंगे ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि राजस्व की दृष्टि से जिला जालौर में बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है ? अगर हां, तो इस ओर कब तक सरकार क्या-क्या कदम उठाना चाहेगी तथा बेनामी भूमिधारियों की समस्या के समाधान के लिए अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ? अब तक ऐसी कितनी बेनामी जमीन निकाली गई है ?

उत्तर

(1) हां यह सत्य है कि जिला जालौर में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत पिछले 6 महीनों में राजस्व एवं भू-अभिलेख सम्बन्धित काफी कार्य किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं:—

1. 2385 नामान्तरकरण निपटाए गये।

2. 3799 पासबुक काश्तकारों में वितरण की गई।

3. 85 ग्रामों की जमाबन्दियां तैयार की गई।

पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत कुल 31494 एकड़ भूमि एवम् नये नियम के अन्तर्गत कुल 3359 एकड़ भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये गये जिसमें से पुराने कानून के अन्तर्गत 15932 एकड़ भूमि एवं नये नियम के अन्तर्गत 1169 एकड़ भूमि का वास्तविक कब्जा लिया जा चुका है। इसमें से 103 व्यक्तियों में कुल 6168 एकड़ भूमि आवंटन की गई।

(2) शेष कार्य को शीघ्र कराया जाने हेतु प्रयास जारी है।

(3) कुछ कार्य करना शेष है, बेनामी भूमिधारियों की समस्या के समाधान के लिए कार्यवाही जारी है। अब तक कुल 2740 एकड़ बेनामी जमीन निकाली गई है। शेष हेतु कार्यवाही की जा रही है।

Page No 51

(51)

सीलिंग कानून के अन्तर्गत आई भूमि का आवंटन

214. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में 1961 में जब पहली बार सीलिंग कानून पास किया तब कितनी अतिरिक्त (Surplus) जमीन राज्य सरकार ने अपेक्षित (Expected) की थी ? राज्य सरकार ने 1966 में नियम बनाने के बाद कितनी अतिरिक्त जमीन अपेक्षित की थी ? 31 दिसम्बर, 1975 तक नए व पुराने सीलिंग कानून के तहत कितनी अतिरिक्त जमीन घोषित की, कितनी जमीन राज्य सरकार ने कब्जे में ली और कितनी जमीन भूमिहीनों को आवंटित की ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 1960 (1960 का क्रम संख्या 4) वर्ष 1960 में पारित किया गया एवं राजस्थान राजपत्र में दिनांक 21-3-1960 को प्रकाशित किया गया। इसको प्रभाव में लाने के लिए विज्ञप्ति दिनांक 26-11-63 के द्वारा 15 दिसम्बर, 1963 नियत की गई जो समय समय पर बढ़ाकर बाद में 1-4-66 कर दी गई। इस प्रकार धारा 30 ई के तहत यह अधिनियम दिनांक 1-4-66 से प्रभाव में आया। कितनी भूमि अतिरिक्त घोषित हो सकेगी यह इस कानून के दायरे में आने वाले विभिन्न मामलों की पूरी जांच होकर उन पर सक्षम अधिकारी का फैसला होने पर ही तय हो सकता है। ऐसी दशा में यह सूचना देने का प्रश्न पैदा नहीं हो पाता कि वर्ष 1961 में एवं 1966 में कितनी अतिरिक्त भूमि अपेक्षित थी।

31 दिसम्बर तक नये व पुराने सीलिंग कानून के तहत जितनी भूमि अतिरिक्त घोषित की गई, जितनी भूमि राज्य सरकार ने कब्जे में ली और जितनी भूमि भूमिहीनों को आवंटित की गई उसकी जिलेवार सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

गंगानगर जिले में कृषि भूमि का आवंटन

215. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगानगर जिले में कृषि भूमि के नये अलाटमेंट के लिए हरिजन भूमिहीनों की कुल कितनी दरख्वास्तें आई ?

(2) इनकी जांच (Verification) का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

(3) जांच के बाद अलाटमेंट कब शुरू होगा ?

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में कृषि भूमि के नये आवंटन के लिये हरिजन भूमिहीनों की 38463 दरख्वास्तें प्राप्त हुई।

(2) इनकी जांच का कार्य मार्च 1976 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(3) जांच कार्य समाप्त होते ही आवंटन कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

गोठन ग्राम की जमीन

216. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि मेड़ता तहसील के गांव गोठन के ख. नं. 1003 में व अन्य खसरा नम्बरान में, जो राजस्व विभाग में निहित भूमियां हैं, उनमें पुरानी तारीखों में अब भूतपूर्व जागीरदार ठिकाना झालामंड द्वारा इमारती पट्टे दिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या विभाग ने इस बारे में कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो जांच तथा शिकायतों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां, भूतपूर्व जागीरदार झालामण्ड के विरूद्ध गोटन में अब भूमि के पट्टे दिये जाने बाबत शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी प्रतियां संलग्न हैं। पट्टे जारी करने बाबत जांच नहीं हुई क्योंकि जागीरदार ने पट्टा बहियां वापिस जमा नहीं कराई हैं, जिनके जमा कराने के लिए नोटिस दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा जांच करने पर शिकायत सत्य नहीं होना तथा पार्टी बाजी व आपसी रंजिश से शिकायत होना पाया गया है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

व्यवस्था का प्रश्न

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की ग्राह्यता

श्री शंकरलाल : पाईन्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में जो नियम 131 है, उसकी जो क्लाज 4 है, उसमें साफ है कि एक ही दिन के लिये एक से अधिक विषय उपस्थित किये जाने की स्थिति में उस विषय को प्राथमिकता दी जाएगी जो अध्यक्ष की राय में अधिक महत्वपूर्ण हो और दूसरा यह है कि एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा विषय नहीं उठाया जायेगा। चूंकि दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक ही दिन में हैं इसलिये ··

श्री अध्यक्ष : मैंने समय दिया है। मैं दोनों को ही लेना चाहता हूं। इसलिए लेना चाहता हूं कि यह डिसिजन मेम्बर्स के हक में है ज्यादा सदस्यों को इससे लाभ होगा और चूंकि नियमों को रिलेक्स करने का मुझे अधिकार है, इसलिए रूल्स को रिलेक्स करके मैंने इन दोनों को आज लिया है। यह आपका जो ऐतराज है, वह सही है। एक ही काल अटेन्शन हो परन्तु सब के हित को दृष्टि में रखते हुए यह रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को हिस्सा लेने का मौका मिले। इस बात का ध्यान रख कर इन दोनों को रखा है।

श्री सन्धु।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

किसान संघर्ष समिति की 14 मांगों पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत मैं किसानों की 14 सूत्री मांगों पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये कथित आश्वासन की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग) : अध्यक्ष महोदय, श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा प्रस्तुत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जिसमें किसान संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत 14 मांगों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन की स्थिति निम्न प्रकार है:—

संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत 14 सूत्री मांगों पर राज्य सरकार ने मांग संख्या 1 से 14 के सम्बन्ध में जो आश्वासन दिनांक 19-7-75 के पत्र द्वारा श्री सन्धु को दिये थे उनकी क्रियान्विति मुख्यतः की जा चुकी है। आश्वासन संख्या 3 मोतीराम कमेटी की सिफारिशों के लागू करने की मांग के सम्बन्ध में गंग एवं भाखड़ा नहर के कुछ क्षेत्र को राजस्थान नहर क्षेत्र पर स्थानान्तरित करने के लिये गठित कमेटी की रिपोर्ट अपेक्षित है। रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। संघर्ष समिति ने बातचीत के दौरान इन मांगों के अतिरिक्त अन्य विषय रखे थे। खाद एवं कृषि यंत्रों को बिक्री कर व चुंगी कर से मुक्त करने के बारे में एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया गया था जिसमें 5 सरकारी सदस्य होंगे और 3 गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किए जाने का उल्लेख था। इस समिति को गठित करने का निर्णय ले लिया गया है जिसमें निम्न सरकारी सदस्य हैं:—

1. आयुक्त वाणिज्य कर — अध्यक्ष
2. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई — सदस्य
3. निर्देशक, कृषि — सदस्य
4. विशिष्ट सचिव, वित्त — सदस्य
5. उप सचिव, वित्त वाणिज्यकर — सचिव

इस कमेटी में तीन गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करना है। उनके नाम देने के बारे में श्री सन्धु को लिखा जा चुका है और नाम प्राप्त होते ही आदेश प्रसारित कर दिए जाएंगे। जैसा कि आश्वासन दिया गया था कमेटी द्वारा इन विषयों पर अपनी रिपोर्ट 6 महीने में प्रस्तुत करने का प्रावधान था किन्तु अब कमेटी को यह रिपोर्ट 3 महीने में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए थे।

श्री अध्यक्ष : श्री सन्धु।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, किसानों की 14 सूत्री मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने 19-7-75 को एक आश्वासन दिया था और लिखित रूप में दिया था और उसे शीघ्र पूरा करने का भी आश्वासन दिया था। इन मांगों के सम्बन्ध में थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि जहां तक पहले मेरी मांग थी वह यह थी कि जो अलाभकर जोत है, उस पर से, जो अलाभकारी जोत के किसान हैं उन किसानों पर से कर्जा माफ कर दिया जाये। हर प्रकार का कर्जा माफ कर दिया जाये। और इस सम्बन्ध में सरकार ने मुझे विश्वास दिलाया था कि इसके लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की जो कमेटी बनाई गई है वह शीघ्र ही निर्णय लेगा, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, और जो लिया गया है वह उन लोगों के मुतालिक है जो अलाभकारी जोतों से बहुत नीचे वाले किसान हैं। इसलिए यह मांग है, उसके सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं मिला है। दूसरा अकाल के सम्बन्ध में आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। तीसरी मोती राम कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में थी। उसमें यह कभी नहीं कहा गया है कि किसी

Page No 54

(54)

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

कमेटी का गठन किया जायगा जो कि मोती राम कमीशन की रिपोर्ट लागू करेगी। मुझे यह लिख कर दिया गया है कि मोती राम कमेटी की सिफारिश मान ली गई है और उन्हें शीघ्र ही लागू कर दिया जायगा। तो मेरा यह निवेदन है कि शीघ्र का मतलब यह है कि एक महीने या दो महीने में ही लागू की जायगी, लेकिन आज 7 महीने हो गये हैं उसको लागू नहीं किया गया है। अब मोती राम कमीशन की रिपोर्ट के लिए यह कहा जाता है कि कमेटी का गठन होगा तो कमेटी का गठन कब तक होगा यह मालूम नहीं है।

मैं आगे यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा एक निवेदन यह था कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जमीनों का नीलाम नहीं किया जाय और वह जमीन भूमिहीनों को दी जाय। सरकार नीलाम करना चाहती थी जमीनें और सरकार यह आदेश जारी कर दिया था, और 4-3-70 को यह लिख कर दिया गया था, उस समय के माननीय मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया का यह आश्वासन है जो इस सदन के अन्दर दिया गया था कि परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का नीलाम बन्द कर दिया गया है और परियोजना क्षेत्र में ऐसी सिंचित भूमि का आवंटन आरक्षित मूल्य पर भूमिहीनों को किया जायगा और प्रमुखता अनुसूचित जाति और जन जाति को दी जायगी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नीलाम नहीं किया जायगा, और मेरे साथ में जो वायदा किया गया था उसमें यह कहा गया था कि वह जमीन भूमिहीनों को दी जायगी, लेकिन आज यह कह दिया गया है कि जिस गांव या शहर की आबादी 10 हजार से अधिक है उसके 8 मील के अन्दर जमीन नीलाम की जायगी। ऐसा कानून निकाल दिया गया है और वह आदेश जारी कर दिया गया है। वह आदेश मेरे पास है। आदेश संख्या एफ 56/उपनिवेशन/75/20/70/7/49 17-10-75 का है। उस फैसले के बाद में यह आदेश दिया गया है कि उस गांव या उस नगर, जिसकी आबादी 10 हजार से अधिक है, जमीन का अलाटमेंट नीलाम द्वारा किया जायगा। ऐसे कई गांव या शहर हैं जिनकी आबादी 10 हजार से नीचे है जैसे अनूपगढ़ है उसकी आबादी 4450 ही है, वहां पर यह कर दिया गया है कि जमीन नीलाम द्वारा दी जायगी। विजयनगर में भी जो जमीन भूमिहीनों को मिलने वाली थी उसकी करीब 50 परसेन्ट का अलाटमेंट नीलाम द्वारा किया जायगा और वह भूमिहीनों को नहीं मिल सकेगी...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में बोलिये। बहुत लम्बा बोल रहे है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : जो कुछ मेरे पाइन्ट्स है वह तो मुझे कहने पड़ेंगे।

यह मुझे विश्वास दिलाया गया था कि सीलिंग के मामले को सख्ती से अमल किया जायगा। मैं यह मानकर चलता हूं कि सीलिंग जो किया गया है वह गलत है। मैं थोड़े में ही कहना चाहता हूं क्योंकि इस विषय में बहुत कुछ कहा गया है। यदि सीलिंग और अलाटमेंट जैसे मामलों की जांच कराना चाहते हैं तो सरकार को चाहिए कि सरकार जहां जहां पर सीलिंग के फैसले हुए हैं उनकी एक 2 कापी वहां की

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

पंचायतों को भेज दें। हम जांच कर देंगे। पंचायतें और एम० एल० ए० उस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की कमेटियां बनी हुई हैं उनको उस क्षेत्र के बारे में कापियां दे दें। वह दो महीनों के अन्दर अन्दर रिपोर्ट दे दें। वह बता देंगी तो आपको पता चल जायगा कि कितने नाजायज एलाटमेंट किन आदमियों ने सीलिंग में करवाये हैं, और सीलिंग के मामले में आप टोटेली फेल्योर हुए हैं। यही मेरी मांग थी क्योंकि आपने कहा था कि सीलिंग के मामले में सख्ती से अमल करेंगे।

इसके अतिरिक्त आपने यह भी कहा था कि हम हर···

श्री अध्यक्ष : आपको 15 मिनिट तो हो गये।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : दो-चार मिनट और लगेंगे।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आपने कहा था कि फर्टीलाइजर्स की पंचायत क्षेत्र में सस्ती दुकानें खोलेंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि कोई दुकानें नहीं खोली गई है। फर्टीलाइजर वहां पर जिस भाव से बेचा जा रहा है उसकी मेरे पास रसीदें हैं। फर्टीलाइजर जो यूरिया वहां पर दिया जा रहा है वह सड़ा गला है और जिसको उसकी आवश्यकता होती है वह खरीदता है तो बोरियों समेत दिया जाता है। श्रीराम एजेन्सी जो है वह 96 रु० 75 पैसे में देना चाहती है लेकिन उसकी एजेन्सी समाप्त कर दी गई। अगर आप गंगानगर जिले में खाद लेंगे तो सरकार के अलावा और कोई खाद नहीं बेच सकेगा। यह मेरे पास रसीदें हैं जिनमें बोरियां भी साथ में तोली गई हैं और इसमें लिखा है कि बोरियां भी तोल के साथ हैं। बोरियों के साथ तोलकर 106 में देते हैं और देहात में जाता है तो उसकी रेट 108 हो जाती है। 5-7 दिन पहले इसकी रेट कम की है लेकिन उसमें 5 किलो वजन भी कम कर दिया गया है। तो जहां तक इसके सम्बन्ध में बात है तो खाद नहीं मिल रहा है और सस्ती दुकानें नहीं खोली गई हैं कि जिससे हर व्यक्ति को खाद और दूसरी चीजें मिल सकें।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक यह मामला है कि भाव एक से किये जायं तो आज आप देखेंगे कि विजय-नगर में नरमा के भाव 150 और 270 के भाव गजसिंहपुर में हैं, 285 रुपये गंगानगर में। इसके अलावा आज मण्डियों की यह हालत हो गई है कि गंगानगर की मण्डी में आप कपास की फसल लेकर जायं तो 8-8 दिन तक तो बोली ही नहीं होती है और 8 दिन के बाद बोली होती है तो 8 दिन तक तुलाई नहीं होती है, और तुलाई के बाद एक-एक महीने तक उसको पैसा नहीं देते हैं और किसान अपनी जरूरत की चीजें खरीदने से वंचित रह जाता है।

तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह जो आखिरी बात कही गई है कि हम एक कमेटी का गठन करना चाहते हैं यह वह कमेटी नहीं है जो इसके द्वारा मांग की गई है। मैंने लिखकर जो दिया है कमेटी के संबंध में उसमें कुछ और वर्ड्स हैं, और जो आप फर्मा रहे हैं वह और वर्ड्स हैं। यह जो

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

मैंने आपको लिखा है उसको पढ़कर सुनाऊंगा। इसमें यह लिखा है कि "खाद और कृषि यंत्रों को बिक्री कर और दूसरे करों से मुक्त करें।" वह सिंचाई दरों और व्यापारिक वस्तुओं पर लागू करों के बारे में है। उसमें सिंचाई कर का नाम ही नहीं आया है। उसमें व्यापारिक चीजों पर जो कर लगाये हैं उनका नाम नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि बजट पर डिसकशन कर रहे हों। काल अटेन्शन पर जो बोलने का कायदा है उसके अनुसार बोलें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी मांग रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मांग रखने का वक्त भी होता है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : कमेटी बनाने की बात कहना चाहता हूं। अगर वह कमेटी नहीं है जो कि मैंने लिखकर दी तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो सरकार ने मेरे साथ फैसला किया था, लिखित रूप में किया था सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है।

जो पुलिस का दमन है और जो पुलिस लोगों पर मुकद्दमें बना रही है। आज लोगों को हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाई गई हैं। मेरे पास फोटोएस्टेट कापीज हैं जिसमें लिखा है कि इनको बेड़ियां पहनाई जायें और हथकड़ियां हरचरण सिंह को अजमेर जिले में 22 तारीख को पहनाई गई हैं। जो यहां पर बात कही गई है वह उसके संबंध में नहीं है। जो बात पहले की है उन वायदों को पूरा नहीं किया है। उन वायदों को पूरा करने की कोशिश हो। कमेटी जो आप बनाना चाहते हैं वह इन चार मामलों के अन्दर बनायेंगे तो मैं नाम दूंगा। आपने कल ही मुझे लिखा है। आप ने यह नहीं बताया कि मुझे नाम देने के लिए कब लिखा था "मैं आपको बराबर लिखता रहा हूं कि कमेटी शीघ्र बनाइये। आपने कहा कि नाम भेजिए। आपने कहा कि जो आदमी जेल में है, उनके नाम नहीं भेज सकते हैं। आपने कहा कि कमेटी बनायेंगे, बिद इन 7 डेज बनायेंगे। नाम दे दीजिये। आपको हमारी मांग पूरी करनी चाहिए। यही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : काल अटेंशन मोशन है।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, सन्धु साहब ने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है। उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। उनका जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है....

श्री अध्यक्ष : Please briefly.

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी जो मांगें हैं, वह सी. एम. साहब के सामने रख दी थीं। उन्होंने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से बातचीत करने के लिए कहा था। उसके बाद कुछ अड़चनें आने के कारण माननीय केदारनाथ जी को लेकर कुछ और बातें करनी थीं। हमने विश्वास किया था कि हमारी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तक उन बातों पर कोई अमल नहीं किया गया है। इस सेशन में

(श्री मोहरसिंह)

जो थोड़ी सी बातें यहां पर बताई गई हैं, उन पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने के लिए कहा गया था। आज राजस्थान के हर जिले में परेशानी है। खास तौर से जो खुश्क इलाके हैं, बरानी इलाके हैं, उन लोगों की हालत देख लीजिए। बिजली के लिए कहा जाता है, उन इलाकों में बिजली नहीं है, उसका इन्तजाम किया जाये। मैं अपने इलाके की बात कहता हूं। तो कहते हैं कि कैनाल की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पता लगा है कि कोई योजना नहीं है। पंचों की बात सिर माथे लेकिन परनाला वहीं रहेगा। बात वही की वही रहेगी। कल्टीवेटर्स की बात हो। किस प्रकार से ज्यादा चार्ज लगाया जा रहा है। कुवों पर तरह तरह की रोजाना कठिनाई पैदा की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तक ही सीमित रखें।

श्री मोहरसिंह : उसी तक सीमित रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो बिजली दी जा रही है, खेतों पर जो बिजली दी जा रही है, फसल के मौके पर, उनके कनेक्शन काट दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में किसानों को बहुत परेशानी होती है। इस प्रकार से तरह तरह की धांधली की जाती है। इस बारे में जब सिंचाई मन्त्री और बिजली मन्त्री को कहा तो मेरे को जवाब दिया कि अभी छोटे लोगों को बिजली दी जा रही है। गरीब लोगों को दे रहे हैं। हमने कहा श्रीमान् जी, गरीब आदमी हैं, उसके पास पैसा नहीं होगा। कहां से कुवां खुदवायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, क्या अजीब स्थिति है, आगे कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। इसी तरह से श्रीमान जी अलाटमेंट करवाये जा रहे हैं। जो बड़े बड़े आदमी हैं, वह अलाटमेंट करवा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष: यह आपका कॉल अटेन्शन मोशन है।

श्री मोहरसिंह : इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं साथ साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं, आपने घोषणा की है कि अनाज के भाव गिर रहे हैं। लेकिन उपभोक्ता की अन्य चीजों में कोई कटौती नहीं होती है। उनके भाव वैसे ही बढ़े चढ़े हुए हैं। बराबर यह कहा जाता है कि भावों में गिरावट आ रही है। लेकिन आप बाहर जाकर एक चाय का कप लेकर देखिये। आपको पता चल जायगा कि किस भाव में मिलता है। केवल अनाज के भावों में गिरावट आयी है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान कुछ बोलता नहीं है। इसलिए यह हो रहा है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, भावों को सन्तुलित कीजिये जिससे कि उससे ज्यादा भाव नहीं बढ़ें। कैपटेलिस्ट जिन चीजों का उत्पादन करते हैं, उनके बारे में तो आप सोचते हैं लेकिन अनाज के बारे में कुछ नहीं।

तीसरी हमारी मांग यह है, अध्यक्ष महोदय, आज किस प्रकार से पुलिस दमन हो रहा है। जबर्दस्ती पुलिस लोगों को दबा रही है। आज स्थिति दूसरी है आज पुलिस अफसरों के कारण कोई बोल नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपको कॉल अटेंशन मोशन तक सीमित रहना चाहिए।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट में खत्म करता हूं।

असेम्बली में हम बोलते हैं तो बोलने की इजाजत नहीं है। बाहर जाकर न कुछ बोल सकते हैं, न कुछ कह सकते हैं क्योंकि हम विरोधी हैं। गलत ढंग से 20 सूत्री कार्यक्रम इम्प्लीमेंटशन किया जा रहा है। कुछ सोच नहीं सकते। हां में हां मिलानी पड़ेगी। 20 सूत्री कार्यक्रम ठीक हो। 16 आना ठीक हो। अगर कुछ कहते हैं तो पकड़ लेते हैं। अगर कुछ नहीं कहते हैं तो कहेंगे कि वह दूसरों के चमचे हैं। अध्यक्ष महोदय; नीतियों की दुरस्ती होनी चाहिए जगह जगह जेलों के अन्दर आदमी बैठे हैं उनको परेशानी हो रही है ढ़ाई वर्ष हो गये हैं। एक जगह डाका पड़ा, 40-50 हजार का सामान उसका उठाकर ले गये है। आज तक उसका पता नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मेरे साथी ने मांग की है, 12 सूत्री प्राग्राम की मांग हमने रखी है इसके लिए 1 जनवरी से आंदोलन शुरु किया था। हमने माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ज्यादा से ज्यादा विश्वास किया था। अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह जानना चाहता हूं कि सही ढंग ने हमारी मांगों का जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, उस पर गौर किया जाय। हम हमेशा जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। गरीब और अवाम को आगे लाने के लिए तैयार रहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, हम जुल्म का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज भी तैयार हैं।

.... सरदार गुरदयालसिंह संधु का जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, किसानों की 14 सूत्री मांगों पर जो आश्वासन दिये गये थे उनको पूरा किया जाय, यही उम्मीद मैं सी. एम. साहब से करता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, किसानों की 14 सूत्री मांगों के बारे में मेन मुद्दा खाद और उसकी बिक्री के सम्बन्ध में एक समिति गठित किये जाने के सम्बन्ध में था जिसमें पांच सदस्य होने थे। श्री संधु का कहना है कि राज्य सरकार ने अभी तक वह कमेटी गठित नहीं की है। यह कमेटी राज्य सरकार द्वारा गठित कर ली गई है और मैं इसके टर्म्स आफ रेफरेन्स पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"1. To consider the desirability of abolishing sales tax and excise duties on fertilisers, agricultural implements, taking into account the financial position of the State Government and the Municipalities.

2. To examine the reasonableness of the irrigation rate and the rates of cess on commercial crops as in force from

Page No 59

[redacted]

(59)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

time to time after taking into aocount the working expenses of the irrigation projects including liability for payment of interest on the capital outlay and the increase in income caused by irrigation and other inputs financed by the State Government."

यह जो कमेटी बनाई गई है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में उन दोनों बातों का उल्लेख कर दिया गया है। इसलिए सरकार द्वारा जो आश्वासन दिया गया था उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि समिति गठित कर दी गई है और आदेश भी निकाल दिये गये हैं। उसमें सरकारी अधिकारियों के नाम भी तय कर दिए हैं और गैर सरकारी अधिकारियों के नाम जब संधु साहब बतला देंगे तब इसमें शामिल कर लिये जावेंगे। 14 सूत्री मांगों में यह आश्वासन भी दिया गया था कि कोटन कारपोरेशन से भी बातचीत की जायगी, काटन के उचित दामों पर बेचने की व्यवस्था की जायगी। इस सम्बन्ध में हमने चर्चा भी की है और सूचना मंगाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि खाद के बारे में और भावों के बारे में भी आश्वासन दिया गया था कि कम किये जाने चाहिए। इसका जहां तक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, फर्टिलाइजर्स की कीमत आल इन्डिया लेवल पर तय होती है और भारत सरकार की नीति के आधार पर ही इसकी बिक्री की जाती है। इसके अलावा उन मांगों में एक बात यह भी थी कि गंगानगर जिले में जितनी खाद उपलब्ध होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि वहां पर खाद बराबर सप्लाई की जा रही है और पिछले दो सालों में कोई कमी की सूचना नहीं आई है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं कीमत के बारे में.... ...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक कीमत का सवाल है मैंने निवेदन किया कि यह आल इण्डिया लेवल पर निश्चित की जाती है, इसको भारत सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर ही बेचना पड़ता है उसमें कोई भी कमी राजस्थान सरकार नहीं कर सकती है। इसके अलावा फसलों को जो बीमारियां लगती हैं उनके बारे में भी भारत सरकार को निवेदन किया जा चुका है। इस प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, 9 जुलाई, 1975 को सरकार द्वारा जो आश्वासन दिये गये थे उनकी पूर्ति कर दी गई है। केवल एक कमेटी और गठित करनी थी, मोतीलाल कमेटी की सिफारिशें जैसा कि मैंने निवेदन किया राज्य-सरकार ने उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उनके इम्प्लीमेन्टेशन में एरिया ट्रान्सफर करने की दिक्कत है उसके सम्बन्ध में भी कमेटी बना दी गई है और उस कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होते ही एक्शन लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन यह है कि फर्टिलाइजर की रेट जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि भारत सरकार तय करती है, मगर राजस्थान में अधिक है, इसके लिए.......

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक भावों का सवाल है गंगानगर के रेट से अधिक है तो हम इसकी जांच करवायेंगे।

अलवर के भूतपूर्व महाराजकुमार श्री प्रताप सिंह के आदमियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों को मारने की धमकी

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत अलवर के भूतपूर्व महाराज कुमार श्री प्रतापसिंह के आदेश पर उनके आदमियों द्वारा 5 जनवरी, 1976 को सरकारी अफसरों तथा कर्मचारियों को मारने की धमकी से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री रामानन्द अग्रवाल, मोहम्मद गफ्फार अली, रतीराम व योगेन्द्र झांझा द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बाबत अलवर के भूतपूर्व महाराज कुमार श्री प्रतापसिंह के आदेश पर उनके आदमियों द्वारा 5 जनवरी, 1976 को सरकारी अफसरों तथा कर्मचारियों को मारने की धमकी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है:—

दिनांक 31-12-75 को जिलाधीश, अलवर के फैसले के अनुसार राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एक्वीजीशन आफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट 1963 की धारा 1 (1) के अन्तर्गत श्री प्रतापसिंह अलवर पुत्र श्री तेजसिंह के विनय विलास की अतिरिक्त भूमि को अधिग्रहण किया जाकर तहसीलदार अलवर ने अपने कर्मचारियों को इसकी निगरानी व नियन्त्रण के लिए रखा।

दिनांक 5-1-76 को श्री छगनलाल जमादार तहसील अलवर को उक्त भूमि पर कुछ मवेशी चरते दिखाई दिये। श्री छगनलाल द्वारा इन मवेशियों के बारे में पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि यह मवेशी श्री प्रतापसिंह की है। इस पर तहसीलदार अलवर मय तहसील स्टाफ के उक्त भूमि पर पहुंचे तो भूतपूर्व महाराज कुमार श्री प्रतापसिंह के मवेशी चरते हुए मिले। गिरदावर व पटवारी ने श्री प्रतापसिंह के आदमियों से इन मवेशियों को बाहर निकालने के लिए कहा तो वे लोग नहीं माने। इसी भूमि के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए फाटक पर सरकारी ताला बन्द किया जा रहा था तो प्रहलादसिंह भूतपूर्व जागीरदार जावली मय 2-3 अन्य व्यक्तियों व एक फोटोग्राफर के आये और ताला बन्द करने से मना किया व कुछ एक फोटो भी खींचे गये। थोड़ी देर बाद श्री भागीरथसिंह, जो भूतपूर्व महाराज के नौकर है, एक अन्य व्यक्ति के साथ मोटर साईकिल पर आये और हथोड़ा मंगवाकर फाटक पर लगे ताले को तोड़ दिया और तहसील के स्टाफ को धमकी देकर फूल बाग की ओर चले गये।

इस पर तहसीलदार अलवर ने एक रिपोर्ट इस आशय की पुलिस थाना कोतवाली अलवर में पेश की और रिपोर्ट में यह भी अंकित किया कि हाथी, घोड़े, बघेरे व कुत्ते हुकूमत का मुकाबला करने को तैयार कर रखे हैं तथा महाराज कुमार के आदमी खून खराबी करने को उतारू हैं। तहसीलदार अलवर की उक्त रिपोर्ट पर मुकद्मा नं० 6 दिनांक 5-1-76 अन्तर्गत धारा 440, 447, 186, 120 बी. आई. पी. सी. कोतवाली अलवर कायम किया जाकर तफतीश शुरू की गई।

इस भूमि के अधिग्रहण के बाद श्री प्रहलादसिंह भू. पू. जागीरदार, जावली व अन्य लोग श्री प्रतापसिंह से मिले थे।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

इनकी गतिविधियों की बड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस अभियोग में मुख्य अभियुक्त श्री प्रह्लादसिंह भूतपूर्व जागीरदार जावली को दिनांक 11-1-76 को गिरफ्तार किया जाकर जुर्म काबिल जमानत होने के कारण जमानत पर पुलिस द्वारा छोड़ा गया है। इस अभियोग के अन्य अपराधी श्री उदयभान सिंह तथा श्री भागीरथ सिंह घटना के दिन से ही भूमिगत हो कर लापता हैं। पुलिस के फूल बाग पैलेस जाने से घबराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस तफतीश व तलाश के सिलसिले में पुलिस इस स्थान पर जाती रही है। इस अभियोग में अनुसंधान जारी है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही की जावेगी।

यह सही नहीं है कि अधिग्रहित विनय विलास का दक्षिण दरवाजा खुला पड़ा है और भूतपूर्व महाराज कुमार के आदमी इस पर कब्जा किये हुए हैं और मवेशी इस दरवाजे लाई जाती है। विनय विलास बाग की अधिग्रहित भूमि पूर्ण रूप से राज्य सरकार के कब्जे में होकर तहसील अलवर के कब्जे व नियंत्रण में है।

गंगा-निवास के पेड़ों का डाला काटने के सम्बन्ध में मुकदमा नं. 8 धारा 447/379 आई. पी. सी. थाना कोतवाली, अलवर में दिनांक 6-1-76 को दर्ज हुआ।

भूतपूर्व महाराज कुमार प्रतापसिंह ने संगमरमर की जालियां तुड़वाकर अपने यहां मंगाली थीं जिस पर उनके आदमियों के खिलाफ मुकदमा नं. 388 दिनांक 24-12-75 धारा 447/379 आई. पी. सी. के अन्तर्गत कोतवाली पुलिस अलवर में दर्ज हुआ था। उक्त मुकदमे में अन्तिम प्रतिवेदन एफ. आर. अदम सबूत दी जा चुकी है।

भूतपूर्व महाराज कुमार के आदमियों ने मर्दाना महल पर कब्जा करने की कोशिश करने की शिकायत पर इनके आदमियों के खिलाफ मुकदमा नं० 54 दिनांक 24-2-74 धारा 468 के अन्तर्गत पुलिस कोतवाली अलवर में मुकदमा दर्ज हुआ। उक्त मुकदमे में अन्तिम प्रतिवेदन एफ. आर. अदम सबूत दी जा चुकी है।

श्री प्रतापसिंह के आदमियों द्वारा मर्दाना महल पर अपना पुराना पंचरंगा झण्डा फहराने की घटना के सम्बन्ध में इनके आदमियों के विरुद्ध मुकदमा नं० 56 धारा 448 के अन्तर्गत पुलिस कोतवाली अलवर में दिनांक 15-2-74 को दर्ज हुआ था। उक्त मुकदमे में भी अन्तिम प्रतिवेदन एफ. आर. अदम सबूत दी जा चुकी है।

सर्वश्री फकीरचन्द रस्तोगी व कैलाश नारायण भार्गव वकील अलवर के साथ किसी प्रकार की वारदात करने की रिपोर्ट इन वकीलों द्वारा पुलिस को आज तक नहीं की गई है।

श्री प्रतापसिंह द्वारा मोतीडूंगरी व फूलबाग कोठी के बीच जमीन खसरा नं० 2863 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा में, जो कि रेकार्ड में गैर मुमकिन रोड मकबूजा पी० डब्ल्यू० डी० दर्ज पर मदाखिलत कर एक पक्की दीवार बना दी थी जिससे आम लोगों का आवागमन उधर से बन्द हो गया, दिनांक 1-4-70 की पटवारी की रिपोर्ट पर 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत तहसीलदार अलवर के द्वारा दिनांक 24-11-75 को श्री प्रतापसिंह को बेदखल करने के आदेश दिये

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

गये तथा बनाई हुई दीवार को वाहक सरकार जप्त करते हुए रुपये 1217-70 पैसे का जुर्माना भी लगाया गया। इस फैसले के विरुद्ध अपील जिलाधीश अलवर के यहां विचाराधीन चल रही है। इसके अतिरिक्त नगर विकास न्यास अलवर ने उक्त दीवार हटाने के लिये प्रस्ताव किया था जिस पर अमल करने से पूर्व ही सिविल कोर्ट से निषेध आज्ञा भूतपूर्व राजकुमार ने जारी करवा कर यू० आई० टी० को अग्रिम कार्यवाही दीवार को तोड़ने से रोक दिया।

शकुन ओदी जंगल इसी फैसले के अन्तर्गत जिलाधीश द्वारा अधिग्रहण किया गया है। शकुन ओदी जंगल की कोठी को तोड़-फोड़ कर उसके कीमती पत्थर बेच डालने व रिजर्व फारेस्ट की लाखों मन लकड़ी काटने के बारे में जानकारी नहीं है।

दिनांक 18, 19-10-75 को अलवर में फासिस्ट विरोधी जिला सम्मेलन हुआ जिसमें श्री प्रतापसिंह की असामाजिक व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में प्रस्ताव पारित होने का समाचार राजस्थान टाइम्स नामक लोकल दैनिक अखबार में दिनांक 22-10-75 को प्रकाशित हुआ था।

(12.44 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो मेरे ध्यानाकर्षण का उत्तर दिया है उसमें कई बातों का साफ तौर से जवाब दिया है। 5-1-76 को जो घटना विनय विलास बाग के कब्जे के सम्बन्ध में हुई, जो एफ. आई. आर. तहसीलदार, अलवर की तरफ से दर्ज कराई गई है, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो मवेशी चरती हैं वह महाराज कुमार प्रतापसिंह की हैं। इसमें यह भी कहा गया है, उन नौकरों ने यह कहा कि महाराज कुमार का हुकम है, हम इनको चराते है। यह भी कहा है कि यह जमीन का कब्जा हम नहीं होने देंगे और जो भी कोई कब्जा करेगा तो मारा मारा करेंगे। इस तरह की बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस एफ. आई. आर. को पढ़ कर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, "गिरदावर पटवारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने श्री प्रताप सिंहजी के नौकरों को मवेशियों को बाहर ले जाने को कहा तो बाहर ले जाने से इन्कार कर दिया और कहने लगे कि महाराज प्रतापसिंहजी का हुकम है कि सरकार वालों की कोई बात नहीं मानी जावेगी, इनके अपनी भूमि पर कब्जा नहीं करने देंगे चाहे सरकार से भी मुकाबला करना पड़े।" यह उनके मुलाजिम का कहना है, जो प्रतापसिंहजी ने उनसे कहा है। आगे यह कहते हैं, "इसी फाटक के पास अन्दर की ओर तीन हाथी व तीन घोड़े खड़े कर रखे थे, बाग को नुकसान को बचाने के लिए गिरदावर हल्का पटवारी हल्का द्वारा मवेशी रोकने के लिए यह फाटक बन्द किया जाकर ताला सरकारी लगाया जा रहा था तभी एक जीप नं० आर. जे. जेड. 990 में श्री प्रहलादसिंह भू. पू. जागीरदार जाबली तहसील लक्ष्मणगढ़, 2-3 बदमाश व्यक्ति व फोटोग्राफर को लेकर वहां पहुंचा और ताला लगाने से मना किया और कहाकि यह जमीन व दरवाजा भू०पू० राजकुमार प्रतापसिंहजी का है और यदि आप राज वालों ने इसमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किसी प्रकार दखलन्दाजी की तो बुरे परिणाम भुगतने होंगे इस पर भी ताला फाटक के गिरदावर व पटवारी द्वारा लगा दिया गया। इस पर भी उदयमानसिंह मैनेजर स्टेन्डर्ड फर्म ने दो आदिवासियों को हथोड़ा देकर भेजा और कहा कि ताला तोड़ दो और कोई तहसीलदार राज्य का आदमी आता है तो मारो। इस पर भागीरथसिंह ने हथोड़ा लेकर ताला तोड़ दिया, फाटक खोल दिया तथा तहसील स्टाफ को मारने की धमकी देते हुए फूल बाग को चले गये।

उपाध्यक्ष महोदय, जिलाधीश द्वारा 31-12-75 को फैसला हो गया, उस बाग पर सरकारी कब्जा हो गया, सरकारी निगरानी के लिए आदमी नियुक्त हो गये, उसके बावजूद महाराज कुमार अपने आदमियों को मवेशी लेकर भेजते हैं, यह कहते हुए, यह हुकम मत मानो, उसे तोड़ दो, उनका मुकाबला करो। इस तरह की बात कहते हैं सब। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन तहसीलदार ने एफ. आई. आर. के अन्दर महाराज कुमार का जो साफ तौर पर जिक्र किया है, तो महाराज कुमार को इसमें मुलजिम क्यों नहीं बनाया गया। महाराज कुमार को इन धाराओं के तहत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जिस प्रहलादसिंह को गिरफ्तार किया गया, वह प्रहलादसिंह का जुर्म नहीं था, वह महाराज कुमार के हुकम पर आये, उनकी जमीन कहकर उसको बचाने के नाम पर आये थे। तो महाराज कुमार को उल्टे इन्ट्रोगेट नहीं किया गया, उनसे जवाब तलब नहीं किया गया। मुख्य मुलजिम वह है, अवेटर नहीं है, इन धाराओं के तहत जुर्म के अन्दर मुजरिम है और इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आज तक तफतीश हो रही है, अनुसंधान हो रहा है, मैं समझता हूं, इनके तहत इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मैंने पहले की पांच छः घटनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें इन महाराज कुमार के हाथी, उनके घोड़े, पैदल हथियार बन्द लोग जाकर और महल का फाटक तोड़ कर, उस महल जिस पर सरकार का कब्जा है, कलेक्टर का दफ्तर है, जिला सत्र न्यायाधीश का दफ्तर है, इतवार का दिन था जब सब चौकीदार और पुलिस वाले खड़े होते हैं, ताला बन्द होता है, उसको तोड़ कर घुस गये जाली तोड़ लाये। उस केस को आपने एफ. आर. दर्ज करा दिया। मैं माननीय मन्त्री से कहूंगा, इस केस के बारे में महाराज साहब हाई कोर्ट में गये थे, यह प्रापर्टी मेरी है, हाई कोर्ट से फैसला हुआ। यह प्रोपर्टी इन्होंने लीज पर दी हुई है। राजस्थान सरकार के ऊपर किराये की डिग्री हुई है। किसी किरायेदार के मकान में जबरदस्ती मकान मालिक भी नहीं घुस सकता और टीनेन्सी राइट्स थे उसके खिलाफ 443 ताजीरात हिन्द लागू होता है। मैं निवेदन करूंगा, यह जब घटना हुई, महाराज कुमार के आदमियों ने की, महाराज कुमार के आदमियों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज हुआ। लेकिन महाराज कुमार के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। उसका नतीजा यह हुआ। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर प्रोटेक्शन है तो दुबारा फिर हिम्मत की। दुबारा उन्होंने उस महल पर कब्जा करने की कोशिश की और उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बात से वाकिफ हैं, तीन दिन तक उस महल का मुहासरा किया गया, हाथी, घोड़े, हथियार-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बन्द आदमी लेकर उनका मुकाबला किया गया और तीन दिन तक मुकाबला किया गया और उसके बाद वह पीछे हटा। मुकदमा दर्ज हुआ, उसके अन्दर भी महाराज कुमार का नाम नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, यह घटना सारी साबित नहीं हुई। इस तरीके से सारी कार्यवाही हुई उससे फिर उनको प्रोत्साहन मिला। तीसरी बात, फिर जाकर उन्होंने अपने पुराने राज्य का झण्डा मर्दाना महल पर जबर्दस्ती रात को लहरा दिया जिसको हटाने के लिए कांग्रेस और प्रजा मण्डल लड़ा और उस झण्डे को हटाया था। उन्होंने मुकाबला करके वापस उस झंडे को हटाया। आपने कहा कि यह रिलीजियस झण्डा मन्दिर पर लगाया था, यह गलत बयानी है। यह महाराजा का पुराना झण्डा था, जिसको हटाया गया है। इस तरह की घटनायें हुई हैं और फिर जंगलात पर जबर्दस्ती कब्जा, फिर डेयरी फार्म की जमीन ले रहे थे उसको नहीं लेने दिया। यहां से मुख्य सचिव के आदेश हुए कि उन्हें गिरफ्तार किया जाय तब वे माने।

यह 5 तारीख की घटना होने के बाद भी, यह मुकदमा दर्ज होने के बाद भी जब 15 तारीख को जिलाधीश अलवर ने वहां पर उस दरवाजे को बन्द करने के लिए दीवार बनानी चाही तो महाराजकुमार ने अपने हाथी, घोड़े, चीते उनके सामने लाकर खड़े किये। यह तो जिलाधीश के हौसले थे, दिलेरी थी कि बावजूद सब खतरे के वहां पर गए और जाकर उन्होंने दीवार दिलेरी के साथ बनवाई। लेकिन उसके बावजूद भी उस महाराजकुमार को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और इस तरह की हरकतें उनकी लगातार जारी है। उनकी दीवार जिसका आपने जिक्र किया, वह सरे आम को रोके हुए है, वह नहीं तुड़वाई गई। आपने कहा कि सिविल कोर्ट ने निषेध आज्ञा दे दी, लेकिन जिलाधीश ने स्टे आर्डर नहीं दिया है, सिविल कोर्ट का स्टे आर्डर नगर न्यास के खिलाफ है। तहसीलदार या नगर परिषद् के खिलाफ कोई स्टे आर्डर आज तक नहीं है तो फिर तहसीलदार अपने उस आर्डर को एग्जीक्यूट क्यों नहीं करता? सबको यह लगता है कि सरकार की इनके खिलाफ मुकदमा करने में दिलचस्पी नहीं, महाराजकुमार के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। इनके आदमियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं उसमें भी एफ. आई. आर. दायर हो जाती है एज कलेक्टर, रिपोर्ट दर्ज होती है एज तहसीलदार। यह कोई कम्युनिस्ट पार्टी की रिपोर्ट नहीं है बल्कि आपके सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जबर्दस्त डीमोरेलाइजेशन तमाम अधिकारियों में, पोलिटिकल पार्टीज में होता है कि एक आदमी इस तरह कानून की अवहेलना करते हुए लॉ एण्ड आर्डर हाथ में ले ले और सरकार नजर अन्दाज करती चली जाए, फिर तो 20 सूत्री कार्यक्रम वगैरह का लाभ होना मुश्किल है। दो हजार बीघा जमीन पर उनका नाजायज कब्जा है। यह प्रश्न काल में बताया गया कि उन्होंने इन्वेन्टरी में भी विवरण नहीं दिया। इस तरह का एटीट्यूड उनका रहा है। चारों तरफ दीवार है उसका कब्जा लेने में हाथी, घोड़े चीते आ जायं तो वहां के तहसील वालों की और अधिकारियों की हिम्मत है कि एक बीघा जमीन पर भी कब्जा करें।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को, मह लाड़लेपन का रुख

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो महाराजकुमार के प्रति है, इसको खतम करके इस केस में, जो 5 तारीख की घटना है, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जो एफ. आइ. आर. लगाई है उसका री-इन्वेस्टीगेट करना चाहिए और उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं, 15 तारीख की वह और कन्फर्म करती हैं कि इनके खिलाफ सख्त रुख लेकर इनको गिरफ्तार करें, उनकी दीवार को तुड़वायें और पुराने केसेज को रीइन्वेस्टीगेट करें और जमीन पर नाजायज कब्जे को ताकत से वापस लें।

श्री सम्पतराम (खैरयल) : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्यों ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। यह बहुत ऐतिहासिक घटना है और खासतौर से उस समय जब कि देश में इतने बड़े परिवर्तन समाजिक और आर्थिक स्तर पर हो रहे हैं। इस समय इस प्रकार के शक्तिशाली तत्व सामंतवाद का रूप लेकर एन्टीसोशल पार्ट प्ले करके, हमारे प्रशासन से सीधा टकरायें, जब कि जमीन के संबंध में जितनी भी कानून की फार्मेलटीज थीं, वे वहां के प्रशासन ने पूरी कर लीं। जमीन सरकार के अधिकार में थी तो हमारे मंत्री महोदय ने स्वयं उस रिपोर्ट को पढ़ा। उसको सुनने के बाद मैं समझता हूं कोई चीज बाकी नहीं बचती जिसमें सरकार स्वयं सक्षम न हो किसी एक्शन को लेने के लिए। आपने देखा कहीं लेवी का मामला आ गया, थोड़ा सा झगड़ा हो गया, मैंने देखा एक जगह पटवारी को धक्का दे दिया हरिजनों ने, तो उनको उठाकर हवालात में बन्द कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि आज के दिन जब सब नागरिक समान रूप से कानून की दृष्टि में बराबर है तो क्या वजह है कि इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्यों हम उनसे दबते हैं? कोई लॉ एण्ड आर्डर को डिस्टर्ब करता है, टेन्शन पैदा करता है और समाज विरोधी एक्टिविटीज चलाता है और राज्य सरकार बैठी बैठी देखती रहती है। मैं मानता हूं कि हमें निश्चिततौर से अपने अधिकारियों को पूर्ण रूप से सक्षम करना चाहिए कि जो केस दायर किया है उसके तहत सख्त एक्शन ले।

आज हम क्या मुंह लेकर कहेंगे कि यह रिपोर्ट किस ने दर्ज करवाई ? हमें अपने राज्य कर्मचारियों पर पूरा विश्वास है। 15 तारीख की घटना में हाथी, कुत्ते, शेर, घोड़े छोड़ देते हैं, लॉ आफ जंगल पैदा होता है। आपको चाहिए था कि मीसा में ऐसे आदमी को गिरफ्तार करते। किसानों पर गोली चला दी, हरिजनों को जेल में डाल दिया, कोई भी प्रशासन के मुकाबले में आता है तो उसको आप नहीं छोड़ते। कोई भी डेमोक्रेटिक सेट-अप इस तरह की तानाशाही से नहीं चल सकता। तो मैं मानता हूं कि आज के दिन इस प्रकार की शक्तियां उभर कर आई हैं, यह कोई नाटक नहीं है। कलेक्टरी के सामने बड़ी बिल्डिंग है, सरकार का कब्जा है, उसके सामान को तोड़ दिया जाता है, ऐसा मालूम होता है न सरकार है और न प्रशासन है। छोटे-मोटे आदमी होते हैं, उन पर, मजदूरों और किसानों पर गोलियां चल जाती हैं तो क्या वजह है, हम क्यों इनसे डरते हैं ? ऐसे तत्वों के खिलाफ मीसा में कार्यवाही करनी चाहिए। मेरे गांव में किन्हीं ने जमीन पर कब्जा कर लिया सरकार ने मीसा में कार्यवाही करके 4-5 आदमियों को गिरफ्तार किया। मैं धन्यवाद

(श्री सम्पतराम)

देता हूं कलेक्टर की इन्टेलीजेन्सी को और उसकी बहादुरी को कि उन्होंने एन्टर करके ऐक्शन लिया । उन्होंने कहा, हट जाओ नहीं तो गोली चलायेंगे । इतना होते हुए भी वह नहीं हटे । मेरा अनुरोध है कि अपने अधिकारियों को आप शक्ति दें, कानून आपके पास में है और आज के युग का तकाजा है कि ऐसी शक्तियों को लॉ एण्ड आर्डर को डिस्टर्ब न करने दें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो आज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसके संबंध में दो बात मैं भी निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आज अलवर के अन्दर अलवर के महाराज कुमार ने जनता के साथ ऐसी हरकत की है जो कि निहायत गैर कानूनी है । आज अलवर शहर में आम चर्चा यह है कि अलवर महाराज कुमार के लिये कानून कोई कानून ही नहीं है । वह जनता के साथ और राज्य सरकार के साथ खिलवाड़ कर रहा है लेकिन उसके खिलाफ में राज्य सरकार पता नहीं क्यों कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । हर आदमी यही कहता है कि महाराज कुमार जिस प्रकार की गैर कानूनी कार्यवाही कर रहा है उसके लिए क्या कोई पूछने वाला नहीं है ? हर आदमी जहां भी हम चले जाते हैं वहीं पर यही कहता कि क्या अब राज्य सरकार नाम की कोई वस्तु रही नहीं है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं वकीलों में बैठता हूं, खुद कानून जानता हूं और कानून जानने वाले जितने भी लोग हैं सभी अलवर महाराज कुमार की इस प्रकार की गैर कानूनी हरकतों से परेशान हैं। उसके हिसाब से सरकार नाम की कोई चीज है नहीं । उसके सामने ऐसा प्रतीत होता है, सरकार का कोई महत्व ही नहीं । राज्य सरकार जिस पुलिस विभाग से लॉ एण्ड आर्डर की कार्यवाही कराती है वह भी कुछ नहीं कर रही है । पहले जो पुलिस में उसके खिलाफ में कार्यवाही करने के लिये केस रजिस्टर कराया गया था । उसमें भी पुलिस ने एफ. आर. दे दी और उसके खिलाफ में कोई केस नहीं बनाया । मुझे आश्चर्य होता है कि जिस प्रकार बचकाना हरकतें, गैर कानूनी, यह राजकुमार कर रहा है उसके लिए तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अलवर में न तो कोई कानून है और न ही कोई सरकार ही रह गई है । आखिर यह क्या मामला है इसकी जांच तो होनी चाहिए । अलवर में जो सरकारी दफ्तर है जब से मैंने होश सम्भाला है वहां पर सरकारी कार्यालय ही था और वह मकान सरकार के पजेशन में पहले था और आज भी है फिर वह महाराज कुमार किस हैसियत से उस मकान के दरवाजे वगैरह निकाल कर ले गया उसने उस दफ्तर के ताले तोड़ कर वहां से दरवाजे और जालियां वगैरह ले गया ? यह सभी लोग जानते हैं पर आश्चर्य यह है कि कोई कार्यवाही उसके खिलाफ में नहीं करता । वैसे महाराजा ने स्टेटमेंट में कहा उसकी डिक्री भी हो गई थी, पर मकान जो सरकार के कब्जे में है, फिर कैसे तोड़ फोड़ कर, ताला तोड़ कर वह वहां से सामान गैर कानूनी ढंग से ले जा रहा है । इसके लिए कलेक्टर ने जो रिपोर्ट दी है । पर पता नहीं कैसे पुलिस अधिकारी ने उस केस में एफ. आर. दे दी । जबकि उसके खिलाफ में क्लीयर कट सबूत हैं, तो उस महाराजकुमार के खिलाफ कार्यवाही नहीं

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

होने का कारण क्या है ? इसके लिये अगर आप यह कहते हैं कि वह उसकी पर्सनल प्रोपर्टी में है और दावा करके डिक्री हुई पर मेरा यह निवेदन है कि जब वह कार्यालय के रूप में काम आ रहा है, जब वह सरकार के कब्जे में है तो वह कौन होता है जो वहां पर सरकारी कार्यालय के ताले तोड़कर, दरवाजे और दूसरा सामान वहां से ले जावे ? यह नाजायज हरकतें वह कैसे कर रहा है सरकारी ऑफिसेज में ? अगर इसमे कोई आपको दिक्कत आती हो तो आप इस केस को वापिस री ओपन कराइये और उसके बारे में लीगल ओपीनियन लीजिये और दूसरे बड़े कानूनी सलाहकार हैं उनसे इस बारे में मदद लेकर आप उसके खिलाफ में कानूनी कार्यवाही करके उसको सजा देने की व्यवस्था कराइये। जो मकान सरकार के कब्जे में है उस पर जाकर उसने कैसे जबरन कब्जा कर लिया ? उसके खिलाफ में ट्रेसपास का केस चलाईये। वैसे तो कोई बेचारा गरीब व्यक्ति कोई जमीन पर ट्रेसपास करता है तो आप उसको तीन महीने की सजा तक दे देते है तो इस महाराजकुमार की गुन्डा-गर्दी और गैर कानूनी हरकतों के लिये, सरकारी दफ्तरों में ट्रेसपास के लिये आप इसको जेल में क्यों नहीं रख रहे हैं ? आखिर कारण क्या है ? आज अलवर शहरकी जनता में भारी रोष है। एक प्रकार से सभी जगह अलवर में जनता आतंकित हो रही है। कभी चीते, शेर और हाथी और कुत्ते आदि छोड़ने की धमकी देता है। मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा और साथ में राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आखिर हम जनता को क्या जवाब दें ? मैं जहां कहीं भी जाता हूं इस महाराजकुमार के बारे में जवाब देता देता परेशान हो गया हूं। लोग पूछते हैं आखिर आप क्या कर रहे है? राज्य सरकार क्या कर रहा है ? आखिर कानून नाम की कोई चीज है या नहीं इस महाराजकुमार के लिये ? क्या कानून सिर्फ गरीब लोगों के खिलाफ में कार्यवाही करने के लिये ही है ? उसके लिये तो मैं समझता हूं कि कानून और सरकार नाम की वस्तु ही नहीं है। आज अलवर का महाराजा कुछ नहीं कहता और अलवर के महाराजा के भाई कुछ नहीं करते लेकिन यह क्या कि महाराजकुमार किसी की कुछ सुनता ही नहीं। आज राजा महाराजाओं के सभी अधिकार समाप्त हो गये हैं। राजा महाराजा उसको कहते हैं पर वह तो कुछ भी किसी की नहीं सुनता है। आज एमर्जेन्सी लगी हुई है लेकिन मैं समझता हूं पता नहीं क्या कहां गड़बड़ है वह किसी की नहीं सुनता है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर का महाराज कुमार सरकारी दफ्तरों में घुसकर तोड़ फोड़ करे और वहां से सामान लेजावे, दरवाजे ले जावे-आखिर यह क्या है ? क्या कानून नाम की कोई वस्तु ही नहीं है ? क्या इसके लिये आप उस महाराजकुमार के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्यवाही करने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें, यह मेरा निवेदन है ताकि जनता में जो आज असन्तोष है वह समाप्त हो जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य और सम्पतरामजी,

Page No 68

(68)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

तथा बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने अलवर महाराज कुमार के बारे में जो बात कही है वह काफी गम्भीर है। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी इस बारे में एक प्रश्नकाल के वक्त प्रश्न पूछा गया था उस वक्त भी काफी चर्चा हुई थी। यहां पर जो चर्चा हुई है उससे ऐसा पता पड़ रहा है कि अलवर में जो महाराजकुमार हरकतें कर रहा है वह काफी गैर कानूनी है, और उसके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण आज जनता में काफी राज्य सरकार की बदनामी हो रही है। जैसा कि यहां पर प्रश्न काल में मन्त्री महोदय ने कहा कि उस महाराज कुमार के खिलाफ में कोई चार्ज नहीं बनता था इसलिये पुलिस ने केस की एफ. आर. दे दी। लेकिन महाराजकुमार राज्य सरकार के दफतर में जाकर वहां से दरवाजे और जालियां वगैरहा तोड़कर ले जावे यह क्या मामला है समझ में नहीं आता। उपाध्यक्ष महोदय, सन 67-68 में भी इस महाराजकुमार के बारे में काफी चर्चा हुई थी यहां पर यह कहा गया कि उस महाराजकुमार के फेवर में डिक्री हो गयी- इसलिये यह एफ. आर. दी है ठीक ही होगा। पर हमें देखना होगा कि आखिर वह क्या फैसला हुआ था? आप उन कागजातों को सदन की मेज पर लाकर रखें ताकि पता पड़े कि पोजीशन क्या है। आज ठीक है जयपुर के महाराजा का यह विधान सभा भवन है इसका मतलब यह नहीं होता कि वह यहां से आकर कोई चीज उठाकर ले जावें। इस हाउस के झाड़ लगे हुए हैं उन्हें ले जाकर वेच दें क्योंकि आज यह विधान सभा भवन राज्य सरकार के पजेशन में है इसलिए वह यहां पर आकर किसी प्रकार की कोई चीज बिना पूछताछ और पर्मीशन के उठाकर नहीं ले जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसा कि माननीय बद्रीप्रसाद जी ने कहा और हमारे विरोधी पक्ष के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने कहा और और सम्पतरामजी ने कहा कि वह गैर कानूनी हरकतें करता है हाथी, चीते, और कुत्ते का डर दिखा रहा है, वहां पर जनता को डराता है और उसके साथ साथ में उसके नौकर वगैरह भी कोई सरकार से चीजें ट्रेसपासर की तरह उठाकर ले जाते हैं और अगर उसके लिये कोई पुलिस में केस रजिस्टर करावे तो पुलिस उसकी एफ. आर. दे दे, यह कहां तक उचित है? आज के जमाने में जबकि राज्य सरकार ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के खिलाफ में एक्शन लिये हैं, कइयों को अन्दर रख दिया है तो क्या इस महाराजकुमार की आप इस तरह की गलत और गैरकानूनी और बचकाना हरकत करने के लिये उसके खिलाफ में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते? यह क्या पागलपन की हरकतें हैं कि कुत्तों को लेकर, हाथी और चीतों से लोगों को डराना चाहता है? क्या वास्तव में पागल हो गया है? क्यों नहीं आप उसको पागलखाने में बन्द कर देते हैं? यह क्या हरकत है। उसके केस को री-ओपन करके देखिये। कोई कानूनी अड़चन आती है तो आप उसके लिये कानूनी मदद लीजिये। क्योंकि जिस प्रकार की आपने जांच की है उससे अलवर की जनता को कोई सन्तोष नहीं और हमें उससे कोई सन्तोष नहीं हुआ है। इसके लिये मैं राज्य सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि आप इसकी पुन: जांच करके उसको सजा दिलावें। इसके अलावा मैं यह भी राज्य

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि आप यहां के पांच सदस्यों को एक कमेटी बनावें। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, और बद्रीप्रसादजी व श्री सम्पतरामजी तथा दो सदस्य और लेकर उसकी कमेटी बनावें जो इस सारे केस की जांच करे, फेक्ट्स को देखें, आखिर यह माजरा क्या है। यह ठीक है कि हम कोई कानूनी केस बनाने की ताकत नहीं रखते हैं पर हम राज्य सरकार के सामने तथ्य तो उसके खिलाफ में पेश कर सकते हैं। जिससे कि उसके खिलाफ में कोई कानूनी कार्यवाही तो हो सके। यह ठीक है कि मुख्य मन्त्रीजी ने एक ईमानदार पुलिस अधिकारी श्री श्री काशीप्रसाद जी का नाम लिया जिन्होंने इन्क्वायरी की थी। इसमें कोई शक नहीं कि श्री काशीप्रसादजी ईमानदार है और उन्होंने निष्पक्ष जांच की होगी। लेकिन बात यह है कि सरकारी आफिस में आकर उसने ट्रेसपास किया है। एक गरीब आदमी सरकारी जमीन पर ट्रेसपास करता है तो उसके लिये आप उस आदमी को 91 के तहत तीन माह की सजा दे देते हैं तो फिर आप इस महाराज कुमार को कानूनी सजा क्यों नहीं दे देते हैं? उसने लाखों रुपये की जमीन आज अलवर में दबा रखी है। गैरकानूनी ढंग से वह ट्रेसपास कर रहा है। आखिर क्या कोई कानून ही नहीं रहा या सरकार नाम की कोई वस्तु उस महाराजकुमार के लिये रही ही नहीं यह एक गम्भीर समस्या आज हमारे सामने खड़ी हो गई है। सरकार की इस मामले में बड़ी बदनामी हो रही है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि राज्य सरकार इस मामले को गम्भीरता से लेकर उस महाराजकुमार के खिलाफ में कानूनी कार्यवाही करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया है उसके बारे में दो शब्द मैं निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में अलवर महाराजकुमार के बारे में प्रश्न भी आया। राज्य सरकार ने जो जवाब सदन में दिया उससे सदन के माननीय सदस्य कनविन्स नहीं हुए और ऐसा पता लगता है कि सरकार के समक्ष जो फैक्ट्स रखे गये हैं वह ऐसे हैं कि जिससे उस महाराजकुमार के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं हो सकता जबकि उसने सरकारी आफिसेज में ट्रेसपास किया है तथा गवर्नमेन्ट की जमीन पर, जो कि लाखों रुपये की है, कब्जा कर रखा है। जो तहवालदार कि एज लेण्ड होल्डर है, फिर भी सरकारी कार्यालय में ट्रेसपास करके लोगों को साथ लेकर ट्रेसपास करके वहां पर दरवाजे आदि लेगया और वहां पर उसने तोड़फोड़ कर दी। जो गरीब लोग थे, अजमेरी गेट से उनको उठा दिया। सरकार जब चाहती है तो सख्ती से एक्शन ले सकती है तो यहां पर क्यों नहीं लेते हैं? दो तरह की बात होती है, उपाध्यक्ष महोदय सबसे बड़ी बात एक यह है कि जो गरीब होता है उसके मामले में सरकार का कानून सख्ती से इम्पलीमेंट किया जाता है और जो सक्षम होते है, पैसे वाले होते है, साधन सम्पन्न होते है उनके सामने सरकार के कानून ढीले होते हैं। मैं मानता हूं नाजायज

(श्री पी०के० चौधरी)

कब्जा किया है तो हटाते क्यों नहीं है? सबको समान रखें। तहसीलदार एज ए लैन्ड होल्डर कलेक्टर के पास दरखवास्त देता है और उसमें कुछ नहीं होता तो न जनता को विश्वास होता है, न हमको विश्वास होता है। एनक्रोचमेंट पर आपने लाल कोठी में बुल डोजर फिरवा दिये कौनसा आदमी आपके पास दरखवास्त देने गया था। कानून में किसी के साथ रियायत नहीं होती है।

अब पांच साल से तहसीलदार एज ए लैन्ड होल्डर है और उसका फैसला पांच साल बाद आता है तो उसका कोई एम्पेक्ट नहीं होता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि कम से कम जो एक्जेम्पलरी केसेज है उन पर मीसा का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं एमर्जेन्सी में सख्त एक्शन लेते हैं। हो सकता है कोई सांठ गांठ हो। जैसा सम्पतरामजी ने बताया, सरकार सब तरह से सक्षम है लेकिन जो पावरफुल हैं या तो सरकार ने उसे प्रोटेक्शन दे रखा है या सरकार मे उनकी पहुंच है तब ही कोई आदमी ऐसा कर सकता है। नहीं तो पूर्व हट, आपका हाथ नहीं है तो। जैसा हमको ट्रीट करते है, जैसा कामन मेन को ट्रीट करते है वैसा ही उसे ट्रीट करेंगे तो हम मानेंगे, नहीं तो जनता का विश्वास कैसे जमेगा?

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्र नाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पांच तारीख को इस सदन का सत्र प्रारम्भ हुआ और पांच तारीख को अलवर महाराजकुमार के विरुद्ध एक तहसीलदार ने अलवर के थाने में एक रिपोर्ट दर्ज की जिसमें यह है कि लैन्ड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजिशन आफ लैन्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट, 1963 के तहत महाराजा अलवर की जो धरती ले ली गई थी उस पर कब्जा लेने के लिये तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर और अन्य रेवेन्यू के अधिकारी गये थे तो इस कब्जे को रोकने के लिये वहां के महाराजकुमार अपने बघेरे, हाऊन्ड्स-शिकारी कुत्तों को अपने साथ लेकर आ गये और वे इस हद तक बढ़ गये कि जब दरवाजे बन्द किये गये तो उनके ताले तोड़ दिये। माननीय सदस्यों ने सदन में जो सूचना दी है इसे सुन कर मुझे आश्चर्य होता है। दफा 447, 186, 440 और 120 (बी) के तहत ऑफेन्स दर्ज हुआ है, 120 (बी) कागनीजेबल है और नान बेलेबल है और इस सदन में उन्होंने सूचना दी है कि तीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और दो अन्डर ग्राउन्ड हैं और जो अन्डर ग्राउन्ड हैं उन व्यक्तियों की भी थाने में जमानत ले ली। इससे ज्यादा लज्जास्पद बात और क्या हो सकती है? इसलिये कि वे महाराजा अलवर के आदमी थे, उनकी जमानत ले ली, लेकिन अगर गरीब आदमी, अगर गरीब काश्तकार एक किलो भी लेवी नहीं देता है तो उसे जेल के सींखचों में बन्द कर दिया जाता है और उनको सजाएं होती हैं। महाराजकुमार का नाम रिपोर्ट में दर्ज है लेकिन न महाराजकुमार अरेस्ट हों, न उसका कोई आदमी अरेस्ट हों, और जो केवल एक आदमी अरेस्ट हो उसको भी रिलीज कर दिया जाय जबकि 120 (बी) का ऑफेन्स मौजूद है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी अर्ज यह है कि इस प्रजातन्त्र में सामन्ती अवशेषों को समाप्त करना है और

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

आज आम आदमी में विश्वास पैदा करना है। आज हरिजनों के एनक्रोचमेंट है या हरिजनों को किसी टेक्निकलिटी की वजह से जमीन पर कब्जा हासिल नहीं हो रहा है तो उस पर तीन गुणा लगान और 500 रु. सजा है और इधर बाकायदा मोती डूंगरी और फूल बाग के बीच की जमीन अक्वायर की गई, उस पर महाराजकुमार हावी हो जाते हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है इससे ज्यादा लज्जास्पद बात और क्या हो सकती है, उपाध्यक्ष महोदय। महाराजकुमार अपने लाव लस्कर ले कर आते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। उनकी प्रापर्टी के बारे में यह साबित हो चुका है कि हाई कोर्ट से आदेश प्राप्त किये गये लेकिन उसकी जालियां तोड़ दी गईं। खुद कलेक्टर ने एफ० आई० आर० दर्ज की, काशीप्रसाद जी राजस्थान के ही नहीं हिन्दुस्तान के ईमानदार व्यक्ति हों लेकिन अगर गरीब के हृदय में विश्वास पैदा करना है, जनतन्त्र को मजबूत बनाना है तो यह कहां तक उचित है कि इतनी बड़ी घटना हो जाय, कलेक्टोरेट पर कब्जा हो जाय और यह सरकार कुछ नहीं करे। कल यहां तक भी हो सकता है कि विधान सभा पर कब्जा हो जाय, क्योंकि यह भी महाराजा की बिल्डिंग है—महाराजा भवानी सिंह अपने लाव लस्कर लेकर आ जायं और विधानसभा में घुस जायें और उपाध्यक्ष महोदय, यहां के सारे सिस्टम को अस्त-व्यस्त कर दें, क्योंकि उनके पास शक्ति है और फिर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है तो इससे ज्यादा लज्जास्पद बात और क्या हो सकती है? कलेक्टोरेट के ऑफिस में घुस कर उसके ताले तोड़ दें, उस पर कब्जा करलें और सरकार निष्क्रिय रहे इससे ज्यादा लज्जास्पद बात क्या हो सकती है? उपाध्यक्ष महोदय, कोई अधिकारी एफ. आई. आर. लिखने से मना करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कदम उठाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जगह जगह एनक्रोचमेंट्स हटाये हैं जोधपुर में एनक्रोचमेंट्स हटाये, जयपुर में एनक्रोचमेंट्स हटाये और आदर्शनगर में आपने बुलडोजर फिरवा दिये, अमृतपुरी के रहने वालों को कोई आल्टरनेटिव साइट नहीं दी और वे बेचारे ठण्ड की रातों में सिसकते रहे। गंगानगर में मास्टर प्लान की योजना के नाम में दुकानें तोड़ी गईं, मकान तोड़ दिये गये और कई गरीब लोगों ने खुद ने एनक्रोचमेंट हटा दिये, लेकिन यह महाराजकुमार अलवर मोती डूंगरी और फूलबाग के बीच जो मुख्य मार्ग था, उस पर एक दीवार बना कर रोके हुये हैं। अलवर के गरीब लोगों को हटा दिया जाय, उनके मकानों को तोड़ दिया जाय, उनकी झोंपड़ियों को तोड़ दिया जाय और वह लोहे की दीवार आज भी उस मेन मार्ग पर खड़ी है, यह लज्जास्पद बात नहीं तो और क्या है?

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अगर आपको 20 सूत्री कार्यक्रम सफलता से चलाना है और गरीब वर्ग में विश्वास पैदा करना है तो यह कदम उठाना होगा और जो लिबर्टी महाराजकुमार अलवर को दे रखी है उसकी इम्पेक्ट दूसरे महाराजाओं पर हो रहा है। महाराजा करनीसिंह के फार्म को आपने आज तक लिया नहीं और वहां पर 100 आदमी बैठे हुए हैं, आपको

Page No 72

(72)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

एस० डी० एम० गया और लैंड अक्वायर करके उनको हटा दिया। जो सन् 28 से बैठे हुए हैं उनको तो, उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम जमीन दी जाय लेकिन उनको जमीन नहीं दी जा रही है और उस स्थान से हटाया जा रहा है और जो जमीन आपके पास सीलिंग में आई है एक–दो बीघा उसमें उनको धकेल देना चाहते हैं····

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

और इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आज करनसिंह महाराजा है उन्होंने धमकी दी है··

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

(व्यवधान)

आपने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को और हमको जान से मार डालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खैर, हमने तो अपना जीवन गरीबों को दे रखा है और हम राजा-महाराजाओं से मरने वाले भी नहीं हैं लेकिन····

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह की कोई डिबेट नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन आपको मजबूती से कदम उठाना पड़ेगा।

श्री रतीराम यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करते हुए दो चार बातें निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री महाराज कुमार प्रतापसिंह के बारे में पिछले बजट सत्र में एक स्थगन प्रस्ताव रखा था कैलाश भार्गव एडवोकेट के मामले को लेकर कि किस तरह से उनके साथ एक कोठी का सौदा महाराजकुमार ने किया था। उस सौदे से मुकर जाने के बाद उनको धोखे से बुलाकर शिकारी कुत्ते और अपने तलवारधारी आदमियों के बीच बैठाकर डरा कर उस रसीद के ऊपर दस्तखत करा लिए गए कि मैंने जो दिया था वह वापिस ले लिया है एडवान्स के तौर पर जो उस सौदे के एवज में दिये। इस प्रकार से यह हरकतें महाराजकुमार की हैं। केवल इतना ही नहीं उन्होंने महलों में से जालियां निकाली हैं या नाजायज कब्जे कर लिये हैं सरकारी जमीनों के ऊपर या और इसी तरह की हरकतें उन्होंने की हैं।

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि यह अलवर का राज परिवार प्रारम्भ से ही राष्ट्रविरोधी हरकतें करता रहा है और यह गांधी मर्डर केस में भी शामिल था। यहीं से वह पिस्टल गयी थी जिससे गांधीजी का मर्डर किया गया था। फिर क्या कारण है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? आपने अभी कानून बनाये हैं। आपने दूसरे राजा महाराजाओं की भी जमीनें ली हैं लेकिन कहीं भी ऐसी मिसाल सामने नहीं आई है कि किसी राजा या महाराजा या जागीरदार ने राजसत्ता को चेलेन्ज किया हो या उसको मानने से इन्कार किया हो। लेकिन यह महाराजकुमार और इस राज परिवार की जरासी स्टेट है लेकिन इसकी इतनी हिम्मत बढ़

(श्री रतीराम यादव)

रही है कि यह राजसत्ता को मानने से इंकार करता है । उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले की जनता के अन्दर केवल चर्चा ही नहीं है इस बात की कि इस महाराज कुमार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता लेकिन मैं कहता हूं कि उनमें तीव्र असंतोष है, माननीय उपाध्यक्ष जी, अलवर की जनता ने दिल खोलकर बीस सूत्री कार्यक्रम का लागू करने में सारे जिलों के मुकाबले में पहलकदमी की है वह एक मिसाल कायम की है इन भूमि सुधारों को लेकर। अलवर जिले के अन्दर जरासा महाराज कुमार इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को नहीं माने, भारत सरकार को नहीं माने और आप इस तरह से कान के अन्दर रूई डालकर बैठे रहें और आप एक्शन नहीं लें तो अलवर की जनता में इसका री-एक्शन भी होगा, मैं स्पष्टरूप से आपसे निवेदन करना चाहता हूं अलवर की जनता अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करेगी और उसको मजबूर होकर दूसरे कदम भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी फासिस्ट विरोधी सम्मेलन के समय अलवर जिले के अन्दर कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे प्रगतिशील लोगों ने एक स्वर

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

से मुख्य मन्त्री जी की प्रजेन्स के अन्दर यह रिज्योल्यूशन पास किया था कि इस महाराजकुमार को फौरी तौर से मीसा में गिरफ्तार किया जाये लेकिन मुझे अफसोस है यह कहते हुए कि आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए मैं जोर देकर निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कि महाराज कुमार को मीसा के अन्दर तुरन्त गिरफ्तार किया जाये और सारे मामले की इन्क्वायरी की जाये और जो भी लोग इससे सम्बन्धित हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना चाहेंगे ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : दो शब्द मैं भी कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : फिर बोलिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना जिस तरह से रखी गई है और अलवर जिले के माननीय सदस्यों ने मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली उनको मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि समय बहुत कीमती है। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सक्षम होने का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि अधिकारी भी सक्षम हैं और राज्य सरकार भी सक्षम है। अब इस सिलसिले में कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है इससे मुझे यह शंका होती है कि राज्य सरकार के दिल में अभी भी, आज तक उनके प्रति साफ्ट कार्नर है और वह यह समझती है कि यह रूलर्स रहे हैं। अब कुत्ते छोड़ें, शेर छोड़ें तो इनको आजादी होनी चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि यह जो एप्रोच है और यह जो राज्य सरकार का दृष्टिकोण है यह प्रशंसनीय नहीं है। हमने देखा केन्द्र की सरकार ने कई रूलर्स को जेलों में डाला यहां की महारानी, ग्वालियर की रानी और देवास के राजा भी जेल में पड़े हुए हैं और न जाने कितने राजा महाराजा सेन्टर की जेल में पड़े हैं। केन्द्र की हकूमत के आदर्श

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

से पड़े हैं और फिर कोई वजह समझ में नहीं आती कि यहां की सरकार उनके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाना चाहती है।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि वहां के कलेक्टर की ईमानदारी और हिम्मत सराहनीय है, जिसने राज्य सरकार की खामोशी के बावजूद कदम उठाया और मुस्तलिफ रिपोर्ट पेश की लेकिन हमारे अधिकारियों ने, मैं समझता हूं, राज्य सरकार का कयानात की वजह से उनके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। तो मैं इस चीज की भर्त्सना करता हूं। मैं समझता हूं कि कोई भी राज्य सरकार इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई रूलर या कोई महाराजकुमार इस तरह से जनता को आतंकित करे, गवर्नमेंट को चैलेन्ज करे और गवर्नमेंट की प्रापर्टी से जालियां तोड़ और हमारी पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन यह कहे कि कोई जुर्म नहीं बनता—क्या यही तरीका है इन्साफ करने का? क्या आपका यह कहना सही है कि हमारे लिए तो कानून बराबर है? अभी आपने कहा कि कोई भी कानून की गिरफ्त में आयेगा तो हम उसके खिलाफ जरूर कदम उठायेंगे। अभी माननीय मंत्रीजी ने घोषणा की है उस घोषणा के सन्दर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो डिप्टी लीडर ऑफ दी हाउस श्री परसराम जी मदेरणा हैं वह यह फरमायेंगे कि उनका क्या सोचना है? क्या अमीरों के लिए और गरीबों के लिए अलग अलग कानून हैं? महाराजकुमार और किसानों के लिए कानून अलग अलग हैं? मैं समझता हूं कि अलवर की जनता के दिमाग पर साइकोलोजिकल असर हो रहा है वह यह है आज यह ऐसा बहादुर आदमी है, जो कि राज्य सरकार को चुनौती दे रहा है। वह न पुलिस की मानता है, न कलेक्टर की और न इनकी हिम्मत है कि उसके खिलाफ कदम उठा सकें। तो आपका कलेक्टर जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट का सक्षम अधिकारी है वह किस मुंह से जनता के सामने आयेगा और कहेगा? यह कलेक्टर की तोहीन नहीं है, यह राज्य सरकार के मिनिस्टरों की तोहीन है जो यहां बैठे हुए हैं और कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

और इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसे छोटे और बड़ों में अन्तर है और कानून की निगाह में बराबर नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप जब दूसरे रूलर्स के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं तो राज्य सरकार इस तरह की बुजदिली का सबूत क्यों देना चाहती है? उनके खिलाफ एक्शन लिया जाये और छोटी मोटी कार्यवाही सेक्शन 323 की या ट्रेसपास की नहीं करें बल्कि आप मीसा के अन्दर कदम उठा सकते हैं। इससे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट डिस्टर्ब होती है जनता में आतंक पैदा करने की बिना पर-उसके हिसाब से आपको कदम उठाना चाहिए और महाराजकुमार को गिरफ्तार करके फौरन जेल में डाल देना चाहिए।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : मैं सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बिल्कुल नहीं। माननीय मंत्री जी।

श्री दीपंकर : क्या एक प्रश्न भी नहीं कर सकता ?

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा करिये ।

श्री दीपंकर : क्या कलेक्टर महोदय ने अलवर महाराजकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया ? और क्या मंत्री महोदय के ध्यान में है कि अलवर महाराजकुमार जयपुर आये और आपके मंत्रालय के उच्च अधिकारियों से मंत्रणा बड़े बड़े होटलों में हुई और उसके बाद ही यह हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस एफ. आई. आर. का जिक्र किया और जो उल्लेख बताया है वह सही है । मैंने अपने स्टेटमेंट में इस बात को स्वीकार किया है कि इस प्रकार की एफ. आई. आर. तहसीलदार द्वारा पुलिस कोतवाली पर दर्ज कराई गई थी, इसको मैंने कभी इन्कार नहीं किया है । जैसा कि मैंने बताया था कि 5-1-76 को दफा 440, 447 186 और 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मौके पर जो इस घटना से सम्बन्धित व्यक्ति थे मैंने नाम भी बताए थे, मिस्टर प्रहलादसिंह जो जावली के जागीरदार हैं वे मौके पर थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जुर्म तामील जमानती होने की वजह से उनकी जमानत लेकर उनको जमानत पर छोड़ दिया गया । इस घटना से सम्बन्धित दो व्यक्ति और भी हैं, एक उदयभान सिंह और भागीरथ सिंह, वे उस घटना के बाद से फरार हैं और जिनकी तलाश जारी हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही पेंडिंग है और अनुसंधान जारी है और ज्योंही पता लगेगा, पता लगाने की कोशिश जारी है, पता लगते ही उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जावेगी ।....

श्री रामानन्द अग्रवाल : महाराज कुमार को इससे सम्बन्धित नहीं मानते हैं क्या इस घटना की बुनियाद पर ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो घटना हुई और घटना-स्थल पर जो लोग थे, जबरदस्ती जिन्होंने की, अनुसंधान के दौरान यह जानकारी प्राप्त की जा रही है कि जो कुछ भी उन्होंने एक्शन किया वे उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं या महाराजकुमार का कितना हाथ है, हमने अनुसंधान समाप्त नहीं कर दिया है या महाराजकुमार को निर्दोष साबित नहीं कर रहे हैं और अभी अनुसंधान जारी है । जैसा सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, इस मुकदमे में हमने 120 (बी) का भी प्रयोग किया है । 440, 447, 186 के बाद 120 (बी) का मतलब माननीय सदस्य स्वयं अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिमिनल कोंसिप्रेसी इसमें है या नहीं । जब तक यह अनुसंधान के जरिये हम साबित नहीं कर लें किसी केलकुलेशन पर नहीं पहुंच सकते । किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कि इससे सम्बन्धित नहीं है, या बेगुनाह है या छुटकारा दे रहे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप भी कह रहे हैं कि यह उदयभानसिंह और भागीरथ सिंह यह सारे फरार है और उन्होंने ये मवेशी महाराजकुमार के कहने पर जबर-दस्ती घुसाये तो आप क्या किसी तरह से इस बात का खुद अन्दाजा नहीं लगा सकते

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं कि यह सारे महाराज कुमार के भेजे हुए थे ? सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अगर सरकार का उनको बचाने का इरादा होता या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का उनको बचाने का इरादा होता तो 120)बी, क्यों लगाते ?··

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जो. एफ. आई. आर ·

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 120-बी लगाने से ही माननीय सदस्य को संतोष होना चाहिए था कि गवर्नमेंट का इंटेंशन या डिस्ट्रिक्ट लेवल आफिसर का इंटेंशन क्लियर है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह तो कानून का इंटेंशन है····

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कानून का इंटेंशन नहीं है । इसमें रिपोर्ट के अन्दर वकूवा हुआ और उस रिपोर्ट के आधार पर जो केस बनाया जा सकता है उसके आधार पर 120-बी इन्क्लूड किया गया, इसलिए यह कहना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल आफिसर का या राज्य सरकार का इंटेंशन बचाने का है या उनको बचाना चाहते हैं यह बिल्कुल ही निराधार है । इसमें कोई तथ्य नहीं मानता । अनुसंधान से जो भी तथ्य सामने आयेंगे उसके आधार पर चाहे महाराज कुमार हों या महाराज कुमार से भी बड़ा कोई आदमी हो, जो भी तथ्य सामने आयेंगे राज्य सरकार उनके आधार पर कार्यवाही करने में चुप बैठने वाली नहीं है ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पुलिस तफतीश जब करे ···

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप सुनने की कोशिश कर लें । जब आप बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं कहा । अगर आप मुझे सुनने की कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा । आप सुन लीजिए और उसके बाद भी यदि संतोष नहीं हो तो प्रश्न पूछ लीजिए ।

जैसा कि मैंने कहा कि राज्य सरकार का या डिस्ट्रिक्ट लेवल आफिसर्स में से किसी व्यक्ति का उनको बचाने का कोई इरादा नहीं है और इसी वजह से केस तैयार किया गया है । दो मुलजिमान, जिनके नाम भागीरथसिंह और उदयभानसिंह हैं, भाग गए हैं, हम उनकी तलाश कर रहे हैं । अनुसंधान जारी है और अनुसंधान जारी होने के दौरान जो भी गवाह पेश होंगे उनके बयान लेने के बाद में जिस किसी के खिलाफ केस साबित होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । ···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उनकी प्रोपर्टी कुर्क क्यों नहीं की जबकि वे एब्सकोंडिंग हैं । 5-1-76 का यह वाकया है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं निवेदन कर दूं कि 5-1-76 का यह वाक़या है और जिन जिन स्थानों पर उनके होने की सम्भावना हो सकती है वहां पर तलाश जारी है, उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन अभी वह नहीं मिल रहे हैं । जब हमारे प्रयास असफल हो जायेंगे और एब्सकोंडिंग की स्थिति पैदा हुई तो प्रोपर्टी जब्त करने में भी राज्य सरकार या डिस्ट्रीक्ट लेवल आफिसर हिचकिचायेंगे नहीं ।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

अभी दस दिन ही हुए हैं वाकये को हुए और हम कार्यवाही कर रहे हैं।

जहां तक दूसरे फोरेस्ट की जमीन और दीवार के मामले, में और वकील साहब के पत्र का जिक्र किया गया था, मैंने कहा कि हमारे यहां पुलिस के अन्दर इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है, न तो वकील साहब ने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है जिसकी वजह से महाराज कुमार को बुलाकर पूछा जा सके ऐसा कुछ नहीं है कि महाराज कुमार ने बुलाकर कहा और कुत्ते और तलवारधारियों के बीच बैठाकर डराया जिसकी वजह से कोई चीज लिख दी, इस तरह का प्रयत्न किसी वकील साहब की तरफ से आज तक नहीं किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा है उसको ही एक सूचना मानकर इन्क्वायरी की जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी एग्रीव्ड हो वही सूचना दे। क्या यह सही है कि मैंने चिट्ठी लिखी है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य ने जैसा अभी कहा कि उन्होंने मुख्य मंत्री को इस घटना की सूचना दी है, यह मुझे पता नहीं है, मेरी निजी जानकारी में नहीं है। उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जायगी और जो भी वैधानिक और कानूनी कार्यवाही की जा सकती है वह की जाएगी। जहां तक शकुनओदी जंगल का सवाल है, मैंने उसके उत्तर में स्पष्ट कहा है कि शकुनओदी जंगल के बारे में किसी प्रकार की घटना की, प्रोपर्टी को बुर्द-बुर्द कर दिया है या पत्थर तोड़ दिए हैं, इस प्रकार की कार्यवाही की सूचना हमें अभी तक नहीं मिली है इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। जहां तक उस दीवार को महाराज कुमार ने बना ली और रास्ता आम रोक लिया इसका सम्बन्ध है, मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया कि तहसीलदार ने उस दीवार को वहां से हटाने के आदेश दे दिए हैं और उनके आदेश के अनुसार जुर्माना भी कर दिया था और उन्होंने अपील जिलाधीश के यहां की और यू. आई. टी. ने भी की कि इस दीवार को हटा दिया जाय। यू.आई.टी. के निर्णय के विरुद्ध भूतपूर्व महाराजकुमार प्रतापसिंह सिविल कोर्ट में गए और सिविल कोर्ट से उन्हे स्टे प्राप्त हुआ। उस स्टे के प्राप्त हो जाने के कारण जिलाधीश, जो नगर विकास के चेयरमैन भी हैं, एक्जीक्यूशन नहीं कर सकते थे। राज्य सरकार ने उन्हें कभी एक्जीक्यूशन से मना नहीं किया। राज्य सरकार ने स्टे नहीं दिया है। राज्य सरकार कहीं भी बीच में नहीं आई है। क्योंकि यह मामला सब जुडिस है, कलेक्टर चेयरमेन भी है यू. आई. टी. का और चेयरमैन होने के कारण जो उनको स्टे आर्डर प्राप्त हो गया तो वे किसी भी हालत में स्टे आर्डर को इग्नोर करके कोई एक्शन ले सकते हों, मैं नहीं समझता कि यह उनके लिए सम्भव हो सकता था। मामला सिविल कोर्ट में पैंडिंग है और ज्योंही सिविल कोर्ट से डिसिजन हो जायगा निश्चित तौर पर यू. आई. टी. या रेवेन्यू एजेंसी द्वारा जो एक्शन लिया जाना चाहिए वह लिया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भूतपूर्व महाराज कुमार प्रतापसिंह के सम्बन्ध में जो घटना पांच तारीख की बताई और एक घटना 15

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

तारीख की बताई है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, 15 तारीख की कोई भी घटना की सूचना किसी स्तर पर नहीं है और न ही जिलाधीश के पास रिपोर्ट दर्ज हुई है····

श्री रामानन्द अग्रवाल : 15 या 16 दोनों में से कोई दिन है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : न 15 का और न 16 को ही कोई दर्ज है। लेकिन डिस्प्यूटेड लैंड के, जिसे चरागाह कहते हैं, वहां मवेशी चरने के लिए घुस जाते हैं उन को रोकने के लिए उन्होंने पक्की दीवार बनाने की कोशिश की है और उस दीवार को बनाकर रखना चाहते थे जिससे जमीन के बारे में कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं हो इसलिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व में लेने की कार्यवाही की गई है और इस बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें दो प्रश्न हैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह है, माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस एफ. आई. आर. में जब यह साफ तौर से दर्ज है कि महाराज कुमार के आदेश से हम मवेशी लाये हैं तो महाराज कुमार के वहां होते हुए पुलिस ने अनुसंधान में महाराज कुमार को क्यों नहीं बयान लेने के लिए बुलाया ? यह क्या रेलेवेंट नहीं था कि उनको बुला कर पूछना चाहिए था ? क्या यह सही है कि अभी तक इस मामले में जो कि 5-1-76 को हुआ उसके बारे में पुलिस ने महाराज कुमार के कोई बयान नहीं लिए हैं, नम्बर एक ?

नम्बर 2, दीवार के सम्बन्ध में केवल सिविल कोर्ट का यू. आई. टी. पर स्टे आर्डर है। वह भी आपको मैं बताऊं कि यू. आई. टी. ने 1-8-73 को फैसला किया था कि दीवार हटा दी जाय। एक महीना और 19 दिन तक दीवार नहीं हटाई गई। 18-9 को जब मैंने यू. आई. टी. में दुबारा प्रश्न उठाया गया तो उसकी इत्तला देकर 20 तारीख को दावा करा कर दो दिन बाद और फिर स्टे ले आए मैं यह जानना चाहूंगा कि यू. आई. टी. के चेयरमेन पर जो स्टे सर्व हो वह क्या कलेक्टर के ऊपर भी एज कलक्टर भी स्टे माना जाएगा ? माननीय मंत्रीजी ने जो बयान दिया है, उसकी भाषा से यह ध्वनि निकलती है। किसी भी केपेसिटी में वह सर्व हो, वह यू. आई. टी. के चेयरमेन के तौर पर एज कलेक्टर मान्य नहीं हैं। आपके बयान से यह निकलता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है ? और फिर तहसीलदार के ऊपर स्टे नहीं है, तो क्या तहसीलदार से कह कर इस दीवार को तुड़वाएंगे? यह दो हजार बीघा जमीन उनके कब्जे में है अगर आपने इस मामले पर तेजी से एक्शन नहीं लिया तो फिर किसी और की हिम्मत नहीं होगी कि वह बोल सके।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, महाराज कुमार से पूछताछ की जा रही है। महाराजकुमार से इस संबंध में पुलिस विभाग पूछताछ कर रहा है। इस प्रकार के आदेश दिये गये है और इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग के अनुसंधान विभाग द्वारा कार्यवाही हो रही है······

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी तक तो उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया गया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जानकारी की गयी है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कितने घंटे पुलिस स्टेशन पर बिठाया गया ? एक साधारण आदमी को 48 घंटे पुलिस स्टेशन पर रखते हैं। 13 जांच, 13 तफ्तीश में- तो क्या आपने एक घंटे ही पुलिस स्टेशन पर महाराज कुमार को बिठाया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: जहां तक स्टे आर्डर का सवाल है, सिविल कोर्ट से स्टे आर्डर प्राप्त हुआ है जिसकी वजह से दीवार अभी नहीं गिराई गई है। सिविल कोर्ट ने स्टे यू. आई. टी. के पक्ष में दिया है। यह जो सिविल कोर्ट का स्टे प्राप्त हुआ है, तहसीलदार इसको न मानते हुए, इसको आपरेट कर सकेगा, यह कानूनी मुद्दा है। माननीय सदस्य ने कहा है तो इस प्रश्न पर लीगल ओपीनियन प्राप्त कर के, अगर यह किया जा सकता है, दीवार तोड़ी जा सकती है तो राज्य सरकार को इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र अधिसूचना

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। माननीय मंत्री जी।

श्री फारुक हसन (राज्य मंत्री, विधि): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 282/1/राज/75, का. आ. 13(अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 1975 को सदन की मेज पर रखता हूं।

भारत-पाक संघर्ष में आये सिंधी शरणार्थियों को भूमि आवंटन

श्री उपाध्यक्ष: गैर सरकारी सदस्य कार्य। संकल्प माननीय राजस्व मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (पुनर्वास मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 29 मार्च, 1975 को संकल्प जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा था, उस पर हुई बहस का राज्य सरकार की तरफ से, मैं उत्तर दे रहा था, जिसे मैं पूर्ण नहीं कर सका, इसलिए उस उत्तर को पूर्ण करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

जैसा कि मैं पूर्व में दो-तीन ध्यान आकर्षण प्रस्तावों के जरिए निवेदन कर चुका हूं, भारत-पाक संघर्ष के बाद और उसके फलस्वरूप लगभग 60 हजार 247 पाकिस्तानी नागरिक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके शरणार्थी बनकर भारत की सीमा में आये थे। शान्ति स्थापित हो जाने के बाद उनमें से लगभग 15 हजार व्यक्ति वापिस पाकिस्तान चले गये। इस समय शरणार्थी बन कर आये हुए व्यक्तियों में से 44 हजार 996 व्यक्ति राजस्थान के विभिन्न जिलों में हैं। इन 44,996 व्यक्तियों में से 43,353 व्यक्ति शिविरों में रह रहे हैं और 1683 व्यक्ति शिविरों से बाहर रह रहे हैं। जो शिविरों में रह रहे हैं उन्हें भारत सरकार के निर्धारित माप के अनुसार राशन दिया जा रहा है, जिसमें अनाज है जो वयस्क को 12 किलो प्रति माह और बच्चों को 6 किलो प्रतिमाह दिया जा रहा है। इसके साथ साथ शक्कर, दाल तेल यह भी वितरित की जा रही है निर्धारित मात्रा के अनुसार।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसके अलावा हर वयस्क व्यक्ति को 30 पैसे प्रतिदिन और बालक को 20 पैसे प्रतिदिन नकद भुगतान किया जा रहा है।

इन विस्थापित व्यक्तियों को, जो अभी तक हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं बन पाये हैं, कपड़े भी वितरित किये गये हैं। गत वर्ष 8 लाख 60 हजार के कम्बल वितरित किये गये और इसी प्रकार इनको कुछ लाख रुपयों के सूती कपड़े भी दिये गये। और बच्चों को डेढ़ लाख के आस पास धनराशि की जर्सियां भी दी जा रही हैं। ये विस्थापित अपने साथ में सवा लाख के आस पास मवेशी लेकर आये थे। अकाल की गम्भीर स्थिति को देखते हुए उन्हें करीब 13 लाख 85,291 रुपये का अनुदान भी दिया गया है। चिकित्सा की सुविधा भी शिविरों में विस्थापितों को पूर्ण दी जा रही है। शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए स्कूल खोले गये हैं और 88 शिक्षकों के पद भी स्वीकृत हुए हैं। चिकित्सा के लिए डाक्टर्स, कम्पाउन्डर्स और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था की गई है लेकिन अभी तक उनको भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। लेकिन भारत सरकार ने हम से इनको यहां पर मुकम्मल तौर पर, स्थायी तौर पर बसाने के लिये योजना प्रस्तुत करने की बात कही थी। हमने तीन योजनाएं भारत सरकार को प्रस्तुत की हैं। राजस्थान नहर पर श्रमिकों के रूप में 5800 परिवार बसाने के लिये, कुल राशि 9 करोड़ रुपये खर्च होगी, एक योजना। व्यापार हेतु मकान, दुकान निर्माण करने की योजना 500 परिवारों के लिये, 7 लाख रुपये की योजना, तीसरी है कृषि और पशुपालन की योजना, 3200 परिवार के लिये यह योजना साढ़े चार करोड़ रुपये की है। पहली दो योजनाएं राजस्थान नहर की ओर व्यापारियों हेतु दुकान और मकान निर्माण की योजना भारत सरकार के विचाराधीन है और तीसरी योजना कृषि और पशुपालन की है। वह भारत सरकार ने लौटायी है, राजस्थान के एग्रीकल्चर विभाग के स्पेशल सैल के अन्दर इसका एग्जामिनेशन हो रहा है।

इसमें से 42627 व्यक्ति अकेले बाड़मेर जिले में हैं और इसलिए बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य भली प्रकार से जानते हैं कि पिछले अकाल में 74 और 75 में—जहां भारत के दूसरे नागरिकों को कई प्रकार की असुविधाएं थी और अकाल पीड़ित लोगों को भी हम रोजगार नहीं दे पाये थे, लेकिन इन लोगों को बराबर की राशन दिया जा रहा था। आप सभी को मालूम है शिमला समझौते के बाद ऐसा सोचा जा रहा था कि ये लोग वापिस पाकिस्तान चले जायेंगे। शिमला समझौते के एग्रीमेंट के अन्दर इस बात का उल्लेख है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो जो जाने वाले थे वे तो चले गये हैं। अब जो बाकी रह गये हैं उनकी जाने की इच्छा नहीं दीखती है। अभी कुछ रोज पहले ही, दो तीन दिन पहले ही भारत सरकार के प्रतिनिधि बाड़मेर आये थे और इससे पूर्व यहां आये थे। उन लोगों ने भी इनकी प्रतिक्रिया ली है। अब वे यहीं पर, इसी देश में बसना चाहते हैं। इनके बसाने का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है। हमने तीन स्कीम बनायी हैं। वह भारत सरकार के विचाराधीन हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि माननीय सदस्य जो जोधपुर से आये हैं, इस

(श्री परसराम मदेरणा)

सदन में उपस्थित नहीं हैं। वे यह चाहते थे कि इनको भूमि अलाट कर दी जाये। भूमि के आवंटन का प्रश्न काफी पेचीदगी लिये हुए है। वहां के रेगिस्तानी इलाके में राजस्थान सरकार ने ऐसा निर्णय लिया हुआ है पिछले दो साल से कि रेगिस्तानी इलाके में जब तक पाश्चर डवलपमेंट के लिए लैन्ड का ईयर मार्क न हो जाये तब तक आवंटन न किया जाये। इसलिए वहां पर जो भूमिहीन लोग हैं उन भूमिहीनों को भी आवंटन नहीं किया जा रहा है। जो भूमि बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और पाली और दूसरे इलाकों में उपलब्ध है इन शरणार्थियों की संख्या को देखते हुए, भूमिहीनों की संख्या को देखते हुए उन जिलों में भूमि का आवंटन हो सकेगा या नहीं इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व भारत सरकार को यह निर्णय लेना है, और क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय मामला है और फॉरेन अफेयर्स का इससे सम्बन्ध है इसलिए जब तक इस मामले में भारत सरकार निर्णय नहीं लेती है कि इनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाय या न की जाय तब तक भूमि के आवंटन करने के प्रश्न पर राजस्थान सरकार कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ है।

जो प्रस्ताव उन्होंने सदन के सामने रखा था वह इस बारे में था कि उसको भूमि का आवंटन किया जाय भूमि इस देश के नागरिकों को ही आवंटन कर सकते हैं, और अभी तक वह शरणार्थी बन कर आये हैं और शरणार्थी बनकर भारत और पाक के संघर्ष के फलस्वरूप वह आये हैं। हमारी उनके प्रति हमदर्दी है, लेकिन हमदर्दी होते हुए भी जब तक उनको नागरिकता के अधिकार नहीं मिल जायं तब तक भूमि के एलाटमेंट का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। हमने जो योजना बनाकर भेजी है राजस्थान कैनाल की उस पर 5 साल तक अगर ये काम करेंगे तो भूमि के लिए एलिजिबल बनाये जा सकते हैं और भूमि की रिजर्व प्राइस भारत सरकार को देनी होगी। ऐसी योजना है वह भारत सरकार के विचाराधीन है ताकि परमानेन्टली सेटल हो सकें। एक जगह पर सेटल कर सकेंगे या कितने लोगों को कहां पर सेटल किया जा सकेगा इस संबंध में भारत सरकार को निर्णय लेना है। अगर वह नागरिकता प्रदान करती है तो उसके बाद में यह प्रश्न खड़ा होता है कि उनको भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए या नहीं उनमें कितने काश्तकार हैं? सभी लोग काश्तकार नहीं है क्योंकि उनके पास मवेशी हैं और गरीब सवा लाख मवेशियों को लेकर आये हैं। इसलिए हमने जो योजना पशुपालन की और कृषि की इन्टेग्रेटेड योजना बनाकर भेजी है वह स्पेशल सेल एग्रीकलचर डिपार्टमेंट में एक्जामिन हो रही है। उसमें कुछ क्वेरीज की हैं।

अभी थोड़े समय पूर्व मैंने यह कहा था कि भारत सरकार के प्रतिनिधि अभी बाड़मेर गये थे, लेकिन मुझे ऐसी सूचना मिली है कि वहां पर भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी जाने वाले थे लेकिन वह पहुंचे नहीं। इसलिए मैंने जो बात कही है उसको करेक्ट करना चाहता हूं। वह जाय या न जाय उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि भारत सरकार और हमारे बीच में इस संबंध में बातचीत होती रहती है, और मैं समझता हूं कि इन लोगों के भविष्य के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जायगा। माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे इतना ही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री गुमानमल लोढ़ा ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसको पारित किया जाय।

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

अशासकीय विधायी कार्य विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1972

विधायी कार्य, विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1972। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को विचारार्थ रखते हुए इसके उद्देश्य और कारणों पर और उसकी मुख्य धाराओं पर कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए आपको बाद में टाइम मिलेगा उसी समय कह दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्यों को यह बिल बहुत पहले मिला है इसलिए उनके पास यह ....

श्री फूलचन्द जैन : एक्ट की हमारे पास कापी है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने के संबंध में और कुछ माननीय सदस्यों ने विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के संबंध में कुछ संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। इसलिए पहले उनको बोलने का अवसर देने के बाद आपको रिप्लाइ देने का मौका मिलेगा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव।

श्री प्रद्युम्नसिंह : (अनुपस्थित)

श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम सारण : (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1972 आज हमारे सामने विचारार्थ है उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जिन दुकानों की आय या बिक्री एक निश्चित सीमा या उस सीमा से अधिक है तो उनके मैनेजर और अन्य नौकरों के संबंध में कानून बनाकर जो उनको सहूलियत मिलनी चाहिए छुट्टियों वगैरह की वह उनको दी जाय, तो यह उपयुक्त बात है। लेकिन जहां पर एक एक छोटा दुकानदार है और वह अपने मामूली तौर तरीके से धन्धा चला रहा है जिसके साथ में किसी आदमी को या किसी बच्चे को सहयोग के लिए रख लेता है उसको थोड़े समय के लिए काम देता है नौकर बूढ़ा है या बच्चा है तो इस प्रकार के दुकानदार भी इस कानून में आ जायेंगे तो यह उलझन दोनों तरफ पैदा हो जायगी। उससे न

(श्री नूराराम सारण)

दुकानदार का भला होने का है और न ऐसे व्यक्तियों का ही जो कि पूरे समय पर रहकर अपना काम धन्धा कर नहीं सकता और थोड़े समय के लिए रह कर अपना जीवनयापन करता है, ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो यह बिल है संशोधन का इस प्रकार के अन्य कारणों से जो इसके अन्दर विद्यमान हैं— छुट्टियां देने के सम्बन्ध में, इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रामानन्द जी अग्रवाल ने यह जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने के जो कारण इसमें दिये गये हैं आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में उनको देखते हुए कुछ उसके अन्दर जो मुद्दे उठाये गये हैं उनके बारे में, मैं सोचता हूं कि उनकी भावनाओं के साथ हमारी भावनाएं भी हो सकती हैं, परन्तु यह जो 'विधेयक' है वह अपने आपमें अपूर्ण है, और इससे कई ऐसे दूसरे मामले खड़े हो जाते हैं जिसके क्लेरिफिकेशन्स, जिसके बारे में डिटेल्स में उनको एक्जामिन करने की और उनको गहराई से समझने की आवश्यकता हो जाती है।

एक बात तो यह है कि मोटे तौर पर जो यह कहा गया है कि जो वर्किंग आवर्स हैं जो अभी रखे गये हैं उन्हें कम किया जाना चाहिए। वीकली वर्किंग आवर्स हैं वह और जो डेली वर्किंग आवर्स हैं। इस संबंध में, वर्किंग आवर्स को कम करने के हो सकता है कि इनका पक्ष सही हो। फिर भी इस पर विचार किया जाये। परन्तु उसके साथ ही इस बिल के अन्दर उनके प्रोविडेण्ट फण्ड का, उनके डीयरनेस अलाउन्स का, गजेटेड होलिडेज का, मेडिकल लीव का, इन सब का प्रश्न इनके साथ में छोड़ दिया गया है। अन्त में यह कहा गया है—

"The provisions of the Employees Provident Fund Act, 1952 (Central Act 19 of 1952) and the rules thereunder shall, *Mutatis Mutandis* apply to the employees of shops and commercial establishments."

इससे क्या मतलब है। कई लोग काम करते हैं, जो शॉप्स पर काम करते हैं। यह काम कई तरह का होता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि फैक्टरी में मजदूर काम करता है उनको लेबर लाज एप्लाइ कहते हैं। परन्तु प्रोविडेण्ट फण्ड के लिए उसके अलग कानून कायदे हैं। अब कितने एम्प्लाइज हो। इसके बारे में, मैं चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था हो। इसी तरह से मेडिकल लीव, केजुअल लीव और गजेटेड होलिडेज, इसके अन्दर भी शॉप्स एण्ड कामर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट के अन्दर, जैसा कि अभी डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, एक ऐसा होता है जो 5 लाख में काम कर लेता है। वे कोई 15-20 लाख में करता है। ऐसे एस्टेब्लिशमेन्ट होते हैं कि एक आदमी एक हजार दो हजार रुपया लगाकर कोई अपनी आजीविका का माध्यम बनाता है। उसने किसी को अपनी सुविधा के लिए एम्प्लाय कर लिया तो

(श्री फूलचन्द जैन)

उसके ऊपर भी यह सारे प्रोविजन्स लागू हो जाएंगे फिर तो गजेटेड होलिडे, मेडिकल, प्रोविडेण्ट फण्ड सभी उसके लिए दो। तो वह अपना काम ही नहीं कर सकता है। आप यह प्रोविजन, दो लाख, 5 लाख से ऊपर 10 लाख से ऊपर जिसका एस्टेब्लिशमेन्ट है, उस पर लागू करके बेनीफिट दे सकते हैं। जो दे सकते हैं, वह नहीं देकर स्वयं लाभ उठाते हैं उन पर ऐसी चीज लागू की जा सकती है। तो मेरा निवेदन है कि इसके बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। परन्तु यदि एक जेनरल तरीके से छोटी बड़ी दुकान सभी को एक केटेगरी में डालकर कानून लागू कर देते हैं तो हमारी जो ट्रेडीशनल पापुलेशन है, वह स्टेट में ग्रस्त-व्यस्त हो जाएगी। एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए जहां तक इसकी भावनाओं का प्रश्न है, मैं उनके प्रति अपनी सहमति रखता हूं। परन्तु मैंने यह निवेदन किया है कि यह अपूर्ण है। यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसे एज इट इज पारित करना उचित नहीं है। इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव मूव किया है। यह शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट माननीय सदस्य ने रखा है इसका सम्बन्ध उनसे है जो धन का फायदा उठाते हैं और जो रीजनेबिल एम्प्लाई को मिलना चाहिए वह नहीं देते हैं। इसलिए इसे रिजेक्ट नहीं करके, अस्वीकृत नहीं करके, इसको जनमत जानने हेतु भेजा जाना चाहिए ताकि इसके सम्बन्ध में व्यापक स्तर पर विचार हो। एक छोटे से गांव में भी जो एक दुकान लेकर बैठा है, एक कस्बे में थोड़ा से इनवेस्टमेन्ट करके बैठा है, जो एक छोटी सी दुकान में 500 रु० में काम करता है या किसी को लेकर दुकान पर बैठा है हम बिना सोचे समझे, उन सब के ऊपर भी बर्डन डाल दें, इस प्रकार की मेरी भावना नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करें। जितने बड़े एस्टेब्लिशमेन्ट और शॉप्स हैं, उन सब के ऊपर किसी खास ढंग से लागू करने के लिए बिल लाया जाएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। परन्तु इस विधेयक के इस रूप में, जो कारण मैंने बताये हैं, विरुद्ध तो नहीं परन्तु प्रस्ताव रखा गया है, इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए उसका मैं समर्थन करता हूं ताकि जो इफेक्टेड लोग हैं, उनके विचार सामने आयें और गम्भीरता से उन पर विचार करके उसके अनुसार कार्य करें।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव। श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, जो दुकानदारी और व्यापार नियन्त्रण करने के लिए यह विधेयक माननीय सदस्य ने गैरसरकारी बिल के रूप में प्रस्तुत किया है, इसको मैं एक महत्वपूर्ण और अहम बिल मानता हूं जिसकी तरफ सरकार की तवज्जह नहीं गई है। देश में व्यापारिक काम प्राइवेट रूप में बड़े पैमाने पर लोग करते हैं। छोटी छोटी दुकान हैं और छोटे छोटे स्तर पर काम करते हैं। परन्तु उनको तनख्वाह अपनी मर्जी के

(श्री दीपंकर)

मुताबिक देते हैं। उनको अपनी मर्जी के मुताबिक समय पर छोड़ते नहीं हैं। कई मुनीम और गुमाश्ते रात के 12 बजे तक काम करते हैं और, सुबह उठते ही उनको काम पर लग जाना पड़ता है। परन्तु इसमें कई ऐसे स्थल हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव मैंने रखा है। जो छोटे छोटे काम चलाने वाले लोग हैं, वह इन सुविधाओं को कहां से दे पायेंगे।

मैं समझता हूं कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय तो बैठकर वह यह तय कर सकती है कि इस विधेयक को किस सीमा तक लागू किया जा सकता है, कितने कर्मचारी कहां रखने चाहिए, कहां तक हम इसको मानें और क्या क्या सुविधायें उन कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, क्या क्या सुविधायें उनको दिलवाई जावें। इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी बीमारी की हालत में अगर दुकान से पैसा उठाते हैं इलाज के लिए तो भी उनके नाम लिखा जाता है। उनके लिये दवा दारू की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा उनको सामाजिक रीति रिवाजों के लिये छुट्टी के पैसे नहीं मिलते। वे भी एक समाज में रहने के कारण सामाजिक प्राणी हैं और उनको भी सामाजिक रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं और जो भी दुकानदारों के पास छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं वह अगर इस काम के लिए बाहर जाते हैं तो उनको छुट्टी के पैसे भी नहीं मिलते हैं। इस तरह से दुकानदार लोग उन पर अपनी मनमानी करते हैं और यह एक प्रकार से छोटे कर्मचारियों के ऊपर अंकुश है, यह हमको मानकर चलना चाहिए। एक तरफ हम यह मानते हैं कि जिस तरह से बड़े काश्तकार लोग सागड़ी प्रथा के कारण छोटे किसानों को बन्धक रखते थे, उसी प्रकार से वाणिज्य और व्यापार करने वाले लोगों के साथ किया जा रहा है, उनकी जिन्दगी का एक प्रकार से मखौल उड़ाया जा रहा है, और उनकी गरीबी और मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर मनमानी सुविधायें दी जाती हैं और जो एक इन्सानियत के नाते उनको मिलनी चाहिए वह भी उनको नहीं दी जातीं। उनकी भी दवा-दारू के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस विषय में माननीय रामानन्दजी ने जो यह प्रस्ताव रखा है यह बहुत ही अच्छा है, ऐसा मैं मानता हूं। परन्तु हमको और बातें भी देखनी पड़ेंगी। मैं यह समझता हूं कि वह इस सम्बन्ध में थोड़ा धैर्य धारण करके इसको सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दें जो यह तय कर दें कि किस हद तक किस 2 व्यापार के किस किस कर्मचारी को क्या क्या सुविधायें मिलनी चाहिए। यह अगर स्पष्ट हो जाता है तो मैं समझता हूं कि सरकार के सामने कोई दिक्कत नहीं आयेगी और अपना गुजर करने वाले कर्मचारी को भी और उस व्यापारी को भी यह बात साफ हो जायेगी कि उसको क्या क्या सुविधायें दी जायेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम होटलों के अन्दर देखते हैं कि छोटे छोटे सात आठ साल के बच्चे दिन रात पिसते रहते हैं, और होटल के मालिक उनको पहनने को जांघिया और कमीज भी नहीं देते और आधी रात को ही जगाकर पूरा सोने भी नहीं देते हैं, और काम पर लगा देते हैं, भट्टी जलाओ। इसके अलावा यह भी एक जिन्दगी है कि एक मुनीम सारी जिन्दगी सेठ के यहां पर काम करता है और उसको जब वह जाने

(श्री दीपंकर)

...ना. लगता है तो कुछ भी नहीं मिलता जब कि वह दिन रात मेहनत करता है, सेठ का सारा काम करता है, काले धन को सफेद भी वही करता है और खाता-बही लिखते लिखते उसकी जिन्दगी गुजर जाती है और वह छोड़ना चाहता है तो सेठ कहता है तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मेरे पास कोई रुपया नहीं है । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो समाज की स्थिति है, हमारे समाज में इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको किसी सही तरीके से नियमित करने की अत्यावश्यकता है । जब तक इस पर कोई अंकुश नहीं होगा, छोटे कर्मचारियों पर इसी तरह जुल्म होता रहेगा । बड़े बड़े शहरों में बम्बई और कलकत्ता जैसे शहरों में तो ऐसे जो नौकर होते हैं, वे सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए कोई नियम बनायें जायें । हमारे यहां पर प्राइवेट दुकानदारों के यहां पर जो नौकर हैं और होटलों में जो नौकरी करते हैं, निश्चितरूप से हमारी सरकार को भी उनको नियमित करना चाहिए । आज हम अक्सर देखते हैं, चाहे राजहंस होटल हो या बीकानेर होटल हो, इनमें हम देखते हैं कि हर दो महीने बाद नौकर बदले जाते हैं और बाज वक्त तो उन पर यह इल्जाम लगाते हैं कि फलानी चीज गंवा दी । उसकी कीमत भी उनसे वसूल करते है और नौकरी मुफ्त में करवाते हैं । समाज में जो बेकार लोग हैं वे अपनी मजबूरी की वजह से प्राइवेट व्यापारियों के पास आते हैं । तो इस रूप में रखने की जो प्रथा है इस पर अंकुश लगाकर इसको व्यवस्थित किया जाना चाहिए । अगर वे कर्मचारी बीमार पड़ जाते हैं तो उनका इलाज नहीं करवाते हैं और कहते हैं कि तुम तुम्हारे गांव वापिस चले जाओ । यह नहीं कि उनको अस्पताल में भर्ती करवाकर उनका इलाज करवायें । वे बेचारे सरकारी अस्पताल में अपना वक्त जाया करते हैं और इलाज करवाते हैं । सरकार का बन्दोबस्त है इलाज के लिये फिर भी उनकी कोई भी सहानुभूति उनके साथ नहीं होती । बीमारी के दौरान जब वे छुट्टी पर रहते है उसके भी पैसे काट लिये जाते हैं जब कि वे उनके लिये सारे काम करते हैं, मिलावट का काम भी वे उनके लिये करते हैं । माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी जानते हैं कि मिलावट होती है और पकड़ी जाती है तो इन केसेज में चालान किसका होता है, सेठ का नहीं बल्कि ये जो कमजोर तबके के छोटे कर्मचारी हैं जो अपना पेट भरने के लिये सेठ के यहां पर नौकरी करते है, चाहे तेल में मिलावट हो, चाहे मिर्ची में हो, चाहे मसालों में और चाहे चाय में गधे की लीद की मिलावट करें, यह सब काम उन लोगों से करवाये जाते हैं ताकि चालान हो तो उनका हो । जब चालान हो जाता है तो कहते हैं भुगतो भई, वकील कर देते हैं और क्या करें । इस तरह से उनको उनकी हालत और उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे सब कुछ काम करके सेठ को कमा कर देते हैं और जो सुविधायें उनको एक सामाजिक प्राणी के नाते मिलनी चाहिए वह भी नहीं मिलती हैं और उनको यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं यह बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है । हमारे यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्दर हर तरह के व्यापार करने की छूट है परन्तु छोटे कर्मचारी शोषण का शिकार हो रहे हैं । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मैं

(श्री दीपंकर)

माननीय मन्त्री महोदय को। यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने बंगाल में एक सरकार ऐसी भी देखी है कि जिसने मजदूरों के लिये उनकी भलाई के लिये काम किये और यह तय किया कि उनका भला करना है तो पुलिस को कह दिया जाय कि वह बीच में न आवे। वह सरकार ज्यादा दिन नहीं रहकर गिर गई परन्तु उसने एक अच्छा काम किया। वहां से आने वाले लोग कहते हैं, एक द्वारपाल, एक बैरा, एक बाबू, एक मुनीम गुमास्ता को ढाई सौ, तीन सौ रुपये मिलते हैं और वे ऐसी भाषा बोलते हैं जैसे सेठ बोलता है। इसलिए इसी तरह से हमारे प्रदेश में यह होना चाहिए कि प्राइवेट व्यापारी लोग उनकी दुकानों और दूसरी जगहों में जो काम करते हैं, जो किसी प्रकार से अपना गुजारा भर चलाते हैं इन्सानियत के नाते उनका शोषण नहीं करें और अपनी मनमानी नहीं लगावें और इस तरह से राष्ट्रीय एकता को खण्डित करने की कोशिश भी नहीं करें। आज जो भी सेठ लोग हैं वे सब पैसे के बल पर समाज पर हावी होना चाहते हैं और सेठों का यही परिभाषा बन गई है पैसे से सब कुछ करना चाहते हैं। गांवों में बड़े-बड़े फार्म पूंजीपति मिलकर चलाते हैं जो हमारे यहां पर भी शिफ्ट होकर आगये हैं और बड़े-बड़े भूखण्ड खरीदकर इस नाम से कि फलाना उद्योग लिमिटेड और कई तरह के कर्मचारी जैसे सफाई वाला, पानी भरने वाला, बहीखाता लिखने वाला और कई तरह के कर्मचारी रखकर उनका शोषण करते हैं। इसलिए भाई रामानन्दजी ने जो बात कही मैं उनकी बात से सहमत हूं। उनकी भावना की कद्र करता हूं और उनकी बात का स्वागत करता हूं। परन्तु हम यह नियमित नहीं कर पाये हैं कि एक आदमी को अपने गुजारे के लिये क्या मिलना चाहिए और वह क्या करे। जो आदमी पूंजीवाद को ऊंचा उठाने के लिए व्यापार करता है उसके साथ जो कर्मचारी काम करते हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके इसके लिये जरूरी है कि कोई सूत्र निश्चित किये जाने चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जिससे सही नतीजा निकल सके। जो भी होटल हैं, दुकान हैं और छोटी इण्डस्ट्रीज हैं उन सबमें जाकर देखें कि वहां पर छोटे कर्मचारियों के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या उनको देते हैं, क्या नहीं देते हैं, उनको क्या शिकायतें हैं, और उनको क्या मिलना चाहिए। यह सारी बातें अच्छी तरह से मालूम की जानी चाहिए। कुछ लोगों के पास सिवाय इसके आजीविका को चलाने का जरिया नहीं रहा है। पान की दुकान लेकर बैठ गये, दो आदमी, तीन आदमी परिवार के बैठ रहे हैं, उनके ऊपर लगा देंगे सारा का सारा कानून तो वह उसमें इस कदर फंस जायेंगे, दूसरों को रखा तो वह इस कदर फंस जायेंगे कि दुकान उठा कर उन्हें और कहीं जाना पड़ेगा। इसके सिवाय और चारा नहीं रहेगा। मेरा निवेदन है कि इसको बहुत व्यापक स्तर पर बनाना चाहिए, न केवल हम इसी को व्यापार मानें, बल्कि कृषि को भी व्यापार के क्षेत्र में लें। उसमें भी देखें, कितने आदमी किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किस तरह समायोजित उनका श्रम हो रहा है, उनके लिए क्या सुख सुविधा देते हैं, क्या नहीं देते हैं। रोजमर्रा गंगानगर में देखते हैं कि नहरों में लाश

(श्री दीपंकर)

बहती हैं। वह किसकी बहती है, मजदूरों की बहती हैं जो मांग बैठते हैं कि इतना रुपया दो, मेरे घर से तार आ गया है, मुझे जाना है। वह नशे में चूर होते हैं। रात को कुछ कहते हैं और सुबह मजदूर की लाश तैरती नजर आती है। इस तरह से अत्याचार होता है। मेरा निवेदन है कि इसे सलेक्ट कमेटी में सुपुर्द करें। यह पूरा बिल आवश्यक बिल है, इसमें जो कमी नजर आती है, आप जवाब में बताने की कोशिश करेंगे कि कहां तक इसको सीमित करने जा रहे हैं। यह सही है कि इसे पढ़ने से शंका मालूम पड़ती है, राज्य सरकार भी इस रूप में इसे स्वीकार कर लेती है तो कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों के सामने शंका उत्पन्न हो जायगी, दुकानदार और व्यापारियों के लिए भी शंका उत्पन्न हो जायगी और समाज में अजीब वातावरण पैदा हो जायगा और हर आदमी, छोटे मोटे लोग दुकानदारी नहीं कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि दुकानदारी और व्यापार को चलाने वाले प्राइवेट लोग हैं वह नौकरों को रखें तो उन्हें क्या सुख सुविधा दें, किस तरह दें, किस तरह मकान दें, कितनी छुट्टी दें, कितने समय रखें, कितनी दवाई दारू की व्यवस्था करें—यह सारी बातें ऐसी है जिनकी निश्चित व्याख्या किया जाना आवश्यक है। वह नहीं की गई है। यह सब नहीं किये जाने की हालत में मेरी यह समझ में आया कि यह छोटा सा प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करूं कि इसे सलेक्ट कमेटी में सुपुर्द किया जाय, जिसमें आप स्वयं हों, श्रम मंत्री जी हों और उसके साथ साथ और लोग हों और सब मिल कर इस सबको एक्जामिन करें, मौके पर जायं, देखें कि किस तरह से प्राइवेट व्यापार करने वाले, दुकानदारी का धन्धा चलाने वाले धन्धा करते हैं, किस प्रकार से टी. बी. के शिकार हो जाते हैं, सड़ते रहते हैं, कपड़े बदलने की फुर्सत नहीं होती है, समय पर रोटी खाने को वक्त नहीं होता है। इस तरह से जो अजीब शोषण हो रहा है, व्यापक स्तर पर, उसको रोक सकें, उसकी रोकथाम का सही उपाय निकाल सकें हैं, इसके लिए जरूरी है, यह बिल सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। यह मेरा प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि जनमत जानने के लिए परिचालित करने के बनिस्बत इसको सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। इससे माननीय रामानन्द जी सहमत होंगे और सरकार को भी असहमत नहीं होना चाहिए, और इस हाउस के सम्माननीय सदस्य हैं, वह उचित समझेंगे तमाम डिटेल में जाना, किस तरह प्राइवेट दुकानदारी में लोग काले धन को सफेद करने में लगे हुए हैं, किस तरह बेईमानी में और राष्ट्रीयकरण को बिगाड़ने में लगे हुए हैं और राष्ट्रीयकरण को असफल करने के लिए व्यापार के नाम पर अड्डे खोल रखे हैं। इन पर क्या प्रतिबन्ध लग सकता है। यह सारी व्यवस्था, बिल के अन्दर उचित व्यवस्था कर सकते हैं—इसके लिए सलेक्ट कमेटी बना दें और यह बिल उसके सुपुर्द कर दें। यह मेरा सुझाव है, इससे सहमति होगी। इसके अन्दर ऐतराज भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारा 21 सूत्रीय कार्यक्रम है जिससे सारे समाज में क्रांति आ रही है। आप यह बिल लाये हैं, यह समाज में क्रांति लाने की ओर एक और कदम है। इसलिए जो सुझाव दिये हैं उनको समायोजित करके अच्छा रूप देकर इस बिल को हाउस में लाया जाय जिससे समाज पर अच्छा प्रभाव

(श्री दीपंकर)

पड़े और जो समाजवादी समाज की रचना करने जा रहे हैं उसमें सहायक हो। मेरा निवेदन है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकारलाल चौहान।

(अनुपस्थित)

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह बिल है, राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1972, इसका मैं एक रूप में विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। मुझे मौका दिया गया है कि मैं गरीब लोगों की बात हमारे हाउस में और हमारी सरकार तक पहुंचा सकूं। मैं बहुत शार्ट में ही बोलूंगी। सबसे पहली चीज तो यह है कि यह जो एक्ट है, मैं समझती हूं कि आम लोगों के हित में, गरीब लोगों के हित में बहुत सुन्दर है, लेकिन उसके साथ साथ गरीब लोग, जो दुकानों पर काम करते हैं, कहीं पर छोटी छोटी दुकानों पर काम करते हैं, एक दुकान पर दो व्यक्ति काम करते हैं, वहां पर इसका क्या रूप होगा? इससे मेरी सहमति नहीं। लेकिन जिनका लाखों और करोड़ों में ट्रान्जेक्शन है, उस संबंध में कहना चाहती हूं कि यह एक्ट उन लोगों पर लागू होना चाहिए। उनमें काम करने वाले लोगों को नियमित रूप से छुट्टियां, केजुअल, मेडिकल वगैरह वगैरह, जो जो फैसेलिटी अपन देते हैं, वह मिलनी चाहिए, उनका एक समय निर्धारित किया जाना चाहिए। जहां तक बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, उसके बारे में, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं, यह दुकानें हैं, उन पर ओवर टाइम जो वर्क लिया जाता है उसके लिए भी आप लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। तो मेरा आपसे सिर्फ यह निवेदन है कि आखिर यह गरीब लोग, छोटे छोटे लोग अपने परिवार को किस तरह पालते हैं, अपने पेट का भरण-पोषण किसी तरह करते हैं—इनके लिए हमें सोचना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि इस चीज का वैसे ही विरोध कर रही हूं, लेकिन विरोध इसलिए कर रही हूं, कि एक दिन में तो कोई काम होने वाला नहीं है। इनका यह जो उद्देश्य है, इसको पूरा किये जाने के लिए बहुत जरूरत इस बात की है कि एक प्रवर समिति बना कर, जिसके नाम बाद में निर्दिष्ट कर दिये जायेंगे, उसको इसे दिया जाय और अगले सत्र में, आगे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में, या जब सरकार को सहूलियत हो तब इन लोगों को लाभ देने की बात की जाय वरना हमारी प्रधान मंत्री का बीस सूत्री कार्यक्रम सफल होने में मुझे सन्देह लगता है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि महरबानी करके इसको इस विधान सभा सत्र के लिए न रख कर अगला सत्र जब शुरू होगा, उस तक इसकी सर्वे करवा करके उसमें इस बिल को पायलट किया जाना चाहिए और तब सारी स्थिति सामने आ आ जायेगी पीड़ित आदमियों की भी और दूसरी भी। तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि छोटे छोटे दुकानदारों को तो इसमें से छोड़ना चाहिए और जो बड़े दुकानदार हैं,

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

जैसा मैंने पहले कहा, जिनका ट्रान्जेक्शन लाखों करोड़ों में हैं, उन पर यह लागू होना चाहिए। इसलिए मैं इसका विरोध करती हूं और प्रवर समिति के लिए मैं यह कहती

(2.30 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

हूं कि प्रवर समिति के द्वारा ही इस मसले को तय किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ में मैं मेरा स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1972 जो श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है, उस बारे में मैंने एक संशोधन प्रस्ताव रखा है प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए। मैं उस सम्बन्ध में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मैंने जो बिल श्री रामानन्द ने प्रस्तुत किया है, उसका बहुत गहराई से अध्ययन किया और देखा कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया है, यह प्रगतिशील है, परन्तु यह भी देखना है कि कोई भी इस प्रकार का कानून बनायें, प्रगतिशील हो, परन्तु उसका प्रेक्टीकल एप्रोच यदि न हो तो प्रगतिशील कानून का इम्पलीमेंटेशन बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए इसकी प्रगति की विचारधारा के साथ साथ में प्रेक्टीकल एप्रोच को भी ध्यान में रखना है। मैं तो चाहता था कि हमारे श्रम मन्त्री जी प्रगतिशील हैं, वे इस प्रकार का बिल प्रस्तुत करते और उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए था क्योंकि यह जो एक्ट पास हुआ है वह 1958 में हुआ इसको काफी समय हुआ है, उसके बाद में कुछ संशोधन जरूर हुए हैं परन्तु आजकल के कान्टेक्स्ट में और जब बीस सूत्री कार्यक्रम हाथ में लेने जा रहे हैं तो उस कान्टेक्स्ट में हमें कुछ प्रगतिशील कदम उठाने हैं। उन प्रगतिशील कदमों को उठाने के लिए श्रम मन्त्री को, जो बजट सेशन आ रहा है, उस में सरकार की ओर से इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए और उसमें जो रामानन्दजी ने उद्देश्य बताए हैं, उनकी कद्र करते हुए उस बिल में इनका प्रावधान किया जाना चाहिए।

यह तो बात स्पष्ट है कि छोटे जो दुकानदार हैं उनको अगर हमने बाध्य किया तो क्योंकि उनकी खुद की कैपेसिटी नहीं है, उनका खुद का जीविका-उपार्जन तो मुश्किल है ही, उनके नीचे जो मुनीम कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी इस प्रकार से रूल्स बना दिए गए तो डिफीकल्ट पोजीशन होगी। परन्तु जो बड़े बड़े व्यापारी और संस्थान हैं, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए और जो मुनीम और कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको छुट्टियां, मेडिकल लीव, इत्यादि मिलनी चाहिए। उनको रिलीजियस फंक्शन्स/अटेन्ड करने पड़ते हैं इसलिये जो गजेटेड छुट्टियां होती हैं उन दिनों उनको भी छुट्टियां होनी चाहिये। यह आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि प्राविडेन्ट फण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये या नहीं। क्योंकि हम कदम उठायें और यह न देखें कि वह प्राविडेन्ट फण्ड देने की क्षमता रखता है या नहीं तो उसके लिये एक कठिनाई प्रस्तुत हो सकती है। इसलिए इसके लिये सोचा जाए। तो यह प्रवर समिति के लिये मैंने रखा है, इसमें सोचा जा सकता है कि

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

प्राविडेन्ट फण्ड की भी प्रोविजन करना चाहिए या नहीं। इन्हीं शब्दों को रख कर मैं चाहता हूं कि यह बिल प्रवर समिति के समक्ष रखा जाए।

श्री सभापति : श्रम मन्त्री।

श्री मोहनलाल छंगाणी (श्रम मंत्री): सभापति महोदय, वैसे जो भी बिल माननीय रामानन्दजी लाए हैं उस बिल के बारे में डिफरेन्स होने की बात नहीं है। कई बातें तो हम कर चुके हैं जैसे मिनिमम वेजेज एक्ट है, दुकानों पर लागू कर चुके हैं। 11-9-74 को हमने निर्णय लिया था, 16-9-74 को गजट में प्रकाशित हो चुका है और मिनिमम वेजेज फिक्स हो चुके हैं। अब प्रोविडेन्ट फण्ड और ई. एस. आई. के प्रोविजन्स इन पर लागू करने का सवाल है प्राविडेन्ट फण्ड 20 और बीस के ऊपर जहां भी कर्मचारी हैं वहां पर लागू है। ई. एस. आई. 10 या उससे ऊपर कर्मचारी हैं, वहां पर लागू है। लेजिस्लेशन कैसा होना चाहिए मैं इस बात में नहीं जाता। बुनियादी बात यह है कि इनकी सर्विस कन्डीशन्स में रद्दोबदल लायेंगे तो भारत सरकार की एप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। यह सोचना कि लेजिस्लेशन अपने आप में सुधार करेगा, मैं इस बात को नहीं मानता। लेजिस्लेशन सोशल नीड को फालो करना चाहिए।

आज निश्चित तौर से जो दुकानों पर काम करते हैं उनकी सर्विस कन्डीशन्स अच्छी नहीं हैं। आब्जेक्टिव कन्डीशन्स कितनी ही अच्छी हों अगर संगठन नहीं है, अगर सामाजिक आवश्यकता क्रिएट नहीं की तो लेजिस्लेशन लागू करने में कठिनाई होती है। मैं बार बार निवेदन करता आया हूं कि जहां जहां छोटे छोटे मजदूर कारीगर हैं, उनका संगठन करके जब तक उनकी आवश्यकताओं को ऊपर नहीं उठायेंगे और सोशल नीड्स के रूप में सामने नहीं लायेंगे तब तक कितने ही कानून बनायें, उनका इम्पलीमेंटेशन होना मुश्किल हो जाता है। प्राविडेन्ट फण्ड, ई. एस. आई. और मिनिमम वेजेज भी लगेंगे। छुट्टियों के बारे में बिल तैयार हो रहा है— फेस्टीवल्स के लिए, केजुअल लीव के लिए, वह तो हम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि बजट सेशन में वह सारे का सारा पूरा तैयार हो जायेगा।

महंगाई के बारे में जो ओम प्रकाश कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट विचाराधीन है, उस पर भी हम निर्णय लेंगे, केबीनेट में जायगी और डिस्कस की जायगी। इसलिए अब स्थिति नहीं है कि मैं इस बिल को एक्सेप्ट करूं। अतः मैं चाहूंगा कि इसे जनमत जानने के लिए भेज दिया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा और जब जरूरत पड़ेगी तो निश्चितरूप से लेजिस्लेशन लाने में सरकार पीछे नहीं हटेगी और लेजिस्लेशन लायेगी। पर इसका संगठन बहुत मजबूत बनाना चाहिए तब जाकर ये सारे के सारे लेजिस्लेशन्स इम्पलीमेंट होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि जो भी माननीय सदस्यों और मंत्रीजी ने अपने विचार प्रकट किये हैं, उन्होंने इस विधेयक की जो मुख्य मन्शा है उसकी भावनाओं से सहमति प्रकट की है। अलबत्ता उसकी डिटेल्स के बारे में, धाराओं के बारे में अलग अलग विचार उन्होंने व्यक्त

Page No 92

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किये हैं। खास तौर से, सभापति महोदय, इस पर पहले भी माननीय सदस्यों ने अलग अलग ढंग से मुद्दे उठाये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक की वास्तव में मन्शा यह है कि आज भी हमारे प्रान्त में लाखों की तादाद में वाणिज्यिक संस्थानों में जो कार्यरत कर्मचारी है, उनकी जो वर्किंग कन्डीशन्स आज हैं उनमें काफी सुधार करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मेरा जो विधेयक है उसका खास उद्देश्य यह है कि इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित हो। उनकी हालत में कुछ सुधार हो उसके लिए मैंने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। सभापति जी, इस विधेयक की एक मुख्य मन्शा यह है कि इस समय जो काम करने के घन्टे हैं वह प्रतिदिन 9 घन्टे हैं यह 9 घन्टे के बजाय 8 घन्टे ही होने चाहिए। दूसरे एक सप्ताह में इन कर्मचारियों से 45 घन्टे ही काम लिया जाना चाहिए। सभापति महोदय, यह आम तौर से सभी लोग मन्जूर भी करते हैं कि एक दिन में सिर्फ 8 घन्टे ही काम लिया जाना चाहिए। इसी सिद्धान्त से मैं यह विधेयक सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज एक हफ्ते में 48 घन्टे काम लिया जाता है उसके स्थान पर सिर्फ 45 घन्टे ही काम लिया जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव इस बिल में है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, आज कल जहां तक सवाल ओवर टाइम का है इस संबंध में यह स्थिति है कि किसी भी कर्मचारी को ओवर टाइम का पेमेन्ट नहीं होता है और कर्मचारियों की ओवर टाइम के मामले में बहुत ही दयनीय स्थिति है। वास्तविकता तो यह है कि आप नौ घन्टे की बात करते हैं उनको भी इन वाणिज्यिक संस्थानों के मालिक वायलेट कर रहे हैं। मैं यह निश्चिततौर से कह सकता हूं कि राजस्थान में एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जो कि इन संस्थानों में काम करता है उसको ओवर टाइम का पेमेन्ट होता हो। ओवर टाइम के बारे में हमारी सरकार ने सन् 1958 में ही कानून पास कर दिया था, इसके अलावा यहां पर पेमेन्ट आफ मिनिमम वेजेज एक्ट पास किया हुआ है और लेबर डिपार्टमेंट में इन्सपेक्टर्स इस बात के लिये तैनात किये हुए हैं, जो यह देखें कि इस प्रकार के कानूनों की कहीं पर अवहेलना तो नहीं हो रही है इसके बावजूद भी यहां पर बहुत सी रजिस्टर्ड संस्थान हैं जहां पर हर संस्थान में बहुत से कर्मचारी काम करते हैं और कई बार उन संस्थानों में काम करने वाले मजदूरों ने ओवर टाइम के लिये प्रश्न उठाये लेकिन ओवर टाइम का पेमेन्ट किसी भी मजदूर को नहीं किया गया। वास्तविकता तो यह है, सभापति महोदय, कुछ दिन पहले हमको इस बात के लिये संघर्ष करना पड़ा कि इन कानून का इम्पलीमेन्टेशन, इस कानून की क्रियान्विति श्रम विभाग के द्वारा की जानी चाहिये। पहले यह कार्य उद्योग विभाग द्वारा देखा जाता था। हमको इस बात के लिये बार बार राज्य सरकार पर जोर देना पड़ रहा था कि यह कार्य लेबर डिपार्टमेन्ट के पास रहना चाहिये। और, सभापति महोदय, मुझे बहुत ही खुशी है कि जो हमारे नये श्रम विभाग के मन्त्री थे उन्होंने इस कार्य को श्रम विभाग के हाथ में लेना मंजूर कर लिया। क्योंकि यह काम मजदूरों के हक का है और श्रम विभाग मजदूरों के लिये बना है और उद्योग विभाग उद्योगपतिय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के लिये बना है तो उद्योग विभाग उद्योग-पतियों का ख्याल रखता हुआ वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को क्या मदद करेगा? सभापति महोदय, आज भी कर्मचारियों के सामने इस बात की दिक्कतें आती हैं। आज भी इस कानून की अवहेलना कई संस्थानों में की जाती है और वहां पर काम करने वाले जब शिकायत करते हैं तो आज भी काफी श्रम विभाग के इन्सपेक्टर्स चैकिंग करने में टालमटोल करते हैं। सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने यहां पर कहा है कि इसके लिए उनके संगठन मजबूत बनाने की जरूरत है, यह बात सही है। मैं उससे सहमत हूं पर, सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं श्रम विभाग सहयोग का हाथ बढ़ावे क्योंकि आज जो भी मजदूरों की यूनियन्स हैं वह काफी कमजोर हैं, मजदूर वर्ग का तबका अभी तक यहां पर पावरफुल नहीं हुआ है। आज अलवर में जो यूनियन है मैंने अपने ही हाथ से जिसको बनाया है वह भी इतनी पावरफुल नहीं हुई कि वह इस बारे में बड़ी हड़तालें कर सकेंगे या मालिकों के खिलाफ में प्रदर्शन कर सके। आज भी कानून होने के बावजूद कई कठिनाइयां आती हैं। आज भी इन संस्थानों के मालिक वायलेट कर रहे हैं। और जब इनके चैकिंग की बात करते हैं तो इन्सपेक्टर्स जाकर उनके मालिकों को यह कहते हैं कि फलां मुनीम ने आपके बारे में शिकायत की है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे वक्त पर मालिक लोग उन मुनीमों को और कर्मचारियों को नोटिसेज नौकरी से निकालने के दे देते हैं। इसलिये वे बहुत ही डरते हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि श्रम विभाग इन कर्मचारियों की ओर सहयोग का हाथ बढ़ाये। अभी तक जो विधेयक यहां पर पेश किया गया इसमें घन्टों की कमी करने की आवश्यकता है। आज भी सर्दियों में 11 घन्टे काम करने का और गर्मियों में 12 घन्टे काम लेने का प्रावधान है। मैंने यह सुझाव दिया है कि दस घन्टे से अधिक नहीं होने चाहिये। आज भी दिल्ली में दस से सात बजे तक काम लिया जाता है यानि 9 घन्टे तक काम लिया जाता है। यहां पर मैंने दस घन्टे तक का सुझाव दिया है। इसके साथ साथ मैंने यह भी उसमें सुझाव दिये हैं कि उनको 15 दिन का मेडिकल लीव भी सवैतनिक दी जानी चाहिये। इसके अलावा 15 दिन की केजुअललीव भी मिलनी चाहिये। इसके अलावा एक महीने की छुट्टियों का प्रावधान होना चाहिये। श्रम मंत्री जी ने जो सदन में इसके बारे में कहा है वह स्वागत योग्य है। इसके लिये एक कान्फ्रेंस हुई थी, जिसमें यह प्रश्न उठाये गये थे, और यह निर्णय लिये गये थे कि इस प्रकार की सहूलियतें दी जानी चाहिये। वैसे तो निर्णय बहुत पहले हो चुका है, इतना पीरियड बीत जाने के बाद भी कोई विशेष कार्य इस ओर नहीं हो सका है। सभापति महोदय, इस सदन में, जब से हमारा सदन शुरू हुआ है, करीब 20 विधेयक हमने पास किये हैं लेकिन श्रम मंत्रालय का सिर्फ एक बिल ही सदन में पास हुआ। जब कि 20 सूत्री कार्यक्रम पर हम अमल करने जा रहे हैं तब तो श्रम मंत्रालय की तरफ से बहुत से विधेयक मजदूरों के लिये आने चाहिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : श्रम विभाग इसके पहले ही बहुत से लेजिस्लेशन ला चुका है लेबर्स के लिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन हमारा तो यह निवेदन है कि जब हम 20 सूत्री कार्यक्रम पर अमल करने जा रहे हैं तब तो आपको ज्यादा विधेयक लाने चाहिये थे श्रमिकों के हित के लिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हम तो मैनेजमेंट में लेबर्स के पार्टिशिपेसन का बिल पहले ही ले आये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारा तो यह निवेदन है कि आप इस प्रकार के बिल्स लेबर्स के फायदे के लिये लाते, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अन्दर एजेन्डा के अंदर लेबर्स के फायदे के लिये बिल कैसे आने चाहियें, इसके लिये सुझाव मांगते तो मैं समझता हूं कि आप ऐसे कितने ही बिल मजदूरों के हितों के लिये ला सकते थे। आज कई कानून ऐसे हैं जिनमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। इसका कारण है कि वह बहुत ही पुराने हो गये हैं, आउट डेटेड हो गये हैं। आज इन्डस्ट्रियल एक्ट में, चाहे वह मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत हो चाहे और कोई बारे में हो, संशोधनों की आवश्यकता है। उनमें नये कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे कि लेबर्स की सिक्योरिटी अधिक हो, उनको अधिक से अधिक सहूलियतें मिलें। तो इस प्रकार से इस विधेयक को मैंने पेश किया है इसमें कुछ ऐसे प्रोविजन्स भी हैं जिनमें मजदूरों के पे-स्केल्स के बारे में तथा मजदूरों के प्रोविडेन्ट फण्ड के बारे में है तथा कुछ ऐसी फन्डामेन्टल बात है जिनको कि आज सभी लोग मानते हैं कि यह होनी चाहिये। जो चीजें सर्वमान्य हो चुकी हैं उनका लाभ कर्मचारियों को मिलना चाहिये। उनका मैंने उल्लेख किया है। सभापति महोदय, आमतौर पर मैं यह नहीं कहता कि छोटे छोटे दुकानदारों पर यह कानून लागू हो, इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि छोटे छोटे दुकानदारों के यहां नौकर होते ही नहीं वह तो खुद ही अपना दुकान पर बैठते हैं। अगर किसी दुकानदार के यहां पर कोई नौकर हो तो होता क्या है कि वह दुकानदार खुद ही दस घन्टे से ज्यादा बैठता है तो उस दुकान पर काम करने वाले मुनीम बेचारे वहां पर अधिक समय तक बैठेंगे। दूसरा सवाल यह है कि अब इसमें सुधार किस प्रकार किया जाय। और भी कठिनाइयां दूसरे संस्थानों में है। जो मुनीम वगैरह या कर्मचारी वर्ग के लोग रखे जाते हैं उनको पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट के तहत पेमेंट होता है या नहीं यह देखने की जरूरत है। इसलिये, सभापति महोदय, मैंने यह बिल सदन में प्रस्तुत किया है। इसमें खासतौर से पेमेन्ट आफ मिनिमम वेजेज की बात है, दूसरा सवाल है प्रोविडेन्ट फण्ड के पेमेन्ट का। इसके अलावा मैंने उनके पे स्केल के बारे में भी सुझाव रखे हैं तथा इसके साथ साथ ही उनकी मेडिकल लीव, केजुअल लीव तथा दूसरी छुट्टियों के बारे में प्राविजन्स रखने का प्रस्ताव रखा है। इन सभी पर डिटेल में जाकर विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पी० एफ० के बारे में बताया कि यह उन संस्थानों पर और दूसरे लोगों पर भी लागू नहीं होना चाहिये जिनकी क्षमता पेमेन्ट करने की नहीं होती। लेकिन आज यह आवश्यकता सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिये है कि पी० एफ० उनको दिया जाय। हालांकि मैं बहुत छोटे लोगों, छोटे दुकानदारों के बारे में बात नहीं करता लेकिन यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बात सभी ओर से स्वीकार की गयी है कि इन लोगों को यह सहूलियतें दी जानी चाहिये। सभापति महोदय, ऐसा तो मैं मान सकता हूं कि इस विधेयक में कुछ अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता है। गवर्नमेंट की यह तैयारी होती और यही अमेन्डमेंट पेश कर देते तो अच्छा होता कि 20 सूत्री कार्यक्रम में हम इसके साथ और जोड़ देते हैं।

सभापति महोदय, इसमें दो तरह के मोशन हैं एक तो जनमत जानने के लिए 6 महीने का किया गया है, इसका मतलब बजट सेशन भी निकल जायगा और 76–77 आ जायगा यानि अपने चुनाव आ जायेंगे। सारी मेहनत करके कानूनी शक्ल दे सकेंगे। यह सन्देहास्पद हो जाता है, और यह बिल लैप्स हो जायगा। मैं समझता हूं गवर्नमेंट का यह इनटेन्शन नहीं होगा। अच्छा होता गवर्नमेंट यही अमेंडमेंट लाती और इसी सदन से मन्जूर करा लेती- सेकिण्ड प्रवर समिति को दिया जाता या अगले सेशन में विचार कर लेते। किन्तु जनमत जानने के बाद फिर प्रवर समिति जाय तो यह सन्देह पैदा होता है कि पास हो सकेगा या नहीं। इसी विधान सभा द्वारा नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार जायगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने निर्णय किया है और गवर्नमेंट की मेजोरिटी है इसलिये इस से कोई लाभ नहीं और उसके जरिये से कोई लाभ नहीं है। इसलिए माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा जो 6 माह का मोशन रखा है उसको तीन माह का कर दें शायद ऑटम सेशन हो तो उसमें आने की आशा हो सकती है। माननीय सदस्य जो मोशन मूव करने वाले हैं, जनमत जानने के लिए वे तीन माह का कर दें तो बहुत सुन्दर होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार रखकर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनमत जानने के लिए जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

अशासकीय संकल्प

राजस्थान में बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु समिति का गठन

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं सदन के समक्ष यह संकल्प रखता हूं—"इस सदन के माननीय सदस्यों की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु अनिवार्य है।" प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले मैं आपात स्थिति की जो घोषणा 26 जून, 1975 को हमारे देश की प्रधान मंत्री जी श्रीमती इन्दिरा गांधी ने की थी, उस पर विचार प्रकट करने का प्रयास करूंगा। हम अभी भी आपात स्थिति में से गुजर रहे हैं और इस आपात स्थिति में हमारे देश की प्रधान मंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक जुलाई को 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम रखा आपात स्थिति की एकदम

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

आवश्यकता और इसके साथ साथ 20 सूत्री कार्यक्रम देश के सामने रखना और इसकी क्यों आवश्यकता महसूस हुई, इस पर मैं कुछ पहले बोलना चाहता हूं····

श्री विजयसिंह : माननीय सभापति महोदय, कोरम नहीं है ।

(गणपूरक घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री सभापति : यस ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, मैं यह कहने जा रहा था कि आपात स्थिति की घोषणा का क्यों आवश्यकता हुई ? आपात स्थिति की घोषणा इसलिए आवश्यक हुई कि हमारे देश में इस प्रकार के विघटनकारी तत्व, हिंसा पर विश्वास करने वाले तत्व एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे थे कि अगर आपात स्थिति की घोषणा नहीं की जाती तो देश एक संकट की स्थिति में फंस जाता । इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई कि जब गुजरात में कांग्रेस पार्टी का राज्य था, बहुमत का राज्य था उस समय विरोधी पार्टियों ने विधान सभा के सदस्यों को जबरन इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया । ऐसी ही स्थिति बिहार में भी करने लगे और विद्यार्थियों में ऐसा प्रचार किया गया कि वे हड़ताल की ओर अग्रसर होने लगे, कारखानों में भी हड़तालें होने लगीं और हमारे देश के केन्द्रीय सरकार के मंत्री श्री ललित मिश्र पर आक्रमण हुआ और वे उस आक्रमण के शिकार हुये । उसके साथ साथ में हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी बम विस्फोट किया गया । ऐसी स्थिति पैदा हुई कि विघटनकारी संस्थाओं ने, विघटनकारी ताकतों ने ऐसी अराजकता पैदा की कि आपात् स्थिति की घोषणा किये बिना देश में लोकतन्त्र की रक्षा नहीं हो सकती थी, देश में जनतन्त्र की रक्षा नहीं हो सकती थी । देश में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिये यह कदम उठाना पड़ा । यह कदम उठाने से देश में अच्छा वातावरण पैदा हुआ, अनुशासन की भावना बढ़ने लगी, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि रखने लगे, सरकारी कर्मचारी भी अपना ईमानदारी से कर्तव्य निभाने लगे, कार्यकर्त्ताओं और नेताओं ने भी कुछ ताकत के साथ में, कुछ चुस्ती के साथ में काम करने के लिये कदम उठाये ।

आपात स्थिति की घोषणा के बाद जो आर्थिक कार्यक्रम आये, जो बीस सूत्री कार्यक्रम हमारे देश में आया अगर हम गौर से देखें तो उन कार्यक्रमों में जो विशेष कार्यक्रम हैं वह गरीबों को ऊंचा उठाने का कार्यक्रम है । हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर चौथी पंचवर्षीय योजना तक देश का विकास किया परन्तु उस विकास में अधिकांश जो पैसे वाले थे उनको अधिक लाभ हुआ और गरीबों की स्थिति में जो सुधार होना चाहिए वह सुधार नहीं हुआ । जब हमने 1972 के चुनाव लड़े और 1971 में अप्रेल के चुनाव लड़े गये थे तभी हमने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था । यह जो हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया था उसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक था कि जब तक हम गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं तब तक हम वास्तविक रूप में जो हमारे देश की उन्नति होनी चाहिए वह उन्नति नहीं कर सकते । अब इन आर्थिक कार्यक्रमों के के अन्तर्गत जो आर्डिनेन्सेज राज्य सरकार ने और गवर्नर महोदय ने रखे थे उनको विधेयक के रूप में विधान सभा में रखा गया

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

और वह हमने पास किये। जो भी एक्ट्स पास किये गये हैं 5 तारीख से लेकर 22 तारीख तक अधिकांश एक्ट गरीब व्यक्तियों को ऊंचा उठाने के लिए पास किये गये हैं। उन कानूनों को हमने पास कर दिया परन्तु कानूनों को पास करने से ही हम हमारे कर्त्तव्यों की पूर्णरूप से पूर्ति नहीं कर सकते जब तक कि उन कानूनों का परिपालन और क्रियान्वयन नहीं करते और इसको जो विधान सभा की उच्चस्तरीय समिति है वही अच्छी तरह से क्रियान्वित कर सकती है क्योंकि उन कानूनों के पीछे हमारी क्या इन्टेन्शन है, हमारी क्या भावना है, हमारी क्या नीयत है वह हम विधान सभा के सदस्य ही, जिन्होंने यह कानून पास किये हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने किस पर्पज के लिए, किस आब्जेक्ट के लिए यह कानून पास किए। इनके क्रियान्वयन के लिए हम विधान सभा सदस्यों की समिति बनायें और यदि इसका अवसर हमको नहीं मिला तो हमारे लिए यह उचित नहीं होगा और यह प्रजातन्त्र के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हम प्रजातन्त्र के युग में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी के युग में विधान सभाई सदस्य और पार्लियामेंट के सदस्य जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं। पार्लियामेंट के सदस्य पार्लियामेंट्री कान्स्टीटुएन्सी को रिप्रजेन्ट करते हैं और विधान सभा के सदस्य एक कान्स्टीटुएन्सी, जो कि एक लाख से अधिक की जनसंख्या की होती है, का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है।

राज्य सरकार ने भी इस बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्य-स्तरीय एक कमेटी का गठन किया है। तो प्रश्न यह उठता है कि राज्य-स्तर पर मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में इस बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जब एक समिति का गठन कर दिया गया तो फिर क्या आवश्यकता है कि इस विधान सभा के सदस्यों की उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जाये। इसका जवाब देना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। प्रश्न यह है कि राज्य-स्तर पर जिस समिति का गठन किया गया है उसके सदस्यों की सूची मेरे पास में है। उसमें जो सदस्य हैं उनमें मुख्य मंत्री जी चेयरमैन हैं। 4 एम० एल० ए० हैं, एक एम० पी० हैं, कुछ आफिशियल्स हैं और कुछ आर्गेनाइजेशन्स के रिप्रजेन्टेटिव्ज हैं। इसमें एक शिड्यूल्ड कास्ट्स के सदस्य केवल श्री रावतरामजी हैं और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई भी सदस्य नहीं है। अब हम इस प्रकार की समिति बनायें जिसमें कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एक भी सदस्य नहीं जब कि सर्विसेज में हम 12 पर्सेन्ट उनको रिप्रजेन्टेशन देते हैं और हमारी विधान सभा में भी 184 में से 53 सदस्य शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के हैं और जो समिति का गठन किया गया है उसमें सिर्फ एक शिड्यूल्ड कास्ट का सदस्य लिया है। यह जो हमने कानून पास किये हैं उनमें सबसे बड़ा कार्य जो हमें करना है वह यह है कि हमें गरीबों को ऊंचा उठाना है, हमें कमजोर वर्ग को ऊंचा उठाना है और उस कमजोर वर्ग और गरीब वर्ग में कौन कौन आते हैं अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग आते हैं। महिला भी उसमें सदस्य है और वह भी एक ही है। श्रीमती नगेन्द्रबाला उसकी सदस्या हैं। मंत्री की हैसियत से नहीं हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब हम गरीब वर्ग और कमजोर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

वर्ग की उन्नति करना चाहते हैं और यह कानून जो हमने पास किये हैं वह उनकी उन्नति और तरक्की के लिए और उनको ऊंचा उठाने के लिए किये हैं, फिर भी उसके अन्दर उनका प्रतिनिधित्व भी नहीं है तो राज्य-स्तर की जो समिति है वह इम्प्ली-मेन्टेशन के लिए अपने कर्त्तव्यों को नहीं निभा सकती है। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर और विचार कर यह प्रस्ताव रखा है।

अब जो राज्य-स्तर पर भी समिति गठित हुई है मैंने उसकी प्रोसीडिंग्स को भी स्टडी किया है। तीन उसकी बैठकें हुई हैं और उसमें ज्यादा एक्टिव पार्ट श्री रामा-नन्द जी ने लिया है। टिनेन्सी एक्ट के बारे में उन्होंने कुछ सुझाव रखे हैं। टिनेन्सी एक्ट में कुछ परिवर्तन किये जायं सबलेटिंग के बारे में, शेयर क्रॉप्स के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं। इसी प्रकार से सीलिंग के बारे में ज्यादा जमीन कैसे प्राप्त की जा सकती है इसके लिए भी विचार रखे हैं। तो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि तीन जो उसकी बैठकें हुई उन तीनों बैठकों में भी क्रियान्वयन करने का कारगर कदम कोई नहीं उठाया। अगर विधान सभा के सदस्यों की उच्च-स्तरीय समिति होती है तो वह दस दिन तक लगातार सिटिंग कर सकती है जब कि पब्लिक अण्डरटेकिंग्स कमेटी की दस दिन कन्टीनुअसली मीटिंग हो सकती है, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की दस दिन कन्टीनुअसली मीटिंग हो सकती है तो यह कार्यक्रम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य-क्रम है, जो हमारी पालिटिकल जागृति का कदम है, हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, हमारे राजनैतिक जीवन में इसकी विशेष महत्ता है इस प्रश्न के लिये एम.एल.ए. की उच्च-स्तरीय समिति बने तो वह कन्टीनुअसली 15 दिनों तक सिटिंग कर सकती है। जब हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के वैलफेयर के लिए समिति का गठन कर सकते हैं और वह समिति शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए कार्य कर रही है, तो हम क्यों नहीं इस प्रकार की समिति का गठन करें जो कि बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सक्रिय कदम उठाये।

प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार की अगर समिति बने तो वह जिला स्तर पर क्या कार्य कर सकती है? प्रश्न यह उठना भी स्वाभाविक हो जाता है। जिला स्तर पर आज अगर कोई भी समिति बने तो वह जिला स्तर पर जा सकती है। उनके वर्किंग को एग्जामिन कर सकती है। कोई भी पब्लिक अण्डरटेकिंग जब जिले में जाकर एग्जामिनेशन कर सकती है, शिड्यूल्ड कास्ट्स एन्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स वैलफेयर कमेटी जिले में जाकर एग्जामिनेशन कर सकती है कि किस प्रकार इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो यह विधान सभा की समिति इस कार्यक्रम का किस प्रकार इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, इसको क्यों नहीं एग्जा-मिन कर सकती? हमारे प्रान्त के मुख्य मंत्रीजी ने भी चण्डीगढ़ से आने के बाद 3 जनवरी को घोषणा की, जो 4 जनवरी की राजस्थान पत्रिका में और राष्ट्रदूत में प्रकाशित हुई। उन्होंने इस बात के लिए जोर दिया है कि इस कार्य को गति देने के लिए और इस कार्यक्रम का सिंहावलोकन करने के लिए, पुनरावलोकन करने के लिए एक समिति का गठन किये जाने के प्रश्न पर मैं सोच रहा हूं। उसका आकार कैसा हो,

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

किस प्रकार का हो, इस प्रकार की थिंकिंग उनके दिमाग में है। वे सोच रहे हैं और अपने माइन्ड का कुछ आइडिया उन्होंने दिया है, जो मैंने 4 जनवरी को राजस्थान पत्रिका में पढ़ा उससे मालूम पड़ता है। जब इस प्रकार की वे समिति का गठन करना चाहते हैं और वे करना चाहते हैं यह जानते हुए भी कि राज्य स्तर पर बनी हुई है, जब वे इस प्रकार की घोषणा करते हैं तो मैं यह चाहता हूं कि अगर विधान सभा के सदस्यों की उच्च-स्तरीय समिति होगी तो यह कारगर ढंग से कार्य कर सकती है।

अब मैं इस मुद्दे पर आना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम हमने हाथ में लिए हैं, हमारी विधान सभा के सदस्यों की अगर समिति बनती है तो यह कानून जो पास किए गए हैं उनमें जो तरमीम करनी है उन पर भी समिति गहराई से गौर कर सकती है। दूसरी कमेटी इतनी गहराई से गौर नहीं कर सकती है, विधान सभा के सदस्यों की उच्च-स्तरीय समिति हो तो वह कर सकती है। उन कानूनों में तरमीम करनी हो, अमेंडमेंट करना हो जो हमने पास किये हैं, और प्रोग्रेसिव मेजर्स अडाप्ट करने हों या किसी प्रकार की एम्प्लीमेंटेशन में कठिनाई आ रही हो, जो कानून पास किये हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में प्रेक्टिकल एप्रोच क्या हो, उसके बारे में भी विधान सभा के सदस्यों की जो उच्च-स्तरीय समिति बनेगी वह थिंकिंग कर सकती है। तो इसलिए हर तरह से इस समिति का बनाना आवश्यक है।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह जो कार्यक्रम हाथ में लिए जायं, बीस-सूत्री कार्यक्रम के बारे में कल श्री जगजीवन राम जी ने जो सबसे पहली बात पर जोर दिया है वह यह है कि इस कार्यक्रम में, जो बीस-सूत्री कार्यक्रम है, सबसे पहला कार्यक्रम है कि भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी जाय। भूमि सुधारों के कार्यक्रम को प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने जोर दिया है। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब परसरामजी मदेरणा के रेवेन्यू मिनिस्टर बनने के बारे में जरूर वे कुछ प्रगतिशील कानून लाए हैं। राजाओं की जो स्टेट्स थीं उनके बारे में पहले से कानून बना हुआ था, हाई कोर्ट से स्टे था उन्होंने कोशिश करके एक हमारे सामने विधेयक प्रस्तुत किया और विधेयक हमने पास किया। उसके कारण उस कानून के कारण, आर्डिनेंस पारित हुआ उसके कारण हमें बीस हजार बीघा जमीन प्राप्त हुई। और भी राजाओं से हमारी गवर्नमेंट अपनी ताकत से, मुस्तैदी के साथ में जमीन रिज्यूम कर रही है। इस काम में कुछ पेचीदगियां आई हैं और पेचीदगियां इस प्रकार की आई हैं कि राजाओं ने भी अपनी जमीनों को काफी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया है। गरीब आदमियों को ट्रांसफर कर दिया है और यह मेरे साथी, डूंगरगढ़ के साथी, जब हमारी ग्रुप मीटिंग हुई थी, उसमें कह रहे थे, और भी जमीनें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को राजाओं ने ट्रांसफर कर दी हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों ने वह जमीनें खरीदी हैं, वह अधिक पैसे देकर खरीदी हैं तो अब उनसे कम्पेन्सेशन लिया जाय। यह प्रश्न उठना भी स्वाभाविक हो जाता है, तो इसके लिए मेरा दृष्टिकोण यह है कि अबरन राजाओं ने उनसे पैसा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

लिया, इसलिए उनसे कम्पेन्सेशन नहीं लिया जाना चाहिए। राजाओं ने गलत ट्रांसफर किए हैं, कानून के खिलाफ ट्रांसफर किए हैं उन राजाओं के खिलाफ, भूतपूर्व राजाओं के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। अभी सीलिंग के अन्तर्गत जो कुछ भी परिवर्तन किए गए हैं वह परिवर्तन कुछ प्रोसीजर के परिवर्तन किए गए हैं। उनको एक अवसर दिया गया है कि जिनके पास में सीलिंग से अधिक जमीन है उनको एक अवसर दिया गया है कि वे सप्लीमेंट्री रिटर्न और रिटर्न दे सकते हैं। उनको एक अवसर दिया गया है, एक मौका दिया गया है उस आर्डिनेंस को पास करने के बाद और यहां जो विधेयक एक्ट के रूप में आया तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा कि 650 रिटर्न और सप्लीमेंट्री रिटर्न प्रस्तुत हुए हैं। यह एक अच्छा अवसर मिला उनको और उसके बाद में जो कानून बनाया गया है कि उनका अगर फाल्स रिटर्न है, फर्जी रिटर्न उन्होंने दिया है तो उस पर दो साल की सजा और दो हजार जुर्माने का प्रावधान किया है। यह भी अच्छा कदम है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने 31 दिसम्बर 69 तक जितने भी बोनाफाइड ट्रांसफर हुए उनको रेगुलराइज कर दिया। हालांकि मैं उसके विरोध में था उन ट्रांसफर्स को रेगुलराइज नहीं किया जाना चाहिए परन्तु वे रेगुलराइज किए गए। रेगुलराइज करने के बाद जो मेलाफाइड ट्रांसफर हुए उन मेलाफाइड ट्रांसफर्स के बारे में भी कदम उठाना है और कदम उठा कर जमीन प्राप्त करनी है। उसके बाद जो बेनामी ट्रांजेक्शन्स हैं वह अधिकतर उन्हीं जिलों में हैं जहां कि उपजाऊ जमीन ज्यादा है, जैसे गंगानगर जिला है। इसी प्रकार गंगानगर जिले में जो बेनामी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और जिन्होंने सीलिंग के कानून की इस प्रकार अवहेलना की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना है। वह कोई भी हो, चाहे विधान सभा का सदस्य हो, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो, जिन्होंने भी बेनामी ट्रांजेक्शन्स सीलिंग कानून की अवहेलना करके किये हैं उनके विरोध में कदम उठाना पड़ेगा तभी जाकर हमारी पार्टी मजबूत होगी और हमारे अन्दर जो इस प्रकार के एलीमेंट हैं, जो बीस सूत्री कार्यक्रम को फोलोअप नहीं करते, अभी तक सामन्त युग में रहते हैं, जो शोषण करते हैं उनको हमारी पार्टी में नहीं रहना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमने अभी कानून पास किए हैं, हम जायेंगे हमारे क्षेत्र में तो एक संघर्ष आप देखेंगे, एक शोषण करने वालों में और जिनके ऊपर शोषण किया जा रहा है उनमें बड़ा भारी संघर्ष चलेगा। एक बड़ा भारी युद्ध चलेगा यह मैं आपको कह रहा हूं और वे जो शोषण करने वाले हैं, और जिनको हमने यह कानून बना करके सुविधा दी है, हमने उनको लाभ दिया है इन कानूनों से, अभी तक भी शोषण करेंगे और इन कानूनों की क्रियान्विति नहीं करने देंगे। यह स्थिति है।

अभी हमने एक कानून बोंडेड लेबर का बनाया। बोंडेड लेबर की यह प्रथा थी। पहले मैंने देखा था जागीरदारों में यह प्रथा थी। राजाओं में प्रथा थी बोंडेड लेबर की उसके लिए कानून बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आर्डिनेंस बनाया है, वह विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और पास हुआ है। महिलाओं को बांदियों और गोलियों के रूप में दहेज में देते हैं।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अभी तक दहेज में दिया जा रहा है। हालांकि अब यह बहुत कम केसेज हैं, कम होने लगे हैं तो भी इस प्रकार से जो महिलाओं को दहेज में दिया जाय राजाओं के द्वारा, भूतपूर्व राजाओं के द्वारा, जागीरदारों के द्वारा, उनका पूरी तरह से हमें विरोध करना है और इन सामन्ती तत्वों को जो इस प्रकार के हैं, ऐसे बच गए हैं, समाप्त करना है। अभी तक भी इस प्रकार की पोजीशन है। इस प्रकार के भी तत्व हैं कि जो सागड़ी प्रथा है, विशेष कर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 185 केसेज इस प्रकार के केसेज पकड़े गए हैं, उन केसेज की अच्छी तरह से पैरवी करनी है।

मैं, सभापति महोदय, राज्य सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह जितने भी गवर्नमेंट के केसेज प्लीड करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से वकील जो मुकर्रर होते हैं उनमें अधिकांश वकील गवर्नमेंट का राइटली प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। अपनी सिफारिश के तौर पर अपना मुकर्रर करा देते हैं इस प्रकार के वकील जो कि रेवेन्यू बोर्ड में केसेज खराब करते हैं, हाईकोर्ट के केसेज खराब करते हैं और अच्छी तरह से पैरवी नहीं करते हैं उनके पैरवी नहीं करने से नुकसान होता है। तो मैं चाहता हूं कि एक तरफ हम गरीब व्यक्तियों को लीगल ऐड देना चाहते हैं। आल इंडिया बेसिस पर यह कोशिश की जा रही है। हम गरीब व्यक्तियों को लीगल ऐड दें। गवर्नमेन्ट ने जो वकील मुकर्रर किए हैं वे जनरली केसेज को खराब कर देते हैं इसलिए उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिए। इस प्रकार के पैनल एडवोकेट्स गवर्नमेन्ट एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट मुकर्रर कर दिये जाते हैं, यह उचित नहीं है। हमने गरीब व्यक्तियों को कानूनी सहायता के लिए 5 लाख रुपये की सेंक्शन दी है। गरीबों के लिए, 5 लाख रुपये में, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कानून हमने बनाये, उसके अन्तर्गत आप उनकी सहायता करना चाहते हैं। इसके लिए लॉयर्स की लिस्ट आप दें, पैनल दें जो लिस्ट है उसमें तो ऐसे वकील अधिक हैं जिनको कि कानून की कम जानकारी है। उनकी प्रेक्टिस अच्छी नहीं चलती है। ऐसे लोगों को गवर्नमेन्ट ने वकील मुकर्रर कर रखा है। इस प्रकार के वकील मुकर्रर करेंगे लीगल ऐड के लिए, जो प्रेक्टिस करना चाहते हैं, जिनका कि कोई अनुभव नहीं है, तो उससे गरीबों का अनर्थ होगा, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए लीगल ऐड देने के लिए यह आवश्यक है कि आप ऐसे लॉयर्स का पैनल बनावें जो कि योग्य हों और अनुभवी हों। उनको अच्छी फीस भी दी जावे। आप भी चाहते हैं कि लीगल ऐड के लिए वकील वालिन्टियर सर्विस दें। मैंने भी प्रेक्टिस की है, इस बारे में मेरा भी अनुभव है और उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि कोई भी वकील वालिन्टियर सर्विस करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे बहुत ही कम होंगे। जो वकील होते हैं अक्सर उनकी यह कोशिश होती है कि अधिक धन प्राप्त हो। अधिक से अधिक पैसा लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप जो वालिन्टियर सर्विस करने वाले हैं पहले उनकी परीक्षा ले लें वाकई उनको इसके

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

लिए स्प्रिट है और स्प्रिट है तो उनको लें अन्यथा वे केसेज को खराब करेंगे और सही ढंग से केसेज को नहीं लड़ेंगे जिससे गरीब आदमियों का नुकसान होगा। लीगल ऐड के अन्तर्गत गरीबों की सुरक्षा के लिए जितने भी कानून हैं, वकील उनको कानूनी सहायता देंगे। इसके लिए हमें पूरी तरह से सावधान होकर, सजग होकर, निष्पक्ष होकर और ईमानदारी के साथ प्रयत्न करना है।

एक प्रश्न आता है लेण्ड रिफार्म्स के बारे में लैण्ड रिफार्म्स के बारे में कहा। आप टिनेन्सी का बिल 1972 में लाये और सलेक्ट कमेटी ने 1973 में रिपोर्ट दी। इस टिनेन्सी विधेयक में काफी प्रोग्रेसिव मेजर्स हैं। काफी समय लिया गया था। रामानन्दजी अग्रवाल और मैं भी इस कमेटी का सदस्य था और हमने बहुत ही प्रोग्रेसिव लॉ प्रस्तुत किया है। मैं यह चाहता हूं कि वास्तव में हम किसानों की भलाई करना चाहते हैं उनकी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, गरीब आदमियों की तरक्की करना चाहते हैं तो आपको बजट सेशन में ही इस टिनेन्सी विधेयक को यहां पर प्रस्तुत करना चाहिए। अब जो सेक्सन 91, राजस्थान लेन्ड रेवेन्यू एक्ट में प्राविजन किया गया है, ऐसी बात नहीं है कि वह प्राविजन ठीक नहीं है, ठीक है और अतिक्रमण करने वाले को सख्त सजा देनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बशर्ते कि राजा न हो।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ठीक है। परन्तु इस प्रकार के केसेज आए हैं। ऐसे केसेज आए हैं। पहले लेन्ड अलाट कर दी। फिर यह इन्स्ट्रक्शन हुए कि लेण्ड अलाटमेंट कमेटी की बैठक न हो। लैंड अलाट नहीं की गई। वह पजेशन करता आया। तो उन पर भी पचास गुना पैनल्टी लगायें, यह उपयुक्त नहीं होगा। इसके बारे में विचार यहां पर रखे गये। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने इस बारे में ऑर्डर्स निकाल दिये। हमें यह विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट गरीब आदमियों के प्रति बड़ी सद्भावना रखती है। उनके ध्यान में यह लाया गया कि इससे गरीब आदमियों के साथ अन्याय हो जायगा। तो इस प्रकार के कदम उठावें जिससे कि वाकई में गरीब आदमियों को राहत मिले।

दूसरा जो प्रश्न है, वह महत्वपूर्ण है कि गरीब आदमियों को जिसके पास जमीन नहीं है, रहने के लिए आपने प्लाट दिया। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कदम उठाये हैं। यह कदम हिन्दुस्तान के इतिहास में सराहनीय है। आठ लाख लोगों को पट्टे दिये गये। इसमें गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स ने बहुत ही सतर्कता से, बड़ी ईमानदारी से, सजगता से काम किया है। हम उनकी सराहना करते हैं। प्रश्न उठता है कि 8 लाख पट्टे तो आपने दे दिये। जमीन देने से ही वे बस नहीं जाते हैं जब तक उनको बसाने के लिए आप द्वारा काम नहीं किया जाता है। यद्यपि बीस सूत्री कार्यक्रम में सिर्फ प्लाट देने का ही कार्यक्रम है, परन्तु प्लाट देने के साथ साथ जब तक बसाने की कार्यवाही नहीं करते हैं वे बस नहीं सकते हैं। आपने यह भी कहा कि आप चार हजार का ऋण उनको देंगे। 8 लाख पट्टे आपने दिये हैं और चार हजार का ऋण प्रत्येक को देंगे तो इसके लिए आपको 3 अरब 20 करोड़

Page No 103

(103)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

रुपये की आवश्यकता होगी। तीन अरब बीस करोड़ रुपया देने की गवर्नमेंट की स्थिति नहीं है, यह मैं जानता हूं परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि गवर्नमेंट ने पहले इनको चार हजार रुपये का ऋण देने का जो कदम उठाया था, उससे गवर्नमेंट की पोजीशन को धक्का लगा है। यह बतलाया गया कि 1.96 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। वास्तव में यह 1.96 करोड़ रुपया स्वीकृत तो किया गया है परन्तु वह दिया नहीं गया है। जिनके प्लॉट्स के लिए राशि स्वीकृत की गई थी उनको वास्तव में अभी तक पैसा नहीं दिया गया है और हमारे मुख्य मन्त्री जी अभी देंगे भी नहीं, उनको देंगे जिनको कि एक इंस्टॉलमेंट दे दी गयी है। दूसरों को नहीं देंगे। तो आपने ऐसा कदम उठाया ही क्यों? हमारे प्रान्त की ऐसी स्थिति है तभी देखना चाहिये था। आठ लाख पट्टे, प्लाट देंगे तो इनको बसाना भी होगा। उनके लिए अगर इस प्रकार की योजना बनायेंगे तो 3 अरब 20 करोड़ रु० और खर्च करना होगा। मैं तो यह चाहता था कि गवर्नमेंट आज भी अगर यह चार हजार रुपये ऋण के रूप में नहीं दे सके तो हमें लोगों को धोखा नहीं देना चाहिये था। हम विधान सभाइयों को धोखा नहीं दिया जाना चाहिये था। अनुसूचित जाति और वनजातियों को इतना विश्वास दिलाया जा रहा है, इतना कान्फीडेन्स और इतनी आशा बन्धाई जा रही है, इसके बजाय स्पष्ट स्थिति राज्य सरकार को बतानी चाहिये थी। राज्य सरकार अगर बसाने का कार्य नहीं कर सकती है तो पक्के मकान के बजाय कच्चे मकान की स्कीम बनावे। और कच्चे मकान भी बनाकर नहीं दे सके तो 50 परसेन्ट उन लोगों से कन्ट्रीब्यूशन ले लें। आखिरकार, कोई प्रेक्टिकल स्कीम राज्य सरकार को जनता के सामने प्रस्तुत करनी चाहिये और जो भी स्कीम रखें उसका क्रियान्वयन होना चाहिये। ऐसी कोई स्कीम न रखें जिसको कि गवर्नमेंट बाद में पूरा नहीं करवा सके। इसलिए मैं यह कह रहा था कि विधान सभा के सदस्यों की एक उच्चस्तरीय कमेटी बने, तो वह कमेटी इन सब कार्यों का अवलोकन कर सकती है। कुछ जिलों में आपने जयपुर के नजदीक भू-कुन के लोगों को लोन दिया है और बाड़मेर जिले की रानी गांव कोआपरेटिव सोसायटी को, चूंकि श्रीमती इन्दिरा गांधी का कार्यक्रम था, एक इन्स्टालमेंट दे दी। एक कोआपरेटिव सोसायटी को आपने ऋण दिया है। हमारे जिले के साथ बराबर अन्याय करते जा रहे हैं। आज विकास योजनाओं में खर्च किया जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना, इन सब में कम खर्च किया जा रहा है तो बाड़मेर की आप क्यों इस प्रकार से अवहेलना करते हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गरीबों के लिए सोच रहे हैं उस प्रकार से जरूरी है कि जो पिछड़े हुए जिले हैं और जो क्षेत्र सीमावर्ती है उनके लिए भी आप सोचें। आप अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर सकेंगे तो आपको खतरा पैदा हो सकता है, देश को खतरा पैदा हो सकता है।

मैं हमेशा बिजली के बारे में जोर देता हूं, लेकिन बिजली के प्रश्न को आप टाल देते हैं। कोई भी विकास के बारे में प्रश्न करता हूं तो हमारे प्रश्नों को टाला जाता है। आप देख लें कि बाड़मेर और जैसलमेर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

जिले सीमावर्ती जिले हैं और पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। अगर इन जिलों की जनता का आपने मोरल नहीं बढ़ाया, अगर वह कमजोर हुए तो स्थिति खराब होगी। क्योंकि पहली जो चीज है वह यह है कि उसका मुकाबला हमें करना है। हम आपके बोर्डर के प्रहरी हैं। हम ही इस प्रान्त की रक्षा के लिए प्रथम प्रहरी हैं। अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति खराब होगी। मैं इस विषय को इस प्रकार कहना चाहता हूं कि जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो बोर्डर पर कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए आपको विशेष योजना बनानी चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनका नैतिक स्तर ऊंचा बढ़े, और वे जब कभी भी पाकिस्तान का हमला हो उनका नैतिक स्तर ऊंचा होने से, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से वह उनका मुकाबला कर सकें। अधिकांश में जो लोग बोर्डर पर बसे हुए हैं वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हैं, और उन लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है। तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए।

अब प्रश्न यह उठता है कि इसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है। भूमि सुधार के बारे में जिक्र किया है, और अब जो और समस्याएं आवश्यक हैं उनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। अब जो कार्यक्रम है उसका जो पहला सूत्र है वह है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में मूल्य की गिरावट के रूझान को बनाये रखना और उत्पादन की गति को तेज करना। अब आप इस मामले में सफल हुए हैं। उत्पादन भी बढ़ा है और आवश्यक वस्तुओं के भावों में भी गिरावट आई है। यह बड़ी भारी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, हमारे प्रान्त के लिए। हमने जो लक्ष्य खरीफ के बारे में बनाये थे उनकी पूर्ति की है, और अब 75 में रबी और खरीफ के जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति कर सकेंगे इसका हमको पूर्ण विश्वास है। पर आवश्यक वस्तुओं के बारे में कानून का किस प्रकार का इम्प्लीमेन्टेशन करना चाहिए, राजस्थान में इसका इम्प्लीमेन्टेशन जिस प्रकार से दूसरे प्रान्तों में हो रहा है, जिस प्रकार से आर्थिक अपराधों के लिए जो केन्द्र में हो रहा है, उस प्रकार से नहीं हो रहा है। राजस्थान में जो करों की चोरियां करते हैं, जो आर्थिक अपराध करते हैं उनके बारे में जो कदम आपने उठाये हैं उसके बारे में जो मैंने सूचना प्राप्त की है उसके अनुसार कुछ नहीं उठाये गये हैं। 3 हजार केसेज हुए हैं और 61 हजार की प्रापर्टी जब्त की गई है। यह कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। यहां पर इस प्रकार का करप्शन फैला हुआ है उसको रूट आउट करने के लिए जो भी इस मामले में करप्शन करता है उन ताकतों को, उन शक्तियों को कमजोर करना हैं, उनको जर्जर करना है, ताकि वह शक्तियां अपना सिर न उठा सकें और गरीब आदमियों और उन कन्ज्यूमर्स को धोखा न दे सकें। इस संबंध में भी आपको कदम उठाने हैं और सख्त कदम उठाने हैं। आपने यह घोषणा की थी कि आर्थिक अपराधों के लिए अलग कोर्ट्स स्थापित करेंगे, लेकिन वह अभी तक अलग कोर्ट्स आर्थिक अपराधों के लिए स्थापित नहीं किये। तो आर्थिक अपराधों के लिए आपको अलग कोर्ट्स स्थापित करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए ताकि जो भी आर्थिक अपराध इस प्रकार के करते हैं उनके

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

खिलाफ सख्त कदम उठा सकें। स्मगलिंग और ब्लेकमार्केटिंग जो भी करने वाले हैं जो मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। ऐसी फोर्सेज के बारे में जो कि मीसा के अन्दर गिरफ्तार हुए हैं, जो स्मगलर्स और ब्लेकमार्केटियर्स हैं जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में करते हैं उनके बारे में सजग होना चाहिए और उनके बारे में हमें सख्त कदम उठाने हैं।

हमने जो लेवी के बारे में और वसूली के बारे में लक्ष्य रखे थे और वह प्राप्त हुए हैं। उसके लिए राज्य सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने लक्ष्य से भी ज्यादा प्राप्त करली है······

श्री परसराम मदेरणा : 20 सूत्री कार्यक्रम पर बोल रहे हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दोनों पर मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अब प्रश्न यह उठता है कि ग्रामीणों को कर्ज से मुक्त करने का आपने कानून रखा है उस कर्ज से मुक्त करने के कानून का इम्प्लीमेन्टेशन होगा वह किस प्रकार से होगा ? क्योंकि कर्ज इस प्रकार के भी है जो किसान ने किसान को दिया, कर्ज इस प्रकार के भी हैं, यह मुझे पता पड़ा है, जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले ने शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले को दिया। महाजन तो एक्स्प्लायटेशन करता है परन्तु जहां पर किसान ने किसान से लिया हैं, जहां पर शिड्यूल्ड ट्राइब वाले ने शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले से लिया है, जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले ने शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले से लिया है, उनके बारे में आपको कठिनाई सामने आयेगी।

मैंने विधान सभा के सदस्यों की एक उच्चस्तरीय समिति बनाने का इसलिए निवेदन किया है कि आज यह जो भी पॉइन्ट्स आये हैं या सामने आयेंगे तो जो एम. एल. एज. हैं जो कि प्रेक्टिकल एक्सपीरियन्स रखते हैं, जो अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं, जो जानकारी रखते हैं इन बातों की, उनकी अगर समिति बनायेंगे तो यह समिति इन प्रश्नों को भी सामने रखेगी। मेरा यह जो प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत करते हुए यही निवेदन करूंगा कि यह जो मैंने प्रस्ताव रखा है यह बहुत सोच समझ कर प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए रखा है। विधान सभा के सदस्यों की एक उच्चस्तरीय समिति का प्रस्ताव रखते हुए अपने दिमाग में, मैंने यह रखा है कि इस समिति को बहुत महत्व दिया जाय। यह जनता की प्रतिनिधि संस्था है इसकी राय की कद्र की जाय, इसकी रिपोर्ट की कद्र की जाय, और इसकी कद्र करने पर ही हम जनता के प्रतिनिधियों की कद्र करेंगे, और जनता के प्रतिनिधियों की कद्र करेंगे तो वास्तव में प्रजातन्त्र की कद्र करेंगे, और प्रजातन्त्र की कद्र करेंगे तो जनता की कद्र करेंगे।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल (पाली)।

श्री शंकरलाल (पाली) : सभापति महोदय, सर्व प्रथम माननीय सदस्य श्री वृद्धिचन्द्रजी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्व-

(श्री शंकरलाल)

पूर्ण प्रस्ताव सामने रखा। अपने देश और राजस्थान की परिस्थितियों के अनुकूल जिस तरह की आवश्यकता थी उनको देखते हुए यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। मैंने इस में संशोधन रखा है। प्रस्ताव में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति इस सदन के माननीय सदस्यों की होना अनिवार्य बताया गया है। मैंने इसमें यह संशोधन रखा है—

"संकल्प की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'समिति' तथा 'का' के बीच में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जावें:—

'जिसमें अधिकतर सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति व कमजोर वर्ग के हों' इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह प्रस्ताव इस इस प्रकार से समझा जायगा—

'इस सदन के माननीय सदस्यों की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति, जिसमें अधिकतर अनुसूचित जाति, जनजाति व कमजोर वर्ग के हों, का गठन राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु अनिवार्य है।'

सभापति महोदय, मैंने यह संशोधन इस लिए रखा है कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है, उसका जो मूल उद्देश्य है, उसकी क्रियान्विति के पीछे जो खास भावना है, वह यह है कि थोड़े समय के लिए हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनी है, कार्यक्रम बनाए हैं लेकिन आपातकालीन स्थिति में हम जल्दी में और तेजी से देश की गरीबी कैसे मिटायें। और जो समाज के गरीब तबके के आदमी है, जो अल्प संख्यक हैं, काश्तकार हैं, मजदूर है उन सब लोगों के अन्दर जो पिछड़े हुए हैं, उनकी तरक्की कैसे तेजी से हो सकती है। अगर इसके लिए इस सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है तो, माननीय सभापति महोदय, जो पिछड़े वर्ग के माननीय सदस्य यहां पर हैं, कमजोर वर्ग के भी इस सदन के माननीय सदस्य हैं, उन सभी के प्रतिनिधि हैं, वह ज्यादा इस समिति में नहीं होंगे तो यह कारगर नहीं हो सकती है। क्योंकि इस समिति में जो पिछड़े हुए वर्ग के प्रतिनिधि होंगे वही उस वर्ग की समस्याओं को जान सकते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि जो पिछड़े हुए नहीं हैं, वह उन की समस्याओं को नहीं जानते हैं। लेकिन जो पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं, उनको वास्तविक समस्याओं का आभास होता है। उनके रीति रिवाज और उनकी जो परम्परागत समस्याएं होती हैं, उनसे वह परिचित होते हैं। उनके प्रतिनिधि ज्यादा होंगे तो जो समिति बनाई जाएगी, वह उचित बन सकती है। इससे उस समिति का उद्देश्य भी पूरा हो सकता है। सभापति महोदय, यह आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम इस प्रकार की एक समिति को बनाएं। वैसे तो माननीय सदस्य ने बताया कि राजस्थान के स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिए एक कमेटी बनी हुई है। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी कमेटियां बनी हुई हैं। लेकिन जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया है, मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि कमजोर वर्ग की महिलाओं और अल्पसंख्यकों का आज कोई प्रतिनिधित्व नहीं हैं। वह जन प्रतिनिधियों की समिति नहीं है। और जैसा कि हमारी प्रधानमंत्री ने कहा और जैसा कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय

(श्री शंकरलाल)

बरुआ साहब ने कहा है, जो कुछ भी क्रियान्विति का दायित्व है, वह जन प्रतिनिधियों पर ज्यादा है। मैं आशा करता हूं कि जन प्रतिनिधि इसको गम्भीरता से लेंगे। उनके पास इस प्रकार का पावर है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति करें तो वह ज्यादा हो सके। इसलिए वह आवश्यक है कि जो भी इसके सदस्य हों, सदस्या हों, वह 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास रखने वाले हों। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो समितियां बनाई हैं, वह 20 सूत्री कार्यक्रम उनके द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। मुझे अपने जिले का अहसास है और दूसरे जिले से भी इसी प्रकार की बातें सामने आई हैं। जो लोग 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास नहीं रखते हैं वह समितियों में है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय में माननीय सदस्या सुमित्रा ने कई एग्जाम्पल दी थीं। सभापति महोदय, ऐसे आदमी जो मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार हुए हैं, वह 20 सूत्री कार्यक्रम की डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के मेम्बर हैं। जिन्होंने इन्दिरा गांधी के हुक्म को नहीं माना और कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जो कांग्रेस से अभी तक निकाले हुए हैं, जो कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास नहीं रखते हैं, जिन्होंने कांग्रेस नीतियों का विरोध किया है वह उन कमेटियों में मेम्बर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन है वह नाम बताइये।

श्री शंकरलाल : वह छोगालाल चौधरी हैं।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, जो रूलर ट्रेसपासर है। माननीय सदस्य रामानन्द अग्रवाल ने भी कहा है, रूलर ने ट्रेसपास किया है। हमारे पाली जिले के अन्दर जोधपुर के भूतपूर्व महाराजा ने बामेलाई के अन्दर दो हजार से भी ज्यादा जमीन पर ट्रेसपास कर लिया। मैंने प्रश्न विधान सभा में किया। तहसीलदार ने जमीन को एक्वायर की तो वह उसके लिए हाई कोर्ट से स्टे ले आये। कौन स्टे लाये? जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम क्रियान्वित करने वाली डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेम्बर हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : शेम, शेम।

श्री शंकरलाल : जो सीलिंग में आये हुए जागीरदार हैं। वह ज्यादातर जागीरदारों के वकील हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन हैं वह माननीय सदस्य उनका नाम बतायेंगे?

श्री शंकरलाल : वह श्री नवलकिशोर व्यास हैं।

आप जिनको अच्छी तरह से जानते हैं सभापति महोदय, मैं कई बातें कहूंगा। तो आप कहेंगे क्यों किसी का नाम लिया जाये। मगर मैं ऐसे ही नाम नहीं ले रहा हूं। यह नाम तो इसलिए बताये हैं कि आप यह न सोचें कि मैं यों ही किसी का नाम ले रहा हूं। मैं और भी नाम बताऊंगा।

श्री सज्जन सिंह : और बता दीजिये।

श्री शंकरलाल : वह 20 सूत्री कार्यक्रम को सेबोटेज करने वाले हैं। इसलिए इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हमारा यह निवेदन है कि इस सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति हो, वह

(श्री शंकरलाल)

समिति इस बात को देखें इसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ज्यादा लोग हैं। वह समिति हर जिले में दौरा करें। जिले 2 में जाकर देखें कि वहां पर 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति हो रही है या नहीं हो रही है ? नहीं हो रही है तो कैसे हो सकती है ? क्योंकि जो कमेटियां राज्य सरकार ने बनाई हैं, वह ठीक नहीं है। यह कमेटी उच्चाधिकार प्राप्त होगी। इसकी घोषणा सदन में हो जानी चाहिए। यह जिले में जाकर निर्णय ले सके ताकि उसका इम्प्ली-मेंटेशन हो सके। जहां यह कमेटी जाये, वहां लोगों को पूर्व में ही इत्तला हो जाये। कमेटी वहां जाकर एक दिन, दो दिन तक सुनवाई करें। तो मैं समझता हूं कि हम हमारी प्रधान मन्त्री के प्रति वफादारी का सबूत देंगे 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं :

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, अभी तो मैंने भूमिका ही बनाई है।

श्री पी. के. चौधरी : इम्पोर्टेण्ट सब्जेक्ट है। टाइम देना चाहिए।

श्री शंकरलाल : इसके बाद किसी का संशोधन ही नहीं है। अभी तो 4 ही बजे हैं। रेलेवेण्ट ही बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आज हाउस का आखरी दिन है।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, राज्य के मुख्य मन्त्री महोदय, कोई अच्छा काम करते हैं तो उनका अभिनन्दन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि उनका अभिनन्दन 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए किया जाये तो मैं माननीय नेता से कहूंगा कि ऐसे अभिनन्दन को वह स्वीकार नहीं करे। जब तक कि 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति नहीं हो जाये।

एक माननीय सदस्य : अभिनन्दन तो स्वीकार कर लिया।

श्री शंकरलाल : अगर वह कर लिया है तो वह कोई अच्छी बात नहीं थी।

मैं मानता हूं कि 4 लाख लोगों को आवासीय भूखण्ड दिये हैं। सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि जिन आदमियों की आवासीय समस्या है, उनमें से कितने लोगों की सुलझ गई है। प्रश्न तो यह है, मैं कहना चाहता हूं कि आपने गांवों में पट्टे दिये हैं, लाखों आदमियों को पट्टे दिये हैं लेकिन लाखों में से हजारों को भी आप मकान बनवाकर नहीं बसा सके हैं, क्या इससे यह समझते हैं कि आवास की समस्या सुलझ गई ? उसी के साथ हमको यह भी तय करना होगा कि लोगों को पट्टे दिये जाते हैं तो उसके साथ ही उनकी आवास की समस्या को भी सुलझावे, केवल पट्टे देने से ही कुछ नहीं होने वाला है। मैं इस विवाद में तो नहीं जाना चाहता कि कितनों को आपने पट्टे दिये और कितने लोगों को नहीं दिये। यह तो उच्चाधिकार समिति देखेगी कि कितने आदमियों को आपने पट्टे दिये और कितनों को नहीं दिये। और पट्टे देने के पश्चात कितने आदमी आवास की समस्या को हल कर सके, इसलिए उच्चाधिकार समिति की बहुत जरूरत है।

(श्री शंकरलाल)

सभापति महोदय, सीलिंग से जो प्राप्त जमीन है उसके वितरण की बात है। मैंने तो ग्रॉल इण्डिया कांग्रेस कमेटी को भी पत्र लिखा था और पुनः इस सदन में कहना चाहता हूं कि सरकार तो जमीन के अलाटमेंट का पैसा नहीं लेती है और सीलिंग की जमीन जब अलाट करती है तो मुग्रावजा लेती है। यह जो जमीन है उसका इस गरीब ग्रादमी से जिसके पास कुछ नहीं है, ग्राप पैसा लेना चाहते हैं तो जमीन उसके पास नहीं जा सकती है। होता क्या है कि एक शिड्यूल्ड कास्ट के पास थोड़ा बहुत पैसा है ग्रौर जिसके पास पैसा नही है उसको दूसरा ग्रादमी पैसा देता है जो पैसे वाला है तो इस तरह से वह दूसरों से पैसा लेकर जमीन लेता है ग्रौर पैसे वाला कहता है कि पैसा तो तू दे ग्रौर वह हाली रहेगा उस जमीन पर। वास्तव में वह खुद जमीन का मालिक नहीं होता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां राज्य सरकार ने सीलिंग से जमीन ग्रधिक ली और सीलिंग से प्राप्त जमीन को जिस किसी भी लैण्डलैस को देवे तो उससे कोई मुग्रावजा न लिया जावे ग्रौर यह मुग्रावजे का पैसा राज्य सरकार खुद ग्रपने खजाने से देवे। ग्रापने जागीरदारों को मुग्रावजा देने का तय किया है, हालांकि मैं चाहता तो यह हूं ग्रौर हो सकता है कि कई दूसरे माननीय सदस्यों की भी राय यही हो कि गरीबों को भूमि बिना मुग्रावजा लिये दी जावे ग्रौर ग्रगर मुग्रावजा लेना ही है सीलिंग की जमीन पर तो कम से कम मुग्रावजा लिया जावे और इसको खजाने से सरकार खुद देवे। या फिर ग्राप उनको इसके लिए बैंकों से ऋण दिलवावें। तभी जमीन उनके पास जा सकेगी नहीं तो आप जो बीस सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं, सभापति महोदय, जिसके ग्रन्तर्गत ग्राप उनको राहत पहुंचाना चाहते हैं वह उनको नहीं मिल सकेगी।

सभापति महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत शहरी सम्पत्ति ग्रौर भूमि के समाजीकरण की बात भी कही गई है। शहरी सम्पत्ति में जो ग्रावासीय मकान हैं उनके सीलिंग की भी बात की गई है। सारा सत्र समाप्त हो गया लेकिन सभापति महोदय, यह जो 20 सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण सूत्र हैं, यह जो शहरी इलाके के अन्दर भूमि है उसके समाजीकरण के बारे में सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। जमीन सीलिंग तय की जायं, गांवों में ग्रौर शहरों में कुछ नहीं किया जाय, सभापति महोदय, जबकि आवास की समस्या है वह शहरों में ज्यादा है, गांवों में ग्रावास की ज्यादा समस्या नहीं है। गांवों में तो काफी जमीन है। गांवों में ग्रापने 150 गज के पट्टे दिये हैं लेकिन 150 गज से क्या होता है, इतना कब्जा तो पहले से ही उनके पास है ग्रौर ग्राप उनको यह कहते हैं कि 150 गज से ज्यादा जमीन मत रखो, उसको छोड़ दो। इसलिए, सभापति महोदय, गांवों में ग्रावास ग्रौर जमीन की इतनी समस्या नहीं है जितनी शहरों में है। शहरों में इस समस्या की ग्रोर ध्यान दिया जाना चाहिए जहां पर कि लोग फुटपाथ पर सोते रहते हैं, जहां लोगों के पास जमीन नहीं है ग्रौर सड़कों के किनारे पर पड़े रहते हैं। उसके सामने ग्रावास की समस्या है, उनके लिए ग्रापने कुछ नहीं किया। इसलिए सभापति महोदय, जो उच्चाधिकार समिति बनेगी वह इस सम्बन्ध

(श्री शंकरलाल)

में क्रियान्विति के लिए उचित कदम उठायेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में निवेदन करूंगा ।

रोजगार व प्रशिक्षण की जो अप्रेन्टिसशिप की बात है वह भी बीस सूत्री कार्यक्रम में कही गई है । सभापति महोदय, गरीबी हटाने के लिए, गरीबों को मदद देने के लिए हमको गरीब लोगों को रोजगार के साधन जुटाने होंगे । लेकिन आज भी हमारे यहां पर लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं । आपने इसको भी बीस सूत्री कार्यक्रम में रखा है लेकिन क्या आप यह आंकड़े बता सकते हैं कि राजस्थान में कितने लोग बेरोजगार हैं और साथ ही साथ इस सत्र के अन्त तक कितने आदमियों को रोजगार दिलाने की, उनको प्रशिक्षण देने की और अप्रेन्टिसशिप की आपने योजना बनाई है ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि चाहे पब्लिक अन्डरटेकिंग हो, चाहे इन्डिविजुअल कोई इन्डस्ट्री हो या दूसरे धन्धे हों उनमें आपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये है और बीस सूत्री कार्यक्रम में आपने इस सम्बन्ध में क्या काम किया है ? इतने दिनों तक सत्र चला लेकिन एक दिन भी इस बारे में बात नहीं की गई, कोई चर्चा नहीं हुई और कोई कानून भी नहीं बनाया गया । इसके लिए आप कानून भी बना सकते हैं. चाहे कोई ठेकेदार हों या इन्डिविजुअल हो, इस कानून के जरिये बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करा सकता है । इसके अतिरिक्त किस प्रकार से यह क्रियान्वित किया जा सकता है ? सभापति महोदय, इस बारे में उच्चाधिकार समिति बनेगी और विचार करेगी जिसमें माननीय सदस्य होंगे और यह विचार किया जायगा कि इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

सभापति महोदय, उद्योगों में मजदूरों के पार्टीसिपेशन की बात भी कही गई लेकिन वह बात अभी तक हवा में ही है । जहां तक मुझे मालूम है मजदूरों को उसमें लेंगे । प्रबन्ध कमेटी के अन्दर या मैनेजिंग कमेटी के अन्दर उनको लेना होगा इस बात का कोई डेफिनेट कानून लाकर उनको बाध्य नहीं किया गया जिससे कि उद्योगों में लेबर का पार्टीसिपेशन हो सके ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं समझता हूँ कि आप 20 सूत्री कार्यक्रम को डिस्कस कर रहे हैं जबकि आज का वक्त—

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, उच्चाधिकार समिति का गठन एक बहुत ही आवश्यक कार्य है और यह आवश्यक क्यों है.......

श्री सभापति : It is not necessary to discuss each and every item.

श्री पी० के० चौधरी : उस कार्यक्रम को गठित करके वह उसको क्रियान्वित करेगी, वह बता रहे हैं ।

श्री सभापति : ठीक है लेकिन पूरे बीस सूत्री कार्यक्रम को पढ़कर कहना जरूरी नही है ।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, जो जो आवश्यक है और जिन पर राज्य सरकार ने ध्यान नही दिया है उन पर ध्यान दिला रहा हूं ।

श्री सभापति : तब आप संक्षेप में कहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, राजस्थान में तो इक्कीस सूत्री कार्यक्रम है और यह बीस सूत्री कह रहे हैं।

श्री शंकरलाल (पाली) : सभापति महोदय, मैं तो इसको बीस सूत्री कार्यक्रम ही कहूंगा, क्योंकि इक्कीस सूत्री से उल्टा कन्फ्यूजन हो जाता है। गांवों में पूछते हैं कि बीस सूत्री कार्यक्रम तो इन्दिराजी का है और आपका यह 21 सूत्री कैसे हुआ, जैसे वह और यह कार्यक्रम अलग अलग हों। इसको 21 सूत्री बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, आप सिफर से डरते हैं, क्योंकि बीस में बिन्दी लग जाती है। बिन्दी तो लगती है काम नहीं करने से। अगर आप काम नहीं करते हैं तो बिन्दी लग जायगी, चाहे नम्बर 21 रखा है ......

श्री पी० के० चौधरी : 20 पूरे हो गये हैं इसलिए 21वां सूत्र चल रहा है।

श्री शंकरलाल : पूरे हो जाते तो बात क्या थी। पूरा नहीं होने की बात हुई सूत्रों को तो टच नहीं किया है और इसके लिए इसकी जरूरत है। सभापति महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा ......

श्री सभापति : मैं प्रार्थना कर सकता हूं।

श्री शंकरलाल : विद्युत के बारे में उत्पादन के अन्दर तेजी से काम किया जा रहा है। विद्युत उत्पादन में तेजी से काम किया है तो 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई योजना बनाई है ? गांवों के अन्दर काश्तकारों को पानी की दिक्कत है। पहले से भ्रष्टाचार ज्यादा है। अब आपात स्थिति में दुगना लिया जाता है। वहां के लोग, ए.इ. एन., जे. इ. एन. कहते हैं कि आपात स्थिति में, पहले अगर सौ देते थे तो अब पांच सौ दीजिये। इसके साथ विद्युत उत्पादन में कोई योजना नहीं बनाई है। मुझे मालूम है, सभापति महोदय, गांवों के अन्दर विद्युत योजना के बारे में माननीय राज्यपाल महोदय ने बात कही थी। आपका उद्देश्य है कि जल्दी काम करें। मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत के मामले में तेजी लाने की बात है तो बीस सूत्री कार्यक्रम में उसमें पहले से कौनसी गति लाये हैं ? क्या एडवांस-मेंट किया है? क्या प्रोग्राम बनाया है ? आज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम है, उसकी योजना पड़ी है पंचायत समिति की योजना पड़ी है, आर. एस. इ. बी की योजना पड़ी है। सही है, लेकिन आपने ऐसा कौनसा सेल बनाया है जो यह देखे कि काश्तकारों को बिजली मिल रही है या नहीं ? आपने कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है। इसलिए एक सदन समिति हो, जो हाई पावर कमेटी हो, जिसमें ज्यादा-शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होंगे। वह इस बात को देखें। विद्युत आज बहुत जरूरी चीज है। मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहता हूं।

इसके साथ ही जो आवश्यक वस्तुओं की बात आयी थी, उसके बारे में वितरण की बात आयी थी। मैं उदाहरण देकर बताऊंगा कि पाली जिले में जिस समय इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक हुई थी—मैं उसका मेम्बर नहीं हूं लेकिन परमानेन्ट इन्वाइटी हूं—वहां इस बात को पूछा तो इस बात का जवाब आया। माननीय खाद्य मन्त्री इस बात को सुनेंगे कि पाली जिले की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के अन्दर बात उठाई,

(श्री शंकरलाल)

आप यह बताइये कि ऐसी कितनी जगह है जहां न इन्डिविजुअल डीलर है, न कोआपरेटिव सोसाइटी, जहां वितरण नहीं हो रहा है? तो बताया कि पाली में बीस ऐसी जगह हैं। पाली में बीस जगह हैं तो राजस्थान में कितनी होंगी—यह पता लगाया कि कितनी ऐसी जगह हैं, जहां न कोआपरेटिव स्टोर है, न इन्डिविजुअल डीलर है? वहां वितरण की व्यवस्था नहीं है तो कौनसी वितरण व्यवस्था उस जगह होगी? जहां डीलर नहीं है, कोपरेटिव नहीं है तो वहां सरकारी दुकान खोलने की तरफ कदम उठायें। अगर सरकार दुकान नहीं खोल सकती है तो कौनसी व्यवस्था करने का विचार किया है? पहले सत्र में यह कहना था कि वितरण व्यवस्था में बहुत तेजी से काम किया जायगा। आज गांवों में आवश्यक वस्तुएं मिलती नहीं है, कुछ शहरों में व्यवस्था की है। मैं यह कहूंगा कि हमारे मन्त्रीजी काफी उत्साह और लगन रखते हैं, उनके खुद के बारे में, उनकी इन्टेन्शन के बारे में नहीं कहता लेकिन…… …

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मन्त्री): सभापति महोदय, जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं है तो पास की जो सहकारी समिति है उससे लिंक कर दिया जायेगा।

श्री सज्जनसिंह: उस पर भी वितरण नहीं होता हैं तो आपने क्या व्यवस्था सोची है?

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री शंकरलाल: यह सदन की कमेटी होगी, इसके अन्दर मैंने संशोधन रखा है कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और कमजोर वर्ग के ज्यादा लोग हों। वह जगह जगह जाकर इस बात को देखेंगे और इस बात को सरकार से कराने में सक्षम होंगे। इसलिए बीस सूत्री कार्यक्रम की सफलता के लिए इसकी पूर्ति करने में राज्य सरकार को हिचक नहीं होनी चाहिए। सदन की कमेटी में इस सदन के सदस्य होंगे और यह सभी सदस्य चाहते हैं। मुझे खुशी है कि अपोजिशन में थोड़े सदस्य हैं लेकिन किसी सदस्य ने बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का विरोध नहीं किया है। सभी लोग चाहते हैं कि बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित होना चाहिए। इसलिए यह समिति उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाना चाहते हैं, यह सदन का और पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाली होगी, यह प्रतिनिधित्व करने वाली कमेटी बनेगी।

इससे आपकी ड्यूटी हल्की हो जायगी और बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वित हो सकेगा। बस इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: इनका अमेंडमेंट है, इनकी पार्टी की तरफ से बोलना चाहते हैं। इनकी पार्टी का अमेंडमेंट है।

श्री सज्जनसिंह: कम्प्रोमाइज हो गया है, बाद में बोलेंगे।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री वृद्धिचन्द्र जैन ने जो सदन के समक्ष संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचारों को निर्भयतापूर्वक व्यक्त करते समय मैंने यह महसूस किया था कि इस सदन के

(श्री सज्जनसिंह)

माननीय सदस्यों के दिल घूज रहे हैं। हो सकता है कि अनुशासन में उनको अपनी ड्यूटीज का ध्यान नहीं रहा हो। यह भी सम्भव है कि घबराहट इस बात की पैदा की गई हो जान बूझ कर कि हम हमारी सरकार की केवल प्रशंसा की बात करें, केवल शोभा के गीत गावें, केवल यश की बात जोड़ें। परन्तु, सभापति महोदय, डेमोक्रेसी में एक्जीक्यूटिव को अनलिमिटेड पावर्स इसलिए नहीं दिये जाते हैं। लेजिस्लेचर की जो पावर्स हैं उसमें as a member of the august House I feel it is my responsibility to represent the case with all might at my command. और इसलिए मैंने हमारे केबिनेट के माननीय सदस्यों के प्रति अप्रिय बातें कहीं, कुछ जान बूझ कर कहीं क्योंकि मुझे उनका रवैया बिल्कुल पसन्द नहीं। मैंने उस दिन यह भी निवेदन किया था कि मैंने एक मिनिस्टर को यहां तक कह दिया था कि आपके घर आने में मैं अपना अपमान समझता हूं। स्वाभिमानपूर्वक जीवित रहने का अधिकार मुझे भारत के संविधान ने दिया है। लेकिन जब मैं आपकी मनोवृत्ति राजाओं की मनोवृत्ति से कतई भिन्न नहीं पाता तब मैं यह महसूस करता हूं कि आप अपने आपको विधान सभा सदस्यों के कुछ ऊपर उठा हुआ समझते हैं, अपने आपको शक्तिशाली समझते हैं, विधान सभा के साधारण सदस्य आपके पास भिखारियों की हैसियत लेकर जाते हैं, बराबर आपकी मिन्नत करते हैं। हमारे नेता भी इस बात को कभी कभी कह देते हैं, आपको बार बार आना पड़े तो आना चाहिए। मैं इसको नहीं मानता। मैं अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहता हूं। मैं आपको भी आपके अधिकार देना चाहता हूं लेकिन आपको इस हद तक अधिकार नहीं देना चाहता कि जिससे आप अपने आपको राजा महसूस करने लग जायं जिससे आप इम्पीरियल की तरह लेजिस्लेचर के स्थान पर एडमिनिस्ट्रेशन को आवश्यक समझने लग जायें, और मेम्बर आफ लेजिस्लेचर को नगण्य। ऐसे सुन्दर, सस्ते और टिकाऊ मेम्बर आपको मिल नहीं सकते जो अनुशासन के नाम पर जी हुजूरी करते करते थकें नहीं। इसलिए, सभापति महोदय, मैंने यहां तक कह दिया था, मैं किसको रोऊं, क्या भाग्य को रोऊं। जनता ने मुझे यहां भेज दिया। यहां आकर कटु शब्द कहूं जो आपको कई बार अप्रिय लगें। इसलिए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं. मैं महसूस करता हूं कि एक्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी पर बिल्कुल डिपेंडेंट हैं और ब्यूरोक्रेसी, थर्ड ग्रेड ब्यूरोक्रेसी, जो कमिटेड नहीं है, जिसकी जनता के प्रति कोई रेस्पान्सिबिलिटी नहीं, जनता के प्रति सद्भावना नहीं, जनता के प्रति उदारता नहीं, जनता को भिखारी व गुलाम समझती है, जो गरीब के घर जाकर सो नहीं सकती जैसे चीफ सैक्रेटरी है, जिसकी मेम साहिबा आज भी मेम साहिबा के नाम से पुकारी जाती हैं, जो कलेक्टर गांव में दौरा करते समय किसी गरीब की झोंपड़ी में जाकर उसकी असली हालत को देखना पसंद नहीं करता, उसके बलबूते पर आप शासन चलाते हैं। इसलिए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं इसलिए भी समर्थन करता हूं कि भारत के लाखों लाखों गरीब लोगों ने हमको वोट दिया, मैन्डेट दिया, प्रधान मन्त्री के 'गरीबी हटाओ' आंदोलन के

(श्री सज्जनसिंह)

समय। अब प्रधान मन्त्री ने उसको कार्य रूप देने की बात कही है। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे मेन्डेट को बिल्कुल क्रियान्वित करके साबित करने वाला है। उसमें अगर हम उन अधिकारियों के भरोसे रहते हैं जिनको फ्लस लेट्रिन के बिना पाखाना नहीं आता, जिनको गलीचे बगैर नींद नहीं आती, जो मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी चाहते हैं, उनको गरीबों से हमदर्दी नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, जब मैं अखबारों में हमारे मन्त्रिमंडल के सदस्यों के लम्बे, लम्बे भाषण पढ़ता हूं तो मुझे और भी दुःख होता है। दुःख इस बात का होता है कि आप जाकर अपने क्षेत्र में, गांवों में, राजस्थान के पिछड़े हुए क्षेत्रों में देखते हैं मगर कुछ नहीं कर सकते। आप यदि इतने अक्षम हैं तो फिर आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या हैं? अभी लॉबी में मेरे कई माननीय साथी मजाक में मुझे कहा करते हैं कि तुम तो यहीं बैठा करो। बैठकर चर्चा यहीं हुआ करती है कि हम किस तरह फंक्शन करते हैं, हमारा प्रशासन किस तरह से चलता है। मंत्री जी ने रास्ते चलते एक आदेश दे दिया एप्लीकेशन पर, उसका अधिकारी कहता है कि इसको हम नहीं मानते, This is not the order of the Government और गवर्नमेंट का आर्डर वही होगा जो सेक्रेटेरियट से निकलेगा, जिस पर सेक्रेटरी के दस्तखत होंगे। मंत्री के आदेश को नहीं माना जाता। ऐसा अगर उदाहरण चाहते हों तो वह भी मैं पेश कर दूं। मैं इसलिए भी इस संकल्प का समर्थन करता हूं कि मैं यह महसूस करता हूं कि executive is solely dependent upon the bureaucracy which is not committed, which is not responsible and which is not responsive also. उसको जगाने के लिए, इस आगस्ट हाउस के माननीय सदस्यों की एक अधिकार पूर्ण, एक सक्षम, एक ऐसी समिति का गठन होना चाहिए जो आपको भी और आपकी ब्यूरोक्रेसी को पकड़ कर खींच सके और मार्गदर्शन कर सके क्योंकि हमारा धर्म है, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के सहारे हम इन्दिरा गांधी की उस नीति को क्रियान्वित करना चाहते हैं जिसके लिए हमने भी अपने क्षेत्र में हमारे मतदाताओं को विश्वास दिया था। इसलिए, सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि सांडेराव और गुंजाना में 8 हजार बीघा जमीन सीलिंग में अधिग्रहण करके गरीबों को बांटें और जल्दी करें। लेकिन जब मैं देखता हूं कि हमारी सरकार उसमें कहीं कुछ नहीं कर सकती तो मुझे दुःख होता है। कभी सहारा कानून का लिया जाता है, कभी प्रोसीजरल रेंगल में वे उलझ जाते हैं, कभी और उल्टा सीधा जवाब देकर मुझे चुप किया जाता है लेकिन मेरी आत्मा को सन्तोष नहीं होता। सन्तोष केवल उसी दिन होगा जिस दिन वह भूमि गरीबों और अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को आप वितरित करेंगे और बिना पैसे के वितरित करेंगे। यह इसलिए मांग करता हूं कि आपने किसान को भूमि दी, बहुत अच्छा किया। उस दिन मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय भी यह निवेदन कर चुका था कि आप उसको भूमि तो देते हैं, लेकिन हल नहीं देते, बैल नहीं देते, बीज नहीं देते, पानी नहीं देते। पैदा करने का कोई साधन न देकर आप अपेक्षा

(श्री सज्जनसिंह)

यह करते हैं कि वह अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा लेगा। आपके अधिकारी इस कारगुजारी में होशियार हैं, आंकड़े आपको बता देंगे, भुलावे में डाल देंगे, मुगालते में रखा जाएगा कि आपने इतने हजार हैक्टर इतने लाख भूमिहीनों को वितरित कर दी। यह भी एक कारण है कि इस सदन के माननीय सदस्यों की एक सक्षम अधिकारपूर्ण समिति का गठन होना चाहिए जो हमारी सरकार और हमारी ब्यूरोक्रेसी का at every level, whether it is district level, or State level or village level, आह्वान करे कि आप यह गलती कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि हमारी सरकार इस आइडिया को रेलिश नहीं करती, हमारी सरकार ऐसी बात सुनना पसन्द नहीं करती।

(4.15 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि कामा गाटा मारू नगर में जब माननीय प्रधान मन्त्री ने यह कहा कि कई राज्यों के अन्दर हमारी सरकारें होते हुए भी, हमारे मुख्य मन्त्री होते हुए भी, हमने अपोजीशन को फेस नहीं किया और इस सदन के एक माननीय सदस्य ने प्रधान मन्त्री की उस इन्डीकेशन को राजस्थान के लिए भी माना। मैं उस लॉ एण्ड आर्डर की पाइन्ट पर इसलिए आना चाहता हूं कि इस बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए जब तक लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने वाली मशीनरी काबिल, होशियार, सक्षम नहीं होगी, जब तक लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन नहीं होगा आप अपोजीशन को फेस नहीं कर सकते। भारत सरकार के इन्सट्रक्शन्स है हमारी सरकार को कि मीसा में जिन डिटेनूज को एरेस्ट किया जाए, उनको साधारण क्रिमिनल पर्सन्स के साथ नहीं रखा जाए। यह विभाग हमारे नेता, हमारे मुख्य मन्त्री के पास है। फिर भी उन लोगों को जयपुर की जेल में रखा गया है। सोहनसिंह, आर० एस० एस० का एक प्रचारक जयपुर की जेल में मीसा में डिटेनू होते हुए भी 151 और 117 के कैदियों के साथ रहता है, उनको ट्रेनिंग देता है। जयपुर की जेल में बाकायदा उनकी परेड लगती है, उनको ट्रेंड करके बाहर भेजा जाता है और इसलिए वह आन्दोलन चल रहा है। भारत सरकार के इन्सट्रक्शन्स को फ्लाउ किया जा रहा है। आखिर सरकार की एग्जीक्यूटिव मशीनरी क्या कर रही है, मेरी समझ में नहीं आता। जब रास्ते देखता हूं कि ट्रेफिक जाम हो गया और है क्या? आन्दोलनकारी। कहां आन्दोलनकारी? जलेब चौक में इन्दिरा गांधी का पुतला जलाते हैं, मेरी आत्मा क्रोध और शर्म से जूझने लगती है और, उपाध्यक्ष जी, यह भी एक कारण है जिसके कारण मैं इस सदन के माननीय सदस्यों की एक अधिकार प्राप्त समिति के संकल्प का समर्थन करता हूं।

हमारी सरकार कई मुद्दों में अपने अहलकारों, नौकरशाही, जो गरीब के टुकड़ों पर पलते हैं, गरीब के दिए हुए लगान पर जिन्दा रहते हैं, के भरोसे शासन चला कर बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की बात सोची है। यह मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं।

उपाध्यक्ष जी, जब हमारे पाली से आने वाले माननीय सदस्य जिक्र कर रहे

(श्री सज्जन सिंह)

थे कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण बराबर नहीं होता, तो हमारे मंत्रीजी ने बहुत ही उतावली के साथ तत्काल जवाब दिया और कहा कि हमने यह आल्टरनेटिव सोचा है। उसके लिए मैंने जब यह प्रश्न किया कि जहां पड़ोस में कोआपरेटिव सोसाइटीज नहीं, जहां कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, उस गांव के गरीब लोगों का हाल क्या है ? आप लिख लीजिए, सांडेराव मेरी कान्सटीटूएन्सी में एक बड़ा कस्बा है, वहां 12 महीने से चीनी वितरित नहीं हुई, 12 महीने से कपड़ा वितरित नहीं हुआ, देवली के गांव में आज तक गरीबों को कपड़ा नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, हमको वहां पर गांवों में शक्कर के लिये, कपड़े के लिये कलेक्टर से झगड़ा करना पड़ता है। कलेक्टर से झगड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं शक्कर का, कपड़े का वितरण कराने के लिये कलेक्टर से झगड़ा करूं। उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, तहसीलदार की है, आपके कलेक्टर की है। वह देखें कि हमारे इलाके में उपभोक्ता वस्तुओं का सही ढंग से वितरण हो रहा है या नहीं ? और अगर नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जिला स्तर पर एक कमेटी भी बनाई है। उसकी जब बैठक होती है तो उसमें मिनिस्टर साहबान भी आते हैं। अजीब तमाशा है, उस कमेटी के अन्दर ऐसे लोगों को लिया गया है जो कि मिनिस्टर के सामने कुछ भी बोल नहीं सकते। बिलकुल मौन रहते हैं। वह लोग मिनिस्टर साहबान को देखते हैं, और देखते हैं, मिनिस्टर साहब की कार के आगे एक झन्डी लगी हुई रहती है। उनकी मिनिस्टर साहब के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती। वह ऐसे लोग हैं जिनका कलेजा बुलबुल का है। They are chicken hearted. जब मिनिस्टर साहब आते हैं तब वह वहां पर यह देखते हैं कि सारा काम सफलतापूर्वक चल रहा है। कोई भी वहां पर वहां की कठिनाइयों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित नहीं करता है। मन्त्री महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय यह समझते हैं कि उन्होंने अपना कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों ने सुना होगा और अखबारों में भी पढ़ा होगा, हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा कर लिया है और इसके लिये उनका अभिनन्दन भी किया गया। ताज्जुब की बात तो यह है कि स्वयं मुख्य मन्त्री जी ने खुद ने 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्विति के लिये अभिनन्दन स्वीकार किया है।

एक माननीय सदस्य : जिन लोगों ने दिया ?

श्री सज्जनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उनको थैली भी भेंट की गयी। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने सुना और अखबारों में देखा तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ ? जो 20 सूत्री कार्यक्रम हमारे देश की प्रधान मन्त्री ने बनाया है उसकी क्रियान्विति इतने से समय में कैसे हो गयी ? हमारे प्रधान मन्त्री के अनुसार वह कार्यक्रम जब तक समाप्त नहीं होता तब तक उनकी हालत में पूरी तरह सुधार नहीं हो सकता

(श्री सज्जन सिंह)

जो गरीब हैं, पिछड़े हैं। लेकिन यहां तो मुख्य मन्त्री जी के यश गाये जा रहे हैं, उन्हें थैलियां भेंट की गयीं। जिस कार्यक्रम को शुरू हुए दो दिन हुए, वह समाप्त भी हो गया। यह क्या मखौल है 20 सूत्री कार्यक्रम का? आखिर यह क्या हो रहा है? इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। और राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी एक्जीक्यूटिव पर चैक रखें, उस पर चैक रखने की आवश्यकता है। अभी तक आपके 20 सूत्री कार्यक्रम का इम्पलीमेन्टेशन नहीं हुआ है, उसकी क्रियान्विति करना आपकी रेस्पोन्सिबिलिटी है। उसका एक्जीक्यूशन आपको कराना है अपनी ब्यूरोक्रेसी से। आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा नहीं करना चाहिये। आपको ब्यूरोक्रेसी के भरोसे नहीं रहना चाहिये। चूंकि आप अपनी ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा करते हैं इसलिये आप फेल हुए हैं अपने कार्यक्रमों को पूरा करने में।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा बिजली के बारे में सदन में निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम में आता है। भूमिगत स्रोतों से अधिक से अधिक पानी निकाला जाय। आप बिजली को ज्यादा से ज्यादा गांवों में फैलाना चाहते हैं। बिजली का विकास करना चाहते हैं लेकिन मुझे बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपकी यह ब्यूरोक्रेसी, यह नौकरशाही उसमें तरह तरह के अड़ंगे डाल देती है। आप तो काम करना चाहते हैं पर आपकी नौकरशाही आप पर हावी है, वह नहीं होने देती है। मेरी समझ में नहीं आता, यह आपका क्या बिजली के लिये कार्यक्रम बनाया हुआ है? आपने एक गांव को बिजली दी और उसके पास वाले गांव को छोड़ दिया और उसके आगे वाले गांव को बिजली दे दी। यह क्या है? आप पूरी बिजली का एक्सटेन्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वास्तव में गरीबों का भला करना चाहते हैं या नहीं? आप गांवों में विकास करना चाहते हैं या नहीं? मेरी समझ में नहीं आता। हमारी सरकार है, जन प्रतिनिधियों की सरकार है तो फिर यह कौन है जो हमारे कार्यक्रमों को पूरा नहीं होने दे रहे हैं? एक गांव के अन्दर लोग बिजली के प्रकाश में हंस रहे हैं और उसी के पास दूसरे गांव वाले लोग बेचारे गरीब बिजली के बिना रो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी एक कारण है कि मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। जब हम बार बार सदन में आपको आपकी ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहते हैं कि आप तो जनता का भला करना चाहते हैं पर आपकी ब्यूरोक्रेसी आपको भला नहीं करने देती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्रधान मन्त्री ने कहा कि अगर 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिये हमें अपने कान्सटीट्यूशन को चेन्ज करना पड़े तो हम उसको भी करेंगे अगर वह बीच में रोड़े अटकाता है तो। और सभी माननीय सदस्य यह जानते भी हैं कि अगर 20 सूत्री कार्यक्रम के अमल करने में कोई बाधा हमारे कान्स्टीट्यूशन के द्वारा कहीं हो रही है तो हम उसको भी बदलने की सोच रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे देश की प्रधान मन्त्री संविधान को भी जब बदलने को तैयार है तो आपको फिर डर किस बात का है? आप

Page No 118

(118)

(श्री सज्जन सिंह)

क्यों नहीं पूरी तरह 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करते ? आप इसमें इतनी ढील क्यों कर रहे हैं बनिये की तरह ? इसमें क्या चाल है, मेरी समझ में नहीं आता ? इसलिये मैं आपका अधिक समय नहीं लेता हुआ राज्य सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि आप 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरी तरह लागू करावें। इसके लिये मैं राज्य सरकार से यह अनुरोध भी करूंगा कि वह हमें अनुशासन का डण्डा नहीं बतावे, हमें पार्टी व्हिप का डंडा नहीं बतावें. Let us have a free vote on this issue and let us show to you that our intentions are sincere and bonafide and we are committed to the programme of our beloved leader, our only trusted leader who has given us a programme which will save you and us. For God sake, believe it.

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकार लाल चौहान !

श्री ओंकारलाल चौहान (हम) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में माननीय सदस्य श्री वृद्धिचन्द्र जी ने जो संकल्प रखा है कि सदन के माननीय सदस्यों की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये किया जाय जो यह पता लगाये कि हमारी प्रधान मंत्री जी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम जनता के सामने रखा है उसकी क्रियान्विति हुई या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहूंगा पर यहां पर दो तीन मुद्दों को आपके सामने रखना चाहूंगा और आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसकी क्रियान्विति की ओर विशेष तौर से ध्यान दिया जाय। अगर आप इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर इसका क्या मतलब हुआ ? उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश मे एमर्जेन्सी डिक्लेयर होने के बाद हमारे देश की हालत में काफी सुधार हुआ है। जब हमारे देश की हालत खराब थी, उपाध्यक्ष महोदय, जगह जगह देश में अराजकता फैली हुई थी तब ऐसे समय में हमारी प्रधान मन्त्री ने यह महसूस किया कि चूंकि देश कि हालत ठीक नहीं है, देश में हमें गरीबी को मिटाना है क्योंकि हमारे देश में गरीबी हट नहीं पा रही है और आज हमारा जो गरीब वर्ग है जो पिछड़ा वर्ग है वह बराबर नीचे गिर रहा है, गरीब लोगों पर बराबर अत्याचार हो रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी महसूस किया कि आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि कहीं कोई प्रकार का डर नहीं रहा, कोई लॉ एण्ड आर्डर नहीं रहा, लोग देश में लोकतान्त्रिक सरकार को साजिस करके समाप्त करना चाहते हैं तो प्रधान मन्त्री ने, जो हमारे यहां पर एक फासिस्ट प्रवृत्ति बढ़ रही थी, उसको समाप्त करने के लिये एमर्जेन्सी डिक्लेयर की। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के डेमोक्रेटिक सेट अप को कुछ फासिस्ट ताकतें समाप्त करने की कोशिश कर रही थीं, देश के लोकतन्त्र को तहस-नहस करना चाहती थीं, देश के विकास-कार्यक्रमों को पूरा नहीं होने देना चाहती थीं। देश के लोकतन्त्र को जब खतरा पैदा हो गया तो हमारे देश की प्रधान मन्त्री ने

(श्री ओंकारलाल चौहान)

एमर्जेन्सी डिक्लेयर कर दी और कार्यक्रम हमारे देश के सामने रखा। उसको 20 सूत्री कार्यक्रम का नाम दिया गया। जिस तरह से हम गीता और कुरान को पढ़ते हैं उसी तरह हमारे देश की गरीब जनता को ऊपर उठाने के लिये हमें 20 सूत्री कार्यक्रम के मन्त्रों का जाप करना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस 20 सूत्री कार्यक्रम के जाप करने से ही काम नहीं चलेगा उसकी क्रियान्विति करना अनिवार्य है। उपाध्यक्ष महोदय, 26 जून को एमर्जेन्सी डिक्लेयर हुई और 30 जून को हमारी प्रधान मन्त्री ने इस 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। और आज 6 माह से अधिक हो गये हैं अगर हम 6 महीने पहले की स्थिति का और आज की स्थिति का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि हमारे यहां कुछ काम हुआ है। लेकिन अगर हम उसकी डिटेल में जायें तो हमें पता लगेगा कि अभी तो बहुत कुछ करना है, काफी काम तो सिर्फ कागजों में ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने दो तीन अत्यन्त आवश्यक बातें निवेदन करना चाहूंगा। जैसा मुख्य मन्त्री जी ने अलाटमेंट के बारे में कहा, यह ठीक है थोड़ा बहुत काम इसमें हुआ है लेकिन आपको, उपाध्यक्ष महोदय, ताज्जुब होगा कि गरीब और पिछड़े वर्ग को जमीन का अलॉटमेंट हो गया तो वह कागजों में उनको हुआ, पजेशन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अलाटमेंट हुआ तो वह ऐसी जमीन पर हुआ जहां पर श्मशान था या कोई ऐसी जगह पर हुआ जो कि गांव से बहुत दूर है। मेरी समझ में नहीं आता कि आज भी हमारे यहां लोगों में यह भावना है जो अलगाव की स्थिति पैदा करती है, आज भी छोटे लोगों का शोषण हो रहा है। यह अलगाव की स्थिति जो पैदा की जा रही है, उपाध्यक्ष महोदय, यह पुराने जमाने में कुछ ऐसे ही चालाक लोगों के साथ खराब बर्ताव करके अपने को उच्चवर्ग का बताने के लिये असमानता पैदा की। लेकिन आज अब हम देश में समाजवाद लाना चाहते हैं, गरीब और अमीर को बराबर करना चाहते हैं तो फिर यह भेदभाव क्यों हो रहा है.? आज एग्रीकल्चर लैण्ड का अलॉटमेंट हो गया तो लोगों को कब्जा नहीं मिलता है, कब्जा मिल गया तो काश्त नहीं करने दी जाती है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में इस समस्या का समाधान करने के लिए कानून क्यों नहीं लाया जाता है? शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स व और दूसरे लोगों के सामने जो जमीन के सम्बन्ध में दिक्कतें आती हैं या दिक्कतें आ रही हैं, उनके केसेज क्यों नहीं डील किये जाते हैं? बहुत से लोग गांवों में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, आप कहते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम के लिये एक कमेटी बना दी, कलेक्टर साहबान होते हैं और मेम्बर साहबान भी होते हैं किन्तु गांव के छोटे छोटे आदमी पटवारी के पास नहीं जा सकते हैं, तहसीलदार के पास नहीं जा सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वे उनसे ही भयभीत हैं तो वे उन लोगों के पास तो जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकते हैं। हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, जनता में विश्वास पैदा करना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो फासिस्ट और रि-एक्शनरी लोग हैं ये ऐसे शब्द हैं, फासिस्ट और रि-एक्शनरी इतने व्यापक हैं कि इधर भी हो सकते हैं और उधर भी हो सकते हैं।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

हमारे कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जो कि इसकी क्रियान्विति नहीं होने देना चाहते हैं...

श्री मीठालाल : नाम बता दें।

श्री ओंकारलाल चौहान : आपको आवश्यकता नहीं है।

श्री मीठालाल : आपको बताना पड़ेगा नाम हाउस में।

श्री ओंकारलाल चौहान : ऐसे समय में जब कि हम देश को इन खतरों से बचाना चाहते हैं, लोकतन्त्र को बचाना चाहते हैं तो उसमें फासिस्ट और रि-एक्शनरी की जो अड़चनें आती है, उनको दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रगति में बाधा आती रहेगी। गांवों के जमीनों के झगड़े होते हैं क्योंकि एक पटवारी एक ही आदमी को दो दो, तीन तीन जगह जमीनें बता देता है। अब गरीब आदमी कहां अपील करेगा? कलेक्टर के पास तो जा नहीं सकता है। और अलाटमेंट कमेटी क्या कर पाती है? इस तरह वह गांव का आदमी परेशान होता फिरता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं आज हमारे सामने दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को हल करना पड़ेगा। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं हाउस साइट अलॉटमेंट में, लैन्ड अलाटमेंट में दिक्कतें हुई हैं इनको देखना चाहिये। हमारे इस संकल्प का मतलब भी यही है। जहां कहीं ब्यूरोक्रेसी ने गलती की है, माननीय सदस्य अभी जिक्र कर रहे थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान आजाद हुआ, आजाद होने के बाद वही लीगेसी में मिले और हमने शासन तन्त्र को, उनके मस्तिष्क को बदला नहीं है अभी। अगर हम दिल से और बहुत गहराई से देखें तो ब्यूरोक्रेसी की आस्था इस लोकतन्त्र के प्रति नहीं है। कलेक्टर परवाह करते नहीं, तहसीलदार परवाह करते नहीं और दूसरे अधिकारी परवाह करते नहीं— चुने हुये लोगों की परवाह करते नहीं, चुने हुये लोगों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। मैंने स्वयं ने कई बार बात की जिलाधीश से, वे ऐसी हवा में बात उड़ाते हैं जैसे हम लोग कुछ हैं ही नहीं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के बीच तालमेल होना चाहिये, आज वह कोडिनेशन स्थापित नहीं हो पाया है। जब तक हम कोडिनेशन स्थापित नहीं करते हैं तब तक वास्तविक रूप से जनतन्त्र सफल नहीं हो सकता है। आखिर जो लोकतन्त्र की सरकार होती है उसका एक्जीक्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी करती है और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की आस्था इस लोकतन्त्र में नहीं है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद कर सकता हूं या माननीय सदस्य उम्मीद कर सकते हैं कि उसका इम्पलीमेन्टेशन ठीक प्रकार होगा? कोई उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है? मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं और बुक बैंक की बात करना चाहता हूं— राजस्थान में कितने बुक बैंक खुले हैं? केवल एक-दो जगह ही खुले हैं और वहां भी, उपाध्यक्ष महोदय, उन लड़कों से किताबें मंगवा ली हैं और वे ही किताबें उन समारोहों में उनको दे दी गई। क्या इस तरह से हम जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभा सकेंगे और क्या जनतंत्र को मजबूत कर सकेंगे? क्या इस तरह से लोगों की सेवा कर सकेंगे? क्या इस तरह लोगों को जो गरीब है, आगे ला सकेंगे?

(श्री ओंकारलाल चौहान)

एक प्रश्न अभी एक-दो दिन पहले ही आया था माननीय मंत्री छंगाणीजी ने और मुख्य मंत्री ने भी जवाब दिया कि हम जल्दी ही करना चाहते हैं और इस पर स्टेन्डिंग कमेटी बैठेगी और विचार करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जब रेडीकल चेन्जेज लानी हैं और जब रेडीकल चेन्जेज आती हैं तो कानूनों की परवाह नहीं की जाती है जैसा कि हमारी प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि इस 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में बाधा आती है या कोई अड़चन आती है तो संविधान को भी बदलना पड़ेगा। बाहर के देशों में आप देखियेगा, हिन्दुस्तान के बाहर चीन, स्विटजरलैन्ड और यूरोप के देशों ने, जहां जहां उनके कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में बाधाय आईं, वहां वहां कान्स्टीट्यूशन को चेन्ज किया है। हम से कम आबादी वाला देश जर्मनी दो लड़ाइयों में बिखर गया था लेकिन आज आप देखते हैं वह अपने पैरों पर किस तरह वापिस खड़ा हो गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जब तक 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रति पूरी आस्था नहीं रखेंगे और सरकार पूरा पूरा ध्यान नहीं रखेगी तब तक इसकी क्रियान्विति सफलता से नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार रूरल इनडेटेडनेस का कानून आया राजस्थान में, उसका टर्न ओवर दो लाख का रखा गया उससे कितने आदमियों को फायदा हुआ? क्या करना चाहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी समझ में नहीं आता है। आज ब्यूरोक्रेसी हम पर हावी है फिर बीस सूत्री कार्यक्रम की किस प्रकार क्रियान्विति करना चाहते हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं यह निवेदन करना कि इसका एक प्रेक्टिकल हल निकालना होगा। माननीय सदस्य वृद्धिचन्द्र जी ने जो प्रस्ताव रखा है, यह एक तरीका है और आज आवाज है सारे राजस्थान की कि माननीय सदस्य उसमें हों और सभी वर्ग के लोग हों और अधिकतर वे ही लोग हों जो इस प्रोग्राम में आस्था रखते हों, ऐसे लोग हों जिनकी आस्था इस आगस्ट हाउस के प्रति हो। इसलिये मैं चाहता हूं और इसी लिये मैं समर्थन करना चाहता हूं कि ऐसे माननीय सदस्यों की एक उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी बने जो डिटेल्स में जाये और इस बात को देखे कि अलग अलग उस 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसमें 7-8 कार्यक्रम तो बिलकुल गरीबों से सम्बन्धित हैं, वैसे तो यह सारा का सारा कार्यक्रम ही गरीबों से सम्बन्धित है, वे ठीक तरह से चले चालू हुये हैं या नहीं हुये हैं? गरीब लोगों को रोजी-रोटी, रहने को मकान मिले।

अब स्कालरशिप की बात आती है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को हम 250 रुपया देते हैं और उनको नौकरी पर भेज दिया जाता है छोटी छोटी जगह। मैं मानता हूं यह ठीक है उनको लगाया है, काम सीखेंगे लेकिन 10-10 घन्टे उनकी ड्यूटी होती है और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल उनको 200-250 रुपया देते हैं जो इस महंगाई के जमाने में कम है। मैं समझता हूं जो आज सारा का सारा कार्यक्रम है गरीबों और छोटे लोगों को सबल बनाने का है। लेकिन क्या ऐसा करने से हमारा आर्थिक कार्यक्रम मजबूत होगा? कई खराब प्रथायें हमारे देश में चल रही हैं-सागड़ी प्रथा है, मैं उसके बारे अधिक नहीं कहना

(श्री ओंकारलाल चौहान)

चाहता हूं, क्योंकि इसका अभी विधेयक भी पास किया है इसलिए एक मिनिट में ही कहकर समाप्त करना चाहूंगा । मेरा जो लक्ष्य है और आज मेरा इस वाद-विवाद में हिस्सा लेने की वजह है वह यह है कि एक उच्चाधिकार समिति यहां की बने और जो असफलतायें हुई हैं मैं समझता हूं अधिकतर असफलता हुई हैं अभी तक उनको देखें ठीक है आपने सफलता के बारे में काफी कुछ कहा है लेकिन जब कम्पेरेटिव स्टडी करेंगे तो मैं समझता हूं यह सफलता नगण्य के रूप में ही होगी । माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको इस बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिये और सारे मंत्री-मण्डल को इस पर गहराई से विचार करना चाहिये कि किस प्रकार से इनकी क्रियान्विति सही तरीके से हो जिससे ब्यूरोक्रेसी हावी न हो और आम जनता का फायदा हो तथा आम जनता में विश्वास पैदा हो । राजस्थान में ऐसी कौनसी अड़चनें हैं जिनको हम हल नहीं कर सकते हैं ? यह बात दूसरी है कि इच्छा नहीं हो । Where there is will there is way, तब तो ठीक है । और इच्छा नहीं है करने की तो मैं समझता हूं कि हमारा आर्थिक कार्यक्रम अधूरा रहेगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों की एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी बने और वह सारे देश में जाये और जो खामियां रही हैं सरकार की उनको देखे और देख कर उसकी क्रियान्विति सफलता से करे ।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी,

श्री उपाध्यक्ष : और माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं । (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) श्री मीठालाल !

श्री परसराम मदेरणा : मैं जवाब दे रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष : और माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं । श्री मीठालाल !

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बीस सूत्री आर्थिक प्रोग्राम के बारे में कमेटी बनाने के लिए जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है मैं इसका समर्थन करता हूं । यह एक विस्तृत चर्चा का विषय है और यह भी स्पष्ट है कि सभी दल के सभी माननीय सदस्यों की ओर से चाहे वह विधान सभा में हों या बाहर हों किसी भी दल ने या व्यक्ति ने बीस सूत्री कार्यक्रम का विरोध नहीं किया है । किसी ने यह नहीं कहा है कि यह गलत कार्यक्रम है या इससे देश में किसी तरह का नुकसान होगा । क्रियान्विति के बारे में अलग अलग धारणा हो सकती हैं, अलग अलग विचारधारायें हो सकती हैं । कई ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधान मंत्री जी की नाराजगी के भय से केवल प्रचार अधिक करते हैं काम कम । अन्यथा इसको क्रियान्वित किया जाये तो इसमें मतभेद नहीं है और यह एक अच्छा प्रोग्राम है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीस सूत्री प्रोग्राम आपने लागू किया, क्या आपने इसका भी मूल्यांकन किया कि बीस सूत्री कार्यक्रम हाथ में लेने के पश्चात् इसमें इससे

(श्री मीठालाल)

क्या प्रगति की है या केवल मीटिंग और भाषणों और अखबार में देने से ही आपने प्रगति की है या कामों में ज्यादा प्रगति की है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विषय से अलग नहीं जाना चाहता हूं लेकिन विधान सभा में जो प्रश्नों के जवाब मंत्रियों की ओर से आये हैं वह इस ढंग के आये हैं कि जो पिछले सत्रों में जवाब आते थे वह बिलकुल साफ आते थे लेकिन अब की बार माननीय सदस्य महसूस कर रहे हैं कि उनके जवाबों को घुमाया गया है और उनके प्रश्नों के सीधे जवाब नहीं आये हैं। जिन्होंने लिखित में भी प्रश्न पूछे हैं उनके जवाब भी पूर्ण रूप से सही नहीं आये और अगर किसी प्रश्न के 3 खण्ड हैं तो दो का ही जवाब दिया है और एक का जवाब पी ही नहीं गये बल्कि डकार गये। जो आप स्पष्ट रूप से जवाब दे सकते थे वह नहीं दिये गये। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर अफसरशाही इतनी हावी है कि आप स्पष्ट रूप से जवाब ही नहीं द सकते। हो सकता है कि आपकी कोई कमजोरी हो लेकिन आप सही जवाब नहीं दे सके हैं।

चरागाह का मामला माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी चला लेकिन मंत्री महोदय की तरफ से जवाब आया उससे लगता है कि सरकार की इस बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। मंत्री महोदय बतायें कि चरागाहों के बारे में सरकार की स्पष्ट नीति आगे क्या है ? आपने यह माना था कि अलग अलग जिले की समस्यायें अलग अलग हैं। मैने निवेदन किया था कि तहसीलों की ही नहीं अपितु आपने एक एक गांव की और एक एक गांव में भी अलग अलग हिस्से की अलग अलग परिस्थिति मानकर चरागाह अलाट किये और उनमें भी बहुत से चरागाहों के कब्जे नहीं दिये। बहुत सों को लोन दे दिया और लोन देकर बहुत सों से वापिस भी ले लिया। मेरा निवेदन है कि आप की इस बारे में नीति क्या है ? जो अलाट हो चुके वह हो चुके अथवा कैंसिल होंगे ? भविष्य में होंगे अथवा नहीं ? और अगर होंगे तो किस आधार पर होंगे और पिछले जो अलाट हो गए उनके बारे में आपकी क्या राय है ? जो गलत अलाट हो गए उनके बारे में आपकी क्या राय है ? गांव वालों में बहुत सी भ्रांतियां हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को जो अलाट हुए हैं वह वापिस कैंसिल तो नहीं होंगे क्योंकि मवेशियों के आधार पर आवंटन नहीं हुआ है अपितु गांव के सारे के सारे चरागाह अलाट कर दिये हैं। यह स्पष्ट तो कर दें कि आवंटित भूमि उनके पास रहेगी या नहीं ?

इसके अतिरिक्त कहीं ऐसा तो नहीं है कि मकानों के पट्टे, चरागाहों के पट्टे, कच्ची बस्तियों के पट्टे राष्ट्रपतिजी के जरिये बंटवा दिये और उनको वापिस ले लिया। फिर वही पट्टे प्रधान मंत्री जी आयीं तो उनसे बंटवा दिये और फिर उनसे वापिस ले लिये। मंत्री जी गये तो फिर उनसे बंटवा दिये। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चरागाहों के पट्टे भी बंटते जायेंगे और इसी तरह वापिस लेते रहेंगे ? क्या इसी तरह से आप बीस सूत्री कार्यक्रम लागू करना चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : बीससूत्री प्रोग्राम का चरागाह से क्या संबंध है ?

(श्री परसराम मदेरणा)

बीस सूत्री प्रोग्राम is the economic programme. आप आर्थिक प्रोग्राम पर बोलिये। यहां पर कई तरह के कन्वर्शन हो रहे हैं और उनके रूल्स बने हुए हैं। बीस सूत्री प्रोग्राम में आप दूसरी तरह से लेकर चरागाह की बात कर रहे हैं। आप कमेटी चाहते हैं उसके ऊपर बोलिये। उच्चस्तरीय कमेटी चाहते हैं उस पर बोलिये।

श्री मीठालाल : चरागाह आवंटन से कृषि का उत्पादन बढ़ता है। इस मामले से बीससूत्री कार्यक्रम का मेल जरूर खाता है फिर जैसी आपकी समझ।

कुछ माननीय सदस्य : आप समझ नहीं पाये।

श्री मीठालाल : आपसे तो ज्यादा समझता हूं। बिजली के कनेक्शन देने के लिए गत 18 जून को.......

श्री परसराम मदेरणा : यह कोई बीस सूत्री कार्यक्रम नहीं है। यह बीस सूत्री प्रोग्राम पावर की जनरेशन और प्राडक्शन से संबंधित नहीं है। यहां पर डिस्ट्रिब्यूशन और कनेक्शन देने वाली और ट्रिपिंग वाली बात नहीं है। जो प्रोग्राम है वह और है। आप प्रोग्राम को समझिये। अभी विद्युत मंत्री जी जवाब इसका देने लग जायें तो उनको तीन घंटे लग जायेंगे कि कहां कनेक्शन मिले कहां नहीं मिले, कहां क्या हुआ कितना प्रॉडक्शन हुआ और कितना नहीं–यह प्रोग्राम नहीं है। यह तो माना हुआ सिद्धान्त है कि देश के अन्दर ज्यादा बिजली पैदा की जाये तो उससे देश की शक्ति बनती है।

श्री मीठालाल : आपने हमको समझने का तो कोई मौका ही नहीं दिया। हमको मौका ही कहां दिया समझने और समझाने का। हम तो गांवों में आपके कहते हैं वही समझते हैं जैसा आपके चेतराम जी गांव वालों को कहते हैं वैसी ही बात कह रहा हूं। जैसा रामगोपाल जी कहते हैं वैसा ही हम कहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे यह जानकारी नहीं थी कि आप बुलबुल कलेजे के और चिकन हार्टेड आदमी नहीं हैं लेकिन आप इस प्रोग्राम में आस्था रखने वाले हरक्युलस मसल्स वाले और लायन हार्टेड आदमी हैं। आपने जो आज स्वरूप रखा है क्योंकि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य के इस प्रस्ताव का समर्थन जिस जोरों से किया हैं उसको देखते हुए इस पर विचार करेंगे कि क्या करना है।

श्री मीठालाल : वह आपकी बात है आप किस तरह से समझें। मैं निवेदन कर रहा था कि विद्युत का उत्पादन बढ़ायें। अगर आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और प्रसार नहीं करना चाहते हैं और गांवों में बिजली नहीं देना चाहते हैं तो विद्युत उत्पादन बढ़ाने से क्या फायदा? जब तक उसके नीचे की गति ठीक नहीं करेंगे, किसानों को किस तरह से राहत दी जावे, इसको जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक वास्तव में किसी को राहत मिलने वाली नहीं है। इस बारे में मैं एक ही उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं। लालसोट में आर० ई० सी० स्कीम का उद्घाटन 18 जून को माननीय मुख्य मन्त्री जी की ओर से किया जाने वाला था और उद्घाटन होकर बिजली देनी थी। वह

Page No 125

(125)

(श्री मीठालाल)

बदकिस्मती से उद्घाटन का आयोजन कैंसिल हो गया और बिजली आज तक उन लोगों को नहीं मिली जब कि चीफ इन्जीनियर ने स्थानीय अधिकारियों को लिख कर भेज दिया कि इनको बिजली दे दी जाय। यदि उद्घाटन से ही बिजली दी जावेगी और इस तरह से बीस सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना है तो इससे लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है, इतना ही इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है।

इसके अतिरिक्त बीस सूत्री प्रोग्राम के बारे में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। माननीय सदस्यों की आस्था है। अच्छा प्रोग्राम है, प्रचार भी इसका खूब किया जा रहा है। लेकिन हम तो काफी समय पहले से ही इस प्रकार की नीतियों के बारे में कह रहे हैं। इस प्रकार के काम पहले ही शुरू हो जाने चाहिये थे। पहले से ही विरोधियों की मांग रही है कि इस तरह का कोई प्रोग्राम होना चाहिए। पहले से ही इस प्रकार की योजनाओं के बारे में अपोजीशन मांग करता आ रहा है। अब भी सरकार को चाहिए कि व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना कर सब को साथ लेकर इसको कार्यान्वित करें। जो आपकी यह अलग धारणा है कि इसमें केवल एक ही पार्टी का साथ व सहयोग है और इस कार्यक्रम के मूल्यांकन में उनके साथ के दल के लोगों को ही बुलाया जाय, उन्हीं के द्वारा इसका प्रचार और प्रसार किया जाय तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इसमें आस्था रखने वाले सभी लोगों को, इन सभी माननीय सदस्यों को साथ लेकर एक कमेटी अगर बना दी जाय तो मैं समझता हूं कि यह उचित ही है। इसमें भी ज्यादा हितकर यह होगा कि कमेटी बनाते समय माननीय श्री औंकारलाल जी, चेतरामजी और रामगोपाल जी से सलाह ले ली जाय तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये लोग प्रगतिशीलता के लेटेस्ट मॉडल हैं।

श्री औंकारलाल चौहान : Thank you for your suggestion.

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री रतीराम यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कमजोर वर्ग से हैं उनको मौका मिलना चाहिए।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प के पक्ष में और विपक्ष में अपनी बात कह रहा हूं।....

श्री नत्थासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक कमजोर वर्ग की बात कहना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं यह मानता हूं कि जिस तरह का इस देश में गरीब लोगों और गरीब लोगों के नाम पर जो शोर शराबा किया जा रहा है और फिर उसके आधार पर उनका जिस तरह से एक्सप्लायटेशन किया जा रहा है और

(श्री मूलचन्द सामरिया)

प्रेक्टिकली वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है, इस बात से हमें अफसोस है। मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि जो कुछ इस देश में घटनाएं हुई जिनके आधार पर मजबूर होकर के इस तरह का यह प्रोग्राम प्रसारित किया गया है। अगर वह प्रोग्राम भी किसी तरह से पूरा किया जावे और अपने खुले दिल से ईमानदारी के साथ इसको लागू किया जाय तो हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे राहत देने की जो बात कही गई है, उसमें कुछ हो। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस प्रोग्राम को अपनी नौकरशाही के द्वारा लागू कराना चाहती है, वह नौकरशाही जो आई० ए० एस० अफसरों के द्वारा सरकार चलाती है। आई० ए० एस० अधिकारी, जो कि राजस्थान सरकार के नियन्त्रण से बाहर केन्द्र की सरकार से नियन्त्रित होते हैं, का राजस्थान की सरकार कुछ बना-बिगाड़ नहीं सकती है, ऐसी नौकरशाही के द्वारा आज यह इन हरिजनों को, इन आदिवासी लोगों को मकान के लिए भूखण्ड दिलाना चाहती है। उन लोगों के माध्यम से आप गरीब लोगों को रोजगार दिलाने की बात करते हैं, आप इन कमजोर वर्ग के लोगों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। यह सब कानून आप इन लोगों से, जो कि आई. ए. एस. अधिकारी हैं, लागू करवाना चाहते हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह सब बात चाहे कड़वी ही लगें लेकिन जनतन्त्र में रहने वाले व्यक्ति का चरित्र बहुत ही उत्तम और स्वच्छ होना चाहिए। जब हमारी सरकार में बैठे हुए व्यक्ति ऐसे हों, जिनका खुद का चरित्र ऐसा हो, जिनका आचरण ऐसा हो कि जिनके विरुद्ध जनता में आवाज उठाई जाय, उन पर आरोप लगाए जा रहे हों, ब्यूरोक्रेसी के लोग उन लोगों का अनुशासन मान कर काम करने के लिए तैयार नहीं होते हों तो मैं निवेदन करूंगा कि न केवल ब्यूरोक्रेसी के लोग बल्कि डेमोक्रेटिक तरीके से जो सरकार में बैठे हुए हैं और जिनका आचरण संदिग्ध है, बाहर जनता जिनका मखौल उड़ाती है ऐसे लोगों से आप इस बीस सूत्री कार्यक्रम का प्रचार कराते हैं, उनके भाषण करा कर प्रचार कराते हैं तो ऐसे लोगों का, भले ही डेमोक्रेटिक तरीके से वे लोग आते हों, न तो जनता पर प्रभाव पड़ता है और न नौकरशाही उनको किसी तरह से गांठती है। इसलिए यह जो समिति माननीय सदस्यों की बनाई जाय इसको यह पावर होनी चाहिए कि इसकी क्रियान्विति में, बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में जो अधिकारी दोषी हों न केवल उनको हटाने का अधिकार हो लेकिन जिन मन्त्री महोदय का चरित्र संदिग्ध हो चुका है, जिनके ऊपर आरोप लग चुके हैं जब तक वे निर्दोष साबित नहीं हो जायं तब तक उनको हटा देने का अधिकार भी इस समिति को मिलना चाहिए। चूंकि जब क्रांतिकारिता की बात करते हैं, जब आप क्रांतिकारी कदम उठाने की बात करते हैं तो इनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं सोचें कि हमें तो हर हालत में प्रशासन करना है बल्कि स्वच्छ प्रशासन के लिए स्पोर्ट्समैन स्प्रिट से सही स्थिति को सामने रख कर निर्णय करें। जब आप इतने जोर से नक्कारे बजाते हैं कि जनता ने हमें इतने वोटों से जिताया है, इतना हमारा प्रचण्ड बहुमत है तो फिर अपने आपकी खामियों को स्वीकार नहीं करें, इससे बड़ी हठधर्मी नहीं हो सकती है। जहां तक इस

(श्री मूलचन्द सामरिया)

प्रोग्राम का ताल्लुक है यह कोई बड़ा कार्यक्रम उन गरीबों की भलाई के लिए नहीं रखा गया है जो न नौकरशाही के सामने जाकर पैरवी कर सकते हैं और न आपकी तिरंगी झण्डी के सामने खड़े हो सकते हैं। इसलिए जनता के प्रतिनिधियों की उच्चतम समिति बना देते हैं तो उसको न केवल सरकार को बल्कि चीफ मिनिस्टर और केबिनेट को भी क्वेश्चन करने का अधिकार होना चाहिए ताकि जो अनियमिततायें करते है उनको क्वेश्चन कर सकें। मैं मानता हूं कि छः महीने से बराबर पब्लिसिटी हो रही है कि हमने गरीबों की भलाई कर दी। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आज तक जितने पट्टे दिए हैं मकानों के लिए उनमें से कितने मकान बनवा दिए। एक गरीब आदमी, एक हरिजन अपनी झोंपड़ी में रहता था, अपने बाप-दादा के समय से, सौ साल से कब्जे पर था उसको आपने पट्टा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या वह पट्टा उसके लिए चद्दर का मकान बनेगा बरसात में, या वह पट्टा उसकी जलती हुई झोंपड़ी को बचा सकेगा? क्या आपने मकान बनाने की उसकी केपेसिटी पैदा की है? अगर इस तरफ कदम उठा दिए होते तो मैं समझता हूं कि आपके बीस सूत्री कार्यक्रम में अच्छा विश्वास पैदा हो सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि इस समय देश में एक मात्र मिसेज इन्दिरा गांधी का राज्य है कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस पार्टी पर मिसेज इन्दिरा गांधी का दबदबा है इसलिए कांग्रेस में उनके खिलाफ किसी को कहने की हिम्मत नहीं है। इस बीस सूत्री कार्यक्रम के···

श्री नत्थासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पांच बज रहे हैं, सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : इस संकल्प के जो प्रस्तावक हैं उन्होंने केलकुलेशन करके बताया है कि इस काम के लिए आज तीन अरब रुपयों की आवश्यकता है। लेबर पर अगर कोई हाई पावर कमेटी बनेगी तो वह भी यह तीन अरब रुपये किस खजाने से लायेगी? आप जब इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं तो इस पर भी रोशनी डाल दीजिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : ऐसे कितने ही तीन अरब रुपये आप सख्त कदम उठा कर इकट्ठे कर सकते हैं। अगर अभी नहीं कर सकते तो इस का टाइम बांध दें। अगर अभी आप गरीब लोगों को मकान में नहीं रख सकते तो उसको उसकी झोंपड़ी में ही पड़ा रहने दें लेकिन आप यह बतायें कि जिन लोगों के पास आज एक और तो बिल्कुल रहने के लिए मकान नहीं है और दूसरी ओर जिनके पास बहुत से मकानात हैं उनसे मकान एक्वायर करके नहीं दे सकते है····

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, समय हो गया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप उन लोगों को बसा दीजिए। लेकिन आप तो बड़े बड़े लोगों को राहत देना चाहते हैं जिनके पास सैकड़ों मकान हैं, क्या उनसे किराये पर लेकर इनको नहीं दे सकते हैं? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? आप कभी विचार नहीं कर सकते क्योंकि

(श्री मूलचन्द सामरिया)

आप लोगों ने कभी भी गरीबों के प्रति हमदर्दी का, उनकी उन्नति करने का कभी विचार नहीं किया जिससे कि गरीबों को मकान मिलें । आपको तो उनकी इतनी ही फिक्र है कि जितने वोट आपको चाहिए उनकी भलाई की बात करके उनसे वोट ले लें । उससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं चाहते हैं । मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि जब करोड़पति सेठों के पास में और इन जौहरियों के पास में इतने मकान है, पांच सौ बीघा तक जमीन जिनके पास है उसके लिए सरकार क्यों चुप बैठी है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री परसराम मदेरणा : प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब रेवेन्यू सर्किल तक कमेटी बनाने जा रहे हैं जगह जगह डिस्ट्रिक्ट्स में तो आप इस कमेटी का क्यों बनाना चाहते हैं ? इस उच्च स्तरीय कमेटी का क्या मतलब है ? यह बताइये, बाकी बात करने से क्या यूज है ?

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं बतला रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक म० प० 5 बज कर 1 मिनिट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

समयाभाव के कारण सदन में न लिए गये तारांकित प्रश्नोत्तर

लघु उद्योग संस्थान टोंक

296. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक शहर में बन रहे लघु उद्योग संस्थान का विकास कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ? तथा इस संस्थान में पानी, बिजली की व्यवस्था कब तक पूर्ण करवा दी जावेगी ?

(2) पानी की सप्लाइ हेतु विभाग के पास क्या योजना है और उस पर कब से कार्य शुरू करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) अक्टूबर, 1976 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) पानी की सप्लाइ की योजना जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग के सहयोग से तैयार की जा रही है और इस पर अप्रेल, 1976 से कार्य शुरू होने की सम्भावना है।

मिट्टी के तेल के भाव

297. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल बाजार, जयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है कि मिट्टी के तेल की खुदरा बिक्री के दाम कम करें ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तैल की वितरण व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो कब तक सुधार हो जावेगा ?

(3) राजस्थान में मिट्टी के तेल पर स्थानीय व अन्य करों का कितना खर्चा प्रति लीटर पर आता है ?

उत्तर

(1) भारत सरकार ने मिट्टी के तेल की खुदरा बिक्री दरें रु० 1-30 प्रति लीटर निर्धारित करने का सुझाव दिया था। यह प्रस्ताव मिट्टी के तेल की वर्तमान एक्स डिपो दर तथा वाजिब खर्चे देने के बाद स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं था।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था सुधारने हेतु खुदरा विक्रेताओं को अतिरिक्त परिवहन व्यय दिलाया जाता है। पंचायत समिति स्तर पर यूटिलिटी पम्प खोले जाने की योजना है, इच्छित व्यापारियों को लाइसेन्स प्रदान कर स्टाकिस्ट से तेल उपलब्ध करा दिया जाता है।

(3) राजस्थान में मिट्टी के तेल पर राजस्थान बिक्री कर के रूप में 7% अन्तर प्रदेशीय स्थानों पर केन्द्रीय बिक्री कर 4% (केन्द्रीय बिक्री कर सभी स्थानों पर नहीं लगता है) तथा विभिन्न नगरपालिका क्षेत्रों में विभिन्न दर से चुंगी कर लगता है।

Page No 130

(130)

पंचायत समिति शाहबाद में आवासीय भू-खण्डों का आवंटन

298. श्री रामगोपाल (किशनगंज): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति शाहबाद, जिला कोटा में जनवरी, 75 में कितने व्यक्तियों को किस किस गांव में आवासीय भू-खण्ड आवन्टित किये गये हैं ? ग्राम पंचायतवार सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त पंचायत समिति में कुछ गांवों को आवंटित आवासीय भू-खण्डों को निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

भूतपूर्व जागीरदार के विरुद्ध जांच

299. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एस. पी. जोधपुर ने झालामंड ठिकाने के भूतपूर्व जागीरदार श्री जगतसिंह के विरुद्ध फर्जी इमारती पट्टे अब पुरानी तारीखों से बना बना कर देने के सम्बन्ध में श्री मांगीलाल थानेदार से कोई जांच करवाई ? यदि हां, तो किस शिकायत पर व किस आदेश से ? कृपया मूल शिकायत-पत्र व मूल एस. पी. जोधपुर के आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस जांच के सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या उक्त भूतपूर्व जागीरदार की जागीर में रहे गोठन गांव, तहसील मेड़ता, जिला नागौर में राजकीय स्कूल के मैदान काश्तकारों के खेतों एवं सार्वजनिक भूमियों में अब पुरानी तारीखों में इमारती पट्टे जागीरदार द्वारा जारी करना पुलिस जांच में प्रमाणित पाये गये हैं ? यदि हां, तो आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) श्री पूनाराम अध्यक्ष, न्याय पंचायत, ग्राम गोठन ने एक शिकायत-पत्र जिलाधीश, जोधपुर को बाबत झालामंड ठिकाने के भूतपूर्व जागीरदार श्री जगतसिंह द्वारा फर्जी इमारती पट्टे पुरानी तारीखों में दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 18-7-75 को पेश किया था। उक्त शिकायत-पत्र अधीक्षक, पुलिस, जोधपुर को आवश्यक जांच हेतु प्राप्त होने पर श्री मांगीलाल उप निरीक्षक से जांच कराने के आदेश दिये थे।

(2) जांच के दौरान पाया गया कि श्री पूनाराम ने उपरोक्त शिकायत जिलाधीश, जोधपुर को पेश करने से पहले ही दिनांक 7-2-75 को इसी जमीन के झगड़े बाबत एक इस्तगासा धारा 145 जा. फौ. के तहत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मेड़ता की कोर्ट में पेश कर दिया था। विवादग्रस्त भूमि को अन्तरिम रूप से न्यायालय द्वारा कुर्क कर दिया है। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अतः पुलिस की अग्रिम कार्यवाही स्थगित कर दी।

(3) श्री पूनाराम द्वारा प्रस्तुत शिकायत में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं है।

राजस्थान नहर क्षेत्रों में हरिजनों को कृषि भूमि का आवंटन

300. श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में अब तक कुल कितने हरिजन भूमिहीनों को कृषि भूमि का स्थाई आवंटन किया गया है ?

(2) राजस्थान नहर क्षेत्र में हरिजनों के लिए कुल कितने एकड़ भूमि आरक्षित की गई है ?

(3) हरिजन भूमिहीनों के इस समय कितने प्रार्थना-पत्र उपनिवेशन विभाग के विचाराधीन हैं ?

(4) उक्त हरिजनों के विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय करके कब तक भूमि आवंटित कर दी जायगी ?

(स्थगित किया गया)

उम्मेद आर्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय जोधपुर को अनुदान

301. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उम्मेद आर्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोधपुर को राज्य अनुदान 60% मिलता है जहां 300 छात्र शिक्षा पा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मार्च, 74 के पश्चात् उपरोक्त विद्यालय को राज्य अनुदान नहीं मिलने से नवम्बर, 74 के पश्चात् का अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा सका। यदि हां, तो राज्य सरकार ने इन अध्यापकों को लगभग पिछले 13 माह का वेतन दिलाने का क्या प्रयास किया ?

उत्तर

(1) जी हां, वहां करीब 250 छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

(2) जी हां। शिक्षा विभाग ने संस्था को अनुदान के लिए प्रार्थना-पत्र देने के लिए तथा आवश्यक सूचनाएं देने के लिए आग्रह किया किन्तु संस्था ने समय पर कोई प्रार्थना-पत्र ही नहीं दिया। व्यवस्थापिका समिति की वैधानिक स्थिति भी डावांडोल हो गई थी। राज्य सरकार वहां प्रशासक नियुक्त करने पर विचार कर ही रही थी कि दिनांक 29 दिसम्बर को यह सूचना प्राप्त हुई कि व्यवस्थापिका समिति नियमानुसार गठित कर दी गई है। अतः अब इस पत्र के आधार पर पुनः इस सम्पूर्ण मामले पर विचार किया जायेगा।

चूरू जिले में अकाल राहत कार्यों पर व्यय

302. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अकाल राहत के अन्तर्गत चूरू जिले में प्रभावित लोगों को रोजगार देने के लिए क्या क्या कार्य, किन किन दिनांकों में आरम्भ किये और उन पर अब तक क्या क्या खर्च किया गया तथा क्या क्या कार्य हुआ ? कार्यवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(132)

(श्री लूणाराम)

(2) क्या यह सही है कि ऐसे समस्त कार्य यकायक दिनांक 12-7-75 से 14-7-75 के बीच मजदूरों की पूरी संख्या काम पर लगे हुए होते हुए भी बन्द कर दिये गये और यकायक मजदूर बेकार होगये ?

(3) यदि हां, तो कार्य बन्द के दिनांक को कार्यवार कितने कितने मजदूर कार्य पर थे ?

(4) उक्त कार्यवाही किस अधिकारी द्वारा किस नीयत से की गई जब कि सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं था ?

(5) क्या इस प्रकार मजदूरों के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती हैं। यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

क्लस्टर ट्यूब वैल स्कीम

303. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं तहसील में क्लस्टर ट्यूब वैल स्कीम के अन्तर्गत काश्तकारों के खेतों में कुछ बेरे खोदे गये हैं परन्तु उन्हें लम्बे अर्से के बाद भी बिजली नहीं दी जाने से कृषि उपज में उन बेरों के पानी का उपयोग नहीं हो रहा है ? अगर हां, तो इस योजना के तहत काश्तकारों के लिखाये गये शर्तनामे के अनुसार बिजली देने की जिम्मेदारी तथा लागत वसूल करने की किश्तें क्या थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत खोदे गये कई कुएं लम्बे अर्से तक काम में नहीं लिये जाने के कारण जमीन में पट गये हैं जिससे सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है ? अगर हां, तो इस प्रकार की हानि की जिम्मेदारी सरकार ने किस पर डाली है और उसकी वसूली की क्या कार्यवाही की गई है ?

(स्थगित किया गया)

बूंदी जिले में भूमि का आवंटन

304. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी जिले में राजस्व भू-आवंटन अभियान के अन्तर्गत कुल कितने किसानों को कुल कितनी भूमि आवंटित की गई ? तहसीलवार ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) तहसील हिंडौली में आवंटित भूमि पर कितने किसानों का आधिपत्य किया गया ? पंचायतवार ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

लालसोट तहसील में अकाल राहत कार्य

305. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में जयपुर जिले की लालसोट तहसील में कुछ अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये

(श्री मीठालाल मीणा)

थे ? यदि हां, तो कितने तथा किन किन विभागों से सम्बन्धित थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत कार्यों में से बहुत ही कम कार्यों पर कार्य चालू किया गया ? यदि हां, तो कितनों पर ? तथा कितनी धनराशि खर्च की गई ? और क्या वे कार्य पूर्ण हो गये ?

(3) क्या यह सही है कि अधिकांश स्वीकृत कार्य सिंचाई विभाग के जयपुर जिले के अधिशाषी अभियन्ता श्री चावला की अकर्मण्यता के कारण प्रारम्भ नहीं हो सके ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर जिला अकाल राहत सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 8-8-75 में भी उक्त श्री चावला द्वारा जिले की अन्य तहसीलों में भी कार्य न करवाने के कारण सभी सदस्यों को भारी आक्रोश था ? तथा स्वयं श्री चावला ने अपनी गलती स्वीकार की थी ?

(5) क्या यह सच है कि जिलाधीश, जयपुर द्वारा कई बार श्री चावला को उक्त सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी लिखने के पश्चात् भी श्री चावला ने आज तक कोई टिप्पणी नहीं भेजी ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि भेज दी तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(6) क्या उक्त विषय में श्री चावला के विरुद्ध राज्य सरकार को भी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब ? तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। चालू वित्तीय वर्ष में जयपुर जिले की लालसोट तहसील में 7 अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये थे। इनमें से छः सिंचाई विभाग से व एक सार्वजनिक निर्माण विभाग के थे।

(2) स्वीकृत सिंचाई कार्यों में से एक कार्य चालू किया गया जिस पर 19,919) रुपया व्यय हुए। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एक कार्य चालू किया गया जिस पर 230,536) रुपया व्यय हुए। कार्य अपूर्ण रहे।

(3) जी नहीं।

(4) कुछ सदस्यों ने रोष व्यक्त किया था। अधिशाषी अभियन्ता श्री चावला ने बताया कि जो कार्य तकनीकी दृष्टि से चालू कराने योग्य नहीं थे उन्हें चालू नहीं कराया जा सका।

(5) जी हां।

(6) जी हां। दिनांक 25-9-75 को प्राप्त हुई थी। जिस पर जिलाधीश, जयपुर को मामले की जांच कर जांच प्रतिवेदन शीघ्र भिजवाने के लिये लिखा गया था।

जालौर जिले की जिला परिषद, पंचायत समितियों एवं पंचायतों में रिक्त स्थान

306. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में जिला परिषद, पंचायत समितियों एवं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पंचायतों में कई सदस्यों के स्थान रिक्त हैं ? अगर हां, तो ऐसे कुल कितने स्थान कहां कहां पर कब से रिक्त पड़े हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त स्थानों की पूर्ति के लिए अब चुनाव कब तक करवा दिये जावेंगे ?

(3) जिला जालौर में कितनी पंचायतों के सरपंच, उप-सरपंच एवं पंचायत समितियों के प्रधान, उप-प्रधान एवं जिला परिषद् के प्रमुख आदि के स्थान कब से रिक्त पड़े हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । इन रिक्त स्थानों की पूर्ति चुनावों द्वारा कब, तक करवा दी जावेगी ?

(4) अन्य डिफेक्ट ग्राम पंचायतों के कार्य पंचों के स्थान पर चुनाव कर कब तक कार्य शुरू करवा दिये जायेंगे ? ऐसी कितनी अन्य पंचायतें हैं जिनका कार्य बन्द है एवं कब से बन्द है ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायत बंजारी के सरपंच के विरुद्ध गबन का मामला

307. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरपंच, ग्राम पंचायत बंजारी, तहसील छीपाबड़ोद, जिला कोटा के विरुद्ध पंचायतों की राशि के गबन व दुरुपयोग किए जाने बाबत एफ. आइ. आर. थाना हुरनावदा शाहजी में दर्ज करवाई गई है ? यदि हां, तो कब ?

(2) अब तक इस मामले में संबंधित व्यक्ति का चालान पेश किया गया या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? और अब कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री भैरूलाल पुत्र पांचू लाल मीना सरपंच बंजारी के विरुद्ध रु० 5260/ के गबन करने का मुकदमा नम्बर 33 दिनांक 27-8-75 धारा 409 आइ. पी. सी. पुलिस स्टेशन हुरनावदा पर दर्ज हुआ था ।

(2) मुकदमा जेरतफतीश है । तफतीश पूर्ण होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ?

नेशनल हाई-वे के लिये अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

308. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि जयपुर-कोटपूतली-बहरोड़-दिल्ली नेशनल हाईवे बनाते समय अलवर जिले की बहरोड़ तहसील के बहुत से गांवों की जमीन सरकार द्वारा एक्वायर की गई थी ? यदि हां तो कब व किस किस गांव को कितनी कितनी जमीन अधिग्रहण की गई थी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त अधिग्रहण की गई जमीन का अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इतनी देर होने का क्या कारण है और अब सरकार कब तक किसानों को मुआवजा दिला सकेगी ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

शिक्षा विभाग के अध्यापक का पंचायत विभाग में स्थानान्तरण

309. श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री रामचन्द्र वर्मा पुत्र श्री- बुजाराम, अध्यापक तृतीय वेतन श्रृंखला का दिनांक 29-8-75 को पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा पंचायत समिति अलसीसर, जिला झुंझुनूं से पंचायत समिति धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर में स्थानान्तरण किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि विद्यालय निरीक्षक, जिला झुंझुनूं ने उक्त अध्यापक के आप्शन एवं मेरिट के आधार पर चयन शिक्षा विभाग में किया और 16-9-75 को उसे राज्य उच्च प्राथमिक पाठशाला भुदा-का-बास में नियुक्त कर दिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापक ने 24-9-75 को रा. उ. प्रा. पाठशाला भुदा-का-बास में ज्वाइन कर लिया ? यदि हां, तो आइ. ओ. एस. झुंझुनूं द्वारा उसका पुनः 18-10-75 को स्थानान्तरण पंचायत समिति धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर में क्यों किया गया ?

(4) क्या आइ. ओ. एस. झुंझुनूं उसका पुनः शिक्षा विभाग से विकास विभाग में पंचायत समिति धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर में स्थानान्तरण करने में सक्षम था ।

(5) क्या इस सम्बन्ध में अध्यापक ने इस अवैध आदेश के बारे में शिक्षा सचिव अथवा शिक्षा मन्त्री को अपील की ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) अध्यापक ने भुदा-का-बास में ड्यूटी 22-9-75 को ज्वाइन की। अध्यापक ने जिस समय शिक्षा विभाग में आने का प्रार्थना-पत्र दिया उस समय वे पं० सं० अलसीसर (झुंझुनूं) में कार्यरत थे एवं वरिष्ठता के आधार पर इनका चयन जिला शिक्षा अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा 16-9-75 को करके उच्च प्राथमिक विद्यालय भुदा-का-बास में पदस्थापन किया गया था । किन्तु विकास विभाग द्वारा इनका स्थानान्तरण 29-8-75 को ही पं० सं० धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर में कर दिया गया था । जब जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें शिक्षा विभाग में लिया गया था उस समय उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि अध्यापक ने जिला बाड़मेर में ड्यूटी ज्वाइन कर ली है अध्यापक ने बाड़मेर जिले की पं० सं० से कार्य मुक्त होकर दिनांक 22-9-75 को भुदा-के-बास में ज्वाइन कर लिया । जब इस तथ्य का पता जिला शिक्षा अधिकारी को लगा तो उन्होंने प्रधानाध्यापक भुदा-के-बास को आदेश दिये कि श्री रामचन्द्र को उनके मूल स्थान पं० सं० धोरीमन्ना के लिए कार्यमुक्त कर दें । यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 13-10-75 को दिया गया क्योंकि नियमानुसार विकास विभाग से 75 प्रतिशत अध्यापक जो शिक्षा विभाग में लिए जाते हैं वे कार्यरत व जिले के लिए जाते हैं और यह अध्यापक आदेश निकलने से पूर्व ही बाड़मेर में ज्वाइन कर चुका था ।

(शिक्षा मंत्री)

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

केन्द्रीय सरकार की स्टडी टीम की रिपोर्ट

310. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में इक्कीस सूत्री आर्थिक कार्य-क्रम के क्रियान्वयन की देखरेख करने के लिए केन्द्रीय सरकार की (स्टडी टीम) टोली कब कब आई और उसके कौन कौन सदस्य हैं और उन्होंने क्या कमेन्ट्स (रिपोर्ट) दिये ?

उत्तर

केन्द्रीय सरकार की टोली राजस्थान में नहीं आई अत: कमेंट्स का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

नागौर जिले में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी की भूमि

311. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नागौर जिले में ऐसे कितने अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जिनके पास कृषि भूमि के खातेदारी के पट्टे और पास बुकें हैं तथा वे आज तक बीघोड़ियां भी देते हैं परन्तु उन व्यक्तियों के पास खेतों का कब्जा नहीं है और दूसरे सवर्ण जाति के व्यक्ति उनकी खातेदारी के खेतों में काश्त करते हैं ? क्या राज्य सरकार इन व्यक्तियों को उनके खेतों का कब्जा दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

(स्थगित किया गया)

भगवान दास तोदी कालेज, लक्ष्मणगढ़

312. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भगवानदास तोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ सीकर जो शिक्षा विभाग व राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, की प्रबन्ध समिति ने विज्ञान संकाय के चार प्रवक्ताओं को कार्य मुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या कॉलेज की प्रबन्ध समिति के इस निर्णय पर निदेशक, कालेज एजूकेशन ने कोई नोटिस दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया पूरी सूचना देने का कष्ट करें ?

उत्तर

(1) जी हां, क्योंकि कॉलेज की प्रबन्ध समिति ने प्रथम वर्ष विज्ञान की परीक्षायें इस सत्र से बन्द कर दी हैं।

(2) जी हां। प्रबन्ध समिति के विज्ञान कक्षायें बन्द करने के निर्णय पर निदेशक कॉलेज ने उनका अनुदान बन्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया है क्योंकि उन्होंने विश्वविद्यालय एवं निदेशालय के आदेशों की पालना नहीं की है। अनुदान निदेशक द्वारा अगस्त 75 से बन्द कर दिया गया था। राज्य सरकार के आदेश से वह अनुदान चालू कर दिया गया है तथा अन्य मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

तेन्दू पत्ते का राष्ट्रीयकरण और पंचायतों को मुआवजा

313. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में जब से तेन्दू पत्ते का राष्ट्रीयकरण हुआ तभी से ग्राम पंचायतों को उनका मुआवजा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि दो साल से इसके बारे में निवेदन भी किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि गत विधान सभा के बजट सत्र में शीघ्र मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो अब कब तक दे दिया जावेगा ?

(4) क्या मुआवजा अन्तिम तीन साल की औसत से ही दिया जायगा अथवा कैसे ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, मुआवजे की राशि निर्धारण के सम्बन्ध में मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां, मामले को शीघ्र ही तय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(4) अभी निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता ।

(138)

परिशिष्ट—2

(प्रता. प्रश्न संख्या 171, शिकायत की प्रति)

सेवा में,

श्रीमान् बी० एन० जोशी,
प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पुलिस लाइन के सामने, जयपुर।

विषय:—एक गरीब मजदूर अल्प संख्यक जाति के व्यक्ति की बीबी पर श्री पुरुषोत्तम दास ओझा, भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी, दौसा, जिला जयपुर (राजस्थान) द्वारा अनैतिक व अमानवीय कुकृत्य करवाने बाबत नाजायज दबाव।

महा मान्यवर,

सेवा में प्रार्थना-पत्र निम्नांकित प्रस्तुत है:—

1— यह कि प्रार्थी एक गरीब मुसलमान परिवार का मजदूर है।

2— यह है कि प्रार्थी के लड़के सन्नूखां को माह जुलाई से अगस्त 75 में करीब दो माह तक श्री ओझा, भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी, दौसा ने 5) रु० दैनिक मजदूरी पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु अपने विभाग में रखा।

3— यह है कि मजदूरी की मांग में कई प्रार्थना-पत्र दिये गये व बीसों बार दौसा व श्री ओझा के निवास स्थान माण्डारेज पर मिलकर निवेदन किया। मगर हर समय श्री ओझा द्वारा मुझसे व मेरे लड़के से दुर्व्यवहार किया गया।

4— यह है कि एक दिन मेरे लड़के सन्नू खां ने आकर कहा कि अब श्री ओझा के पास पैसों का कहने के लिए कभी नहीं जाऊंगा, चाहे भूखों ही मर जाऊं तो मैंने उसे धमकाया कि अपनी की हुई मजदूरी में क्या लाज है क्यों नहीं जावेगा तो काफी दबाव देने पर बच्चे सन्नू खां ने एक ऐसी बात कही कि जिसे लिखते हुए मेरा भी सिर शर्म से झुक रहा है और मजबूरी से लिखना पड़ रहा है। श्री ओझा ने बच्चे से कहा कि यदि आप अपनी बीबी को मेरे घर पर भेज दो तो आपको मजदूरी शीघ्र दे दूं और भविष्य में आपको मजदूरी पर रखकर धीरे धीरे स्थायी नौकरी दिलवा दूंगा—अन्यथा आप कितना ही प्रयास करो आपको एक पैसा भी नहीं मिलने दूंगा, और मौका मिलने पर आपको रगड़ दूंगा, और किसी भी मामले में फंसा कर जेल भेज दूंगा। यह बात सुनकर मैं दंग रह गया व मैं स्वयं श्री ओझा के पास गया तो उन्होंने बेशर्मी से सारी बात मेरे से मंजूर करली और ऐसा व्यवहार किया जैसे यह कोई खास बात न हो।

5— यह है कि श्री ओझा द्वारा इस प्रकार अमानवीय, अनैतिक, अभद्र, अनुचित, घृणित, कुकृत्य के लिये मेरे बच्चे पर नाजायज दबाव डालना व न मानने पर पैसे न दिलाना व उसे जेल भेजने की धमकी देना एक अजीब बात है। इससे मेरे समाज के लोगों में भी काफी असन्तोष व उग्रता पैदा हो गई है और मुझे सामाजिक दृष्टि से हीन माना जायेगा, यदि श्री ओझा को इसकी सजा नहीं मिली।

6— यह है कि आजकल आपात स्थिति के लागू होने के बाद जब हर बड़े से बड़े अधिकारी में अनुशासन, संयम, मानवता व गरीबों के प्रति स्नेह व लगाव दृष्टिगोचर हो रहा है तो फिर श्री ओझा द्वारा इस प्रकार का व्यवहार करना न केवल मानवता को ही कलंकित करता है बल्कि गरीबों के साथ सरासर अन्याय है और जिस आपात स्थिति को सन्त विनोबा ने अनुशासन पर्व बतलाया है उसका खुला मखौल है।

अत: प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्री ओझा को तुरन्त सस्पेण्ड फरमाया जावे व मेरे बच्चे की मजदूरी दिलवाई जावे व श्री ओझा के कुकृत्य की सजा दिलवाई जावे क्योंकि एक बुड्ढे व्यक्ति को उसकी बहू के बारे में जो कुछ कहा गया है यह असहनीय है और यदि कुछ नहीं होता है तो मुझे समाज में जिन्दा रह कर घूमना ही बेहद दुखदाई रहेगा।

प्रार्थी
हस्ताक्षर
(शन्नू खां/नूर मोहम्मद खां)
जाति मुसलमान नि० माण्डारेज
(तहसील दौसा) जिला जयपुर।

दिनांक 25-11-75

परिशिष्ट 3

(अत. प्रश्न सं० 173 की सूची)

अकाल राहत व्यवस्था पर हुये खर्चे का विवरण सम्वत 2031

(राशि लाखों में)

नाम जिला	सा. नि. वि.	सिचाई विभाग	वन विभाग	कृषि विभाग	रिलीफ मेजर ग्रदर देन रिलीफ वर्क्स	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
अजमेर	155.46	23.74	9.75	4.34	21.34	214.85
अलवर	—	—	—	—	1.95	1.95
बांसवाड़ा	126.26	23.71	0.73	—	1.95	150.65
बाड़मेर	317.64	9.01	12.89	9.20	6.10	354.73
भरतपुर	6.72	6.84	—	—	2.79	11.55
भीलवाड़ा	92.93	27.99	—	—	2.65	149.44
मेजा डेम	—	25.87				
बीकानेर	33.99	—	—	—	7.87	41.86
बूंदी	19.06	5.60	—	—	8.86	25.52
चित्तौड़गढ़	84.18	4.00	—	—	0.54	88.72
चूरू	97.77	—	—	—	4.11	101.88
डूंगरपुर	116.30	88.62	1.61	17.95	2.12	223.61

गंगानगर	25.47	—	—	—	0.39	25.85
जयपुर	18.03	10.28	—	—	4.44	32.75
जैसलमेर	32.11	7.96	—	—	3.66	43.73
जालोर	66.48	9.21	—	—	2.90	98.59
झालावाड़	17.41	9.804	—	—	0.17	12.504
झुंझुनू	15.27	1.560	—	1.21	3.89	21.930
जोधपुर	232.20	1.88	—	—	15.88	249 88
कोटा	21.30	—	—	—	0.54	21.92
नागौर	57.11	7.58	—	—	9.24	73.93
पाली	123.15	47.962	1·41	0.19	7.41	180.142
सवाई माधोपुर	0.35	0.17	—	—	8.96	1.48
सीकर	30.54	3.245	1.33	4.17	5.54	44.825
सिरोही	78.09	22.096	—	—	1.24	101.446
टोंक	49.83	0.735	—	—	1.29	51 075
उदयपुर }	275.69	83.59 }	12.66	4.00	15.69	397.30
जालान प्रोजेक्ट }	—	5.60 }				
योग :	2109.61	405.572	40.18	41.07	125.72	2722.152

नोट:—वर्ष 1975-76 के कम के आंकड़े प्रोविजनल शामिल किये गये हैं चूंकि यह महालेखाकार कार्यालय में लेखे तैयार न होने के कारण पूर्ण मिलान कार्य संभव नहीं हो पाया है ।

(142)

परिशिष्ट-4

(अता. प्रश्न सं. 174 की सूची)

अभिकरणवार विभिन्न अकाल राहत कार्यों पर किए गए खर्च का विवरण तथा बकाया मजदूरी की सूचना

क. सं.	नाम अभिकरण	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि	बकाया मजदूरी यदि कोई हो	कार्य की स्थिति
1.	राजस्व अभिकरण	29,620.00	2,30,32.43	—	पूर्ण
2.	सिंचाई विभाग	13,11,532.00	6,86,426.00	1700.10	कार्य अपूर्ण
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	18,10,000.00	8,06,185.00	318.56	अपूर्ण
4.	पंचायत समिति द्वारा	5,79,327.00	4,62,947.66	—	पूर्ण

वर्ष 72-73 में विभिन्न विभागों से स्वीकृत राशि की सूची

1— तहसील— फागी

क्र० सं०	नाम अभिकरण	स्वीकृत राशि
1	2	3
1.	राजस्व विभाग द्वारा	—
2.	पंचायत समिति द्वारा	1,53,240
3.	सिंचाई विभाग द्वारा	8,78,532
4.	कृषि विभाग द्वारा	—
5.	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा	9,90,000
	योग—	20,21,772-00

2— तहसील— पाकसू	स्वीकृत राशि
1. राजस्व विभाग द्वारा	29,620-00
2. पंचायत समिति द्वारा	4,26,087-00
3. सिंचाई विभाग द्वारा	4,33,000-00
4. कृषि विभाग द्वारा	—
5. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा	8,20,000-00
योग—	17,08,707-00
कुल योग (दोनों तहसील)	37,30,479-00

(144)

परिशिष्ट— 5

(अतारांकित प्रश्न सं० 184 की सूची)

जिन लोगों को बल्लियां किराये पर दी गई उनके नामों की सूची

1. आदिवासी मीना छात्रावास
2. दिगम्बर जैन मंदिर बीसपन्थी
3. दिगम्बर जैन मन्दिर 13 पन्थी
4. श्री कन्हैयालाल लिवाली वाले
5. किशनलाल बिवाला
6. सूरजमल नायित
7. बजरंगलाल बोहरा
8. बदरीलाल जोशी
9. रतन लाल ताराचन्द जैन
10. रामेश्वर सुनार
11. आनन्दी लाल सत्यनारायण
12. राम विलास खवास
13. बुद्धोलाल
14. किसन लाल टेलर
15. कल्याण सिंह
16. रामस्वरूप कुम्हार
17. शम्भू लाल चौबे
18. अब्दुल कदीर
19. फूलचन्द बनाड़ा
20. छोटेलाल रडवा
21. छीतरमल
22. आनन्दी लाल
23. कल्याण बक्स चन्दालाल
24. कल्याणबक्स चन्दालाल
25. गोर्धनलाल

26. कल्याणबक्स मूलचन्द
27. भागचन्द जैन
28. लल्लू प्रसाद जांगिड
29. रखबमल रामनारायण
30. खाती समिति
31. मूलचन्द
32. भोंरीलाल बैद
33. चोथमल जैन
34. कल्याणबक्स मूलचन्द
35. अब्दुल कदीर
36. कजोड़मल शर्मा
37. हजारी लाल
38. मिश्रीलाल
39. प्रकाशचन्द्र
40. कजोड़मल शर्मा
41. हजारी लाल शर्मा
42. अब्दुल सकूर
43. ड्रामा मैनेजर
44. हजारी लाल
45. मूलचन्द मोदी
46. हजारी लाल
47. कल्याण प्रसाद
48. हजारीलाल शर्मा
49. सुवालाल भूसा
50. खेलचन्द
51. भगवती लाल
52. गुलजारी लाल
53. रामानन्द
54. सुवालाल
55. भगवती लाल

Page No 146

(146)

56. जगदीश प्रसाद
57. जगदीश प्रसाद
58. कैलाश प्रसाद
59. कमलेश कुमार
60. घनश्याम
61. रामेश्वर प्रसाद
62. खाती समिति लालसोट
63. प्रभुलाल
64. प्रेम चन्द
65. घासी लाल
66. गुलाबचन्द
67. रामफूल माली
68. रामेश्वर प्रसाद
69. खलमल
70. हरिनारायण घमण्डी
71. रफीक मोहम्मद

147

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 186 की सूची)

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, जयपुर से मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय खेल संघों की सूची

---

1. राजस्थान अमेच्योर एथलैटिक संघ, अजमेर ।
2. राजस्थान बैडमिन्टन संघ, जयपुर ।
3. राजस्थान बास्केटबाल संघ, पिलानी ।
4. राजस्थान क्रिकेट संघ, जयपुर ।
5. राजस्थान साइक्लिंग संघ, बीकानेर ।
6. राजस्थान फुटबाल संघ, अजमेर ।
7. राजस्थान जिम्नास्टिक संघ, जयपुर ।
8. राजस्थान हाकी संघ, कोटा ।
9. राजस्थान महिला हाकी संघ, जयपुर ।
10. राजस्थान कबड्डी संघ, जयपुर ।
11. राजस्थान खो-खो संघ, जयपुर ।
12. राजस्थान लान टेनिस संघ, जयपुर ।
13. राजस्थान आलम्पिक संघ, जयपुर ।
14. राजस्थान पोलो संघ, जयपुर ।
15. राजस्थान तैराकी संघ, अजमेर ।
16. राजस्थान टेबिल टेनिस संघ, अजमेर ।
17. राजस्थान वॉलीबाल संघ, बीकानेर ।
18. राजस्थान भारोत्तोलन संघ, जयपुर ।
19. राजस्थान कुश्ती (भारतीय पद्धति) संघ, जयपुर ।
20. राजस्थान कुश्ती (ओलम्पिक पद्धति) संघ, अजमेर ।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् जयपुर से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राज्य प्रतियोगिता के स्थान व तिथियां

	राज्य प्रतियोगिता का नाम	स्थान	तिथियां
1.	राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता	नागौर	2- 1-76 से 4- 1-76
2.	राज्य बेडमिन्टन प्रतियोगिता	उदयपुर	16-12-75 से 21-12-75
3.	राज्य बास्केटबाल प्रतियोगिता	जयपुर	16-11-75 से 19-11-75
4.	राज्य क्रिकेट प्रतियोगिता	—	—
5.	राज्य साईक्लिंग प्रतियोगिता—	बाड़मेर	26-10-75 से 30-10-75
	जूनियर-सीनियर	बीकानेर	19- 1-76 से 23- 1-76 (प्रस्तावित)
6.	राज्य फुटबाल प्रतियोगिता—	जोधपुर	20- 9-75 से 28- 9-75
	जूनियर-सीनियर	डीडवाना	10-10-75 से 19-10-75
7.	राज्य जिम्नास्टिक प्रतियोगिता	—	—
8.	राज्य हाकी प्रतियोगिता	अलवर	6-11-75 से 10-11-75
9.	राज्य महिला हाकी प्रतियोगिता	उदयपुर	20-11-75 से 25-11-75
10.	राज्य कबड्डी प्रतियोगिता—	भरतपुर	28-11-75 से 30-11-75
	सीनियर-जूनियर	जयपुर	7-12-75 से 11-12-75
11.	राज्य खो खो प्रतियोगिता—	कोटा	24-12-75 से 26-12-75
	सीनियर-जूनियर	सीकर	17-10-75 से 19-10-75
12.	राज्य टेनिस प्रतियोगिता	उदयपुर	फरवरी, 76 (प्रस्तावित)
13.	राज्य ओलम्पिक प्रतियोगिता	—	—
14.	राज्य पोलो प्रतियोगिता	—	—
15.	राज्य तैराकी प्रतियोगिता	अजमेर	16- 9-75 से 19- 9-75
16.	राज्य टेबिल टेनिस प्रतियोगिता	जोधपुर	6-11-75 से 11-11-75
17.	राज्य वॉलीबाल प्रतियोगिता-जूनियर	डूंगरपुर	7-11-75 से 9-11-75
	लोवर माइन्स-सीनियर	उदयपुर	28-10-75 से 30-10-75
18.	राज्य भारोत्तोलन प्रतियोगिता	अजमेर	17-10-75 से 19-10-75
19.	राज्य कुश्ती (भारतीय पद्धति)	गंगापुरसिटी	22-10-75 से 26-10-75
20.	राज्य कुश्ती (ओलम्पिक पद्धति)	—	—

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 188 की सूची)

List of Government College in Rajasthan

Post-Graduate College (Men)

1. Govt. College, Ajmer.
2. R. R. College, Alwar.
3. S. D. Govt. College, Beawar.
4. M. S. J. College, Bharatpur.
5. M. L. V. Govt. College, Bhilwara.
6. Dungar College, Bikaner.
7. Govt. College, Kota.
8. Govt. College, Shri Ganganagar.
9. S. K. College, Sikar.
10. Lohia College, Churu.

Degree College (Men)

1. Govt. College, Banswara.
2. Govt. College, Baran.
3. Govt. College, Barmer.
4. Govt. College, Bhinmal.
5. Govt. College, Bundi.
6. Govt. College, Chittorgarh.
7. Govt. College, Dausa.
8. Bangur College, Didwana.
9. Govt. College, Dholpur.
10. Govt. College, Dungarpur.
11. Govt. College, Jalore.
12. Govt. College, Jhalawar.

13. Govt. College, Jaisalmer.
14. Govt. College, Kaladera.
15. Govt. College, Karauli.
16. Govt. College, Kishangarh.
17. Govt. College, Kotputli.
18. M. L. Begani College, Ladnun.
19. Govt. College, Nagaur.
20. S. M. B. Govt. College, Nathdwara.
21. S. N. K. P. Govt. College, Neem-ka-Thana.
22. Govt. College, Nasirabad.
23. Bangur College, Pali.
24. Govt. College, Partapgarh.
25. Govt. College, Ramgarh.
26. Govt. College, Rajgarh.
27. Govt. College, Sardarshahar.
28. Govt. College, Shahpura (Bhilwara).
29. Govt. College, Sirohi.
30. Govt. College, Sambharlake.
31. Govt. College, Sujangarh.
32. Govt. College, Tonk.

Girls Colleges

1. G. D. Girls College, Alwar.
2. M. S. College, Bikaner.
3. J. D. B. Girls College, Kota.
4. Meera Girls College, Udaipur.
5. Ch. B. R. G. Girls College, Shri Ganganagar.
6. Govt. College (Girls), Bharatpur.
7. Govt. Girls College, Bhilwara.

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न सं. 190 की सूची)

जयपुर जिले में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची

1. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनी पार्क, जयपुर.
2. राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर
3. राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गनगौरी बाजार, जयपुर
4. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर
5. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्शनगर, जयपुर
6. श्रीमती कमला नेहरू मेमोरियल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर

Page No 152

(152)

परिशिष्ट - 9

(अतारांकित प्रश्न सं. 192 की सूची)

वर्ष 1975 में तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के स्थानान्तरण से सम्बन्ध राज्यादेशों की सूची

1.	श्रीमती विद्या शर्मा	भीलवाड़ा से जयपुर
2.	श्रीमती शकुन्तला गर्ग	उदयपुर से जयपुर
3.	श्री हिम्मतराम बार्षसिंह	बीकानेर से अलवर
4.	सुश्री इल्यास मानस	भीलवाड़ा से अजमेर
5.	श्रीमती मोहनबाई	कोटा से अजमेर
6.	श्री गोविन्दसिंह	रास पाली से ब्यावर
7.	श्री रामप्रसाद	जैसलमेर से अलवर
8.	श्री हरिनारायण शर्मा	पाली से अलवर
9.	श्री पवनसिंह	पाली से अलवर
10.	सुश्री नानकी देवी	झालावाड़ से अजमेर
11.	श्री सुखदेव प्रसाद	सिरोही से अजमेर
12.	श्री शान्तिलाल परमार	बांसवाड़ा से अजमेर
13.	श्रीमती स्वर्णलता यादव	कालू से अलवर
14.	श्री खैराती तामोर्य	बाड़मेर से अलवर
15.	श्री शम्भूदयाल अलखाना	जालोर से अलवर
16.	श्री हनुमान प्रसाद	दौलतपुरा से जयपुर
17.	श्री दुर्गादत्त काका	चूरू से सीकर
18.	श्री नन्द किशोर	आबूरोड (सिरोही) से जयपुर

वर्ष 1974 में तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के स्थानान्तरण से सम्बन्ध राज्यादेश की सूची

1.	श्रीमती सरला सक्सेना	कोटा से अजमेर
2.	श्री रमेशचन्द्र शर्मा	जालोर से भरतपुर
3.	श्रीमती निर्मला चौधरी	जैसलमेर से अलवर
4.	श्रीमती मनजीत कोर धींगड़ा	बाड़मेर से भीलवाड़ा
5.	सुश्री कान्ता अरोड़ा	भरतपुर से जयपुर
6.	सुश्री कमला जैन	पाली से जोधपुर
7.	श्री प्रहलादसिंह	उदयपुर से अलवर
8.	श्री राम वत्स यादव	जैसलमेर से भरतपुर
9.	श्री रामप्रसाद	जैसलमेर से अलवर

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 200 की सूची)

लिस्ट थाना छीपाबड़ौद सन् 1965 से अब तक जो मुकदमे कुए में डूब कर मरे हैं

क. सं.	नाम रि० कुनि०	नाम मृतक	घटना स्थल	घटना तिथि	कारण मृत्यु	कार्यवाही	विवरण
1–	श्री बाबूलाल सरपंच गोरधनपुरा	अब्दुल कमर पुत्र अब्दुल कादर खां मास्टर गोरधनपुरा	कुआ गोरधनपुरा	19–3–70	घर वालों से परेशान होकर आत्म-हत्या की	174 जा० फौ०	पंचायत नामन्जूर
2–	श्री भैरूलाल पुत्र फूंदी सुनार गोरधनपुरा	मुसम्मात सुन्दर पत्नि प्रमूलाल सुनार गोरधनपुरा	,,	1–4–70	पानी भरते समय	,,	,,
3–	श्री प्रभु पुत्र कंवरलाल चमार गोरधनपुरा	बालू पुत्र मोडू चमार गोरधनपुरा	,,	19–9–72	कुए में गिरने	,,	दिनांक 12–9–72 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर श्रीमान डी० एस० पी० साहब नर नारायण मु० नं० 201/72 302 ता० में दर्ज कर मु० ओंकार, कासिया, वशी नफर 6 मुलाजिम का चालान किया जो कि 7–2–74 को ब हुक्म एडी के द्वारा आजीवन कारावास के सजायाब हुये ।
4–	श्री रमजानी पुत्र पीर बक्षी खां छीपाबड़ौद	बूढ़ी माल बीणा बाबाखेड़ी	,,	28–1–75	पागल होने के कारण	,,	174 जा. फौ.

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 202 की सूची)

अप्रेल, 1975 से अब तक निगम को जितना कच्चा लोहा प्राप्त हुआ उसका ब्योरा निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	लोहे की किस्म	मात्रा मैट्रिक टन
1.	बी० पी० शीट्स	92,080
2.	जी० सी० शीट्स	2,32,850
3.	आर० एस० जोइस्ट	5,78,648
4.	सी० आर० बी० पी० शीट्स	4,49,062
5.	राउन्ड्स	1,38,295
6.	इस्केवेयरस	2,35,400
7.	एम० एस० ऐन्गल्स	6,49,850
8.	एस० एस० चैनल्स	3,44,980
9.	पीन वाइरस	2,228,600
10.	एम० एस० प्लेट	1,78,951
11.	टीन प्लेट्स	2,11,090
	कुल मात्रा	53,39,806

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 214 की सूची)

सीलिंग कानून के तहत भूमि अधिग्रहण एवं आवटन की सूचना

(क्षेत्रफल एकड़ों में)

क्र०सं०	नाम जिला	अतिरिक्त जमीन घोषित			कब्जे में ली गई भूमि			भूमिहीनों को आवंटित		
		पुराना कानून	नया कानून	योग	पुराना कानून	नया कानून	योग	पुराना कानून	नया कानून	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	6643	5721	12364	2692	1761	4453	1927	1241	3168
2.	अलवर	980	1607	2587	132	154	286	88	30	118
3.	बांसवाड़ा	1432	165	1597	1432	10	1442	1281	10	1291
4.	बाड़मेर	31233	17883	49116	31233	237	31470	8856	53	8909
5.	भरतपुर	1338	463	1801	686	328	1014	184	—	184
6.	भीलवाड़ा	29948	5386	35334	12473	626	13099	3458	—	3458
7.	बीकानेर	59846	38700	98546	45273	33468	78741	42104	3254	45358
8.	बून्दी	12028	738	12766	672	738	1410	332	42	374
9.	चित्तौड़गढ़	2898	6349	9247	1579	3617	5196	525	557	1082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	चूरू	2162	549	2711	1043	101	1144	971	101	1072
11.	डूंगरपुर	1759	524	2283	1254	314	1568	249	43	292
12.	गंगानगर	15005	8130	23135	1996	2304	4300	555	1402	1957
13.	जयपुर	19723	16032	35755	6193	9619	15812	1013	—	1013
14.	जैसलमेर	5869	25226	51095	15930	14664	30594	—	180	180
15.	जालोर	29450	3137	32587	14751	1001	15752	5691	71	5062
16.	झालावाड़	2935	94	3029	798	12	810	134	—	134
17.	झुंझुनूं	63	320	383	63	655	718	—	—	—
18.	जोधपुर	10026	6885	16911	4893	1168	6061	4693	53	4746
19.	कोटा	9367	24	9391	315	4	319	—	4	4
20.	नागौर	2131	576	2707	1638	376	2017	1049	180	1229
21.	पाली	19169	13277	32446	9479	2828	12307	3477	537	4014
22.	सवाई माधोपुर	5137	3434	8571	3987	444	4431	1366	121	—
23.	सीकर	498	902	1400	397	460	857	348	445	—
24.	सिरोही	2204	6568	8772	2004	4330	6334	1286	1136	—
25.	टोंक	11199	3511	14710	7446	3059	10505	161	—	—
26.	उदयपुर	14923	8138	23061	2094	2215	4309	461	—	423
	राजस्थान राज्य	317966	174339	492305	168453	84496	252949	80171	9460	89631